

सृजन

रचना

निर्माण

विद्यार्थी
कुछ भी हो सकता है
देश द्रोही नहीं
कदापि
नहीं

सृजन

रचना

निर्माण

छात्र विज्ञोभ

सम्पादक .

कृष्णावीर द्रोणा



उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्निबोधत् ।
[राजस्थान शिक्षक संघ, शाखा-जिला जयपुर, के अधिकार
द्वारा प्रकाशित]

प्रकाशक

अनुपम प्रकाशन

जयपुर

प्रराशन

मोहनलालजैन

मचाला

धनुषम प्रराशन

बोड्रा गम्ना, जयपुर

प्रथम भागवत

१९५६

मूल्य -

पाँच रुपये पचास पैसे

आवृत्ति-महारा

'श्रीमद्भागवत' उदयपुर

मुद्रक

श्रीमान् प्रिन्टर्स, जयपुर

भारत
के
तेजस्वी युवा छात्रो को,
जिन का प्रखर मानस,
राष्ट्र-निर्माण के पुनीत,
कार्य
के
हेतु
समर्पित
है



अनुक्रम

हमारी बात

...

....

पृष्ठ

सम्पादकीय भूमिका

..

‘लेख’

प्रथम खण्ड

१ तरुणाई का उफान और हमारा आत्म-चिन्तन	डॉ० बी. के आर. बी राव	३
२. छात्र-असन्तोष साहस का विकल्प ?	(अनु० सन्तोष पाण्डेय)	
३. छात्र किधर ?	वी वी जॉन	११
४ छात्र-असन्तोष समस्या तथा समाधान	(अनु० कृष्ण वीर द्रोण)	
५. आदर्श हीन समाज और छात्र-क्षोभ	डॉ० एस एन. मुखर्जी	१७
६. विद्यार्थी असन्तोष : अभिज्ञान की समस्या	(अनु० कृष्णवीर द्रोण)	
७. भारत मे विद्यार्थी अशांति एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण	डॉ० सम्पूर्णानन्द	२३
८ छात्र अस्वस्थता राष्ट्र व्यापी असन्तोष की एक प्रतिध्वनि ...	डॉ० मथुरालाल शर्मा	३१
९ शिक्षा—मगलमय नियति की एक विधायक प्रक्रिया	डॉ० वाई. बी दामले !...	३५
१० अशांत युवा नवीन का पुरातन से विद्रोह . . .	(अनु० डॉ० एस एल. दोषी)	
११ क्या छात्र-आन्दोलन के लिये हम जिम्मेदार नहीं है ?	डॉ० एस पी. रहेला	४५
१२. एक उद्वेलित पीढी .	(अनु सन्तोष पाण्डेय)	
१३. शिक्षा क्षेत्र मे अवाञ्छनीय हस्त-क्षेप क्यों ?	काका कालेलकर	५७
१४. लक्ष्य प्राप्ति की चाह ...	ब्रजनन्दन . . .	६२
१५ पूँजीवादी शिक्षा—व्यवस्था .	प्रो० बालकृष्ण नेमा	६७
‘एजूकेशनल-लेबरर’ तथा प्रमाण-पत्रधारी ‘विद्यार्थी-नोकर’ .	प्रभाकर माचवे	७४
	कृष्ण वीर द्रोण ..	८१
	गुरुदत्त	८६
	डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	९६
	महामहोपाध्याय .	१००
	डॉ० भगवानदास माहौर	

१६ अनुशासन का अध्यात्म	डॉ० रामानन्द तिवारी . .	१०७
१७ अनुशासन की तात्त्विक व्याख्या और शिक्षा में उसका महत्व . .	डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट ..	११२
१८ अस्वच्छ विम्ब का स्वच्छ प्रति- विम्ब क्यों कर हो?	प्रो० शम्भूसिंह मनोहर . .	११७
१९. शिक्षा की अपेक्षा और नव पीढ़ी का क्षीम	विद्या. सागर	१२३
२०. हमारा छात्र ! ...	राकेश दत्त त्रिवेदी-	१२८

द्वितीय . खण्ड 'भेट-वार्तायें'

शिक्षा-प्रशासन एवं अध्यापक-वर्ग

२१ प्रो० एम वी. माथुर (उपकुलपति)	१३५
२२. जे पी नायक (शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार)		१४०
२३ डॉ० राजकृष्ण (आचार्य, अर्थ शास्त्र विभाग) . .		१४५
२४ डॉ० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय (अध्यापक, इतिहास विभाग)		१४९

अभिभावक-वर्ग

२५. एल. पी श्रीवास्तव (सेवारत)	१५३
२६ रघुवीर प्रसाद भटनागर	१५७

भारतीय-विभाग (पुस्तक)

२७ हनुमान शर्मा (महानिरीक्षक) . .	.	१५९
-------------------------------------	---	-----

राजनेता-वर्ग

२८ निरन्जन नाथ आचार्य (अध्यापक, राजस्थान विधान सभा)		१६५
२९. दिवचरण माथुर (कांग्रेस)	१७३
३०. नारायणदत्त तिवारी (संयोजक-भारतीय युवक कांग्रेस) ..		१७८
३१. नैरौंसिंह शेखावत (जनसभ)	१८१
३२. रामानन्द अग्रवाल (साम्यवादीदल) ..		१८५
३३. मास्टर आदित्येन्द्र (संयुक्त समाजवादी दल) ..		१९०
३४. देवोर्मिह मडावा (स्वतन्त्र दल) .		१९३

विद्यार्थी-वर्ग

३५. जन्तुर मेडिकल कॉलेज के भूख हड़ताली छात्र		१९६
--	--	-----

तृतीय खण्ड 'विचार-बिन्दु'

३६. लक्षणों के उपचार से रोग-निवारण सम्भव नहीं
ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद २०५
३७. बुजुर्ग पीढी का दायित्व . . डॉ० मोहनसिंह मेहता २०६
३८. विद्यार्थी उच्च लक्ष्य को धारण करें . विश्वनसिंह शेखावत २०८
३९. समाजवाद ही एक मात्र हल डॉ० रामविलास शर्मा २०९
४०. 'बुजुर्ग' और 'ब्योरोक्रेटिक' शिक्षा-प्रणाली के बीच बेचारा शिक्षक और विद्यार्थी ... जनार्दनराय नागर २११
४१. अमरतीय शिक्षा और हमारा विद्यार्थी हनुमानप्रसाद पोद्दार २१३
४२. अनुशासन की बात ... डॉ० लक्ष्मीलाल के.प्रोड २१६
४३. छात्रों को दोषी न ठहराया जाय .. भाणिक्यलाल वर्मा २१८
४४. सैलाब का क्षोभ ' बालगोविन्द तिवारी २१९
४५. राष्ट्रीय व्यक्तित्व की क्षुब्ध कुतरन डॉ० इन्दुदत्ते २२३
४६. आधुनिक छात्र एक विवेचन नाथूलाल शर्मा २२४
४७. छात्र अन्दोलन क्यों ? रामस्वरूप गुप्त २२९
- हमारे विचारक.... २३१



हमारी बात

राष्ट्र-व्यापी किंवा विश्व-व्यापी छात्र-ग्रान्दोलन के परिप्रेक्ष्य में 'राजस्थान शिक्षक सघ' (शाखा-जिला जयपुर) की ओर से हमारी यह पुस्तक "छात्र-विक्षोभ" शिक्षा-जगत की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। हमारा 'विश्व परिप्रेक्ष्य' से तात्पर्य यह नहीं है कि यह पुस्तक सारे विश्व में युवक हृदय के आन्तरिक एवं बाह्य आन्दोलित स्पन्दनों की प्रतिध्वनि सुनाने की चेष्टा करती है, ऐसा कहना हमारी पुस्तक की सीमा के बाहर की बात होगी। वस्तुतः हमारा तात्पर्य यह है कि विश्व भर के अशान्त युवा-मानस के समानान्तर भारतीय युवक के मन की पीडा, बेचैनी, आकुलता तथा छटपटाहट को सोचने-समझने का हमने यह छोटा सा प्रयास किया है। वैसे इस सन्दर्भ में अन्य देशों के युवक-आन्दोलनों का भी यत्र-तत्र जिक्र आया है, परन्तु वह सब है हमारी अपनी समस्या को समझने और विश्लेषण करने के हेतु ही।

इधर कुछ दिनों से यह सुनने में आता रहा है कि शिक्षक-संगठन आमतौर से अपने वेतन-स्तरों को ऊँचा उठाने, महगाई-भत्ता बढ़वाने एवं ट्रेड-यूनियन जैसी गतिविधियों में प्रवृत्त हो रहा है, तथा देश का शिक्षक-वर्ग राष्ट्र की ज्वलत समस्याओं को सुलझाने, शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसे पुनीत कार्यों के प्रति अपना अनिवार्य दायित्व नहीं निभा रहा। हमारी इस पुस्तक का प्रकाशन शैक्षणिक जगत की वर्तमान अनेक असंगतियों में एक विषम असंगति (छात्र-असन्तोष) के समय शिक्षकों के अपने विशेष उत्तर-दायित्व को अनुभव करने का ही प्रतिफलन है। यद्यपि इतने भर से ही भारत का शिक्षक अपने अन्य गुरुतर दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाता, तथापि 'बूँद-बूँद से घट भरे' के अनुसार अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद वह (शिक्षक) अपने नाराज, व्याकुल एवं रुठे विद्यार्थियों को मनाने, उसमें आत्म-विश्वास, आस्था तथा शान्ति लाने के कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ है। शिक्षक यह भी नहीं भूला है कि राष्ट्रीय-उद्बोधन, जन-जागरति एवं सेवा का कार्य भी उसी को सम्पादित करना है। देश में लोक-राज्य के स्थान पर नौकर-शाही के बढ़ते हुए कदम, हमारी शिक्षा-व्यवस्था की लक्ष्यहीनता, राष्ट्रीय

जीवन की प्राथमिकताओं में शिक्षा की सर्वोच्चता के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति जैसी परिस्थितियों में आज उसका कार्य—भार और अधिक बढ़ जाता है ।

शिक्षक समाज अपने आत्मबल तथा ज्ञान को ही अपनी शक्ति मानकर चलता है और इसी कारण वह ट्रेड—यूनियनों से अपनी शक्ति सिंचित करने की बात नहीं सोचता । लेकिन इसका यह भी तात्पर्य नहीं लगाना चाहिये कि आज का शिक्षक वर्तमान यथार्थ को झुठलाकर अर्धी भावुकतावश अपने मानवोचित अधिकारों की ओर से आँखें मूँद लेगा । कर्तव्य के साथ-साथ अपने अधिकार को भी न पहचानना पाप माना गया है । रही “ट्रेड—यूनियन भावना” की बात, सो अध्यापक अपने परम्परागत विनीत—भाव से सबके परामर्श को सुनेगा व समझेगा, परन्तु करेगा वही जो उसके अन्तरतम का ‘जाग्रत गुरु’ उसे सदेश दे रहा है । वह भलीभाँति जानता है कि परामर्श देने, समाज—व्यवस्था को नयी दिशा देने, परम्परागत शब्दों और वाक्यों—सूत्रों को नवयुग के सन्दर्भों की छाया में नवीन अर्थ, अर्थ का नवीन विश्लेषण और विश्लेषण का नवीन सश्लेषण करने का कार्य सृष्टि के जागरण से उसी का रहा है । अतः उसे ‘ट्रेड—यूनियनिज़म’ का क्या अर्थ ग्रहण करना है, यह भलीभाँति स्पष्ट है ।

इसमें सन्देह की कोई बात ही नहीं है कि शिक्षक वही करेगा, जो उसके देश व मानव-जाति की शिक्षा, कला, साहित्य तथा सस्कृति के उत्थान एवं सत्य, शिवं, सुन्दरम् की कल्पना के अनुरूप होगा । राष्ट्र—सेवा के महत् कार्य के लिये भारत का शिक्षक कटिबद्ध है, जागरूक है, और यही हमारे ‘शिक्षक सघ’ के निर्माण का भी अन्तिम लक्ष्य है, अन्तिम सफल है ।

इस पुस्तक के प्रकाशन के वारे में भी कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा । कुछ समय पूर्व हमारे ही कुछ शिक्षक-वन्धुओं ने जब सारे देश में चल रहे छात्र—आन्दोलन का जिक्र मुझ से किया एवं इस विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित करने और मुझ से उसके सम्पादन—कार्य को सम्भालने की बात कही तो मैंने बड़े आनन्द-भाव से इस कार्य को स्वीकार कर लिया । वैसे वर्षों तक अध्यापन-कार्य करने, छात्र-जीवन के अति निकट रहने, उनके मनोभावों को समीप से पढ़ने-समझने, उत्कट राष्ट्रप्रेमी युवा-छात्रों से सम्पर्क बनाये रखने तथा हड़ताली छात्रों को समझाने-बुझाने के अध्यापकीय कर्तव्यों को करने का मुझे सुअवसर प्राप्त होता रहा है । इधर छात्र-आन्दोलन के प्रश्न को लेकर मैरा एक लेख—“फूलों का विद्रोह कौन बल रोकेगा”

‘नाप्ताहिक हिन्दुस्तान’ (१२ मार्च, १९६७) में प्रकाशित हुआ ही था । इन सब कारणों से मेरे स्वयं के मन में इस दिशा में कुछ विशेष करने की एक बलवती भावना भी मुझे कुछ समय से प्रेरित कर रही थी । इन सब परिस्थितियों में मैंने पुस्तक-सम्पादन का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया । लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ कि जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिये । मुझे अपनी परिस्थितियों में यह कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिये था, क्योंकि कोई भी कार्य यदि ठीक प्रकार से किया जाय तो अत्यन्त कष्टप्रद होता है । लेकिन मैं इस तथ्य को भी नहीं अस्वीकारता कि एक अच्छा कार्य स्वयं में एक आनन्द है, एक पुरस्कार है ।

अन्त में हम यह भी बताना उचित समझते हैं कि इस पुस्तक से शिक्षक सघ को जो भी आय प्राप्त होगी, वह शिक्षक-कल्याण तथा शैक्षणिक एवं साहित्यिक-गतिविधियों के हेतु ही व्यय की जायगी ।

कृतज्ञता—

एक बात जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है—मैं शिक्षक-सघ की ओर से उन सभी विद्वानों को जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर अपने लेख भेजने का कष्ट किया, अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करता हूँ । साथ ही मॉट—वार्ताओं में अपना बहुमूल्य समय देने वाले सज्जनों को भी मैं उनके कष्ट के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । मैं श्रीमती ऊषा चरणजीतराय के प्रति भी आभार प्रगट करता हूँ, कि जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर शिक्षक-सघ को कृतार्थ किया । राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री आचार्य महोदय एवं शिक्षा मंत्री श्री शिवचरण माधुर के प्रति मैं अपनी विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, कि जिन्होंने अपनी उदयपुर-यात्रा के अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम में से भी अपना मूल्यवान समय निकालकर अपने विचार प्रदान किये तथा इस पुस्तक की प्रकाशन-योजना के प्रति सदैव ही अत्यन्त उत्साहजनक भाव व्यक्त किये । डा० राजकृष्ण की भी इस ओर विशेष कृपा रही है, जिन्होंने अपनी दो-दो विदेश यात्राओं में से भी अपना समय निकाल कर अपने विचार प्रदान किये । जयपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र-बन्धुओं से तो मैं उद्धरण ही नहीं सकता, जिन्होंने न केवल आधी रात्रि तक अपने विचारों से मुझको अवगत कराया, बल्कि चाय बना-बना कर भी पिलाई । श्री आनन्द कश्यप, श्री शिवलहरी शर्मा, डॉ० नैमीचन्द्र श्रीमाल, श्री महावीर सिंहल, श्री जगदीश व्यास एवं श्री नगवतीलाल ध्याम के प्रति भी मैं अपना हार्दिक धन्यवाद प्रगट करता हूँ,

जिनका मनसा-वाचा-कर्मणा सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। पुस्तक की आवरण-सज्जा के लिये मैं विशेषरूप से उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री ओम उपाध्याय तथा विद्या-मवन, शिक्षक महाविद्यालय उदयपुर के दृश्य-श्रव्य शाखा के श्री गौरीशंकर शर्मा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ।

श्री जे. पी. नायक, प्रो० एम. वी. माथुर, डॉ० मोहनसिंह मेहता की उदारता की भी मैं भुला नहीं सकता जिन्होंने अपनी मजबूरियों की चिन्ता न कर अपने विचार देकर हमारा उत्साह-वर्धन किया। श्री ओमप्रकाश यादव के अतिरिक्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटगेट, जयपुर के अध्यापक श्री सुरेन्द्रदेव शर्मा, श्री के० पी० शर्मा, श्री भारत भूषण भटनागर तथा श्री रामेश्वर दयाल पारीक के प्रति मैं अपना स्नेहसिक्तआभार प्रदर्शित करता हूँ, जिनकी अनवरत भागदौड़ के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है। वैसे तो यह पुस्तक ही उनकी अपनी है, परन्तु औपचारिकता के नाते जयपुर जिला शिक्षक-सभ के गत वर्ष तथा इस वर्ष की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों (विशेषतः अध्यक्ष महोदय, श्री नाथूलाल शर्मा एवं मंत्री महोदय, श्री रामस्वरूप गुप्ता) के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रगट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस गम्भीर कार्य के लिए योग्य समझा।

प्रकाशक महोदय, श्री मोहनलाल जैन के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रगट करना न भूलूँगा जो इस सारी प्रकाशन गतिविधि में उदार एवं सहयोगी रहे हैं। राज० उ० प्रा० विद्यालय, जयपुर के शिक्षक भाई दुर्गलाल यादव तथा श्री रुदेशचन्द्र शर्मा के प्रति मैं अपने कृतज्ञताभाव प्रगट करने में असमर्थ हूँ, जिनकी निष्ठा और परिश्रम के कारण ही इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

अन्त में उन सभी हजारों लाखों अध्यापकों के प्रति मैं शिक्षक सभ की ओर से अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करता हूँ, जिनकी प्रेरणा और सम्बल से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। पुस्तक में सम्पादक अथवा संध का कुछ भी नहीं है, सभी कुछ दूर-दूर तक फैले उन अज्ञात एवं अपरिचित शिक्षक बन्धुओं का ही है, जो गाँव-गाँव तथा शहर शहर में अपनी कठिनाइयों की चिन्ता न कर देश के बाल-बोपालों की मुस्कानों में फूल खिलाते हुए, राष्ट्र-त्थान के पुनीतकार्य में जुटे हुए हैं।

—सम्पादक

सम्पादकीय भूमिका

छात्र परिवेदन के इस काल में, जबकि भारतीय राष्ट्र का हृदय घषक उठा है, सतत् जागरूकता का यह तकाजा है कि हम अपनी बौद्धिकता और चेतना को एक बार पुनः जाग्रत करें। एक समूची पीढ़ी, जिसका जीवन ही उद्वेलन का पर्याय हो चला है, के मानस-छायाचित्रों, उसके अन्तराल के विम्ब-प्रतिविम्बों की भूमिका के रूप में यह पुस्तक प्रबुद्ध चिन्तकों के समक्ष प्रस्तुत है।

पुस्तक को तीन खण्डों—'लेख', 'मॉट-वार्तायें', तथा 'विचार-बिन्दु' में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड के अन्तर्गत समस्या के मूल में पहुँचने की दृष्टि से देश के लब्धप्रतिष्ठ शिक्षा-शास्त्रियों, अध्यापकों, शिक्षा-अधिकारियों, समाज-शास्त्रियों, मनोवैज्ञानियों तथा समाज सेवियों के लेख रखे गये हैं। यद्यपि आज हमारे विद्यार्थी का नवीनता के प्रति ज्वरदस्त आकर्षण है, तथापि उसकी मानसिक परम्परा प्राचीनता से वैसी ही चिपकी हुई है, जैसे—तने से छाल। छाल उतारने की भारी कोशिश है, परन्तु पतली झिल्लीदार छाल फिर भी चिपकी रह जाती है। बस, यही झिल्लीदार पतली छाल सारे विक्षोभ और अन्तर्द्वन्द्व के मूल में है। पुरातन से मोह-भंग हो गया है, लेकिन वह भी छुड़ाये छूटता नहीं। नवीन मूल्यों को स्वीकृति (Sanction) अभी प्राप्त हो नहीं सकी है। अतः इसी पुरातन-नवीन की पृष्ठभूमि में हमने लेखों का सकलन किया है। कुछ विचार यद्यपि अत्यन्त पुरातनतावादी एवं परम्परागत जैसे प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु समस्या को विवस्त्र करने की दृष्टि से यह आवश्यक ही प्रतीत हुआ है। असल में तो हमें जिस विद्यार्थी का अध्ययन करना है वह 'भारत का विद्यार्थी' है, जिसके मन में शतान्दियों पुरानी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्मृतियों की परतें जमी हुई हैं। मेरा उन लोगों से मतभेद है जो इस विद्यार्थी को पाश्चात्य-जगत के मापदण्डों से परखने की चेष्टा कर रहे हैं।

दूसरे खण्ड में अध्यापकों, आन्दोलनकारी विद्यार्थियों, सरक्षकों, पुनिस तथा शिक्षा अधिकारियों एवं देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की

भेंट-वार्तायें सम्मिलित की गई हैं। मेरी जानकारी में मेरे चतुर्दिक जब कभी कोई उत्तेजनापूर्ण घटना शिक्षा-जगत में घटी है, तो मैंने अविलम्ब सम्बन्धित व्यक्तियों की मनोभूमि को उनके असल रूप में ग्रहण करने की दृष्टि से उनके पास पहुँचने का यथासम्भव प्रयास किया है। भेंट-वार्ताओं के सम्बन्ध में इस बात की विशेष सावधानी रखी गयी है, कि वे नितान्त अनौपचारिक वातावरण में आयोजित की जाय, जिससे सामयिक उद्देलित भावनाओं तथा विचारों के कालगत तापक्रम को सही-सही नापा जा सके। सम्पादक को यह प्रमत्तता है कि उसको ऐसे 'उत्तेजित स्थलों' की "On the spot study" करने का अवसर प्राप्त हो सका है। हमारा विश्वास है कि विद्यार्थी-आन्दोलन में सम्बन्धित उन कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार, जो हमारी समस्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर रहे हैं, हम भेंट-वार्ताओं के द्वारा पाठको तक पहुँचाने में कदाचित् सफल हो सकेंगे।

पुस्तक के अन्तिम भाग—"विचार-विन्दु" में हम उन विद्वानों के दृष्टि-विन्दुओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने सारगर्भित लघु रूप में अभिव्यक्त किया है।

वैसे तो सभी विचारकों ने अपने-अपने मौलिक दृष्टिकोण इस समस्या के बारे में प्रकट किये हैं, परन्तु आमतौर पर यह धारणा सब से प्रबल है कि विद्यार्थी-आन्दोलन के लिये विद्यार्थी को दोष नहीं दिया जाना चाहिये, बल्कि इसके लिये देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। श्री वाई. वी. दामले, डॉ० वी. के. आर. वी. राव, श्री बालकृष्ण नेमा एव डॉ० रुहेला का मत है कि राजनीतिक परिवर्तन तथा औद्योगिक तकनीकीकरण के कारण देश के युवकों के मनों में से परम्परागत जीवन-मूल्यों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थापनाओं से आस्था उठ गई है, परन्तु अभी नवीन मूल्य स्थापित हो नहीं पाये हैं। अतः यह दो विरोधी मूल्यों का संघर्ष-काल है। श्री जे. पी. नायक एव डॉ० राव का यह कथन भी उचित है कि स्वतन्त्रता के बाद कुछ छात्र विद्यालयों में ऐसे परिवारों से आये हैं, जिनमें शैक्षणिक परंपराएँ नहीं रही हैं। अतः ऐसे छात्र शहरी वातावरण से अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते। प्रो० नेमा इस असन्तोष को छात्र-असन्तोष न कह कर एक विशेष आयु-वर्ग (१५ से २५ वर्ष) के युवकों का सामान्य असन्तोष मानते हैं।

श्री अजनन्दन के विचार से छात्र-असन्तोष विगत महायुद्धों के स्नायुविक तनाव तथा पाश्चात्य कुण्ठा (जो भारत में भी आयात हो रही है) का परिणाम है। डॉ० राव का मत है (और मैं भी इससे सहमत हूँ) कि गत महायुद्धों ने नव-पीढ़ी के मानस में प्रौढ़ों के विवेक के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी है। और साथ ही पुराने लोग समाज की समस्त सुविधाओं को समेटकर बैठ गये हैं। इसी प्रकार के विचार मुझे जयपुर मैट्रिकल कॉलेज के छात्रों से मेट करने पर मिले थे। श्री जे पी नायक के अनुसार भी नवीन और पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक वैषम्य उत्पन्न हो गया है।

सभी विद्वान् इस विचार से सहमत हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली दूषित है। डॉ० भगवानदास माहीर के अनुसार तो सारा का सारा वर्तमान छात्र-असन्तोष ही “पूर्वजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सन्निहित आन्तरिक विरोध” के रूप में पनप रहा है। वे वर्तमान शिक्षक को “ऐजुकेशनल-सेवर” तथा छात्र को “प्रमाण-पत्र धारी नौकर” की संज्ञा देते हैं। डॉ० माहीर, डॉ० रामविलास शर्मा, श्री रघुवीर प्रसाद नटनागर के अनुसार तो सच्चे समाजवाद की तथा डॉ० रामानन्द तिवारी के अनुसार सामाजिक सेवा-भाव की स्थापना द्वारा ही अनुशासन की स्थापना की जा सकती है। इस विषय में मेरा स्वयं का मत यह है कि ‘वाद’ कोई सा भी क्यों न हो, बिना ‘लोक-राज्य’ की भावना के समाज में स्थायी शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती।

शिक्षा-मन्त्री महोदय श्री शिवचरण माधुर का विचार है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है, कि इससे नौकरी करने की ही प्रेरणा मिलती है। उपन्यासकार श्री गुरुदत्त के अनुसार हमारी शिक्षा मन, बुद्धि और आत्मा का विकास नहीं करती। शिक्षार्थी मानव न बन कर “सरकारी मशीन के पुर्जे” के रूप में ढलकर आता है। इसी कारण समाज में सर्वत्र हाहाकार है। उनका विचार है कि समाज के स्थान पर व्यक्ति-निर्माण पर अधिक बल दिया जाना चाहिये, क्योंकि समाज भी तो व्यक्तियों से ही बनता है। श्री गुरुदत्त के विचार से डिप्टी, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों को देने की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिये तथा शिक्षा-क्षेत्र से सरकारी हस्तक्षेप को सर्वथा हटा देना चाहिये। मेरे विचार से वर्तमान में जब कि राज्य के स्वरूप को लोक-कल्याण के आदर्शों (Ideals of welfare state) पर गढ़ा जा रहा है तथा जब व्यक्ति, समाज तथा राज्य की अन्योन्याश्रितता एक अनिवार्यता बनती जा रही है, तो व्यावहारिकता का एकमात्र यही नकाजा है कि हम शिक्षा को कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे एक ओर तो

शैक्षणिक मनमानी (Educational Anarchy) को अवकाश न मिल सके, तो दूसरी ओर व्यक्ति के विचार—स्वातन्त्र्य, विशुद्ध ज्ञान एवं सत्य की ओर बढ़ते हुए कदमों को किसी भी दशा में अवरोध न किया जा सके। ऐसी व्यवस्था नितान्त निस्वार्थता, सावधानी, सूक्ष्म एवं गहन चिन्तनशीलता के वातावरण में ही निर्मित हो सकती है।

सभी विद्वान् इस तथ्य को भी स्वीकारते हैं कि छात्रों को शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती, अधिकांशतः शिक्षक भी योग्य नहीं हैं, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच मधुर सम्बन्ध नहीं बन पाते, तथा छात्रों के माता-पिताओं की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। आचार्य निरन्जननाथ जी के अनुसार विद्यार्थी के माता-पिता भी अपना उत्तरदायित्व भलीभांति नहीं निभा रहे हैं। श्री जे. पी. नायक का यह सुझाव भी काफी विचारणीय है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य मतैक्य का रहना अत्यन्त आवश्यक है, और इसको बनाये रखने के लिये किसी तीसरी मध्यस्थ कड़ी का विकास करना चाहिये, जो दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुये भ्रमों को उत्पन्न न होने देने में अपना सहयोग प्रदान करे। मेरा स्वयं का ऐसा विश्वास है कि सामयिक उपचार की दृष्टि से कोई भी साधन विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है, परन्तु अन्ततः छात्र और शिक्षक को जोड़ने वाली बीध की कड़ी स्वयं शिक्षक और छात्र के अन्तरतम से विकसित होनी चाहिये, क्योंकि कोई भी तीसरे पक्ष में इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की सक्षम पात्रता नहीं है।

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी तथा श्री शिवचरण माथुर के अनुसार छात्रों को सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। उनके अनुसार देश की गतिविधि का वे ध्यान रखें, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य ज्ञानार्जन ही होना चाहिये। इसके विपरीत श्री रामानन्द अग्रवाल, मास्टर आदित्येन्द्र, तथा श्री भाणिकयलाल वर्मा, के अनुसार छात्रों को देश की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु सदैव अपने को प्रस्तुत करते रहना चाहिये। श्री भैरोसिंह शेखावत के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से “छात्रों का राजनीति से अलगवाव” वाला “स्लोगन” (नारा) अब अर्थहीन हो गया है। डॉ० मथुरालाल शर्मा के अनुसार इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही छात्रों में अविनय का भाव जाग्रत हो चुका था। उनके विचार से स्वतन्त्रता—संग्राम में जब अध्यापक किन्हीं कारणों से राजनीति से अलग रहे, तो विद्यार्थियों के मनो में उनके प्रति अश्रद्धा के भाव जाग्रत हो गये और वे भाव अभी भी चले आ रहे हैं। मेरा स्वयं का

ऐसा मत है कि वर्तमान अध्यापक के प्रति श्रद्धा-भाव की कमी को डॉ० शर्मा के विचारों से सिद्ध करना बहुत दूर की कौड़ी मारना ही होगा। इसके लिये हमें वर्तमान की ओर ही अधिक देखना होगा।

डॉ० मुखर्जी, श्री राकेश दत्त निवेदी, श्री विद्यासागर, श्री प्रभाकर माचवे, श्री ब्रजनन्दन, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० गोविन्द चन्द्र पाठे तथा स्वतन्त्रपार्टी के श्री देवीसिंह मडावा के अनुसार देश के राजनीतिक दल छात्रों का उपयोग अपनी निजी स्वार्थ-सिद्धि हेतु कर रहे हैं, और यह स्थिति अहितकर है। डॉ० सम्पूर्णानन्द का विचार है कि "समस्त दूषित प्रभावों के बावजूद छात्र-आन्दोलनों में राजनीतिक पार्टियों का नाग लेना बहुत गतरनाक नहीं है।" लेकिन यदि कोई राजनीतिक दल छात्र-आन्दोलन को अपनी राजनीतिक-रणनीति का अंग बनाले, तो खतरा वास्तविक गहरा तथा दूरगामी बन जाता है।" प्रो० शम्भूसिंह मनोहर का मत है कि इस अनुशासन-हीनता को स्पष्ट सर्वाधिक प्रोत्साहन हमारे राजनेताओं से ही मिलता है। मेरे विचार से बात कुछ इस प्रकार है, कि हमारे समाज में आज आकर्षण व आदर के दो ही केन्द्र रह गये प्रतीत होते हैं—राजनीति और धन। ऐसी स्थिति में जैसा आचरण राजनीति तथा धन-सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है वैसा ही नवयुवक भी करने की चेष्टा करता है।

प्रो० एम वी माथुर के अनुसार सिनेमा और डॉ० राजकृष्ण के अनुसार सिनेमा, रेडियो तथा सस्ता साहित्य भी आज युवकों को आकृष्ट कर रहे हैं। मेरे मत से सिनेमा को मेरे द्वारा उल्लिखित दो "आकर्षण-केन्द्रों" से पृथक् तीसरा आकर्षण-केन्द्र नहीं माना जाना चाहिये, बल्कि इसे धन और राजनीति से प्राप्त शक्ति-वैभव वाले आकर्षण में ही सम्मिलित करना चाहिये। बात यह है कि सिनेमा में सैक्स, प्रेम, रोमांस, धन, शक्ति आदि का जो प्रदर्शन किया जाता है, वह युवक के मन में व्याप्त वैभव और पद-शक्ति की लिप्सा की कुण्ठित भावनाओं को परितृप्त करता है, यथार्थ में तो इससे उन्हें वास्तविक शांति प्राप्त हो नहीं पाती। मैं तो इसे "मानसिक पलायन" ही कहूँगा। इस बात को उलट कर यो भी कहा जा सकता है कि जब वास्तविक जगत में आज युवक को प्रेम, स्नेह, यौवन, आशा, साहस, त्याग, जीवट-प्रदर्शन के साधन तथा श्रम-परितृप्ति (जिसे श्री दामले ने "Problem of Identity" के नाम से पुकारा है) के माध्यम नहीं मिल पाते, तो वह उनकी खोज चल-चित्रों में करता है। लेकिन कुल प्रभाव चल-चित्रों का भी अच्छा नहीं पड़ता। इन सस्ते मनोरंजन के साधनों के विषय में

डॉ० राजकृष्ण ने कहा है कि आज हमारे नवयुवक को अन्य किसी प्रेरणा-युक्त आकर्षण का स्थान उपलब्ध नहीं है, इसी कारण वह सिनेमा, रेडियो इत्यादि का ही आश्रय लेता है। मेरे मतानुसार वर्तमान परिस्थितियों के रहते सिनेमा का स्थान अन्य कोई वस्तु ले सके, यह तनिक कठिन सा ही लगता है। सिनेमा युवक की पुँजीभूत मानसिक कामनाओं को एक साथ तृप्त करता है, अतः इसका आकर्षण बड़ा दुराग्रही है। मेरी समझ में सिनेमा का स्थान सिनेमा ही ले सकता है। अच्छा होगा यदि राज्य स्वयं (अथवा अन्य सस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर), युवक सिनेमा-गृह तथा युवक-फिल्में तैयार करावें, जो प्रेम, साहस, त्याग, बलिदान की भावनाओं का सही मार्गान्तरीकरण अत्यन्त कलात्मक कौशल के माध्यम से कर सकें। विना सरकारी सहायता के तथा विना 'बाक्स ट्राउज' की चिन्ता किये सामान्यतः कोई भी इस योजना को प्रारम्भ करने का साहस नहीं ले सकता। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान सामान्य चल-चित्रों की दिशा के बारे में भी पुनर्विचार करना आवश्यक है।

कुछ विद्वानों का जैसे, डॉ० मयुरालाल शर्मा, प्रो० शम्भूसिंह मनोहर, श्री माणिक्यलाल वर्मा, मास्टर आदित्येन्द्र का विचार है कि छात्र-आन्दोलनों की परम्परा का बीज तो गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन में छात्रों के आह्वान द्वारा डाला गया है। लेकिन डॉ० सिधवी, एडवर्ड शिल्स की मान्यता को स्वीकार करते हुये लिखते हैं कि "भारतीय विद्यार्थियों में उथल-पुथल "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" की परम्परा का परिणाम नहीं है।" डॉ० सम्पूर्णानन्द भी कुछ इसी प्रकार कहते हैं कि "कुछ लोगों का विचार है कि हमने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में छात्रों को सम्मिलित कर जो बीज-वपन किया है, आज उसी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है।" परन्तु डॉ० साहब के अनुसार यह "अनुमान मतहीन और त्रुटि पूर्ण है।" मंत्री महोदय श्री शिवचरण माथुर का कथन है कि यह ठीक है कि गांधीजी ने छात्रों का आह्वान किया था, परन्तु आज हम गांधीजी के उच्च-लक्ष्यों व उनकी मानसिक तैयारी को तो भूल गये और कार्य करने के बाह्य क्रियात्मक पहलू को ही याद रख पाये हैं। काका कालेलकर साहेब का मत है कि गांधीजी ने हमें "अवज्ञा" करना तो बताया, लेकिन उसके साथ "सविनय" और "अहिंसा" जैसी "सर्वोच्च सस्कारिता और सज्जनता और जोड़ दी" परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अब लोग "अवज्ञा" को तो याद रख पाये हैं और "विनयशीलता" को भूल गये हैं। सम्पादक का विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में अब मात्र उपदेशों से

छात्र को राजनीति से नहीं बचाया जा सकता। अच्छा हो, समाज के धाकपंखा के केन्द्र, जिनसे विद्यार्थी आदर्श ग्रहण कर रहा है, उन्हें उच्च-प्रेरणा दें तथा विद्यार्थियों की मूलमूल समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करें, तब ही कुछ सफलता की आशा की जा सकती है।

शिक्षा-प्रशासन में दृढ़ता की ओर डॉ० सम्पूर्णानन्द तथा वी वी जॉन ने ध्यान आकर्षित किया है। डॉ० सम्पूर्णानन्द का कहना है कि छात्रों के साथ अनावश्यक ढिलाई न की जाय। इससे उनमें यह भावना उत्पन्न होती है कि वे कानून से ऊपर हैं। डॉ० साहव के विचार से “विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण-संस्थाओं में प्रॉक्टर-मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की पद्धति पुनः लागू की जाय।” मेरे विचार से प्रशासनिक ढिलाई का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी कोई प्रशासन उचित बात के लिये दृढ़ता का रख अपनाता है, तुरन्त उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होना प्रारम्भ हो जाता है। जब तक राजनीति जनता के घोटों को, बिना सिद्धान्तों पर ध्यान दिये, हर कीमत पर बटोरने के लिये भागती रहेगी, तब तक शासन में दृढ़ता आना दुष्कर ही प्रतीत होता है और बिना दृढ़ता के न्यायपूर्ण शासन चल नहीं सकता।

डॉ० सम्पूर्णानन्द जी ने छात्र-सघों के मामलों में भी दृढ़ता अपनाने की सलाह दी है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि छात्र-सघों की पद्धति जिन प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को सीखने के पवित्र उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ की गयी थी, उनसे छात्रों का कोई विशेष वास्ता अब नहीं रहा। मेरे विचार में छात्र-सघ के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं को दृष्टि में रख कर विचार किया जा सकता है:—

- (१) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय की भव्य-गाथा छात्रों को याद है कि उनके वरिष्ठ छात्र बन्धुओं ने अपने नेताओं के साथ नखे से कषा मिला कर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी।
- (२) स्वतन्त्रता के पश्चात् यदि उन्हें कुछ काल के लिये निश्चित जीवन प्राप्त हो पाता, तो उनकी भूतकालीन आन्दोलनकारी स्मृतियाँ धीरे-धीरे धूमिल होने लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
- (३) देश में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई, जिसमें सत्य, समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व तथा न्याय के नारे बुलन्द किये गये, लेकिन अपेक्षित ‘यूटोपियन-कल्पना’ साकार न हो सकी।
- (४) हमारे देश में प्रजातन्त्र की नींव के पत्थरों का निर्माण पाश्चात्य सिद्धान्तों और वहीं की परिस्थितियों की प्रेरणा के

अनुरूप ही विशेषतः हुआ। पाश्चात्य जीवन-दर्शन तथा वहाँ की राजनीतिक परम्परा सघर्ष, विरोध और स्पर्धा के आधार पर निर्मित हुई है। ठीक उसी प्रकार का दर्शन हमने अपनी राजनीति में अपना लिया।

- (५) देश में वयस्क-मताधिकार के आधार पर शासन की नींव डाली गयी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति औचित्य एवं अनौचित्य की ओर बिना ध्यान दिये अपनी योग्यता और अयोग्यता पर बिना विचार किये शासन व राजनीति में अपना अधिकार जताने लगा।
- (६) स्वतन्त्रता के पश्चात् नारे लगाने तथा माँग, प्रदर्शनो इत्यादि को सर्वधानिक अधिकार के रूप में मान लिया गया।
- (७) माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों तथा व्यवसायिक संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन करना जोरशोर से प्रारम्भ हुआ।
- (८) राजनीतिक लाभ के लिये दलों द्वारा असहिष्णुता गठबन्धन के प्रदाहरण देखने-सुनने में आने लगे।
- (९) व्यवस्थापिका सभाओं में आपसी अमर्द व्यवहार प्रारम्भ हो गये और अन्त में,
- (१०) छात्रों को अपना विद्यालयी छात्र-संगठन बनाने की सुविधा भी प्राप्त हो गयी।

अब यदि छात्र अपने असन्तोष के समय में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से पूर्व के छात्रों की विदेशी शासन से टक्कर लेने की बातें याद करें, प्रजातन्त्र द्वारा प्रदत्त सत्य, न्याय और समानता की माँग करें, अपने छात्र-सघों के चुनाव के समय उसी प्रकार के चुनाव के गलत तरीकों को अपनाये तथा विद्यालयों में पाश्चात्य चुनाव-पद्धति के अनुसार अपने भाइयों के मध्य सीधा सघर्ष, विरोध और कटुता पैदा करें तथा साथ ही प्रत्याशी की योग्यता पर भी ध्यान न दें, अपनी माँगें पूरी न होने पर अन्य राजनीतिक दलों के समानान्तर उग्र प्रदर्शन करें, अपने हित-साधन के लिये विद्यालय से बाहर अन्य राजनीतिक दलों से गठबन्धन करें, आपसी मतभेद होने पर पारस्परिक अमर्द व्यवहार करें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? हमने युवकों को प्रजातन्त्र के परीक्षण के लिये छात्र-संसद के रूप में प्रयोगशाला दी है तथा हमारे प्रजातन्त्र, हमारे नेतृत्व-वर्ग तथा राजनीतिक दलों ने उन प्रयोगशालाओं में

प्रयोग करने हेतु, जिस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत की है, उसी घामग्री से तो हमारा नवयुवक इन छात्र-सतवों में निरन्तर प्रयोग कर तथाद्विषित प्रजा-तान्त्रिक परम्पराओं की शिक्षा, ग्रहण कर रहा है।

श्री विद्यासागर ने यह भी मकेत दिया ? कि विद्यार्थियों में यौनवाद के प्रति अवाचित प्रवृत्ति बढ रही है। डॉ० सन्पूर्गानन्द के अनुगार विद्या की आयु को घटाने से भी निगी सीमा तक चरित्र की रक्षा की जा जाती है। डॉ० दामले का कथन है कि हमारे देश में प्राचीन नीतिरिवाजों के कारण आज के नवयुवक को अपना जीवन-साथी स्वैच्छापूर्वक चुनने की स्वतंत्रता नहीं है और इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बन्धनों से घरा हुआ है, जो कुण्ठाओं के रूप में प्रगट हो रही हैं।

यो तो शिक्षक को उनकी आर्थिक विपन्नावस्था में उभाग्ने की ओर लगभग सभी विचारकों ने कहा है, परन्तु श्री शम्भूसिंह मनोहर ने पंचायत समितियों के आधीन कार्य कर रहे, राजस्थान के शिक्षकों की दयनीय अवस्था की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया है। वास्तव में यदि शीघ्र ही इस ओर उचित कदम न उठाया गया तो राजस्थान का शिक्षक आमीण प्रशिक्षित राजनीति के हाथों कठपुतली बन कर रह जायगा।

हमारी इस क्षीन जनक अवस्था के कारणों को जानने हेतु जब हमने गांधीवादी दर्शन का आश्रय लिया तो श्री काका कालेलकर ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये—“विद्यार्थियों के सामने आज कोई ऐसा जीवनोद्देश्य-मिशन, अथवा पुरुषार्थ है नहीं” तथा ‘आज भारत में राजतंत्र ऊपर से नीचे तक नये आदर्श से प्रेरित हुआ नहीं दीस पडता है’ हमारे जीवन में राजतंत्र के हावी होने तथा लोक-भावना के लोप होने के विषय में श्री बी बी जॉन लिखते हैं कि “हमारे समाज में से स्वयंसेवी सस्थाओं का लोप होता जा रहा है।” श्री हनुमान गर्मा के विचार भी इसी प्रकार के हैं “भारतीय जन-व्यवस्था की सबसे बडी विशिष्टता यह थी, कि वह लोक-समाज पर आधारित थी। आज वह दुर्दैववश टूट-टूट कर गिरती जा रही है।”

छात्र-प्रसन्तोष के सन्दर्भ में जब हमने अरविन्द-दर्शन से कुछ जान-कारी करनी चाही, तो पाँडिचेरी से श्री ब्रजनन्दन ने विचार व्यक्त किया कि वर्तमान विषम परिस्थितियों से घबडाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि “आज हम जगत् के इतिहास की ऐसी बेला में खडे हैं, जबकि उच्चतर प्रकाश की शक्तियों के चाप के परिणाम स्वरूप मानव-चेतना में एक विशेष क्रांति

माने वाली है।" वर्तमान असन्तोष एव बेचैनी का कारण यह है कि "अधकार की शक्तियाँ" भी अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन हमें "ऋर नियति"-पर विश्वास न कर "एक मगलमय, करुणामय नियति के अस्तित्व पर" अटूट आस्था रखनी चाहिये। और यह कार्य शिक्षा—जो मगलमय नियति की एक विधायक प्रक्रिया है—द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए वे आगे लिखते हैं, कि बालक को प्रारम्भ से ही "एक उच्चतर जीवन जीने" तथा "उच्च लक्ष्य" प्राप्त करने के "सकल्प" को जगा देना चाहिये। शिक्षा का लक्ष्य बालक के अन्दर सुप्त "अनन्त क्षमताओं" का विकास करना है और जिसे आज हमारी शिक्षा ध्वस्त कर रही पा रही है। मेरे विचार से श्री ब्रजनन्दन का "अनन्त क्षमताओं" से तात्पर्य कदाचित् अरविद दर्शन के सर्वाधिक सारगर्भित तथा मूलभूत शब्द "महत्-चेतना" (Super-mind) से है, क्योंकि अरविद-दर्शन के अनुसार "महत्-चेतना" ही सत्यान्वेषिणी है, तथा यह आत्म-साक्षात्कार की वह स्थिति है, जिसमें सम्पूर्ण शरीर, मन तथा आत्मा का अद्भुत रूपान्तरण सत्-चित्-आनन्द में हो जाता है।

"अनुशासन तत्त्व" की व्याख्या के लिये डॉ० रामानन्द तिवारी का "अनुशासन का अध्यात्म" डॉ० चन्द्र शेखर भट्ट का "अनुशासन की तात्त्विक व्याख्या और शिक्षा में उसका महत्त्व" नामक लेख तथा पुलिस के महानिरीक्षक श्री हनुमान शर्मा की "मेट-वार्ता" विशेष रूप से उपलब्ध करायी गयी है। डॉ० तिवारी के अनुसार "अनुशासन" और "शासन" में सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि यदि "शासन" एक 'बाह्य आरोपण' है, तो "अनुशासन" एक आन्तरिक एव "आत्मिक संस्कार" है तथा "अनुशासन" का सम्बन्ध हमारे "अध्यात्म" से है। डॉ० तिवारी की एक विशिष्ट मान्यता यह है कि वे "अध्यात्म" तथा "भौतिकता" को एक दूसरे का विरोधी न मान कर, यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः "अध्यात्म" ही हमारे लौकिक (भौतिक) जीवन के व्यावहारिक पहलू का कल्याणकारी साधन है, और इस प्रकार "भौतिकवाद" तथा "अध्यात्मवाद" का प्रचलित अन्तर भ्रमात्मक है। अनुशासनहीनता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए आप लिखते हैं कि वह (अनुशासनहीनता) मुख्य रूप से व्यक्ति के अहंकार एव स्वार्थ के कारण उत्पन्न होनी है। इन हीन प्रवृत्तियों का निराकरण "अध्यात्म" द्वारा ही किया जा सकता है, तथा निराकरण का साधन है—व्यक्ति के स्वार्थ का समाजीकरण। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न होने का कारण देश में जीवन्त राष्ट्रीय उच्चादर्शों के अभाव का होना है।

डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट के अनुसार शिक्षा और अनुशासन में कोई भेद नहीं है तथा “शिक्षा अनुशासन का ही नाम है।” आपके मतानुसार शिक्षा में अनुशासन की स्थापना “आदेश” के द्वारा न होकर “आदर्श” होती है। आपने इसके लिये गुरु-शिष्य के व्यक्तिगत सम्बन्धों में निकटता लाने पर बल दिया है।

इन दिनों छात्र और पुलिस के मध्य भी अस्वाभाविक सम्बन्ध बढ़े हैं। अतः जब “अनुशासन” का वही प्रश्न आई जी पी. महोदय के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही विचार प्रकट किये कि बिना “उत्तम अध्यापक” के विद्यार्थी में अनुशासन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उन्होंने विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के लिये सामान्य रूप से सारी समाज-व्यवस्था को दोषपूर्ण ठहराते हुए अध्यापक को विशेष रूप से इसके लिये उत्तरदायी ठहराया। शिक्षा-क्षेत्र में अनुशासन लाने के लिये आपने डॉ० रामानन्द तिवारी एवं डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट के समान ही “शासन” और “अनुशासन” को क्रमशः बाह्य एवं आन्तरिक वस्तुएँ माना तथा साथ में यह भी स्वीकार किया, कि विद्यार्थियों को पुलिस के द्वारा अनुशासित बनाया जाना सम्भव नहीं, बल्कि शिक्षा-संस्थाओं में पुलिस का प्रवेश अशुभ है। लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस की इस मजबूरी की ओर भी नकेत किया, कि जब समाज के किसी भी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था समाप्त होती दृष्टिगोचर होती है, तो पुलिस को कभी-कभी निपिद्ध स्थानों पर भी वेमन से जाने को विवश होना पड़ता है। श्री शर्मा ने स्वीकार किया, कि यदि लम्बे समय तक पुलिस इस प्रकार वेमन से कार्य करती रही तो पुलिस के ‘मानस’ (Morale) में गिरावट आने की सम्भावना है। अन्त में यह पूछे जाने पर कि पुलिस के प्रति विद्यार्थियों के मनो में घृणा व विरोध की भावना क्यों है, तो इसे आपने ब्रिटिश-काल की देन बताया।

देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भेंट-वार्ताओं से स्पष्ट है कि निम्न चार बातों पर सभी दलों के नेता एकमत हैं.—

- (१) देश में युवक अशान्ति व अनुशासनहीनता के लिये हमारी आदर्शहीन सामाजिक व्यवस्था ही उत्तरदायी है।
- (२) देश में युवक-शक्ति का सदुपयोग नहीं किया जा सका है।
- (३) हमारी शिक्षा-नीति दोषपूर्ण है।
- (४) सामाजिक-सन्तुलन तथा अनुशासन की स्थापना देश में उच्चादर्शों को लाने तथा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने से ही की जा सकती है।

जब छात्रों द्वारा राजनीति में भाग लेने का प्रश्न उठाया गया, तो विभिन्न दलों के नेताओं के उत्तर इस प्रकार से आये —

(क) कांग्रेस—(श्री शिवचरण माथुर) :—

श्री माथुर के अनुसार छात्रों में राजनीतिक जागरूकता तो अवश्य रहनी चाहिये, परन्तु उन्हें (वर्तमान परिस्थितियों में) दलगत राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिये।

(ख) जनसंघ—(श्री भैरोसिंह शेखावत) :—

मैदानिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, परन्तु वैसे व्यवहार में छात्रों को राजनीति से पृथक् रखने का उपदेश वर्तमान परिस्थितियों में एक थोथा 'स्लोगन' (नारा) मात्र रह गया है। आज विद्यार्थी हर गतिविधि में भाग ले रहा है।

(ग) संयुक्त समाजवादी दल—(मास्टर आदित्येन्द्र) —

मला विद्यार्थी राजनीति में भाग क्यों न लें, उन्हें अवश्य देश की समस्याओं से जूझना चाहिये। गांधीजी ने भी यही करने का आह्वान किया था।

(घ) साम्यवादी दल—(श्री रामानन्द अग्रवाल) —

राजनीति दलबन्दी मात्र ही नहीं है। वह व्यक्ति तथा समाज की समस्याओं का समाधान खोजने का अलग-अलग रास्ता बताती है। जो रास्ता उचित लगे विद्यार्थी उसी को अपनायेंगे।

(ङ) स्वतन्त्र दल—(श्री देवीसिंह मंडावा) :—

अध्ययन-काल में छात्रों का मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता, अतः उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री माथुर विद्यार्थियों का दलगत राजनीति में सक्रिय भाग लेना उचित नहीं मानते (वर्तमान परिस्थितियों में), श्री भैरोसिंह के मतानुसार आज के हालातों में विद्यार्थी राजनीति में भाग लेने से बच नहीं पा रहे हैं। इस कारण इस समय उसके लिये राजनीति से बचने की बात कहना व्यर्थ सा ही लगता है। मास्टर जी के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में खुल कर भाग लेना चाहिये तथा श्री अग्रवाल के अनुसार उन्हें खुल कर भाग लेना ही नहीं चाहिये, बल्कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। यह अपरिहार्य है।

तथा श्री महावा के अनुसार अध्ययन-काल में छात्रों को अपनी बौद्धिक अपरिपक्वता के कारण सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिये ।

जब विद्यार्थियों द्वारा अपनी मांगों को मागने के ढंग पर प्रश्न उठा तो श्री माथुर ने कहा कि विद्यार्थियों का तरीका विघटनात्मक एवं तोड़-फोड़ का नहीं होना चाहिये । श्री मैरोसिंह ने बताया कि सरकार जिस प्रकार की मापा सुनने की आदी हो, उसे वैसी ही मापा में सुनाया जाना चाहिये । श्री आदित्येन्द्र के अनुसार युवकों को अपने अधिकारों के लिये आन्दोलन करने चाहिये । श्री रामानन्द अग्रवाल के अनुसार "प्रजातान्त्रिक ढंग से मांगें मागने वाली बात" उन लोगों की है, "जो परिवर्तन में विश्वास नहीं करते ।" हड़ताल और प्रदर्शन तो "अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रही 'एक जानदार जिन्दगी' (Robust life) के लक्षण हैं ।" श्री अग्रवाल के अनुसार "नई सामाजिक व्यवस्था ही सब समस्याओं का हल प्रस्तुत करेगी ।" "इस उथल-पुथल से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं ।" "यह जीवन ही है • • • मृत्यु नहीं ।" तथा "परिवर्तन ही जीवन है और स्थाय्य ही मृत्यु ।" श्री देवीसिंह महावा ने यद्यपि जनतांत्रिक ढंग का समर्थन किया, तथापि उन्होंने इस बात पर अपना खेद प्रकट किया कि हमारा प्रशासन विना स्ट्रांग डैमॉन्स्ट्रेशन (उग्र प्रदर्शन) के टस से मस नहीं होता ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री माथुर के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी मांग मागने का न केवल अधिकार ही है, बल्कि वे उनके द्वारा आयोजित प्रदर्शनों को भी बुरा नहीं समझते, लेकिन शर्त यह है कि उनकी मांग न्यायपूर्ण हो तथा प्रदर्शन का ढंग वैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक हो । श्री मैरोसिंह "जस को तस" के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी प्रकार के ढंग को मला-बुरा नहीं कहते । उनके कथन से तो यह ध्वनि निकलती प्रतीत होती है, "भई, समय बड़ो बलवान" वह (समय) जो कुछ भी जैसा किसी से करवा ले, वही उस समय औचित्य की परिभाषा में आ जाता है । लगता है, श्री शेखावत का दृष्टिकोण नितान्त व्यावहारिक-दर्शन (Pragmatism) से प्रभावित है । रही श्री रामानन्द की बात, सो यह स्पष्ट ही है कि वे विना किसी दुराव-छिपावके घोषित करते हैं, कि उनके लिये साधन से अधिक साध्य ग्रहणियत रखता है । उथल-पुथल उनके लिये "रॉवस्ट लाइफ" 'जीवन' एवं 'परिवर्तन' का लक्षण है । कदाचित् मेरा विश्लेषण सही ही है, कि श्री रामानन्द के अनुसार विद्यार्थियों को एक नये सामाजिक परिवर्तन के लिये एक "उथल-पुथल" नरी "जानदार जिन्दगी" बितानी चाहिये ।

स्वतन्त्र दल के श्री मजवा यी नम्गति मे प्रजातांत्रिक ढंग ही अधिक उचित है। यद्यपि आज परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं हैं, तथापि यदि एक बार प्रजातान्त्रिक ढंग को मान्यता मिल जाती है तो कालान्तर में हर परिस्थिति के निम्ने अप्रजातान्त्रिक ढंग की परम्परा पड़ जायेगी, जो हानिप्रद है।

विद्यार्थियों में जो विचार प्राप्त हुए हैं, उनका निष्कर्ष यह है, कि यद्यपि वे तंत्र-फोड में विश्वास नहीं रखते, परन्तु फिर भी "भीड़-मनोवृत्ति" ने छात्रों उन्हें ऐसा करना पड़ता है, जिसका बाद में उन्हें पश्चात्ताप भी होता है। छात्रों के अनुमान विद्यार्थियों द्वारा राजनीति में भाग लेने का कारण यह है, कि छात्रों के छान्दोलनों में छात्र-राजनीतिज्ञ, दलगत राजनेता, यूनिवर्सिटी के लोग (छात्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी स्वयं राजनीति दल-बन्दी के दुर्नक्र में फँसी रहती है), घुम कर उनमें दलीय राजनीति का रंग भर देते हैं। छात्र-वर्ग को अध्यापकों की योग्यता, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ तथा हमारी शिक्षा-नीति से असन्तुष्ट हैं। उनका कहना है कि उनका मविष्य अन्धकारमय है तथा जो जीविका के साधन उपलब्ध भी हैं, वे भी योग्यता के प्राधार पर न दिये जाकर सिफारिश, भाई-भतीजावाद तथा राजनीति के प्राधार पर अधिकतर अयोग्य लोगों को दे दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ व्यक्ति मुग्न और सुविधाओं के सभी स्थानों पर चिपक कर बैठ गये हैं। मेधा-निवृत्ति पश्चात् भी वे लोग आपस में मिलजुल कर सेवा-काल वृद्धि करवा लेते हैं और इस प्रकार वे देश की बेरोजगार नवपीढी को बिना काम ही हताश और भारी मन लिये इधर-उधर सड़को पर घूमने के लिये विवश कर देते हैं। विद्यार्थियों की यह भी एक धारणा है कि आज की इन असवेदनशील परिस्थितियों में उनकी न्यायपूर्ण माँगों की सुनवाई तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि वे उग्र रूप न अपनावे। अब तो एक मात्र चारा "क्रांति" ही रह गया है। (मेरे विचार से हमारे युवकों के मनो में इस प्रकार की निराशाजनक धारणा यदि बढ़ता से धर करती गयी तो इसके परिणाम भयकर हो सकते हैं प्रजातंत्र के रक्षार्थ देश के चिन्तनशील विचारकों को इस ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है।)

यहाँ छात्रों के अभिभावकों की बात-कहना भी आवश्यक है। इस विषय में अभिभावकों के दृष्टिकोण जानने के लिये कुछ भेट-वार्ताएँ भी आयोजित की गयीं। अन्य बातों के अतिरिक्त दोनों ही अभिभावक महानुभाव श्री एल० पी० श्रीवास्तव एवं श्री रघुवीर प्रसाद भटनागर इस बात से सहमत थे, कि देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के

कारण ही यह सारा का सारा कष्ट उपस्थित है । श्री मटनागर के अनुसार नामाजिक, एव आर्थिक विपमता को हटाने, शिक्षा में सुधार लाने तथा समाजवाद की स्थापना से ही देश की श्रवम्या में सुधार लाया जा सकता है । श्री एल. पी. श्रीवास्तव के अनुसार आज अभिभावक वैसे ही महंगाई के युग में मुश्किल से अपना काम चला पा रहा है, और उधर हर दिन पाठ्य-पुस्तकों के बदलने, फीसों की वृद्धि होने तथा आगे दिन के विद्यालयी लर्चों के कारण, उसकी समस्या द्विगुणित हो जाती है । और फिर इतना करने पर भी वह अपने बच्चों की नौकरी मिलने के प्रति निश्चित नहीं है । आज सबसे बड़ी चिन्ता, जो अभिभावक को स्याये जा रही है, यह है कि अपने इन बच्चों को पढा-पढा कर वह कहाँ रखे और उठाये ?

आन्दोलन में बच्चों के भाग लेने के प्रश्न के उत्तर में अभिभावक श्री एल. पी. श्रीवास्तव की धारणा यह रही कि सामान्यत आन्दोलनात्मक कदम तो अच्छा नहीं है (मेरे विचार से अभी सामान्य भारतीय व्यक्ति में परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रवृत्ति, संघर्ष व असतोष के प्रति विद्रोह का भाव, जो पाश्चात्य देशों की मनोवृत्ति कही जा सकती है, प्रत्यक्ष रूप से उनका नहीं है । भारतीय "महनशीलता" जगत्-प्रसिद्ध है । और जो कुछ उग्रता कभी-कभी देखने को मिल जाती है, वह मुख्यतः राजनीतिक उलों से प्रेरित होती है । वैसे आज का शहरी नागरिक गाँव वालों में अधिक अमहनशील हो चला है ।), परन्तु सभी लोग इससे न तो बच पा रहे हैं और न ही बचना चाहते हैं । इसके विपरीत श्री मटनागर को उग्र आन्दोलनात्मक कदम से परहेज नहीं है । मेरे मत से आज के अभिभावक का मन विभ्रमता तथा किकर्त्तव्य-विमूढता की हालत में पहुँच गया है । एक तरफ आन्दोलनों में भाग लेने से उसके बच्चे की सुरक्षा पर आँच आती है, तो दूसरी तरफ अपनी डेर सारी चिन्ताओं के अतिरिक्त उसके (बच्चे के) अनिश्चित भविष्य के कारण वह व्यग्रताओं से ग्रस्त रहता है । अपने बच्चे द्वारा जब वह आन्दोलनों में भाग लेने की बात सुनता है, तो वह उन्हें डाँटता है, फटकारता है, लेकिन जब बच्चे न्याय-सगत तर्क देने लग जाते हैं, तो अभिभावक शस्त्रविहीन होकर यह कह कर अपना उत्तरदायित्व भर पूरा कर देना चाहता है कि— "नालायक कहीं के ! नहीं मानता है तो जामर हमारी तरफ से 'बूल्हे में से निकल कर भाड़ में पड़', हे भगवान ! इससे तो अच्छा था कि तू जन्मते ही मर जाता" वस्तुतः वह ऐसा कह कर उसे मना भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा । इसका कारण यह भी तो है कि वह स्वयं भी अपनी

अवस्था से नाराज है, असन्तुष्ट है। लेकिन वह स्वयं परिवर्तन लाने में असमर्थ है, असहाय है। और सच बात तो यह है कि वह डरता है, उसमें साहस भी नहीं है।

यद्यपि आज पाश्चात्य व्यक्तिवाद के आरोहण के कारण अभिभावक अपने बच्चों से कुछ अधिक कहने में झिझकते हैं, तथापि यदि वे चाहे तो अपने बच्चों पर किसी सीमा, तक नियंत्रण रख भी सकते हैं आखिर को तो ये इन्हीं के जिगर के टुकड़े—“लस्ते जिगर” हैं, उनके रक्त के अंश हैं। वे उन्हें “सेन्सिबिल” (समझदार) भी समझते हैं, परन्तु वे कुछ अपने से, कुछ अपनी सतान से और कुछ सारी दुनिया से अपने को परेशान महसूस करते हैं। इस विषय में एक बात और—अभिभावक का भी अपने बच्चों से समीप का सम्बन्ध नहीं रह पा रहा है। इसका कारण यह है कि कुछ अभिभावकों को तो अपनी दाल-रोटी की चिंता से ही अवकाश नहीं है तथा कुछ को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि बच्चों के समीप रहने की बच्चे के अनुशासन, चरित्र तथा मानसिक स्थायित्व तथा सुरक्षा की दृष्टि से, कितनी बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि बच्चे को बिगड़ने में अभिभावक को अपने उत्तरदायित्व से हटना नहीं चाहिये, तथापि वह उसके बिगड़ने में अपने को उत्तरदायी न मान कर समाज को ही दोष देता है और एक प्रकार से निश्चित होकर—दीड़ी पीकर अथवा लेट कर अपना “मजबूर समय” काट देता है। मैं इस स्थिति को “अभिभावक का मजबूरी से समझौता” करना ही कहूँगा। परन्तु यह पलायनवादी स्थिति समाज के लिये शुभ नहीं है। मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है कि जब अभिभावक को भी सचेत हो जाना चाहिये और अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति कुछ अधिक साहसिकता से कदम उठाना चाहिये। “लोक-राज्य” की यही पहली शर्त है।

युवा-जगत की समस्या के समाधान हेतु इस पुस्तक में विचारकों द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। अभी कुछ समय पूर्व प्रकाशित कोठारी-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में छात्र-कल्याण हेतु कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। गत १९ मई, से २५ मई १९६८ तक बम्बई में “अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक-छात्र-शिविर” का आयोजन श्री गजेन्द्र गड़कर के संयोजकत्व में सम्पन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा युवा-शक्ति के रचनात्मक उपयोग के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। मेरी समझ से यह सब कुछ एक अपूर्व एवं प्रशंसनीय कदम था। तथा सुनने में आया है

कि अब एन० सी० सी० को वैकल्पिक करके "भारतीय नमाज-सेवा कोर" की स्थापना की जा रही है। मैं स्वयं इन समस्त कार्यक्रमों की सफलता के प्रति विशेष आशावान नहीं हूँ। वैसे शुभ है, कुछ न कुछ अच्छा कार्य चलता रहना चाहिये, इसमें वातावरण बनता है, परन्तु सच्ची सफलता तो तब ही हाथ लग सकेगी, जबकि देश में राष्ट्रीय-भावना, समाज-सेवा, त्याग, तथा ईमानदारी के अनुकूल जन-मानस तैयार होगा। मानस का बनना आदर्शों पर निर्भर होता है। और आदर्शों सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और साथ ही हमें अपनी वर्तमान जड़ता की स्थिति को छोड़ कर 'कल्याणकारी नवीनता' को साहसिकता एवं दृढ़ता के साथ अपनाना चाहिये। मुझे श्री देवी सिंह मडावा के इस सुभाषण में भी काफी आकर्षित किया कि बालकों के चित्र निर्माण की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा में ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

हमें अभी भी अपनी युवा-शक्ति के प्रति आशावान रहना चाहिये। पूर्णमासी को ही समुद्र में ज्वार उठता है। परन्तु अब इसी में हमारी बुद्धिमानी है कि हम समय रहते अपने परम मित्र, हमदर्द, हमगर्ही एवं गुणवत्तक की दिशाहीन प्रचंड-शक्ति को नहीं मार्ग-निर्देश दे सकें। परन्तु यह सब कुछ तब ही सम्भव होगा, जब हम पहल करने का सकल्प स्वयं लें।

—कृष्ण वीर द्रोण

"बाल दिवस"

१४, नवम्बर, १९६८,

विद्या भवन, उदयपुर,

(राजस्थान)



प्रथम खंड
लेख

तरुणाई का उफान और हमारा आत्म-चिन्तन

डॉ० वी के. आर वी. राव

इस तथ्य को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है कि आज भारतीय विद्यार्थी-जगत् गहन व्याकुलता एवं अशांति की अवस्था में है। देश के सभी भाग विद्यार्थी उपद्रवों एवं विद्यार्थी अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। वास्तव में इन घटनाओं ने ऐसे रूप धारण किये हैं कि ये कानून एवं व्यवस्था के लिये समस्या बन गये हैं। मुझे इस पर गहरा खेद है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता न तो युवा भोज का प्रदर्शन मात्र ही है, और न इसकी व्याख्या निहित स्वार्थ वाले बाहरी तत्वों, जो विद्यार्थी अशांति से लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं, चाहे वे राजनीतिक हों अथवा गैर-राजनीतिक, के कार्यों द्वारा की जा सकती है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता एक सांस्कृतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय एवं शैक्षणिक समस्या है। यदि हम इसके उपचार के उचित उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रीति से अध्ययन एवं विश्लेषण करना होगा। किसी रोग का निवारण उसके बाहरी लक्षणों का उपचार करके अथवा इसके प्रकट रूप का, शक्ति द्वारा शमन करने से नहीं होगा।

बिना कारणों को समझे, शक्ति द्वारा दमन करने से किसी घटना को कुछ काल के लिये ही दबाया जा सकता है, परन्तु अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर उसके और भी उग्र रूप में विस्फोटित होने की सम्भावना होती है। हमें उपचारात्मक उपायों के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व इन घटनाओं के कारणों को पूर्णतया समझना आवश्यक है तथा अध्ययन एवं शोध द्वारा ही इन कारणों को समझा जा सकता है। मुझे ज्ञात है कि इस विषय पर विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपर्युक्त विषय की समिति, जिसने १९६० में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, द्वारा अध्ययन किये गये हैं। हाल ही में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा समस्या के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक

प्रतिवेदन मे शिक्षा आयोग ने इस समस्या का यत्र-तत्र उल्लेख किया है। मैं इस कथन से सतुष्ट नहीं हूँ कि हम इस विषय पर आवश्यक वैज्ञानिक एवं शोध के उपायो पर ध्यान दे सके हैं। अतः मैं भारत सरकार से इस विषय पर पूर्ण जाच के लिये राष्ट्रीय आयोग अथवा समिति की नियुक्ति की आवश्यकता का अनुरोध करूँगा। इसकी अध्यक्षता किसी सुप्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री द्वारा की जानी चाहिये और इसके मददगारों में न केवल उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अनुभवी शिक्षक एवं प्रशासक ही हो वरन् माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति भी हो। साथ ही इसमें विद्यार्थी नेतृत्व का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये, एवं मेरी सम्मति में विद्यार्थियों की राय का प्रतिनिधित्व केवल साक्ष्य में ही नहीं होना चाहिए वरन् समस्या के समस्त अध्ययन एवं उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित करने में भी होना चाहिये। समिति के कार्य के पूर्व अथवा साथ-साथ ही गत पाँच वर्षों में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थी उपद्रवों पर विशेष शोध-अध्ययन होने चाहिये। यह कार्य समिति की समस्या को समझने एवं उचित तथा वास्तविक उपाय सुझाने के लिये आवश्यक वैज्ञानिक सामग्री उपलब्ध करायेगा।

सर्व प्रथम तो हमें जानना होगा कि छात्र-असंतोष केवल भारतीय घटना ही नहीं है। वास्तव में यह विश्वव्यापी घटना है और यह सम्पूर्ण विश्व में युवा-वर्ग द्वारा पुरानी पीढ़ी के मायाजाल से क्रमशः मुक्त होने के प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करती है। पुरातन के लिये युवा-वर्ग में अब आदर का भाव नहीं है। जब हम उनको सलाह देते हैं तो वे हम पर विश्वास नहीं करते एवं उन्हें उपदेश का रूप देकर अस्वीकार कर देते हैं। वे हमारी कथनी एवं करनी में तालमेल नहीं पाते। आणविक युद्ध, जो सम्पूर्ण मानव सस्कृति को नष्ट कर सकता है, का भय उनके उमरते हुये मानस-क्षितिज पर काले बादलों की भाँति छाया हुआ है। वे इस बात का कारण नहीं समझ पाते कि विश्व-नेतृत्व स्थायी शांति-स्थापना का मार्ग क्यों नहीं खोज पाता? विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी के विकास के वर्तमान वातावरण में वे हमें पुराना मानते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी वे पुरावशेष मानते हैं। हमारी रूढ़िवादिता उनके लिये कष्टप्रद है, हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनके लिये असुविधाजनक हैं। आज हम सम्पूर्ण विश्व में पीढ़ियों के बीच संघर्ष को देख रहे हैं, जो कि नव पीढ़ी के ज्ञान की बढ़ती हुई दूरी, उनके दृष्टिकोण, आचार एवं मान्यताओं द्वारा और भी तीक्ष्ण हो रहा है। अतः अब हमारी पुरानी पीढ़ी को युवा-वर्ग के हेतु अब तक प्रदान किया हुआ अबबोध एवं सहानुभूति

से अधिका अरवबोध एव कल्पनामय सहानुभूति प्रदर्शित करनी होगी । अनुशासन निःसन्देह अच्छा है, परन्तु शक्ति द्वारा बनाये रखने की अपेक्षा इसे स्वतः ही विकसित होना चाहिये । दृढता नि सन्देह आवश्यक है, परन्तु साथ ही साथ युवा-वर्ग में भी यह समझ और भावना बनी रहनी चाहिये कि जो हमसे अनुशासन का पालन कराते हैं, उनके दिलों में युवा-वर्ग के प्रति स्नेह, उनकी कमजोरियों के प्रति दया-भाव एव उनके साहस जो असावधानी का सीमावर्ती है, के लिये प्रशंसा का भाव रहता है । प्रेम वह कुजी है जो कि चिरस्थायी एव स्व-प्रेरित विद्यार्थी अनुशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है । जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, "प्रेम अत्यन्त असम्भव मार्गों को खोलता है, प्रेम विश्व के सभी रहस्यों का द्वार है ।" अतः मैं कहूँगा कि हम सभी को जो अधिकार एव नेतृत्व की स्थिति में है, यह स्वीकार करना होगा कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता को सुलझाने की एक आवश्यक दशा अधिक सहानुभूतिपूर्ण रूप को अपनाना है, जो कमजोरी अथवा तुष्टिकरण की अपेक्षा समझ, आदर-भाव एव स्नेह पर आधारित हो ।

समस्या का एक अन्य पक्ष गत कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की सख्या में भारी वृद्धि एव समाजशास्त्रीय और आय सविरचना में हो रहे भारी परिवर्तनों का होना है । इस पक्ष का अध्ययन किया जाना आवश्यक है । सख्याओं में वृद्धि के कारण अध्यापक एव विद्यार्थी के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखना अति कठिन हो गया है, जिसके कारण अध्यापक एव विद्यार्थियों के बीच आवश्यक व्यवहार-विनिमय में तीव्र गति से कमी हुई है । विद्यार्थियों में व्याप्त सन्देह, मिथ्या धारणाएँ एव उचित कठिनाईयाँ तक भी अध्यापकों अथवा शैक्षणिक अधिकारियों की जानकारी में नहीं आती हैं, एव वे समस्याएँ जो प्रारम्भ में ही ज्ञात होने पर सुगमता से सुलझाई जा सकती थी, अपेक्षा के कारण बढ़ती जाती हैं, एव जब वे विद्यार्थी अनुशासनहीनता के रूप में फूट पडती हैं, तो आश्चर्य एव सक्षोभ उत्पन्न करती हैं । विद्यार्थी समाज का बदलता हुआ स्वरूप भी सामाजिक, सांस्कृतिक एव भावात्मक समायोजन की कठिनाइयों को बढ़ाता है । शैक्षणिक अधिकारी न तो इनको समझ ही पाते हैं और न ही इनका समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं । विकास की योजनाओं द्वारा हमने जिस गति से प्रगति की है, उसके परिणामस्वरूप एक प्रकार का "शिक्षा-विस्फोट" हुआ है, इसके कारण विद्यार्थी-जगत् में ग्रामीण जीवन एव निम्न आय-वर्ग से भी विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है । काफी दृष्टान्तों में वे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनमें कोई शैक्षणिक परम्परा नहीं रही तथा बहुत काफी

मामलों में उनके घरो पर न केवल आवश्यक वातावरण का ही अभाव होता है वरन् अध्ययन एवं पाठित्य के लिये भौतिक सुविधाओं की भी कमी होती है। शहरी पर्यावरण में आकर वे हक्के-बक्के से हो जाते हैं, जहाँ उनके कुछ साथी विद्यार्थियों के उच्च दृष्टिकोण एवं सामाजिक प्रभिन्नतायें होती हैं तथा साथ ही उन अनिवार्य शैक्षणिक सुविधाओं की भी वास्तविक कमी रहती है, जिनकी पूर्ति होने पर वे अपने बौद्धिक व्यक्तित्व को दृढतापूर्वक स्थापित कर, अपनी आत्म-पूर्ति कर सकें।

यह शुभ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया है एवं छात्रावासो, विद्यार्थी-केन्द्रो, पुस्तकालय-मवनों एवं पुस्तकों को क्रय करने के लिये विकास-अनुदान देकर कुछ सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। फिर भी, जो कुछ भी किया गया है, पर्याप्त नहीं है एवं बहुत कुछ किया जाना शेष है, विशेषतः राज्य सरकारों द्वारा जो अपने क्षेत्र में कालेज शिक्षा के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच मनोवैज्ञानिक खाई को पाटने का प्रयत्न करना भी आवश्यक है। यह तभी किया जा सकता है जबकि कालेज एवं विश्वविद्यालयों में ऐसे विशेषज्ञ हों जो मानवीय सम्बन्धों के ज्ञाता हों एवं जो विद्यार्थियों में होने वाली कानाफूसियों को मरमराहट पर भी निरंतर अपने कान लगाये रख सकें। केवल कारखानों में ही कार्मिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध-अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी मानवीय सम्बन्धों के विशेषज्ञ-अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग होना आवश्यक है। वे यह कार्य समाजशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा समाज-कार्य के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। हमारे यहाँ उच्च-शिक्षा की सभी सत्वाओं में विद्यार्थी कल्याण के निर्देशकों की आवश्यकता है।

विद्यार्थी अनुशासनहीनता का तृतीय तत्त्व बेरोजगारी का भय है जो विद्यार्थी-जगत् पर, जब वे अपनी शिक्षा समाप्त करते हैं, काली छाया की भाँति भँडराने लगता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी, एक प्रकार की भावना कि नियुक्तियों में अधि-योग्यता लब्धियां महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं, व्याकुलता उत्पन्न करती है। जब वास्तव में रोजगार मिल जाता है, तब रोजगार में लगे हुए काफी नये स्नातकों में मूल्य-वृद्धि एवं विकासमान उद्योग-स्तर, यौन-क्रमो एवं कार्य की अवस्थाओं के प्रति असंतोष तो बढ़ावा देते हैं। यह गलत है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत में रोज-

गार के अक्सरो मे भारी वृद्धि हुई है, तदापि यह भी सत्य है कि विकास के साथ-साथ शिक्षितो की बेरोजगारी मे भी वृद्धि हुई है। स्नातको के रोजगार की समस्या को सुलझाने के लिये विश्वविद्यालय-रोजगार-ब्यूरो की स्थापना करके कुछ पहल की गई है परन्तु, इसके अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय नही आते है और जहा ये हैं भी, इनका कार्य सन्तोपजनक नही है और इनके अन्तर्गत स्नातको की सख्या भी नगण्य है। इसके अतिरिक्त ये कालेजो से आने वाले स्नातको को बडी सख्या के कारण छोड देते हैं। स्नातक-रोजगार की समस्या का सामना करने के लिये अधिक व्यापक एव प्रभावकारी उपायो को अपनाना आवश्यक है, यह कार्य कालेज एव विश्वविद्यालय स्तर पर करना आवश्यक है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शिक्षा को हमारी विकासमान अर्थव्यवस्था की रोजगार की आवश्यकताओ से अधिक प्रभावकारी रूप मे जोडना है। जैसा कि शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एव सख्या के निर्धारण मे मानवीय शक्ति के उपयोग की योजना को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये।

चीया कारण, कालेजो मे दी जाने वाली शिक्षा का स्तर है। छात्रो की भारी सख्या, कम योग्यता वाले अध्यापक, उनका भी कम सख्या मे उपलब्ध होना एव ससाधनो जिनमे भवन, पुस्तकालय प्रयोगशालायें एव खेल के मैदान भी सम्मिलित है, जैसी कमियो ने न केवल शिक्षा के स्तर को गिराया है वरन् अध्ययन को अरुचिकर बनाने के साथ-साथ बहुत से कालेजो मे अस्वस्थ यातावरण का निर्माण किया है। एक बडी सीमा तक यह भी कहा जा सकता कि यह सब कुछ नियोजन द्वारा आर्थिक विकास के हमारे प्रयत्नो का परिणाम है। शिक्षा के स्तर मे हास की व्याख्या केवल छात्रों की सख्या मे अभूतपूर्व वृद्धि के आधार पर ही नही की जा सकती। भाषा की समस्या सबसे बडी प्रकेली समस्या है जो छात्रो को परेशान कर रही है एव अप्रत्यक्ष से रूप से उनके अनुशासनहीनता के कार्यों मे सहायक हो रही है। इस समस्या का उल्लेख मैं हिन्दी की समस्या के सदरं मे नही कर रहा हूँ। सही अर्थो मे मेरा आशय गैकेण्डरी एव कालेज स्तरों के बीच शिक्षा के माध्यम के अन्तर से उत्पन्न होने वाली शैक्षणिक समस्या से है एव इसके परिणाम स्वरूप कालेजो में केवल परेजी के माध्यम से शिक्षा देने से हमारे कालेज के विद्यार्थियो को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उनको समझने मे उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पडता है। यदि हमे अपने युवा-युगों की सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग करना है, तो भारत मे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के माध्यम मे विद्यमान

द्विभागीकरण को हटाना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा आयोग ने इस दिशा में स्वागत योग्य प्रयत्न किया है, तथा मुझे विश्वास है कि उनकी शिक्षा के माध्यम के बारे में सिफारिशें देश के सभी भागों के मेरे शैक्षणिक सहयोगियों के लिये स्वीकृति योग्य सिद्ध होगी। शिक्षा के उच्च स्तरों पर शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करना सरल कार्य नहीं है। इससे कई समस्याएँ सम्बन्धित हैं एवं इसके लिये काफी धैर्य अपेक्षित है। तदपि मुझे इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं है कि एक दिन भारतीय भाषाएँ विश्वविद्यालयों में ज्ञान, पठन-पाठन एवं संप्रेषण का साधन बन जायेंगी। जब ऐसा हो जायेगा तो यह हमारे मानवीय साधनों के विकास एवं उपयोग की दिशा में नवीन युग का सूत्रपात ही नहीं करेगा वरन् देश में विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्या को सुलझाने में भी सहायक होगा।

विद्यार्थी अनुशासनहीनता को बढ़ाने वाला एक अन्य तत्त्व हमारे कालेजों के विद्यार्थियों की सम आयु वाले गैर-विद्यार्थी युवा-वर्ग की ओर हमारी उदासीनता है। उनमें से बहुत से उन नगरों व कस्बों में जहाँ पर कालेज एवं विश्वविद्यालय स्थित हैं, रोजगार में लगे हैं एवं काफी बेरोजगार भी हैं। जब कभी भी विद्यार्थी उपद्रव होते हैं, उनमें से कुछ इसमें भाग लेने के लिये आकर्षित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी तथा गैर विद्यार्थी में भेद करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गैर-विद्यार्थी युवावर्ग की (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में) आवश्यकताओं की ओर सक्रिय ध्यान दिया जाता है एवं उन्हें कल्याणकारी, सांस्कृतिक एवं खेलकूद सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं तो यह उनकी अतिरिक्त शक्तियों का सृजनात्मक कार्य में उपयोग को बढ़ावा देगा और विद्यार्थी उपद्रवों को बढ़ाने अथवा उनमें भाग लेने की संभावनाओं को समाप्त करने में सहायक भी होगा। मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में देश में गैर-विद्यार्थी युवा-वर्ग की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये एक केन्द्रीय युवा कल्याण बोर्ड एवं ऐसे ही राज्य कल्याण बोर्ड गठित करने का निश्चय किया गया है।

अनुशासनहीनता उत्पन्न करने में विद्यार्थियों के स्वयं के उत्तरदायित्व पर विचार प्रकट करने से पूर्व इस प्रकरण में मैं राजनीतिज्ञों के भाग पर भी कुछ कहना चाहूँगा। यद्यपि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि राजनीतिज्ञ विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता के कार्यों के लिये उकसाते हैं, फिर भी यह

सत्य है कि उनमें से कुछ उन्हे अपना समर्थन प्रदान करते हैं। वस्तुतः जब विद्यार्थी उपद्रव कानून व व्यवस्था की समस्या बन जाते हैं, एव लाठी-चाज एव गोली चलाई जाती है, तो किसी भी स्थिति मे कोई भी राजनीतिक दलों को उनसे पृथक नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उनका हस्तक्षेप सामान्यतः समस्या को उग्र बनाता है एव वास्तविक शैक्षणिक स्तर पर समस्या के हल को कठिन बना देता है। एक शिक्षा शास्त्री के रूप मे मैं राजनीतिक दलो से यह अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थी अनुशासनहीनता को दलगत राजनीति से दूर रखें। यदि राजनीतिज्ञ इस प्रकार का समझौता कर लें एव ऐसी परम्परा बनालें कि जब कभी भी विद्यार्थी अनुशासनहीनता की गभीर घटना हो, तो वे सम्मिलित रूप से समस्या के कारणो एव हल ढूढने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा होने पर समस्या को उग्र बनाने वाला एक कारण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अन्त मे मैं विद्यार्थियो के स्वयं के बारे मे कुछ विचार व्यक्त करूंगा। क्या यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थियो को जो कुछ भी शिकायतें अथवा कठिनाइया हो, उनको उन्हें अपने शैक्षणिक अधिकारियो के समक्ष सवैधानिक एव तर्क सगत विधि से प्रस्तुत करना चाहिये? क्या ऐसी आचार-सहिता नहीं होनी चाहिये कि उनके प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, हिंसा का वाणी एव कार्यों मे परिहरण किया जाय एव सार्वजनिक संपत्ति को न तो नष्ट किया जाय और न ही हानि पहुंचाई जायें? क्या विद्यार्थियो के लिये यह उचित है कि वे पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र एव परीक्षा-परिणाम इत्यादि जैसे शैक्षणिक स्तर के मामलो के निर्धारण मे शैक्षणिक अधिकारियों के अधिकार पर विवाद करें? क्या विद्यार्थियो के बहुमत के लिये यह उचित है कि या तो वे निषेधात्मक रख अपनायें अथवा निष्क्रिय बने रहे और अल्पमत उनकी अपेक्षया औचित्य पूर्ण सम्मति के विना ही अनुशासन हीनता के कार्यों मे उनका नेतृत्व करे? यह निश्चित ही है कि शिक्षण सस्थायें कारखाने नहीं हैं, विद्यार्थी औद्योगिक श्रमिक नहीं है, छात्र-परिपदे ट्रेड-यूनियनों नहीं है, और छात्र व अध्यापको के मध्य कोई वर्ग-सघर्ष भी नहीं है। इस बात मे मुझे काफी आत्म सशय है कि मैं ये प्रश्न जो विद्यार्थियो के समक्ष रखने का साहस कर रहा हूँ, कहा तक उचित हैं? यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो केवल इसलिये कि मैं एक व्यक्ति के नाते जो विद्यार्थी-जगत का केवल जीवन पर्यन्त मित्र ही नहीं है, वरन् जो उन्हे स्नेह, आदर एव सहानुभूति प्रदान करता है, एव जो उनसे भी प्रत्युत्तर मे इन्हीं की आशा करता है तथा वर्तमान सदर्म मे वेदना एवं नैराश्य का अनुभव

करता हूँ। मैं अपने तरुण विद्यार्थी मित्रों के मनत्र के लिये यह सुभाय दूँगा कि अब वह समय आ गया है जब कि वे सम्मिलित रूप से इन प्रश्नों पर शांतिपूर्वक विना किसी आवेश के विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद करें एवं स्वयं उनके उत्तर ढूँढें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे जब ऐसा करेंगे तो विद्यार्थी अनुशासनहीनता, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, का वर्तमान अवस्था को समाप्त करने के लिये स्वतः ही साधन ढूँढ निकालेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि वे ऐसा अपने से बड़ी के उपदेशों, सहायता एवं दबाव के बिना करेंगे। आज के विद्यार्थी भविष्य के नागरिक हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि जब हमारा देश बाहरी शक्तों एवं आंतरिक सघर्षों से घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में अनुशासन के अभाव में हमारा राष्ट्र, विकास को तो छोड़िये, जीवित भी नहीं रह सकेगा। भारत में उनका भविष्य हमारी-जिन्हें कि मैं सामान्यतः "भरणासन पीढी" के नाम से पुकारता हूँ-अपेक्षा अधिक बड़े दाव पर लगा हुआ है। हमारी विरासत की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारी पीढी, जिसका कार्य केवल विरासत को हस्तान्तरित करना है, की अपेक्षा उन पर ही अधिक है। मेरा दृढ विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी समुदाय का हृदय पूर्णतः स्वस्थ है, एवं जब कभी भी वे वर्तमान विद्यार्थी उपद्रवों से सम्बन्धित क्या, क्यों एवं कैसे इत्यादि प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे तो वे स्वयं ही इन सब मामलों के लिये उपचारात्मक उपाय ढूँढेंगे एवं उन्हें प्रयोग में लायेंगे।

जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

छात्र-असंतोष

साहस का विकल्प ?

वी. वी. जाँन

ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ज्ञान के विकल्प की खोज में हैं, और शासन के क्षेत्र में साहस के विकल्प के लिए प्रयत्नशील हैं। विद्यार्थी-विक्षोभ से सम्बन्धित अभी हाल ही में हुई चर्चाओं और वार्तालापों से कुछ इसी प्रकार का भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होता है।

एक उपकुलपति महोदय जो अब तक स्वयं के अभिमानी एकाकीपन के लिए छात्रों में ही नहीं, बल्कि सकारण में भी स्मरणीय थे, आज वे छात्र-परिवेदन के हिमायती तथा पुलिस की ज्यादतियों के आलोचक बन गये हैं। अन्य लोग इस नवीन विक्षोभ का कारण कतिपय राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव को मानते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अध्यापकों पर इसके लिए दोषारोपण करते हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में भाग लेने गये थे उन्होंने स्वयं तथा छात्रों के अतिरिक्त सभी को इस विक्षोभ के लिये दोषी ठहराया। मुझे आभास होता है कि यह आत्मोचित्य-प्रतिपादन भविष्य में होने वाली अन्य विशदतर गौष्ठियों में भी पुनर्जीवित रहेगा।

मुझे शक है कि छात्र-परिवेदन पर यह आकस्मिक एवं सर्वव्यापी चिन्ता किसी समुचित बुद्धिपरक ज्ञान पर आधारित है, बल्कि यह हमारी राजनैतिक-कौशलतन्त्र का एक नवीन नारा है। आज किसी पदाधिकारी की स्थिति में वह कोई दुस्सहायी व्यक्ति ही होगा जो छात्र परिवेदनो के कारणों का वास्तविक अन्वेषण और उनके निवारण करने का आश्वासन देगा क्योंकि निष्प्राण व कमजोर शिक्षा-नीतियों के द्वारा अब तक जो देश को हानि पहुँच चुकी है, उसका उपचार करने के लिए हमारे कुशलतम शासकीय व्यक्ति की चतुराई व सामर्थ्य से परे अब किसी अन्य वस्तु की ही जरूरत पड़ेगी।

निम्नस्तर

जैसा कि प्राय होता है कि छात्र आन्दोलनकर्ता शिक्षा के वास्तविक अभावो से पूर्णरूप से अनभिज्ञ हैं या वे उनके प्रति अत्यधिक उदासीन हैं, जबकि आज की शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जो उन्हें शिक्षित नहीं करती और जिसके माध्यम से वृद्ध पीढ़ियाँ पाठ्यक्रम के स्तर को लगातार निम्नकर नवयुवक पीढ़ियों को छल रही हैं। आन्दोलनकर्ता कुछ तुच्छ कारणों को पकड़, तिल का ताड़ कर अनावश्यक तूफान खड़ा कर देते हैं और स्व-प्रेरित उत्पातों के जायके लिया करते हैं। एक तरह से पदाधिकारियों को उनके प्रति कृत-ज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि घृष्ट युवकों का शोर पाठ्यक्रम को सरल बनाने या चलचित्र के सस्ते टिकट करने या किसी जन अधिकारी के विरुद्ध कोई दोषारोपण के आगे नहीं जाता। यदि इसके विपरीत वे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों, जैसे, चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रमों, अच्छे पुस्तकालयों, प्रयोग-शालाओं और उपयुक्त निवास की सुविधाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय-मान्य शैक्षणिक मानकों के लिए शोर मचाते तो उनको प्रसन्न करने के लिये हमारी समस्त तुष्टीकरण की नीतियाँ व्यर्थ सिद्ध हो जाती। वाल्टेयर ने उन पदाधिकारियों को चेतावनी दी है “जब जनता विचार करना प्रारम्भ करेगी, तब हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।” देवयोग से उनमें (विशेषरूप से युवा-पीढ़ी में) ऐसी उत्सुकता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते कि वे कभी (इन बातों पर) सोचना भी चाहेंगे।

कुछ समय पूर्व, राजनैतिक नेताओं तथा शिक्षा-प्रशासकों की एक गोष्ठी में छात्र-असतोष पर विचार-विमर्श हुआ। वक्ता के पश्चात् वक्ता (जिनमें कोई भी सक्रिय रूप से अध्यापन या अनुसंधान से सम्बन्धित नहीं था) ने राजनीति में भाग लेने वाले अध्यापकों पर दोषारोपण किया एवं सुभाव दिया कि अध्यापकों के राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए तथा प्रथम चरण के रूप में विधानमंडल निर्वाचन के लिए अध्यापक चुनाव-क्षेत्रों को समाप्त कर देना चाहिए। प्रस्तुत समस्या के इस हास्यास्पद सरलीकृत प्रस्ताव को इससे पूर्व के एक अन्य सुभाव के तुलनीय माना गया है कि यदि प्रत्येक (शिक्षण-संस्था के) परिक्षेत्र में अध्यापकों का एक समूह संगठित किया जाय जो छात्रों के दिशा-निर्देशन और कल्याण की रक्षा करे, तो यह समस्या हल हो सकती है। विश्वविद्यालय का कोई भी अच्छा छात्र अध्यापक से विद्वता व ज्ञान की अपेक्षा करता है, न कि उसके कल्याण हेतु व्यक्तिगत सलाह की।

यदि आप परामर्श दे सकें या कल्याणकारी कार्य कर सकें तो यह पूर्णरूपेण उचित है, किन्तु यह ज्ञान विकल्प नहीं हो सकता ।

प्रथमकरण

ज्ञान हमारे शिक्षा के परिक्षेत्र में नगण्य है । जहाँ कहीं यथार्थ ज्ञान तथा तत्सम्बन्धी समर्पण है भी, वहाँ उसका तत्क्षण अग्रवर्ती उच्च अध्ययन-केन्द्रों के हेतु प्रथमकरण कर दिया गया है । उसको उन छात्रों के दूषित सम्पर्क से सुरक्षित रखा गया है, जो स्नातक नहीं हैं । परिणाम स्वरूप, जो विद्यार्थी स्नातक नहीं हैं, उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अगर वे कक्षा में उपस्थित नहीं भी होते हैं तो वे कुछ भी नहीं खो रहे हैं ।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का प्रारम्भ इस श्रोजमयी शब्दावली से होता है . "भारत का भाग्य उसके शिक्षण-कक्षों में ही रूपायित होगा ।" यह विचार करना भी दुःख है कि जिस समय यह प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ देश के कई क्षेत्रों में शिक्षण-कक्ष रिक्त हो गये और देश का भाग्य ईट के टुकड़ों के फेंकने तथा आगजनी की घटनाओं के रूप में सबको व बाजारों में बन रहा था । कक्षा छोड़ने वाले छात्रों को पुनः शिक्षण-कक्षों में लाने के लिए मंत्री और परामर्श की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु की अविलम्ब आवश्यकता है । ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जिनका ज्ञान शिक्षण-कक्षों को चेतना प्रदान करता है और उन्हें प्राणवान बनाता है । यदि कक्षाओं में ज्ञानार्जन नहीं है तो युवकों के खुले स्थानों में होने पर अधिक हानि नहीं होगी, क्योंकि ये स्थान शिक्षण-कक्षों के घुटे-दूषित वातावरण से अधिक स्वास्थ्यप्रद हैं ।

इसीलिए, कोई भी यह आशा कर सकता है कि समसामयिक विचार-विमर्श दूषित शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए मात्र कल्याणकारी कार्यों वाला कोई अपव्ययी-कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करेगा । युवा छात्रों को ज्ञानमयी विद्वता से कम किसी भी वस्तु से ठगा नहीं जाना चाहिए । उनको आवश्यकता, किसी ऐसे व्यक्ति की है, जो उनके मस्तिष्क को उद्दीपन करे, न कि उसकी जो उनके चेहरे को धो सके या उनके दात साफ कर सके ।

छात्र-नेता

इस तथ्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि कुछ युवक महाविद्यालयों में ज्ञानार्जन के लिए नहीं, अपितु शिक्षा का प्रतिरोध करने के लिए प्रवेश लेते हैं । जब उन्हें अध्ययन, क्रीडा या रचनात्मक कलाओं में अपनी

प्रतिभा दिखाने की आशा नहीं होती तो वे विशेष प्रकार के छात्र—नेतृत्व सम्बन्धी दुर्भाग्यपूर्ण अवसरों की खोज में होते हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाणपत्रों का परीक्षण किया जाना अवश्य ही रुचिकर होगा, एव यह अन्वेषण होने की संभावना है कि वे व्यक्ति जो नेतृत्व का चोला पहने हुए हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालयों को दिवालिया (द्विदिक रूप से) घोषित कर रखा है वे भाक्षर मात्र ही हैं। क्या वे विश्वविद्यालयों और देश को शब्द-विन्यास सीखने से पूर्व ही चला सकेंगे ? क्या हमें उन्हें यह कहने का साहस हो सकेगा कि वे इस कार्य के लिए पूर्ण सक्षम नहीं हैं ?

आजकल मात्र साहस का रूप पुलिस को सहायता के लिए बुलाना ही होगा है। यह करने के पश्चात् हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जब हमें ज्ञात होता है कि पुलिस के पास ऐसा कोई कार्य—तत्र नहीं है जिसके द्वारा बिना बल-प्रयोग के स्थिति को बश में किया जा सके। हमें यह ईमानदारी से क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि पुलिस को बुलाने का कार्य हमारी निराशाजन्य आवेशमय आतुरता का परिणाम है, तथा इस प्रकार का कार्य करने से हम ज्ञान-अज्ञान के बीच की (विवेक की) सूक्ष्म रेखा से दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि पुलिस के व्यवहार की जन-जाँच के लिए शोर होता है, किन्तु छात्रों के व्यवहार की जाँच के लिए कोई माँग नहीं होती ? मैं एक मुख्यमंत्री से परिचित हूँ जिन पर जाँच के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे, एव जाँच भी विस्तृत होगी तथा संघर्ष से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर दृष्टि रखी जायेगी। लेकिन बाद को उपर्युक्त माँग के लिए दबाव नहीं डाला गया।

प्रज्ञान के स्वर

कई विश्वविद्यालयी नगरों में यह स्थिति है कि वे छात्रों और पुलिस के मध्य झगड़ों के केन्द्र हैं। आज यह स्थिति हमारी शिक्षा के गुणाभास की माप है। वे अध्यापक कहाँ हैं ? वे माता-पिता कहाँ हैं ? कहाँ हैं वे जनमानस की भावना से श्रोतप्रोत नागरिक ? दिल्ली में घुआधार भाषणों के मध्य प्रज्ञान के स्वर दूसरे दिन सुनाई पड़े जब प्राध्यापक निर्मलकुमार बोस ने छात्रों में व्याप्त असन्तोष के कारणों का विश्लेषण किया, वे ये विचारविन्दु थे—स्वयंसेवी मगठन समाप्त होने को हैं, तथा छात्रों में आदर्शवाद की कमी है, यह हमारे युवा जनतन्त्र के लिए पुष्टिकर होगा कि वह इस बात को जान ले कि सरकार प्रत्येक कार्य नहीं कर सकती (और करना भी नहीं चाहिए)। आज की

स्थिति में विद्यालय परिक्षेत्र में सरकार किसी तरह एक सीमा तक ही कार्य कर सकती है, भले ही वह पुलिस या उपकुलपतियों, छात्रनेताओं या ज्योतिषियों से परामर्श लेती रहे। किन्तु एक बात जो कि सरकार कर सकती है और उसे करना चाहिए कि वह "आवारावाद" के साथ विचार-विमर्श करना बन्द कर दे, और इस तरह उन्हें उत्तरदायित्व देने का प्रयत्न बन्द कर दे। छात्रों को दृढतापूर्वक बताया जाना चाहिए कि उनकी कठिनाइयाँ अवश्य सुनी जायेगी किन्तु केवल तब जब वे कक्षाओं का मध्य समय में त्याग नहीं करेंगे।

घटना सम्बन्धी जाँच की माँग के प्रति ढील या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वरन् अपेक्षाकृत इस प्रकार के प्रत्येक श्रवसर का स्वागत किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों, छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य जो भी इससे सम्पन्नित हो, उनके व्यवहार और अभिवृत्तियों की विस्तृत जाच होनी चाहिए। प्रजातन्त्र उत्तरदायित्व पूर्ण भावना पर आधारित है और किसी भी व्यक्ति को अपने लोक-व्यवहार की जाँच में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार की जाँच स्वन्त्र समूहों या सगठनों द्वारा होनी चाहिए, जिनकी निष्पक्षता तथा जन-भावना सामान्यतः ज्ञापित होनी चाहिए। राज-नैतिक दलों को विलग करने के विपरीत उनको इस प्रकार के जाच-कार्य में सक्रिय भाग लेने देना चाहिए, जिससे वे देश में होने वाली घटना के विषय में अपने स्पष्ट विचार बना सकें। यही नहीं, अपितु चुनाव के वर्ष में भी देश-प्रेम की भावना तथा भविष्य निर्माण के प्रति जागरूकता को क्षणिक दलगत लाभों से सर्वोपरि माना जाना चाहिए। आवश्यकता है, एक ऐसे स्वच्छिन्न स्वतन्त्र और उत्तरदायित्वपूर्ण सगठनों के जाल की, जो शिक्षा-क्षेत्र के प्रति जागरूकता का कार्य कर सके, तथा जो शिक्षा के नाम पर होने वाली त्रुटियों को प्रकाश में लाये एवं देश में शिक्षा की प्रगति में आने वाली बाधाओं के प्रति चेतावनी दे। विवेक और देशभक्ति के स्वर को आज के उपस्थित कोलाहल और सभ्राभित के वातावरण में मुग्ध होने का अधिकार है।

अन्वेषणों से यह खोज होना समभव हो सकेगा कि किस प्रकार के उत्पात पूरे राज्यों की अपेक्षा दूगरे राज्यों में अधिक क्यों है? और क्यों कुछ सर्वोत्तम सुमज्जित साधनों वाले विद्यालय परिक्षेत्रों में निम्नस्तर के साधनों वाले तथा धातु-गुणियों से रहित परिक्षेत्रों की अपेक्षा, अधिक विद्यार्थी हैं?

१६/छात्र विक्षोभ ?

हम इसका कुछ भी उपचार अन्वेषित क्यों न करें परन्तु हमें दृढतापूर्वक शिक्षा के इस आधारभूत तथ्य को मान लेना चाहिए कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है और न ही लोकजीवन में साहस का कोई स्थानापन्न ।

रामबाग रोड,
जयपुर ।

छात्र किधर ?

डॉ० एस. एन. मुखर्जी

श्रेष्ठ शिक्षा किसी स्वस्थ समाज का आधार और प्रतिबिम्ब दोनों है। और इस तथ्य से कोई विमुख नहीं हो सकता कि हमारे देश की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली बोधपूर्ण है। यह न तो राष्ट्र के और न ही व्यक्तिगत नागरिक के विकास में योगदान करती है। किन्तु इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के सर्वाधिक शिकार बालक हैं, जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। उनके पास कोई प्रेरणामय लक्ष्य नहीं है, इसीलिए वे व्यग्र हो उठते हैं तथा विनाशकारी एवं अनुशासन हीन कहलाते हैं।

नवोदित युवाओं में जो कल के भावी नागरिक हैं, एक अनुशासनशील मस्तिष्क के विकास की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। यह वस्तुतः परिताप का विषय है कि देश में विद्यार्थी अपने अध्ययन से मुक्त होकर, सड़कों पर घूमने, जन-सम्पत्ति की हानि तथा विनाश करने पर उतारू हैं। कतिपय उनमें से पुलिस की गोली के शिकार हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अनेक देशों के विभिन्न विशाल युवा-समूहों में विक्रोम तथा क्रांति की भावना आज सामान्यतः व्याप्त है।

१९५६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन हीनता के कारणों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने बताया कि विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के कतिपय महत्वपूर्ण उदाहरणों में यह 'स्पष्ट साक्ष्य' है कि इसमें उन व्यक्तियों का हाथ है, जो महाविद्यालयों के बाहर ऐजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं।

छात्र-असतोष केवल महाविद्यालय के छात्रों में ही व्याप्त नहीं है, वरन् दुर्भाग्य से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में भी विस्तार पा रहा है और यही नहीं, लड़कियाँ भी आज आंदोलन तथा प्रदर्शन के चक्रवात में खींच लाई गई हैं। इस सामान्य व्याधि के प्रमुख कारणों का सुन्दरता से सक्षिप्त निरूपण श्री यू. एन. डेबर ने किया है। वह कहते हैं —

“छात्र-असतोप समाज के विभिन्न स्तरीय घटकों द्वारा किये गये त्रुटि-पूर्ण कार्यों को करने तथा जो कार्य अत्यावश्यक हैं, उनकी अवहेलना करने का ही परिणाम है। भारतीय माता-पिता परम्परागत ढंग से अपने बाल-बच्चों के लालन-पालन को करने के अतिरिक्त उन आवश्यक बातों से अनभिज्ञ हैं, जिनकी आज उनसे अपेक्षा की जाती है। सामान्यतः अध्यापक समुदाय भी भारत के भावी नागरिक निर्माण करने के प्रशिक्षण देने के अपने दायित्वों के प्रति न तो सक्षम है और न सजग ही है। हमारे सामाजिक नेतृत्व ने भी प्रायः माता-पिताओं को शिक्षित करने, आवश्यक पर्यावरण का निर्माण करने तथा अध्यापक समुदाय को समुचित स्तर-मूल्यों के विकसित करने हेतु प्रोत्साहन करने जैसे कार्यों की पूर्णरूपेण उपेक्षा की है। अततोगत्वा हमारे राज-नैतिक नेतृत्व ने भी अपनी बौद्धिक एवं भावात्मक क्षमताओं पर बिना ध्यान दिये शैक्षणिक क्षेत्रों पर आक्रमण करके एक गहान त्रुटि की है”^१

प्रत्येक सामाजिक रोग जो देश के एक छोर से प्रारम्भ होता है, वह अवश्य ही कितने अवरोधों और नियंत्रणों के होने पर भी देश के दूसरे कोने तक विस्तारित होता है। भारत की जनता का प्रत्येक अंग आंदोलन के चक्र-व्यूह में है। अनुशासनहीनता हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अंग बन गई है। माता-पिता न केवल अनुशासन को घर में स्थापित करने में असफल हैं, वरन् वे अपनी सतानों की शिक्षा के प्रति भी उदासीन हैं। प्रायः विभिन्न सस्थाओं के अध्यक्ष छात्रों के माता-पिताओं को उनके बच्चों की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं, परन्तु वे उनसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते। यही नहीं जब विद्यालय और महाविद्यालय माता-पिताओं को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित करते हैं, तो कठिनाई से कुछ ही लोग उपस्थित हो पाते हैं। किन्तु छात्रों में पदाधिकारियों के प्रति बढ़ते हुए असम्मान तथा अनुशासनहीनता का प्रमुख उत्तरदायित्व अध्यापकों में गुरुओं के अभाव पर है। हमारे पचास प्रतिशत अध्यापक न तो अध्यापन के कार्य के लिए पारगत हैं और न ही प्रशिक्षित। शिक्षा के निम्न स्तरों के कारण अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य की खाई बढ गई है। इस पारस्परिक घनिष्टता की कमी ने “आत्मविश्वास के संकट” को उत्पन्न कर दिया है और चूँकि अध्यापक छात्रों के चित्त को अपने नियंत्रण

१. यू. एन. डेबरन्द, स्टूडेंट अनरेस्ट. ?

एन एनक्वारी' दो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया, जनवरी २६, १९६७, पृष्ठ ४७

मे रखने मे असफल रहे हैं, तो विद्यार्थियों मे भी एक अलगवा का भाव उत्पन्न हो गया है। यह हमे स्वीकार करना पडेगा कि अध्यापन संग्रहण की प्रक्रिया है। किन्तु यदि अध्यापक के पास शिक्षा देने की कोई वस्तु न हो, तो विद्यार्थी या तो विद्रोह करेगा या वह शिक्षा के प्रति उदासीन हो जायेगा। एक प्रकार से विद्यालय तथा महाविद्यालय के बाहर विद्यार्थियों का आदोलन वस्तुतः कक्षा की अनुशासनहीनता का ही बाह्य प्रगट रूप है। यही नहीं आज एक योग्य अध्यापक भी विद्यार्थियों से समुचित सम्पर्क को बनाये रखने मे कठिनाई अनुभव करता है, क्योंकि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के मध्य का अनुपात (सख्यात्मक) बराबर बढ रहा है। लेकिन यहा हमे यह भी स्वीकारना होगा कि अध्यापन-स्तर का यह अवमूल्यन हमारी मुद्रा के अवमूल्यन से अधिक महगा बँडेगा।

किन्तु फिर भी हमें अपने विद्यार्थियों पर से आस्था नहीं उठा लेनी चाहिए। उनमे अभी तक कुछ आदर की भावना शेष है। यहाँ तक कि भारत के सर्वाधिक छात्र विक्षोभमय राज्य बंगाल मे हमने देखा कि आज भी विद्यार्थी अध्यापकों तथा वृद्धों के चरण छूते हैं, जो भारत मे अन्य कई स्थानों पर भी प्रचलित है। इस आदर-भाव को बनाये रखने के लिए उचित प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता है।

उन व्यक्तियों द्वारा, जो छात्रों मे अनुशासनहीनता के लिये खेद व्यक्त करते हैं, इस तथ्य को पूर्णरूपेण समझा नहीं गया है कि एक सीमा तक यह प्रजातन्त्र की अनिवार्य शर्त है कि प्राधिकारी से उसके कार्यों के लिये जवाब पूछा जाय। गत कुछ शताब्दियों मे जो जन जागरण का प्रसारण हुआ है, उससे प्राधिकार (Authority) के सन्दर्भ में दो प्रमुख प्रभाव उत्पन्न हुए दृष्टिगोचर होते हैं। एक ओर तो इसने नीति-निर्धारण के क्षेत्र मे अधिकारवादी शासन-सत्ता के स्थान पर तार्किकता पर बल दिया है, साथ ही इस अधिकार को भी स्थापित किया है कि प्राधिकार-सत्ता को उसी सीमा तक सहन किया जायेगा जहाँ तक वह युक्तयुक्त बुद्धि-सगत हो। इससे आज प्राधिकार-सत्तावाद की व्यवस्था मे विघटन तथा रूपान्तरण उत्पन्न हो गया है।

दूसरी ओर, तर्क को बढ़ावा देकर, बजाय इसके कि पहले मानव जिन विषयों पर परम्परा या सत्ताधारी निर्णयों को ही मान्यता देता था, अब स्वयं के निर्णय में आनन्द और उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। यह हमारी भ्रष्टता होगी, यदि हम आज के विद्यार्थियों से कल के छात्रों मे पाई जाने वाली सहज स्वीकारोक्ति की अपेक्षा करें।

अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि छात्र महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शासकीय सत्तावाद के रुख को चुनौती दे तथा अपने प्रति हो रही उपेक्षा की आलोचना करे। एक उदाहरण के द्वारा सामान्य विद्यार्थी की अभिवृत्ति का निरूपण किया जायेगा। कुछ मास पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हिन्दू महाविद्यालय की छात्र-संसद ने आचार्य को कटघरे में प्रस्तुत किया, क्योंकि महाविद्यालय प्रशासन की यह त्रुटि थी कि वह गत वर्ष में स्वीकृति प्राप्त प्रशाल (हॉल) को पुनर्निर्मित करने में सफल नहीं रहा था। लगभग दो घण्टे तक आचार्य महोदय से जवाब-सवाल हुए। उनसे यह पूछा गया कि प्रशाल में पुनर्निर्माण के आश्वासन को पूर्ण क्यों नहीं किया गया? क्यों विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रशाल के लिए दी जाने वाली आश्वासित आर्थिक सहायता को वापिस ले लिया गया? महाविद्यालय के पदाधिकारियों ने छात्रनिधि को क्यों नहीं लौटाया?

जो आचार्य पहले इन प्रश्नों को समाप्त करने के प्रयत्न में थे, उन्होंने शीघ्र इस बात पर अनुभव कर लिया कि छात्रों को हल्के भाव से नहीं देखा जाना चाहिए तथा उन्होंने पूर्ण चुप्पी के साथ अवरोध का सामना किया। अध्यक्ष ने 'प्रधानमन्त्री' तथा उनके 'संसदीय साथियों' का पक्ष लिया कि इस मामले में अतिरिक्त उपायों को त्याग देना चाहिए।^१ इसने इस प्रत्युत्तर को जन्म दिया कि यही एक मात्र मापा है, जिसे पदाधिकारी समझते हैं।

तत्पश्चात्, आचार्य जी ने इस स्थिति के विषय में कॉलेज के अपने अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श किया। इस गोष्ठी में भी आचार्य से प्रशासकीय वर्ग द्वारा दिये गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कहा गया कि छात्र-निधि को लौटा दिया जायेगा। आचार्य ने उनको आश्वासन दिया कि महा-विद्यालय प्रबन्धकों का विचार इसे वार्षिक किश्तों पर चुकाने का है।

हमारे शिक्षा जीवन में आन्दोलनकारी वातावरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण छात्रों में सामान्यतः व्याप्त तथा विकसित होता हुआ नैराश्य है। इन युवाजनों के द्वारा जीवन में पदार्पण होने का क्या बीमा है? यहाँ यह स्मरणीय

१ तैत्तिक के कथन से कदाचित्त यह प्रगट होता है कि यह विवाद केन्द्रीय सरकार के महानुभावों तक गया, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि इसे अन्य किसी ढंग में सुलझाने के बजाय छात्रों की इच्छानुसार ही सुलझाया जाना चाहिये—सम्पादक.

है कि मई, १९६७ की समाप्ति तक देश में २ ६३ लाख आवेदक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे। यह संख्या १३ लाख आवेदकों की वृद्धि को प्रदर्शित करती है, जो गतवर्ष इसी मास से वृद्धि पर है। इस सांख्यिकी से यह भी प्रकाश में आता है कि पूरित स्थानों की संख्या प्रतिवेदित रिक्त स्थानों की संख्या से न्यूनतर थी। अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या मई, १९६७ के मध्य ६४,६११ थी। यह संख्या फिर भी मई, १९६६ की संख्या ७३,००० से कम थी। इसमें यह प्रमाणित होता है कि एक बड़ी संख्या में मेट्रिक्यूलेट तथा प्रथम उपाधि प्राप्त छात्र बेरोजगार हैं अथवा बेरोजगारी के मध्य में गुजर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बेरोजगारी आ गई है क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग तथा पूर्ति के मध्य सामंजस्य नहीं है। सभी प्रकार की इन अस्तव्यस्ताओं का परिणाम छात्र-समुदाय में विद्यमान विक्षोभ है तथा यह विक्षोभ ही अनिवार्यतः आंदोलन के किसी न किसी रूप को धारण करता है।

छात्र-आन्दोलन के पीछे एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात पनप रही है। चाहे कुछ भी सदर्म हो, छात्र बहिर्गमन (वाँक-आउट) तथा हड़ताल के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करते हैं और फिर यहाँ राजनीतिक नेतृत्व भी प्रायः इन्हीं अतिवादी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है। वस्तुतः ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब छात्र राजनीतिक आंदोलनों में अन्य लोगों के साथ सहगामी हो, किन्तु ऐसे अवसर किसी देश के स्वाभाविक जीवन में नगण्य हैं। अब तो किन्चित् उत्तेजना मात्र से ही छात्रों की हड़ताल प्रारंभ हो जाती है तथा काफी समय से ये हमारे शैक्षणिक जगत की एक नियमित जानी पहचानी बात हो गयी है। निःसंदेह इसका कारण यह है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए छात्रों का शोषण हो रहा है। यही नहीं, शैक्षणिक पदाधिकारियों के व्यवहार-कुशलताहीन निर्णयों से भी छात्र हिंसक प्रतिकार के उपस्थित प्रलोभन की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

अन्ततोगत्वा, सामान्य आदर्शवाद का ह्रास है, अर्थात् हमारे राष्ट्रीय जीवन के मूल्यों का अवमूल्यन। कहा है वह आज लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, विवेकानन्द तथा नेताजी सुभाष बोस के उत्साह की प्रेरणा देने वाला युग, जो छात्रों और युवाओं में महान् अनुभवातीत कार्यों में तीव्र लगन उत्पन्न करे तथा इस प्रकार उनकी शक्ति तथा दृष्टि को शक्तिहीन, अनुपलब्धिपूर्ण उपद्रवों तथा विनाशों से नवीन दिशा प्रदान करे? युवाजन प्रौढों की कयनी और करनी के अन्तर को देखकर किंकर्तव्यविमूढ हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एकनिष्ठ सत्य के पुजारी और अनुशासनशील रहें किन्तु यदि हम कतिपय

महत्वपूर्ण उदाहरणों के अतिरिक्त भी देखें कि हमसे कितने उपदेशक हैं, जो स्वयं के जीवन में अपने उपदेशों को व्यवहृत करते हैं ?

उपसंहार में, मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि हम वस्तुतः देश के निर्माण तथा उसके यथानाम तथागुण के लिए कृतसंकल्प हैं, तो हमें नवोदित पीढ़ी की इस द्रुतवान् दुखान्त विपत्ति से रक्षा करनी होगी । और यह विशेषतः वर्तमान प्रजातन्त्र की व्यवस्था के सदर्भ में, तब ही सम्भव हो सकता है जब हम गहनता, तार्किकता तथा युक्तायुक्तता के साथ अपने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिकता, प्रशासन, शिक्षा, नियोजन इत्यादि पर गम्भीरता से पुनर्विचार करें ।

विद्या भवन, शिक्षक महाविद्यालय,
उदयपुर,

छात्र-असन्तोष : समस्या तथा समाधान

डॉ० सम्पूर्णानन्द

छात्र-असतोष तथा हिंसात्मक उपद्रवों के रूप में उसका प्रदर्शन किसी एक शहर या राज्य की छुटपुट घटना नहीं रह गया है। कुछ लोग इसे हमारे किशोर जनतंत्र के बालापन का कष्ट मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि हमने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में छात्रों को सम्मिलित कर जो बीज-वपन किया है, आज उसी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। पर ये दोनों अनुमान सतहीन और श्रुतिपूर्ण हैं। अन्य प्रजातांत्रिक देशों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि जनतंत्र के विकास तथा नई पीढ़ी व छात्रों की उग्र अनुशासनहीनता का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि जिन देशों ने अपनी स्वतंत्रता भूतपूर्व शासकों से अनवरत सशस्त्र क्रांति द्वारा प्राप्त की है, वहाँ भी नई सरकार के शांतिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में लग जाने के बाद नई पीढ़ी के हिंसात्मक सघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा है।

प्रायः यह देखा गया है कि हर वर्ष परीक्षा निकट आने के साथ-साथ छात्रों की अवाञ्छनीय गति-विधियाँ शिथिल पड़ती जाती हैं और धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। पर इन दिनों की शांति को देखकर निश्चिन्त हो जाना गलत होगा।

इस समस्या पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं इस स्थिति के मुख्य-मुख्य परिणामों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कितनी दयनीय स्थिति है कि जब देश पर आन्तरिक व बाह्य खतरों के बादल मड़रा रहे हों, उस समय फूट-परस्त तथा एकता-विरोधी शक्तियों को इस प्रकार का प्रबल समर्थन मिले और जनता का ध्यान नवयुवकों के इस निष्फल तथा अरुचिकर आन्दोलन की तरफ जाय, जो उनके स्वाभाविक शुभचिन्तकों—माता-पिता, सरसक तथा शिक्षकों के ही विरुद्ध है। सस्कृति, कुलीनता तथा शिष्टाचार के बन्धन शिथिल होने की यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है और इसकी पूर्ति में एक पीढ़ी से भी अधिक समय लगेगा। अध्ययन के घण्टों की अपार क्षति हुई है। उससे

भी अधिक क्षति ध्यान लगाकर कठिन कार्य करने की आदत की हुई है। अविवेकपूर्ण, शरारती व विनाश की भावना का जो विकास छात्रों में हुआ है, उसके परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती।

छात्र सार्वजनिक सम्पत्तियों को नष्ट कर रहा है। वह तनिक भी यह विचार नहीं करता कि उनका उपयोग वह स्वयं भी बराबर करता रहा है और भविष्य में भी उसे उनकी आवश्यकता होगी। वह भूल जाता है कि निकट भविष्य में मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर के रूप में सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने का दायित्व उस पर भी जायेगा। आवेश के क्षणों में वह नहीं समझता कि जिन चीजों को वह नष्ट कर रहा है उसे उसके माता-पिता ने कर देकर निर्मित किया है। इस तरह की क्रूर उपेक्षा एक ऐसे चरित्र का द्योतक है, जो अपने अन्दर खतरनाक मनोवृत्तियाँ छिपाये हुये है।

समस्या का शोचनीय पहलू

समस्या का एक और शोचनीय पहलू है, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जनता के किसी भी अंग के साथ सघर्ष में पुलिस जितनी दूर रहे, उतना ही समाज के लिये हितकर होगा। नित्य छात्रों व पुलिस के सघर्ष, नित्य-प्रति के लाठी-चार्ज व गोली-काण्ड, इसे और भी क्रूर बना देते हैं। मानव जीवन के प्रति यह उदासीनता तथा असाधारण व अरुचिकर कार्यों को सामान्य कार्य बना लिया गया है। अगर सरकार को सार्वजनिक सम्पत्ति तथा अधिकारियों की रक्षा के लिये हर दूसरे दिन पुलिस बुलानी पड़े, तो यह यथार्थ में एक पुलिस राज की भूमिका होगी।

इस समय छात्र-समस्या एक शांति और व्यवस्था का प्रश्न बन गई है। मेरे विचार से इस पहलू पर अब तक जो विचार किया गया है, वह यत्रवत रहा है। इसकी गम्भीरता को नहीं आका गया है। छात्रों के साथ अनावश्यक हिनाई की गई है। उन्हें यह समझने का अवसर दिया गया है कि वे कानून के ऊपर हैं, और दूसरी ओर जनता में असुरक्षा की यह भावना भर जाती है कि सरकार आन्तरिक अशांति से उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इससे जनता तग आकर किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करेगी ताकि वर्तमान शासक हट सकें। इसका अर्थ है जनतंत्र की मृत्यु। ऐसी स्थिति तानाशाही उद्यम-पुयल के अनुकूल है, जिसमें किसी पड़ोसी देश की मुक्ति-सेना आकर स्थिति को सम्हाले।

इसके सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व की राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा की गई सिफारिशें सराहना की पात्र हैं। मेरा सुझाव है कि सार्वजनिक सम्पत्ति के विनाश व तोड़-फोड़ के विरुद्ध एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिये। सभी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में प्राक्टर-मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की पद्धति पुनः लागू की जाय।

परम्पराओं की समाप्ति जरूरी

पिछले वर्षों में कुछ ऐसी परम्परायें स्थापित हो गयी हैं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिये। जब छात्र हड़ताल करना चाहते हैं, या ऐसा कार्य करना चाहते हैं, जिससे सामान्य काम-काज ठप्प हो जाय तो एक सघर्ष-समिति बन जाती है और अधिकारी गणों को उनसे समझौते की बात-चीत करनी पडती है। यह परम्परा समाप्त होनी चाहिये। शिक्षण-संस्था के प्रधानाचार्य से समान स्तर पर बात करने वाले किसी भी गुट या व्यक्ति को मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। छात्र निवेदन कर सकते हैं परन्तु भाग नहीं कर सकते।

छात्र-सघों के सम्बन्ध में भी दृढता अपनानी चाहिये, उनकी अनिवार्य सदस्यता समाप्त की जानी चाहिये। इनके द्वारा उन थोड़े से छात्रों को जो कभी-कभी अवाछनीय तरीकों से पदाधिकारी निर्वाचित हो जाते हैं, समस्त छात्रों की ओर से बोलने का अधिकार मिल जाता है, चाहे अधिकांश छात्र सघ के नाम पर किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध ही क्यों न हो।

मुख्य मंत्रियों ने एक निर्णय यह भी किया था कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक आंदोलनों का भर्ती-केन्द्र न बनने दिया जाय। इस पर यथा शीघ्र अमल होना चाहिये। अगर सभी राजनीतिक दल यह समझौता कर लें कि छात्रों को राजनीतिक कार्यों के लिये आकृष्ट नहीं किया जायेगा, कि छात्र विश्वविद्यालय के किसी भी असन्तोष में सक्रिय रुचि नहीं लेंगे, तो समाज उनका बहुत कृतज्ञ रहेगा। उपकुलपतियों व प्रधानाचार्यों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि वे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्यों को रोक सकें तथा छात्रावासों व छात्र-निवासों में इतर व्यक्तियों को न घुसने दें।

राजनीति प्रेरित छात्र-आन्दोलन खतरनाक है

पर यह उल्लेखनीय है कि समस्त दूषित प्रभावों के बावजूद छात्र-आन्दोलनों में राजनीतिक पार्टियों का भाग लेना बहुत खतरनाक नहीं है।

यह आन्दोलन सगठित नहीं है, न इसका कुछ उद्देश्य है। वस्तुतः छात्रों की वास्तविक या काल्पनिक शिकायत को दूर करने से आन्दोलन समाप्त हो जायगा। यदि कोई राजनीतिक दल छात्र-आन्दोलन को अपनी राजनीतिक रणनीति का अंग बना ले, तो खतरा वास्तविक गहरा तथा दूरगामी बन जाता है। तब वह एक राजनीतिक उद्देश्य के लिये, इसी तरह के अन्य कार्यों से सम्बद्ध एक योजनाबद्ध तथा सगठित कौशल बन जाता है। इस तरह का आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिये ईधन सदा प्राप्य रहेगा। मुझे भय है कि वर्तमान छात्र-आन्दोलन इसी वर्ग में आता है।

जब किसी क्षेत्र में उपद्रव भयकर रूप धारण कर लेता है, तो गुण्डों तथा समाज-विरोधी तत्त्वों को पकड़ लिया जाता है। यह सावधानी की दृष्टि से उचित है, क्योंकि कुछ लोग सदा ऐसे भ्रवसरो से लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। परन्तु मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अन्य व्यक्तियों के अपराधों के लिये, इन्हे बलि का बकरा न बनाया जाय। सरकार तथा पुलिस को यह काम आसान पड़ता है कि सारा दोष इनके माथे पर मढ़ दें और वास्तविक अपराधियों को अछूता छोड़ दें, क्योंकि वे सफाई के साथ अपने को बचा सकते हैं। जब तक सरकार उन्हें पूरा संरक्षण न दे, कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी पर दोष लगाकर अपने लिये परेशानी मोल लेना नहीं चाहती। यह सर्व विदित है कि देश में ऐसे भी राजनीतिक दल हैं, जो जनतन्त्र की रक्षा में तनिक भी रुचि नहीं रखते। जब जनतन्त्र इनके अनुकूल पड़ता है, तो ये लोग उसकी प्रशंसा में गीत गाने से नहीं अघाते। अगर उनमें से कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्र-विरोधी गति-विधि के लिये पकड़ा जाता है, तो इस कार्य को जनतन्त्र पर नग्न आक्रमण की संज्ञा देकर निन्दा की जाती है।

हमारे छात्रों का विशाल बहुमत किसी भी राजनीतिक दल से संबन्धित नहीं है, और वे इरादे से किसी राजनीतिक विद्रोह के अग्रिम दस्ते का कार्य भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे किन्हीं भी उद्देश्यों से वे सर्वथा अपरिचित हैं, परन्तु वागडोर उन लोगों के हाथ में है, जो जनतन्त्र तथा भारतीय स्वतन्त्रता के शत्रु हैं। ये लोग छात्रों को अपने हाथ का खिलौना बनाते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में छात्रों का तोष के भोजन के अतिरिक्त अन्य कोई महत्त्व नहीं है।

बाहरी तत्त्वो का प्रवेश अशुभ

छात्रों की शिकायतों पर समुचित ध्यान देने के लिये एक फौरम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सिद्धान्ततः ऐसे किसी भी फौरम की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य शिक्षण सस्था का प्रधान कर सकता है, अगर ऐसी कोई औपचारिक सस्था की स्थापना फिर भी की जाती है, तो मेरा तीव्र आग्रह है कि उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल न किया जाय अनुशासन की दृष्टि से बाहरी व्यक्ति को शामिल करने के परिणाम हानिकर होंगे।

ट्रेड-यूनियन की भावना हानिकारक

विद्या-मन्दिरों में ट्रेड-यूनियन भावना के विकास तथा प्रोत्साहन से अधिक हानिकर कोई चीज नहीं हो सकती। यह भावना किसी भी तरह नहीं आनी चाहिए कि शिक्षक व छात्र विभिन्न वर्गों के हैं, या उनके हितों में टकराव है, या उन्हें एक दूसरे के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा की आवश्यकता है। बाहरी हस्तक्षेप चाहे कितने ही नेक इरादों से हो, विश्वविद्यालय के क्षेत्र को सघर्ष का मैदान बना देता है।

योग्य शिक्षकों का अभाव

स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा के प्रसार के कारण बड़ी संख्या में अध्यापक भर्ती किये गये हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे दृढ सकल्प तथा प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होना चाहिए। वह मानव स्वभाव का पारखी हो और अपने शिष्यों तथा उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण रख अपनाये। परन्तु हमारे कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के बहुत से शिक्षकों में इन गुणों का अभाव है। वे अनुभव की आग में तपे नहीं हैं। उनकी अवस्था ऐसी है कि कोई भी आंदोलन छिड़ने पर उनकी रगों में भी जोश भर जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परन्तु उनका समर्थन अशांति फैलाने वाले तत्त्वों को मिलता है, ऐसे व्यक्तियों में शिक्षक का गुण पैदा होना अभी शेष है। हम शिक्षा के प्रसार पर रोक नहीं लगा सकते परन्तु वरिष्ठ, कनिष्ठ प्रधानाचार्य, उप-कुलपति, प्रोफेसर, रीडर व प्राध्यापकों के मध्य अधिक स्वच्छन्द मेल-जोल व सम्पर्क होना चाहिए। विश्वविद्यालय के जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर प्रायः वाद-विवाद होना चाहिए। यह सब कुछ सस्था के प्रधान पर निर्भर करता है। सरकार को शिक्षकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने में उनका सहयोग लेना चाहिए, ताकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना आ सके।

वर्ग-विभाजन में परिवर्तन

शिक्षा के प्रसार से छात्र की जनसख्या के वर्ग-विभाजन में भी परिवर्तन आ गया है। आर्थिक समृद्धि, जो विशेषतः खाद्य की ऊँची कीमतों के कारण आई है, से बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को स्कूल व कॉलेज में भेजने लगे हैं। ये विद्यार्थी ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनमें सगठित समाज के लिए आवश्यक भाषा व व्यवहार के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन्हें जब गलत ढंग से छेड़ा जाता है, या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती है तो वे आवेश में आकर उचित अनुचित का भेद भूल जाते हैं। अनुशासन उन्हें अखरता है। उनकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए और उनमें तथा शिक्षकों व पुराने छात्रों में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए।

अधिक मीड-भाड के कारण स्नायुओं पर जोर पड़ता है, वह अनुशासनहीनता के रूप में फूट पड़ता है। यह वातावरण विचारों को केन्द्रित करने या अध्ययन के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें भावनायें अवश्य भड़क सकती हैं। कॉलेज के घंटों के बाद का उनका अनुभव भी स्थिति में सुधार नहीं ला सकता। उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन तथा खेल की सुविधायें नहीं के बराबर हैं, ऐसी स्थिति में वे या तो सड़कों पर आबारा घूमेगे, अमद्र टिप्पणियाँ कसेंगे या छात्रावासों में अवाछनीय कार्य करेंगे। मुझे पता चला है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही है।

छात्रों की असतोषप्रद परिस्थितियाँ

हमें अपने देश के शिक्षा प्रसार पर गर्व है और प्रति वर्ष बढ़ती हुई छात्र सख्या पर हम सतोष व्यक्त करते हैं, परन्तु हम कभी यह विचार नहीं करते कि हमारे छात्रों को किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। हम उन्हें निजी वस्तुओं की तरह कमरों में ठूँस देते हैं और अस्वस्थ वातावरण में खुला छोड़ देते हैं। हम उन्हें अवाछनीय आदतें डालने की छूट देते हैं। हम यह नहीं समझते कि भोजन व नींद की तरह मनोरंजन भी जीवन के लिए आवश्यक है। फिर जब गड़बड़ी होती है तो छात्रों को दोष देते हैं। उनके इस बुर्ख्यवहार के लिए वे अकेले दोषी नहीं हैं। इसका अधिकांश दोष समाज पर आता है। आज का छात्र मानव जाति का निकृष्ट नमूना नहीं है। मद्ध्यवहार के द्वारा उसे एक गुणवान नवयुवक बनाया जा सकता है। ससार के अन्य छात्रों की तरह वह भी स्वभाव से उदार है। भारतीय होने के नाते

अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक देने उसमें भी विद्यमान है—मले सुषप्त अवस्था में हो। परन्तु हम उसे अस्वाभाविक स्थितियों में रखते हैं और असत्य बोझ उस पर डालते हैं। शिक्षक व छात्र के मध्य आज अनुपात इतना अर्वाज्ञानिक हो चुका है कि शिक्षक अपने छात्रों को पहचानते तक नहीं। इसके कारण छात्रों को मार्ग दर्शन नहीं मिलता और वे ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं, जिसके लिए उनके हृदय में सम्मान हो और जो मार्ग-दर्शक, दार्शनिक व मित्र बन सके।

छात्रों की दयनीय स्थिति

घर की स्थिति और भी शोचनीय है, विशेषकर शहरी मध्यमवर्गी परिवारों के छात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कुछ छात्रों को अपनी महंगी शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए स्वयं भी कमाना पड़ता है, जो इस परेशानी से बचे हैं वे भी समाज में व्याप्त आर्थिक कठिनाइयों के कारण परेशान रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे देखते हैं कि बेरोजगारी का भयकर दानव उनके सामने मुह खोले खड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी यातनाओं से अस्त मस्तिष्क खुराफातो की और झुक जाता है।

विवाह की आयु घटाना आवश्यक

इस स्थिति का एक और पहलू भी है। जैसा कि एक प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक का कथन है कि विवाह की शारीरिक व आर्थिक अवस्थाओं में भारी असमानता बढ़ रही है। यह बहुत हानिकर है। प्रकृति मनुष्यकृत स्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती। प्रकृति अपना बदला स्नायु-दौर्बल्य, कुटिल व्यक्तित्व तथा चरित्र-भ्रष्टता से चुकाती है। सेक्स की भावना कुछ समय तक दबाई जा सकती है, परन्तु वह दूसरे रूप में फूट पड़ती है। समाज को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम बालविवाह में वापस नहीं जा सकते, परन्तु विवाह की आयु घटाना आवश्यक है। कुछ देशों में नवयुवक व नवयुवतियाँ पिछली पीढ़ी की अपेक्षा कम आयु में विवाह करने लगे हैं।

सादगो एव मितव्ययता का अभाव

कॉलेज या विश्वविद्यालयों में रहने के प्रासंगिक व्यय भी छात्रों को बहुत भारी पड़ रहे हैं। वहाँ पर सादा जीवन व मितव्ययता का कोई वातावरण नहीं है। शिक्षक भी इसका उदाहरण नहीं कायम करते। दिखावा अधिक है और फैशन का प्रवेक्ष निषिद्ध स्थानों में भी हो चुका है। पहले

सस्कृत के छात्र नगे पाव धोती पहने और एक गज का कपडा कंधे में डाले चलते थे, परन्तु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब मैंने वाराणसी-सस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को पतलून धारण किये देखा। एक समाचार पढकर मुझे लगा कि यह आज की स्थिति पर एक रोचक टिप्पणी है। कुछ छात्रावासों में राजस्थान सरकार छात्रों को कपडे मुफ्त देती है। पर उन्होंने खादी लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि इससे उनके सहपाठी उन्हें नीची निगाह से देखते हैं।

कुछ ऐसी स्थायी कठिनाइयाँ हैं, जिनसे सभी छात्र पीड़ित हैं और ये कठिनाइयाँ शिकायतों की जन्म देती हैं। चाहे विशिष्ट असन्तोष नहीं, तो भी एक असन्तोष की भावना वहाँ सदा रहती है। जो व्यक्ति निरन्तर इन स्थितियों में रहता है, उसके चरित्र में कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं और वह अस्वाभाविक ढंग से सोचने लगता है, वे कार्य करता है जो उसके तथा राष्ट्र दोनों के लिए हानिकर हैं। वह तरुणाई का आशावाद व उत्साह खो देता है। उसमें सभी के प्रति अविश्वास की भावना भर जाती है। मिथ्या धर्म-निरपेक्षता के कारण पुराने धार्मिक विश्वास टूट चुके हैं, परन्तु नये नहीं पैदा हुए हैं। जो शिक्षा वह प्राप्त करता है, वह यात्रिक है और उसे जीवन की मान्यताएँ नहीं प्रदान करती। उसके जीवन का न कोई लक्ष्य है न उद्देश्य। वह हवा के झोंके के साथ इधर से उधर बहता जाता है।

प्रतीत होता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन छात्र-अशांति पर विचार करने के लिये बुलाया गया था। पुलिस अधिकारी योग्य व सक्षम हैं, पर वे इस समस्या समस्या के समाधान में समर्थ नहीं हैं। यदि सरकार वास्तव में इसका हल चाहती है तो वरिष्ठ शिक्षाशास्त्रियों, मनोविज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों व समाजविज्ञानियों, सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ धर्म में विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्तियों की सस्था बनायी जाये। वह सस्था इस समस्या पर विस्तार से विचार करे, न कि तीन दिन की बैठक के बाद अच्छे-अच्छे प्रस्ताव पास कर समाप्त हो जाये।

श्री ६३/११ मामर गज,
वाराणसी-६, (उत्तर प्रदेश)

आदर्शहीन समाज और छात्र-क्षोभ

डा० मथुरालाल शर्मा

कुछ अर्से से हमारे देश में छात्रों में बड़ा क्षोभ है। विद्यालयों का वातावरण ज्ञान या विद्या का वातावरण नहीं है। वहाँ इसके अतिरिक्त और ही विषयों की चर्चा हुआ करती है। छात्रों और अध्यापकों के पारस्परिक सम्बन्ध में भी अविश्वास, अनादर और कटुता देख पड़ती है। छात्रों के प्रति जनता में जो स्नेह और आदर था, उसका स्थान अब दूसरी भावनाओं ने ले लिया है। बुरे-बुरे अपराधों के समाचारों में भी छात्रों के नामों का उल्लेख आ जाता है। राजनीतिक क्षेत्र तो मानो विद्यार्थियों का विशेष क्षेत्र बन गया है। विद्यार्थी परिश्रम और लगन को विद्या-प्राप्ति के एकमात्र साधन नहीं समझते। वे प्रपञ्च और दुर्व्यवहार का या अनुचित ढंग का भी प्रायः आश्रय लेते हैं। इस समय समाजों के उत्पातों में भी विद्यार्थी अग्रसर रहते हैं।

इन उत्पात-प्रवृत्तियों के कारण छात्रों का ज्ञानस्तर पूर्वपेक्षा बहुत गिर गया है। पहले के बी० ए० में और आजकल के बी० ए० में बड़ा भेद हो गया है। पाठ्य-विषयों की ओर विद्यार्थियों की रुचि नहीं है। उनकी बात-चीत से ऐसा प्रगट होता है मानो वे विद्यार्थी ही नहीं। छात्रों में शिष्टता की दिन प्रति दिन कमी होती जाती है। अशिष्टता और अविनय उनके अलंकार बन गए हैं। ऊँचे से ऊँचे अध्यापक का यथोचित मान नहीं किया जाता। इसी का परिणाम है कि ज्ञान का भी आदर नहीं है। उसके प्रति लगन नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा नहीं है।

छात्रों में अविनय का आरम्भ वर्तमान शताब्दी के आरम्भ से होने लगा था। स्वराज्य की मांग जब उग्र होने लगी, तो छात्रों में भी उग्रता आने लगी। राजनीतिक आंदोलन के समाचारों को पढ़ने से उनमें स्वाधीनता की भावनाएँ जगने लगीं। पश्चिमीय देशों की क्रांतियों के इतिहास के अध्ययन से उनमें क्रांतिकारी विचार उमड़ने लगे। वे अग्रजों को आक्रामक और देश-

शोपक मानने लगे । अग्रजों के विरोधियों का वे अग्निगन्दन और उनका पक्ष करने वालों का वे विरोध करने लगे । स्कूलों के अध्यापक सरकारी नौकर थे । वे विद्यार्थियों की भावनाओं से महानुभूति रखते हुए भी, उनकी उद्दृढताओं का साथ नहीं दे सकते थे । प्राइवेट स्कूलों को सरकार से सहायता मिलती थी, उनके अध्यापक भी लगभग उसी स्थिति में थे, जिसमें सरकारी स्कूलों के अध्यापक थे । जब किसी नगर में कोई राजनीतिक नेता आता और भाषण देता, तो विद्यार्थी भारी सख्या में सभा में उपस्थित होते थे । अध्यापक लोग चाहते तो भी नहीं जा सकते थे । केवल शका होने पर उनके साथ कड़ी कार्यवाही की जाती थी । विद्यार्थी ऐसे अध्यापकों को देशद्रोही मानते थे । उनको पुलिस के दारोगों के समान समझा जाता था । ज्यों ज्यों राजनैतिक आन्दोलन अधिकाधिक उग्र होने लगा, त्यों त्यों छात्रों का जोश बढ़ने लगा । नेता लोग भी छात्रों का उपयोग करने लगे । छात्रों के कारण सभायें और जुलूस अच्छे बन ही जाते थे । कई बार आवेश में आकर छात्रगण नेताओं की गाड़ियों के घोड़े खोल देते थे और स्वयं गाड़िया खींचते थे । असहयोग आन्दोलन में महात्मा गांधी ने छात्रों को आह्वान किया कि स्कूल और कालेज छोड़कर वे आन्दोलन में सम्मिलित हो । हजारों विद्यार्थियों ने पढाई छोड़ दी और आन्दोलन में शामिल होकर वे जेलों में गये । इनमें ऐसे छात्रों की सख्या अधिक थी जो बार बार फेल हुआ करते थे । जिन अध्यापकों और माता-पिताओं ने छात्रों को आन्दोलन में जाने से रोका और अध्ययन में निरत रहने की सलाह दी, उनको नेताओं ने देशद्रोहियों की सजा दी । छात्र भी ऐसा ही मानने लगे । तभी से नवयुवक अध्यापकों और माता-पिताओं के उपदेशों की उपेक्षा करने लगे । कुछ उनका अनादर भी करने लगे । छात्रों का नेतृत्व अध्यापकों और पिताओं के हाथ से निकल कर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो कानून तोड़ते थे, सरकार को लुटेरा कहते थे, विनय और शिष्टता को भीरुता मानते थे, और परम्पराओं की खिल्ली उड़ाया करते थे । कुछ वर्ष बाद कुछ ऐसे विद्यार्थी स्वयं नेता बन गये, जो स्कूल छोड़कर आन्दोलन में शामिल हुए थे । कुछ ऐसे अध्यापक भी नेता हो गए जिनकी शिक्षा कम थी, जो कम वेतन पाते थे और जिनकी प्रतिष्ठा आन्दोलन में जाने से और बढ़ गई थी । इस परिस्थिति में विद्यार्थीगण और भी उद्दृढ और अमर्यादित होने लगे । ऐसे लोगों को नेताओं से प्रोत्साहन मिलने लगा । इतना ही नहीं, १९३०-१९३१ के देशव्यापी राजनैतिक आन्दोलन में प्राथमिक शालाओं के बच्चों की वानर सेनायें बनाई गईं, जो बाजारों में सरकार को गालिया देती हुई निकलती

थीं और जुलूसों की लम्बाई बढ़ाती थी। वानर सेना के नेता प्रौढ या नवयुवक होते थे, जो बच्चों से नारे लगवाते थे।

छात्रों की उच्छृंखलता लगभग ५० वर्ष पुरानी है। स्कूलों और कालेजों में यह परम्परा बन गई है। विद्यार्थी देखते हैं कि अध्ययन छोड़ने वालों और प्राईमरी स्कूलों के मिडिल पास अध्यापकों के हाथ में जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, सत्ता आ गई है और उच्च शिक्षित लोग ऐसे लोगों के अधीन काम कर रहे हैं। इसलिये यह समझा जाने लगा है कि शिक्षा उतनी लाभदायक नहीं है, जितना प्रपंच और उत्पात या उच्छृंखलता।

इस समय भी छात्रों को राजनीति में घसीटा जाता है। प्रत्येक राजनैतिक दल कहता है कि राजनीति में छात्रों को शामिल नहीं होना चाहिए, परन्तु कोई दल ऐसा नहीं है जो छात्रों का अपने यहाँ स्वागत नहीं करता हो। सभी लोग जानते हैं कि एक दल में तो नब्बे प्रतिशत छात्र हैं। विद्यार्थी को शिक्षा भी यही मिलती है कि अपने दल में विनय रक्खो और अन्यत्र उच्छृंखलता करो।

वर्तमान आर्थिक स्थिति से भी छात्रों में बड़ी निराशा है। बी० ए० या एम० ए० परीक्षा पास कर लेने पर भी जीविका के लिए जब नवयुवक को इधर-उधर भटकना पड़ता है, तो उसकी दृष्टि में शिक्षा का मूल्य नष्ट हो जाता है। यदि उसको ८० या १०० रुपये मासिक की नौकरी मिल भी गयी तो उससे क्या होता है। सोलह वर्ष के परिश्रम के पश्चात् तीन रुपये रोज की प्राप्ति !!! यदि उसके घर में तीन प्राणी ही हैं, तो तीन रुपये में क्या हो सकता है? उसको कम से कम डेढ़ रुपये का गेहूँ, बारह आने की दाल या सब्जी, दो आनेका मसाला, छ आने का तेल और छ आने का कोयला नित्य चाहिए, अर्थात् तीन रुपये और तीन आने रोज के बिना स्त्री पुरुष और एक बालक का पेट भी भली-भाँति नहीं भर सकता। फिर कपड़े, मकान, चिकित्सा, जूते, डाक-खर्च और बच्चा पढ़ने योग्य होने पर पुस्तक आदि के खर्च की तो बात ही क्या कही जाय। जो लोग कहते हैं कि भारत में अपूर्व उन्नति हुई है, ससार में उसका मस्तक ऊँचा हो गया है, कल कारखाने खुल गये हैं, वाघ बघ गये हैं, नहरें चल गयी हैं और कर्मचारियों के वेतन या भत्ते बढ़ गये हैं, उनसे पूछा जावे कि यह सब तो ठीक है परन्तु एक २४ वर्षीय नवयुवक और उसकी २० वर्षीय पत्नी तथा ४ वर्षीय बालक से पूछिए कि उन पर क्या वीत रही है। पढ़ते समय उसको क्या आशाएँ और उमंगें होगी और अब उनके गृहस्थ जीवन का आरम्भ किस प्रकार हो रहा है।

छात्रों के सामने आदर्श क्या है ? ऊँचे आसनों पर उन्हें बचक, लोलुप और प्रपची लोग दिखाई देते हैं। उन्हीं का आदर है और उन्हीं का बोलवाला है। देश के सुख और दुख का सूत्र उन्हीं के हाथ में हैं। चारित्र्य नहीं, दुश्चारित्र्य पुज रहा है। अपने स्कूलों में उन्हे हीन और क्षीण तथा अर्ध-शिक्षित या कुशिक्षित अध्यापक सिसकते हुए दृष्टि आते हैं। समाज उनका आदर नहीं करता, राज उनकी चिन्ता नहीं करता। पुलिस का सिपाही या जंगल का पहरेदार उनसे अधिक जानदार और शानदार है। ऐसी स्थिति में अपने अध्यापकों के प्रति विद्यार्थियों में क्या श्रद्धा हो सकती है ?

विद्यार्थी यह भी देखते हैं कि ऊँची से ऊँची सरकारी और सामाजिक समाजों में हुल्लड होते हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और कभी-कभी तो मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो फिर जैसा बड़ों को देखते हैं, वैसा ही वे स्वयं करते हैं। जो लोग देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करते समय परस्पर लडे और गाली-गुप्तार से काम लें, वे ही विद्यार्थियों को विनयशीलता और शिष्टता का उपदेश दें, तो क्या असर हो सकता है। वास्तविकता यह है कि विद्यार्थियों के सामने इस समय विद्यालयों में, समाज में, सरकारी दफ्तरों में, राजनीतिक सभाओं में, बणज व्यापार में, कहीं भी आदर्श नहीं है। उनका भविष्य नैराश्यपूर्ण और अन्धकारमय है। उनका गृहस्थ जीवन, जिसका आरम्भ विद्यार्थी जीवन के साथ ही हो जाता है, दुखी है। वे यह भी जानते हैं कि ज्ञान और चरित्र का वर्तमान युग या शायद हमारा ही देश, यथोचित आदर नहीं करता। हमारे छात्र बड़ी विषम उलझन में उलझे हुए हैं और उनमें अपूर्व क्षोभ है। स्वयं उनको पता नहीं है कि इस क्षोभ के विभिन्न कारण क्या हैं ? विभिन्न स्थानों पर क्षोभ के विभिन्न कारण भी बतलाए गए हैं, परन्तु कोई व्यापक कारण दिखाई नहीं देता। वास्तविक कारण न समाज जानता है न स्वयं छात्र जानते हैं और न ही सरकार जानती है। यह कहा जा सकता है कि यह क्षोभ महगाई से, बचकता से, दुश्चरित्र से और पूज्य अपूज्य के व्यतिक्रम से उत्पन्न हुआ है। प्रौढ और वृद्ध भी असंतुष्ट हैं, परन्तु वे सिसक-सिसक कर निराश और असंतुष्ट हो जाते हैं। नवयुवकों के रक्त में उष्णता है, इसलिए वे चुप नहीं बैठते। उनके असंतोष और नैराश्य का विभिन्न रूपों में प्रगटीकरण होता है।

‘सी’ स्कोम, जयपुर,
(राजस्थान)

विद्यार्थी-असन्तोष : आभिव्यक्ति की समस्या'

डॉ० वाई. बी. दामले

प्रत्येक समाज को अपना पुनर्गठन करना पड़ता है। एक विकासोन्मुख समाज के लिये केवल पुनर्गठन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसमें युवा-पीढ़ियों के कार्य-निष्पादन को सुधारने और श्रेष्ठ बनाने के प्रयास भी होने चाहिये। इस सदर्भ में, किसी एक या अन्य कारणों से, एक ऐसी पीढ़ी जिसे विकास की प्रक्रिया में सहयोग के लिये प्रशिक्षित करना होता है, वही यदि उद्विग्न और व्याकुल हो तो विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि थोड़ी बहुत अशांति प्रकार्यात्मक (Functional) होती है, पर एक निश्चित बिन्दु से परे यह अशांति देश की समृद्धि के लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

देश के समाचार-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा से पता लगता है कि भारत में विद्यार्थियों की अशांति को लेकर दिये गये विश्लेषण और सिद्धान्तों का कोई अभाव नहीं है। इस समस्या की व्याख्या में या तो सग्राही सिद्धान्त रखे गये हैं, या एक-द्वैत भाष्य प्रस्तुत किये गये हैं। एक ओर यह सुझाव दिया जाता है कि विद्यार्थियों की अशांति की समस्या और कुछ न होकर केवल युवक-पीढ़ी की बगावत की समस्या है। विद्यार्थियों में जो नैराश्य है, वह उनकी इस अशांति का प्रमुख कारण है। इसी तरह अध्यापक और विद्यार्थियों के बदलते हुए सम्बन्ध भी अशांति के महत्वपूर्ण कारण समझे जाते हैं। यह कहने का प्रयत्न भी किया जाता है कि राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अशांति उत्पन्न होती है। बदलते हुए सामान्य मूल्यों का उत्तरदायित्व भी विद्यार्थियों की अशांति में है। तब फिर यह प्राक्कथन दिया जाता है कि विद्यार्थियों में

अशांति की जो समस्या है, वह उस सामान्य अशांति का प्रतिबिम्ब है, जो देश के कर्णधारों द्वारा राष्ट्रीय समस्याओं के अनुपयुक्त और वेमतलब ढंग से चलाई जा रही नीति से, उत्पन्न है। विद्यार्थी-अशांति को समझाने के लिये व्याख्या की जो तालिका है, उससे स्पष्ट है कि प्रमुखतया बहिर्जनित कारको पर ही जोर दिया जा रहा है। अन्तर्जनित कारको पर, ऐसा लगता है कि बहुत थोडा ध्यान दिया गया है और विशेष कर उस बात को लेकर कि विद्यार्थी स्वयं अपने वारे मे क्या सोचते हैं ?

इस छोटे से निबन्ध मे इस बात को बताने का प्रयास नही किया जायगा कि विद्यार्थियो की अपनी स्वयं की क्या भावना है ? लेकिन फिर भी, इस बात का प्रयत्न किया गया है कि विद्यार्थियो की अशांति की समस्या किस भाति उनकी अभिज्ञान-विरचना (Identity Formation) से जुडी हुई है। अनिवार्य रूप से यह निबन्ध यह जाँचने के लिये है कि इस समस्या के विश्लेषण मे कौन से विचल कारण कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियो की अपने स्वयं की अनुभूति, अपने स्वयं का प्रतिबिम्ब और उनका समाज के लिये विरोधी-भाव, वह समाज जो उन्हे पर्याप्त रूप मे अभिव्यक्ति का अवसर नही देता या उन्हे उनवस्तुओ को बनाने का मौका नही देता, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके मतलब की हैं तथा जिनसे असम्बद्ध रहने से विद्यार्थियो मे अशांति को बढावा मिलता है, ये ही वे सब बातें है, जिन्हे कोई भी व्यक्ति बडी स्पष्टता से देख सकता है। लेकिन फिर भी, जो और लोगों के लिये सुस्पष्ट नही है, वह अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया ही है, जो इस सम्पूर्ण समस्या की जड है।

अभिज्ञान-विरचना सक्षिप्त सैद्धान्तिक प्रतिपादन

इस निबन्ध मे जो प्रतिपादन प्रस्तुत किया जा रहा है, वह पूर्णरूपेण ईरिक् एच० ईरिक्सन^१ द्वारा दिये गये निरूपण पर आधारित है। ईरिक्सन का यह कहना उचित ही है कि मनो-सामाजिक अभिज्ञान एकदम वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिगत और सामाजिक है। जब कभी एक व्यक्ति कहता है—“यह ययार्थ मे मैं हूँ” तो इसमे अनिवार्यतः मधर्प की एक मात्रा निहित रहती है, जिममे व्यक्ति अपने स्वयं को स्थापित करते हुए यह विश्वास रखता है कि बाहर की वस्तुएँ अपना कार्य इस भाति करेंगी कि उनका उसके स्वयं

१ ईरिक् एच० ईरिक्सन, “आईडेन्टीटी, साइकोलोजिकल” प्रकारानार्थ, इन्टरनेशनल एनसाइक्लोपिडिया ऑफ द सोशल साइन्सेज ।

के साथ पूरी तरह तालमेल बैठ जायेगा, लेकिन अधिकाशतया यह विश्वास पूरा नहीं होता। व्यक्ति के अपने स्वयं के प्रतिबिम्ब को समाज प्रोत्साहित करता है और एक प्रथक अभिज्ञान के रूप में उसका आदर करता है। मनो-सामाजिक अभिज्ञान के विकास की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्तियों का समुदाय होता है, जिनके मूल्य विकसित होने वाले व्यक्ति और उसकी वृद्धि में अर्थपूर्ण हो सकते हैं। ईरिक्सन इस बात पर जोर देते हैं कि अभिज्ञान का मतलब केवल कार्य करने से ही नहीं है, लेकिन इसमें व्यक्ति अपने कार्यों का सोपानिक एकीकरण भी करता है। “मनो-सामाजिक अभिज्ञान इस भाँति व्यक्ति के आन्तरिक स्व और उसके समूह के कार्यों के एकीकरण के सश्लेषण पर निर्भर है।” जहाँ तक इन दोनों में दूरी रहती है, अभिज्ञान की विरचना का किशोरावस्था से पहले होना सम्भव नहीं है। जब शरीर बढ़ता है, शारीरिक और बौद्धिक शक्तियाँ परिपक्व होती हैं तथा मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, जब वह “एक ऐतिहासिक सदर्म” में सोचता है, नई आस्थाओं की खोज करता है, तब समानता और सजगता की भावनाओं को विकसित किया जा सकता है। अभिज्ञान-विरचना का मतलब होता है—स्व की नई परिभाषा देना और अपरिवर्तनीय कार्यों का वरण किया जाना। व्यक्ति की अभिज्ञान-विरचना वारीकी के साथ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। यह जोड़ सैद्धान्तिक और प्रावैधिक सदर्म में होता है। जब विध्यात्मक अभिज्ञान (Positive Identity) को स्वीकार कर लिया जाता है, तो समाज का पुनर्गठन होता है। यदि यह स्वीकारोक्ति बहुसंख्यक व्यक्तियों को नहीं मिल पाती, तो इससे एक ऐतिहासिक-संकट उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिये, सभी ओर पाई जाने वाली विद्यार्थी-अशांति को लीजिये, जो विध्यात्मक अभिज्ञान की स्वीकारोक्ति के अभाव स्वरूप है और जो विशाल समाज के लिये एक गभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। “मनोवैज्ञानिक अभिज्ञान एक सैद्धान्तिक एकता को प्राप्त करने का प्रयास करता है।” व्यक्ति में शक्तिशाली अभावात्मक अभिज्ञान तत्त्वों के साथ भी बराबर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष इस सीमा तक बढ़ जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया भी परास्त हो जाती है। एक ऐसी स्थिति में जहाँ पुराने मानक और मूल्यों को तिरस्कृत किया गया है और नये मूल्य अभी स्थापित नहीं हुए हैं, यह होना स्वाभाविक है कि विध्यात्मक अभिज्ञान विरोधात्मक अभिज्ञान के दलदल से फँस जाय और जिसका परिणाम विध्वन्सात्मक व्यवहार हो। ऐसी स्थिति में ईरिक्सन परायेपन की एक घातक

घृणा के उत्पन्न होने की सम्भावना की ओर सकेन करते हैं। इस प्रकार की घृणा विध्यात्मक अभिज्ञान को पूर्णरूपेण ढक भी सकती है। इससे ओर आगे, अभिघातक घटनाओं —जैसे युद्ध, अशांति आदि के परिणाम स्वरूप अभिज्ञान को लेकर भ्रान्ति हो सकती है और इसका परिणाम उन्माद जैसी व्याकुलता में देखा जा सकता है। प्रत्येक विकासमान व्यक्ति अपने “आदर्श आदि-रूप के साथ अभिज्ञान करना सीखता है और बुरे आदि-रूप दूर से रहने की आदत विकसित करता है।” फिर ऐसी स्थिति में, जबकि आदर्श और आदि-रूप को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषाएँ न हों, तो बटते हुए सदस्यों के लिये अपने अभिज्ञान को विकसित करना बड़ा कठिन हो जाता है। अभिज्ञान विकास की प्रक्रिया में अस्पष्ट रूप से यह पाया जाता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के समूह के साथ अत्यधिक रूप से अभिज्ञान कर लेता है, जो कि “विश्व के अन्य समान आभासित होने वाले वर्गों से प्राप्त मानस-छाया-चित्रों के घातक पूर्वाग्रहों” के प्रभाव से और भी अधिक बढ़ जाता है। यह सब कुछ एक व्यक्ति द्वारा अपने समूह के साथ अत्यधिक अभिज्ञान कर लेने और किन्हीं के प्रति एक प्रकार की विशिष्ट आस्था तथा दूसरों के साथ एक उन्माद भरा घृणित भाव उत्पन्न कर लेने के कारण होता है। एक ऐसी स्थिति, जिसमें औद्योगिकी-विकास से परिवर्तन आ रहे हों, राजनीतिक घरातल परिवर्तनशील हो, अभिज्ञान-विरचना की समस्या के और भी अधिक जटिल होने की सम्भावना है। ईरिक्सन का कहना है कि इस स्थिति के परिणाम स्वरूप अविवेकपूर्ण घृणा और भ्रांति परिकल्पनाएँ एक विशाल हिंसा में परिवर्तित हो सकती हैं।

अभिज्ञान-विरचना का निश्चित तात्पर्य होता है—अभिज्ञान सकट। यद्यपि ईरिक्सन का कहना है कि यहाँ ‘सकट’ से तात्पर्य “किसी घातक दौर से न होकर एक अनिवार्य कठिन क्षण के ऐसे मोड़-बिन्दु से है, जो भले या बुरे दोनों के हेतु हो सकता है (जैसा कि नाट्य या चिकित्सा में होता है)। यहाँ भले से तात्पर्य व्यक्ति की निर्माणात्मक शक्तियों और समाज की शक्तियों के सगम से है, जिसे शारीरिक आकर्षण, मानसिक जागरूकता और सवेगात्मक तत्परता तथा सामाजिक वास्तविकता में देखा जा सकता है। बुरे का तात्पर्य है—व्यक्ति और समाज में एक लम्बी अवधि तक अभिज्ञान भ्रांति बनी रहे और जिसमें व्यक्ति की समर्पित शक्तियाँ बरबाद हो जायें।

अभिज्ञान-विरचना में सैद्धान्तिक एकता और परिवर्तन निहित है। जिस सीमा तक इस समरूपता का प्रभाव होता है, अभिज्ञान-विरचना अधूरी

अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया उन क्षणों में शीघ्र प्रथित जटिल हो जाती है, जबकि सापेक्षिक रूप में अभिज्ञान की प्रक्रिया में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है और जिसमें नय शीघ्र चिन्ता को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये, यदि विद्यार्थी किसी एक या दूसरे कारण में अपने मन्त्रिष्य को लेकर नय शीघ्र चिन्ता में ग्रस्त है और दूसरा कारण उनकी जाति या धर्म प्रादि हैं, तो इसमें अभिज्ञान का विकास होना एकदम असम्भव हो जायेगा। ईरिक्मन ने इस बात का मकेन दिया है कि अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती, जब तक कि एक व्यक्ति अपने व्यवसायिक जीवन और जीवन-साथी का चुनाव नहीं कर लेता। जिस सीमा तक विद्यार्थी इन दोनों चुनावों को कतिपय कारणों से पूरा नहीं कर लेता, उसका अभिज्ञान विवगम श्रवण हो जायेगा और वह अभिज्ञान की अनित्य और संकटपूर्ण अवस्था में चलता रहेगा।

ऊपर हमने जिसे सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन किया है, उसका भारत में विद्यार्थियों की अज्ञाति की समस्या के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। यदि हम अन्तिम मान्यता से अपनी बात प्रारम्भ करें, तो यह कहना पर्याप्त होगा कि व्यवसायिक जीवन के चुनाव में, जो सभी विद्यार्थियों के लिये अर्थपूर्ण और सतोपजनक हो, कई गंभीर बाधाएँ और कठिनाइयाँ हैं। जहाँ तक जीवन-साथी के चुनाव का प्रश्न है, एक ऐसी सामाजिक मरचना, जिसमें जाति और भाषा-सम्बन्धी समूह इत्यादि हो, यह बताने में लिये अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि जीवन-साथी के चुनाव में एक व्यक्ति के स्वयं के निर्णय के लिये कुछ अधिक नहीं छोड़ा गया है। यद्यपि यहाँ पर यह कहना आवश्यक होगा कि अभिज्ञान-विरचना की पूर्वावश्यकता के रूप में पहिले तत्त्व की अपेक्षा जीवन-साथी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है^१। प्रस्तुत लेखक ने अपने द्वारा दिये गये एक अध्ययन में पाया कि व्यवसायिक जीवन और प्रशिक्षण-क्षेत्र के चुनाव में ऐच्छिकता का अभाव अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। यदि विशिष्ट रूप से मेधावी छात्रों के सम्बन्ध में हमारे ये निष्कर्ष हैं, तो सामान्य विद्यार्थियों पर जो अपनी पसन्द का व्यवसाय नहीं ले सकते, ये और भी अधिक लागू होते हैं। विद्यार्थियों में ऐसा होने के कारण हो सकते हैं—(क) क्षमता

१ देखिये—वाई०बी०दामले, कॉलेज यूथ इन पूना . ए स्टडी ऑफ इलिट इन द मेकिंग, पूना डेकन कॉलेज, १९६६.

का अभाव, (ख) सुविधाओं का अभाव और (ग) सस्थागत रूढ़िवादिता, इत्यादि ।

व्यक्ति में “वास्तविक मैं” की जो भावना है, उसे भी एक मात्रा में बाहरी वातावरण से विश्वास की आवश्यकता होती है । यदि किसी कारण से इस विश्वास का अभाव हो जाता है, तो विद्यार्थी “यह यथार्थ में मैं हूँ” की भावना को विकसित नहीं कर पाते । यह स्थिति तब और अधिक खराब हो जाती है, जब परम्परागत मूल्यों और बढ़ते हुए व्यक्ति में आदान-प्रदान की कमी होती है । यह इस बात पर भी निर्भर है कि युवा व्यक्तियों के विकास में समाज कितनी दिलचस्पी लेता है, यहाँ युवा व्यक्तियों से तात्पर्य युवक विद्यार्थियों से है । यदि समाज की भी विद्यार्थियों के प्रति तिरस्कार की अभिवृत्ति होती है, तो इससे उनके मनोवैज्ञानिक अभिज्ञान का विकास खतरे में पड़ जाता है । विद्यार्थी के जीवन में अनेक बहुद्देशीय कार्यों के होने तथा उनमें सामन्जस्य स्थापित न हो सकने के कारण से भी अभिज्ञान-विरचना की प्रक्रिया स्थगित हो सकती है । इसी तरह हमारे विद्यार्थियों में किसी न किसी ऐतिहासिक और सस्थागत कारणों से जो परनिर्भरता का प्रतिमान निर्मित हो गया है, वह भी अभिज्ञान के विकास को अवरुद्ध करता है । पर्याप्त मात्रा में स्व की परिभाषा और कार्यों के करने की अपरिवर्तनीय स्वतंत्रता (ये बातें आज के अधिकांश विद्यार्थियों के सन्दर्भ में सटीक भी हैं), के अभाव में अभिज्ञान-विरचना पूर्ण नहीं हो सकती ।

सापेक्षित रूप से अभावात्मक अभिज्ञान तत्त्व भी इस प्रक्रिया को पीछे ढकेलते हैं । यह एक तथ्य की बात है कि जब विद्यार्थियों को उनके कार्यों के मॉडल का उल्लेख करने को कहा जाता है, तब वे अधिकतर इस बात के साथ अपने कथन को समाप्त करते हैं कि वे परम्परागत मॉडल को निरर्थक समझते हैं और विद्यमान कार्य के मॉडल विभिन्न कारणों से उनके लिये अनुकरण करने योग्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, जो सस्थागत व्यवस्थाएँ और सैद्धान्तिक तत्त्व आज पाये जाते हैं, वे उनकी आलोचना भी करते हैं । वर्तमान में जो प्रतिमान और व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं, विद्यार्थियों में उनके बहिष्कार को लेकर विध्वन्सात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है; उदाहरण स्वरूप इसे परीक्षा-व्यवस्था के बहिष्कार में देखा जा सकता है । विभिन्न प्रकार की पीडाजनक घटनाओं—जैसे कि देश का विभाजन, भाषा-राज्यों का निर्माण और उससे उत्पन्न उपद्रव, राज्य और राज्य में प्रतिद्वन्द्वता, पंचवर्षीय योजनाओं

की असफलता और शिक्षा तथा नियोजन की नीति में सामञ्जस्य के अभाव में, जैसा कि ईरिक्सन का कहना है "अभिज्ञान भ्राति" को बराबर बनाये रखा है। सस्यागत भेद-भाव, भाषाई और क्षेत्रीय समूहक, जाति और समुदाय तथा वर्ग आदि ने विशिष्ट हितों को प्राथमिकता की स्थिति में रखा है। इसे ईरिक्सन "अतिपरिभाषित अभिज्ञान" के परिणाम स्वरूप मानते हैं। इस सदर्भ में, विद्यार्थियों द्वारा इस्पात के कारखाने को लेकर आंध्र प्रदेश में किये गये दंगे उल्लेखनीय हैं। हिन्दी-विरोधी दंगे भी इसी सन्दर्भ में समझाये जा सकते हैं। प्राद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण, जो भेद देश के विभिन्न क्षेत्रों और ग्रामीण तथा शहरी पर्यावरण में देखने को मिलते हैं, वे भी समस्या को गम्भीर बनाने में बढावा देते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को लेकर जो आज दबाव है, वह भी इस समस्या का एक कारण है।

ईरिक्सन ने यह कहा है कि युवा-जीवन के मोड-विन्दु पर, भले अथवा बुरे के लिये, अभिज्ञान का सकट प्रस्तुत होता है और इससे कोई छुटकारा भी नहीं है। वे कहते हैं, "यहाँ भले से मतलब व्यक्ति और समाज की रचनात्मक शक्तियों के सगम से है, जिसे शारीरिक आकर्षण, मानसिक जागरूकता, सवेगात्मक प्रत्यक्षता और सामाजिक यथार्थता में देखा जा सकता है। बुरे से तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें युवा व्यक्ति और समाज दोनों में लम्बी अवधि तक अभिज्ञान की भ्राति चलती रहती है और जिसमें युवक की समर्पित शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं।" यह सुस्पष्ट है कि अभी तक विद्यार्थी और समाज की रचनात्मक शक्तियों में सगम नहीं हुआ है। शारीरिक विकास, मानसिक जागरूकता, सवेगात्मक प्रत्यक्षता और सामाजिक यथार्थता की दृष्टि से ही देखें, तो लगेगा कि अभी विद्यार्थी की वृद्धि और विकास में बहुत कुछ होना शेष है। बहुत साफ है कि विद्यार्थियों की बढी सख्या में अभिज्ञान के सकट को टालने के अवसर बहुत थोड़े होते हैं। इससे 'भले' के अवसर कम हो जाते हैं। 'बुरा' इसीसे स्पष्ट है कि अभिज्ञान का सकट विद्यार्थियों में लम्बी अवधि से चल रहा है और इससे समाज और विद्यार्थी स्वयं को हानि है।

ईरिक्सन कहते हैं "देर-सवेर, युवा व्यक्ति और कार्यरत समाज को आस्था और क्षमता के मिश्रण के लिये अपनी शक्तियों को मिलाना चाहिये, जिसे हम श्रेष्ठ उक्ति में "निष्ठा" कह सकते हैं।" आज एक ओर तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि व्यक्ति की आस्थायें स्वयं के अस्तित्व की समाप्ति की सीमा तक सकुचित होती जा रही हैं, तथा दूसरी ओर क्षमता-सवर्धन के लक्षण भी

शायद ही कहीं दिखाई देते हो। यहाँ यह कहते की आवश्यकता नहीं है कि आस्था और क्षमता का एक दूसरे से मिलन नहीं हो सका है। विद्यार्थियों को लेकर यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अतिरिक्त, जहाँ कुछ विद्यार्थियों में नये अभिज्ञान होते भी हैं, तो उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता समाज नहीं समझता। समाज विद्यार्थियों में जो निश्चित प्रथकता पाई जाती है, उसकी जानकारी रखने में असमर्थ रहता है। इसलिये आस्था का विकसित होना अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्षमता के सम्बन्ध में यह कहना होगा कि विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण और व्यवसायिक अवसर प्रदान किये जाते हैं, उनमें अभी बहुत कुछ अभाव है। इस स्थिति को, संस्थाओं की रूढ़िवादिता तथा नीति-निर्माताओं का यथार्थता को स्वीकार नहीं करना और अविवेक तथा अनुपयुक्त ढंग से समस्याओं को हल करना, और अधिक सकटमय बना देते हैं। विद्यार्थियों पर यह आरोप लगाना असंगत है कि उनमें राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सहभागी होने की जिज्ञासा नहीं है। इसके साथ ही यह भी सही है कि सामान्यतया विद्यार्थी ऐसे कार्यक्रमों में भाग भी नहीं ले सके हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि वे समाज से प्रथक हो गये हैं। हमारे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा शिक्षा और समाज के सम्बन्धों में यथार्थता का जो अभाव है, वह भी ऐसी स्थिति के लिये मुख्यतया उत्तरदायी है।

अभावात्मक अभिज्ञान और समस्तता

अभावात्मक अभिज्ञान विध्यात्मक अभिज्ञान का एक अशासित हिस्सा है, जो किसी भी समय प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे सकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ईरिक्सन कहते हैं "व्यक्ति पर उसके वरिष्ठ व्यक्तियों और शोषण-कर्त्ताओं द्वारा थोपे गये प्रतिबिम्ब होते हैं, उन्हें वह अपने स्वयं का बना लेता है। इस सदर्म में अध्यापकों और शैक्षणिक प्रशासकों तथा इसी तरह राजनीतिज्ञों द्वारा किये गये कार्यों को याद किया जाना चाहिये। विद्यार्थी-प्रतीति को लेकर राजनीतिज्ञों और विद्यार्थी-राजनीतिज्ञों के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सहज रूप में हम इस घात को भूल जाते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिमा, अध्यापकों और पुरानी पीढ़ी तथा वे लोग जो नियोजन को देखरेख रखते हैं, के मस्तिष्क में कैसी है। इसलिये विद्यार्थी जब एक-दूसरे से सम्पूर्ण सिद्धान्तों और नियम उपनियमों को तिनाजलि दे देते हैं, तो इनके सारे कारण सरलता से हमारी समझ में आ जाते हैं। सभी प्रकार की प्रतामाजिक गतिविधियाँ एव उत्पात, जिनका प्रकाशन देण के विभिन्न समाचार-

पत्रों में होता है, विद्यार्थियों के शामिल होने पर निर्भर हैं। चाहे यह उत्पात क्रिकेट के मैच को लेकर हो या क्षेत्रीय सीमा को लेकर, विद्यार्थियों से सहयोग की अपेक्षा सरलता से की जाती है। विद्यार्थी जब अपने भविष्य के जीवन और आशाओं को देखते हैं तो स्थिति अनुभवित भय और चिन्ता से अधिक भड़क उठती है। भारतीय सदस्य में, जाति और वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भाग भूदा करते हैं। सम्पूर्ण कट्टर मतों और सिद्धान्तों को स्वीकारने के परिणाम स्वरूप अव्यक्तिकता की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और इससे विद्यार्थियों में अभिज्ञान का सकट और भी बढ़ जाता है।

परिस्थितियों के उस संयोजन को जो अभिज्ञान के विकास को रोकता है तथा अमावात्मक अभिज्ञान को बढ़ावा देता है, भारत में विद्यार्थियों की अशांति का मुख्य कारण समझा जाना चाहिये।

समाज शास्त्र विभाग,
पूना विश्वविद्यालय, पूना,
(महाराष्ट्र)

भारत में विद्यार्थी आशांति : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ० एस. पी. रहेला

इन दिनों देश में विद्यार्थी-आन्दोलन सबसे अधिक ज्वलत विषय बना हुआ है। हाल ही में देश के विभिन्न भागों के कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा दुर्व्यवहार एवं हिंसा की घटनाओं ने समस्त नागरिकों के मन को भ्रमणित किया है। भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस विषय पर विभिन्न वाक्पीठों एवं बैठकों, उपकुलपतियों, मुख्यमंत्रियों, पुलिस अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, विद्यार्थियों इत्यादि के अधिवेशनों में विचार-विमर्श जारी है। इस समस्या के कई कारण प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से कुछ बहुत ही सामान्य एवं दूरस्थ हैं, कुछ काल्पनिक एवं भ्रमात्मक हैं तथा कुछ बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ हैं। केवल कुछ कारण ही यथार्थ हैं। कोई भी व्यक्ति यह जानकर उलझन में पड़ सकता है, कि कुछ उपकुलपतियों एवं राजनीतिज्ञों तक ने किस प्रकार एकांगी, छुटे हुये, खडित, असंगत एवं पूर्वाग्रहपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं, और इस प्रकार वे समस्या के मर्म को समझने में असमर्थ रहे हैं। वस्तुतः इसके परिणामस्वरूप हमारी साम्रान्ति में वृद्धि ही हुई है।

समयतः इसी प्रसंग में कुछ समय पूर्व हमारे शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर वी.के.भार.वी. राव ने समस्या के समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने की आवश्यकता पर भरपूर बल दिया था। यही नहीं, उन्होंने इससे भी एक कदम और आगे जाकर यह सुझाव दिया कि भारत सरकार को इस समस्या के अध्ययन के लिये बनायी गई समिति का अध्यक्ष किसी सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री को नियुक्त करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने विद्यार्थी-आन्दोलन के अध्ययन के लिये हाल ही में गठित समिति में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एम०एन० श्रीनिवास को सम्मिलित किया है। देश में इस समस्या के उचित अध्ययन की दिशा में यह बहुत ही महत्व-

पूर्ण एव स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं को समाजशास्त्रीय आधार पर सुलझाने के प्रति हमारी बढ़ती हुई अनुभूति का प्रतीक है ।

तब समाजशास्त्रीय उपागम क्या है ? समाजशास्त्र परमाणुवादी नहीं है, यह मानवीय समस्याओं का अध्ययन विशिष्टवादी ढंग से नहीं करता है । समाजशास्त्रीय उपागम का अर्थ यह है, कि किसी भी सामाजिक समस्या का उद्गमन विविध कारणात्मक कारकों से होता है, अतः हमें एक कारक वाले उपागम को अस्वीकार कर देना चाहिये, क्योंकि यह समस्या के अध्ययन के लिये अपर्याप्त है । अतः यह एक पूर्णवादी उपागम ही हो सकता है, जो निष्पक्ष, स्वतंत्र एव वास्तविक अध्ययन अथवा पर्यवेक्षण द्वारा एकत्रित किये गये विश्वसनीय आकड़ों पर आधारित हो ।

भारत में विद्यार्थी-आन्दोलन ने प्रो० हुमायूँ कबिर, चंचल सरकार, चन्द्रशेखर, ललिता वैकटरमन, ऊपा विस्वास, एस० मुखर्जी, पुण्य श्लोका राय, विश्वनाथ बनर्जी, उमा साहनी, राहुलसिंह, पी० एस० सुन्दरम, वी० वी० जॉन, आर०आर० सक्सेना, ए०डी० मोगले जैसे विद्वानों एवं बडौदा के श्री ए०पी० देसाई, भारत में फुल ब्राइट छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता एवं ब्रूकलिन कॉलेज के प्रोफेसर मार्गरेट कारमेक, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज बम्बई के प्रोफेसर एम० एस० गोरे, एच० एम० अण्णाना एवं सुमा चिटनिस, देहली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में रिसर्च-फ़ैलो कुमारी चित्रा नायक, राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में रीडर डॉ० योगेन्द्र सिंह जैसे समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है ।

इनमें से प्रोफेसर मार्गरेट कारमेक एवं कुमारी चित्रा नायक ने समस्या से संबंधित कुछ आनुभविक अध्ययन किये हैं । प्रोफेसर कारमेक ने १९५९-६१ के दौरान भारत के १२ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के विचारों एवं अभिवृत्तियों के बारे में आकड़े एकत्रित किये एवं अपनी पुस्तक 'शी हू राइ-इस ए पीकॉक' में इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर अपने आकड़े प्रस्तुत किये । कुमारी चित्रा नायक ने १९६५ के दौरान मैसूर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल का 'जर्नल ऑफ यूनीवर्सिटी एजुकेशन (मार्च-१९६६) में प्रकाशित अपने लेख में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है । उस्मानिया विश्वविद्यालय के गैर समाजशास्त्र अध्यापक ए० डी० नोगले द्वारा १९६५ में उस्मानिया विश्वविद्यालय में हुई विद्यार्थी हड़ताल

का अध्ययन समाजशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। गहन विश्लेषण वाले इन दोनों अध्ययनों के निष्कर्ष काफी महत्वपूर्ण हैं। कुमारी नायक के मतानुसार विद्यार्थियों में हड़ताल अधिकांशतः गैर शैक्षणिक मामलों को लेकर होती है। श्री ए०डी० भोगले का मान्यता है कि विद्यार्थी-हड़तालों का उद्गमन, समर्थन, एवं निर्वाह अर्ध-राजनीतिक स्रोतों से होता है और ये समाप्त भी तभी होती हैं, जब कि उनकी प्रेरणा-स्रोत की शक्ति समाप्त हो जाती है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इनसे पूर्व विभिन्न समितियों द्वारा विद्यार्थी-आन्दोलन की समस्या का अध्ययन कराया है। १९५८-६४ के दौरान हुई १२३९ विद्यार्थी-हड़तालों के केन्द्रीय गृह-मंत्रालय द्वारा एकत्रित किये गये आँकड़ों का गहन अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि आधी से अधिक (१२३७ हड़तालों में से ७४६ हड़तालों) विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं अध्यापकों के विरुद्ध हुई, जब कि शेष विभिन्न कारणों से हुई, जिनमें प्रमुख राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप (२१२), पुलिस कार्यवाही (५२), सहानुभूति में हड़ताल (९५), फीस में कमी की माँग के कारण (८३), अनुशासन संबंधी कार्यवाही रद्द करने से संबंधित माँग (८०), अध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदच्युत किये जाने के विरुद्ध (६१), कडे स्तर के विरोध में (४४), प्रबंध-समितियों के विरुद्ध आन्दोलन (२८), विद्यार्थी-संघ से संबंधित मामले (२४), परीक्षा स्थगन की माँग को लेकर इत्यादि (१५) हैं।

इन प्रतिवेदनों के अतिरिक्त कुछ संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने भी विद्यार्थी-जगत के कुछ पक्षों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने विद्यार्थी-आन्दोलन की समस्या पर प्रत्यक्ष अथवा आंशिक रूप से ही ध्यान दिया है। अतः स्पष्ट है, कि जिस समस्या ने हमें काफी लम्बी अवधि से उद्विग्न कर रखा है, उस पर बहुत कम शोध-कार्य हुआ है।

विद्यार्थी-आन्दोलन की समस्या को सही रूप में समझने के लिये यह आवश्यक है कि भारत में इसके इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन किया जाय। १९०५ में बंगाल के विभाजन के विरोध में ढाका व कलकत्ता के विद्यार्थियों द्वारा किया गया आन्दोलन वास्तव में भारत में विद्यार्थियों के राजनीति में प्रवेश एवं विद्यार्थी-आन्दोलन का प्रारम्भ था। तब से निरंतर १९१९ में आये १९४२ और स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक विद्यार्थियों ने राजनीतिक आन्दोलन

मे भाग लिया । १९४७ के उपरान्त विद्यार्थी बहुत हठी हो गये और उन्होंने बहुत से उचित और साथ ही साथ बहुत से सकीर्ण स्थानीय एव छोटे-छोटे मामलो को लेकर आन्दोलन किये हैं । यह बतलाया गया है कि १९५६-६५ के दौरान हुई १२३७ हड़तालो में से १९६३ एव १९६४ में क्रमशः ११६ एव २६१ हड़तालें हुईं । १९६६ एव ६७ मे भी हड़तालों की सख्या काफी बढ़ी है ।

देश में विद्यार्थी-आन्दोलनों के साठ वर्ष के इतिहास में तीन प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं । प्रथम ४२ वर्षों मे अर्थात् १९४७ तक उनके आन्दोलन राष्ट्रवादियों के दिलों मे देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाने के लिये व्याप्त अशांति एव आन्दोलनों के एक भाग थे । आगामी दस अथवा बारह वर्षों में विद्यार्थी-आन्दोलन प्रमुखतः राजनीतिक कारणों से नहीं, बरन् शिक्षण-मस्याओं मे सामान्यतः व्याप्त अस्त-व्यस्त दशाओं के कारण हुये । इस दौरान यद्यपि वे कई अशोभनीय कार्य करते रहे, परन्तु हिंसा का सहारा बहुत कम लिया । तृतीय प्रवृत्ति, जिसका प्रारम्भ सम्भवतः जबलपुर में १९५६-६१ के दौरान एव अन्य स्थानों पर अशोभनीय घटनाओं से होता है । ऐसे मामलों को लेकर, जिनके कारण शैक्षणिक एव गैर-शैक्षणिक हैं, हिंसक व गुण्डागर्दी की घटनाओं में वृद्धि हुई है ।

देश मे विद्यार्थी-आन्दोलनों के लिये उत्तरदायी कारण बहुत ही जटिल रूप मे परस्पर ग्रथित हैं, एव उनका सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक षर्तों मे स्पष्ट वर्गीकरण करना समभव नहीं है । श्री बैंकटेश्वर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० वी सी. वामन राव ने ठीक ही कहा है कि विद्यार्थी उपद्रवों का अध्ययन देश के अन्दर होने वाली घटनाओं एव सामाजिक और आर्थिक दशाओं की वृहत् पृष्ठभूमि मे करना चाहिये ।

भारतीय समाज मे बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं और हो रहे हैं । हमारे समाज पर पश्चिमीकरण एव औद्योगीकरण का गहरा प्रभाव पडा है । देश में एक ऐसे मध्यम-वर्ग का असाधारण विकास हुआ है, जिसमे सीमित साधनों के कारण सभी वस्तुओं की सतृप्त न होने वाली आवश्यकताएँ एव तनाव विद्यमान है । समाज को बहुत सी पुरानी सस्यायें प्रभावहीन हो रही हैं । संयुक्त-परिवार का परम्परागत नियन्त्रण समाप्त हो रहा है । प्राथमिक समूहों के सम्बन्धों की अवनति से समस्याओं का उदय हो रहा है । द्वितीयक

समूहों के तीव्र विकास ने व्यक्तियों में अधिकाधिक औपचारिक, असहानुभूतिपूर्ण एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। किसी परिवार विशेष में जन्म लेने की महत्ता अब प्रभावशाली नहीं है। किसी व्यक्ति की स्थिति (प्रतिष्ठा) के निर्धारण में जन्म की अपेक्षा उपलब्ध अधिक निर्णायक हो रही है। आज सामाजिक सोपान अपरिवर्तनशील अथवा अनुलघनीय है। कोई भी व्यक्ति जीवन के लक्ष्यों के निर्धारण में तारतम्य नहीं बैठा पा रहा है। प्रजातन्त्र ने कई क्रांतिकारी आदर्शों एवं समस्याओं को जन्म दिया है, तदपि स्वतन्त्रता एवं समानता के उत्कृष्ट आदर्शों को वास्तविक जीवन में प्राप्त करना कठिन हो रहा है। वस्तुतः प्रजातन्त्रीय व्यक्तित्वों को विकसित नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि वे परम्परागत निहित स्वार्थ वाले अधिकारियों के लिये एक खतरा उत्पन्न कर देते हैं और स्वयं भी ऐसे अधिकारियों से खतरा अनुभव करते हैं और हतोत्साहित अनुभव करते हैं। वास्तव में अधिकारियों ने समझदारी एवं सहानुभूतिपूर्ण रुख को नहीं अपनाया है। यद्यपि सिद्धान्त मानवीय सम्बन्धों, सहानुभूति एवं स्वतन्त्रता के बारे में सर्वत्र बढ़ा-चढ़ा कर बातें की जाती हैं, परन्तु वास्तविक जीवन में व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में नौकरशाही के निकृष्टतम दमन से अपने को घुटता हुआ अनुभव कर रहा है।

यद्यपि गतिशीलता ने प्रगति के सूचक शब्द का रूप तो ले लिया है, परन्तु दिन प्रतिदिन के जीवन में यह कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही है। ऊर्ध्वकार गतिशीलता प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श है, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों, जातिवाद, भाई-भतीजावाद, एवं भ्रष्टाचार के कारण इनकी प्राप्ति में कठिनाइयाँ निरन्तर बढ़ रही हैं। समाज के अन्दर समानता का भाव बनाने के लिये क्षैतिज गतिशीलता पर एक सामाजिक आदर्श के रूप में बल दिया जा रहा है। साथ ही जैसा प्रो० कॉरमेक ने कहा है कि ऊर्ध्वकार गतिशीलता की निष्ठा के रूप में क्रियात्मक अभिवृत्तियों का क्षैतिज गतिशीलता के 'उत्तरदायित्व' एवं 'आस्था' के रूप में क्रियात्मक अभिवृत्तियों का सुगमता पूर्वक हस्तान्तरण नहीं होता है। राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व जन-व्यवहार के उच्च आदर्श एवं स्तर देने में असमर्थ रहा है। हमारे बदलते हुये समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन के परिवर्तित क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कई रूपों में हमारे सोचने का तरीका और व्यवहार भौतिक प्रगति से बहुत पीछे रह गया है। हम सामाजिक परिवर्तन की माँग के अनुरूप अपने को समायोजित करने में असफल रहे हैं। हमारे माता-पिता, नेता, एवं

विशेषतः अध्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशील प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व निवाहने के स्थान पर स्थैतिक स्थितिओं का पालन करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। नौकरशाही ने प्रशासन में, उद्योग में, राजनीति में, शिक्षा में एवं सर्वत्र ठोस नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। यह आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में, जिसे हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत बाधाओं को जन्म दे रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ अधिकांश व्यक्ति एवं विशेषतः विद्यार्थी भूतकाल के कुछ महान् आदर्शों एवं आधुनिकता से बहुत प्रेरित होते हैं। लेकिन हुआ यह है, जैसी कि मुप्रसिद्ध गांधीवादी मानवशास्त्री प्रो० एन के बोम ने टिप्पणी की है, कि सामाजिक परिवर्तन स्वयं भ्रगीकार करने के स्थान पर हमारे अन्दर यह प्रवृत्ति घर कर गई है कि कोई भी परिवर्तन लाना सरकार का कार्य है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन भी प्रशासन का विषय हो गया है। धर्म एवं नैतिकता का अवमूल्यन हो गया है, एवं धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों को अधिकांश व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं किया है।

परम्परागत व्यवसायो एवं अन्य आर्थिक सस्थाओं के पतन, दबते हुये मूल्यो, रोजगार के अवसरों की अपर्याप्तता, देश में मानव-शक्ति की आवश्यकताओं के अपर्याप्त अनुमान, फैशन, विलासिता एवं अन्य कई अनुपयोगी वस्तुओं पर रुपया व्यय करने की आदत, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी, पड़ोसी राष्ट्रों की हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति, कई मामलों में अकुशल प्रवृत्तियों के कारण लोगों की आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। अस्तित्ववाद, अवसरवादिता एवं व्यक्तिवादिता हमारे जीवन-दर्शन के वास्तविक सिद्धान्त बन गये हैं। राजनीतिक पदलोलुपता में तीव्र विकास हुआ है। पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गैर जिम्मेदारी, सकीर्णता एवं स्वार्थपरता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार हुआ है। प्रशासन में उन्नत, वरिष्ठता, खुशामद, जातिवाद, रिश्तेदारी अथवा मित्रता के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों तक को भी ऐसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर शक्ति, उत्साह, निष्ठा, एवं नवीन जगत् के विवेकपूर्ण आदर्शों से ओतप्रोत एवं अधिक योग्य युवा-वर्ग को पदासीन होना चाहिये। परिणामस्वरूप ऑफिस के विभिन्न स्तरों पर, किसी भी व्यक्ति की उचित दिक्कतों तक भी तत्परता से नहीं सुलझाई जा सकती है। जन-सम्पर्क के आधुनिक साधन हमें नवीन ज्ञान एवं आशायें प्रदान कर रहे हैं, परन्तु साथ ही साथ वह अपनी शिक्षा, प्रचार एवं सवेदनवाद से हमें पगु भी बना रहे हैं।

इन सबके परिणामस्वरूप देश के जन साधारण के मस्तिष्क मे कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार पनपे हैं। उदाहरणार्थ दूसरे के कष्ट से स्वयं आनन्द उठाना बुरा नहीं है, क्योंकि अन्य व्यक्ति भी ऐसा करते हैं। किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा रखी गई माँगों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, परन्तु बहुत से व्यक्तियों अथवा भीड़ की माँगों पर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा। सब कुछ—चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित—आन्दोलनात्मक रवैया अपना कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी पुलिस कार्यवाहियों की निन्दा की जानी चाहिये। आन्दोलन से पीडित सभी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये, चाहे वह उचित कारण के लिये आन्दोलन कर रहे हों अथवा अनुचित कारण के लिये। जन साधारण के मस्तिष्क से इन विचारों को दूर करने के स्थान पर, नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों मे अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई कार्यवाहियों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन धारणाओं को सुदृढ किया है।

यह सम्पूर्ण सामाजिक रुग्णता, जो किसी एक व्यक्ति, सस्था अथवा एक-कारक कारण से नहीं जन्मी है, बल्कि सभी के कारण पैदा हुई है, ने जनसाधारण मे नैराश्रय का भाव भर दिया है। हमारे उच्छृंखल विद्यार्थियों को जिस प्रकार जन्म के साथ ही प्रजातीय अथवा जीवशास्त्रीय विशेषतायें विरासत मे मिलती हैं, उसी प्रकार उनके किसी दोष के बिना ही, यह सामाजिक रुग्णता भी जन्म के साथ ही विरासत मे प्राप्त हो जाती है।

अपने बाल्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों मे वे इससे अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है, धीरे-धीरे उन्हें अपनी शारीरिक एवं सामाजिक विरासत का ज्ञान होने लगता है। अतः जब वे किशोरावस्था मे आते हैं, तो उन्हें अपने भाग्य का चित्र दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था की नई प्रेरणायें अथवा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ इसके बोध को उनके लिये कुछ चुमनशील बना देती हैं। अपनी शैक्षणिक सस्थाओं मे व्याप्त वातावरण का उन्हें जैसे ही अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता है, यह चुमन शोधन-प्रतिक्रियाओं की शृंखला के रूप मे प्रकट होती है। उनको ज्ञात होता है कि उनकी आशाओं के विपरीत, उनकी शिक्षण-सस्थाओं में, उनकी नई उम्रों, नये आदर्शों, नई धारणाओं एवं उनके युवावस्था के नये मनोभावों की अभिव्यक्ति करने वाला अथवा प्रोत्साहन देने वाला वातावरण विद्यमान नहीं है। उन्हें यह दुरादायी तथ्य भी ज्ञात हो जाता है कि उनकी शिक्षण-सस्थाओं में, जहाँ वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने और भविष्य की व्यवसायिक-

शिक्षा लेने आये हैं, न केवल आदर्शवादी स्थानही रिक्त है, वरन् कठोर सामाजिक रुग्णता भी विद्यमान है। उन्हे यह जानकर सदमा पहुचता है कि स्तरीकरण, परंपरागत सत्ता, नौकरशाही, सबंधों का अव्यक्तिकरण, कर्त्तव्य-सघर्ष, व्यक्तियों का उत्पीडन, भ्रष्टाचार, असंगत विचार, अन्याय, संचारण के स्वतन्त्र साधनों का अभाव, अहवाद, व्यक्तित्ववाद, स्वार्थपरता, कठोर श्रम से दूर भागने की प्रवृत्ति, सहानुभूतिपूर्ण विवेक का अभाव, इत्यादि उनके शैक्षणिक जगत में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में युवा-वर्ग के स्वतन्त्र, सुखप्रद और आदर्श अथवा काल्पनिक स्वप्न छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जन-साधारण के मस्तिष्क में व्याप्त उपर्युक्त धारणायें एव हतोत्साहित व्यक्तियों की चिन्तनीय प्रवृत्तियाँ उनके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं एव किसी भी समय किसी भी मामले पर बड़ा हो अथवा छोटा, उचित हो अथवा अनुचित, इसे कोई नहीं जानता, उन्हे अनुशासनहीनता एव हिंसा की कार्यवाहियों के लिये प्रेरित करती हैं। और इस प्रकार से ये सारी की सारी घटनायें बहुधा घटित होती हैं।

प्र० हुमायुँ कबिर जैसे विद्वान्, जिन्होंने कि विद्यार्थियों को उनकी "विद्रोहात्मकता" की अपेक्षा उनके 'नकारात्मक' एव 'सिनिकवाद' के रुख के लिये दोष दिया है, सम्भवतः समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है। यह कहना बड़ा सरल है कि 'नकारात्मकता' एव 'सिनिकवाद' के इन दृष्टिकोणों के कारण युवा-वर्ग वर्तमान मान्यताओं को ठुकरा देता है एव वह नये आदर्शों की स्थापना एव विकास की ओर भी प्रेरित नहीं होता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस समस्या पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करता है तो निश्चित ही उसे मस्तिष्क में कई युक्ति संगत प्रश्न उठेंगे—यथा, शिक्षण काल में युवा-वर्ग को किस प्रकार सहायता दी जाती है अथवा उनका मार्ग-दर्शन किया जाता है ? शिक्षण-संस्थाओं में सामाजिक रुग्णता किस प्रकार प्रवेश प्रविष्ट हुई है ? यदि वह विद्यमान भी है तो क्यों आदर्शवाद एव मान्यतायें, जिन्हे कि युवा-वर्ग को प्रेरित करना चाहिये, प्रेरित करने में असफल रही है। क्या विद्वान् शिक्षकों से युक्त शिक्षण-संस्थाओं पर समाज को निदेशित करने, परिवर्तन लाने, एव सुधार करने के उत्तरदायित्व का भार नहीं है ? यदि यह ऐसा है, और यह वास्तव में है भी, तो इन उत्तरदायित्वों को वहन करने के स्थान पर, ये शिक्षण-संस्थायें स्वयं ही क्यों रोगग्रस्त हो गई हैं ? फिर क्या कारण है कि शिक्षा, जिसकी कि विश्व के अन्य भागों की भाँति यहाँ पर भी मानव-निर्देशन के नायक के रूप में, आधुनिकीकरण की कुजी के रूप में, सम्पन्नता, प्रगति एव सुख-शांति के अग्रदूत के रूप में अपेक्षा है,

इस बुरी तरह से प्रभावहीन हो गई है ? इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तरों को तुरन्त प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं ने शिक्षा-अगत् की बुराइयों को ज्ञात करने एवं उनका उपचार करने की महती आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि वर्तमान समस्या का केन्द्र इसमें ही विद्यमान है । अतः निश्चित रूप से शिक्षा सुधारों को अन्य सभी से अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता है ।

सहयोगी समाजशास्त्री डॉ० योगेन्द्रसिंह, जो शिक्षण-संस्थाओं को विद्यार्थी-प्रान्दोलन के उत्तरदायित्व से यह कह कर बचाने का प्रयत्न करते हैं कि "अतः मेरी राय में समस्या का निदान केवल कक्षाओं अथवा कॉलेजों में नहीं है । हमारे समाज के सामान्य नैतिक व्यवहार में और अधिक आमूलचूल अनुकूलन आवश्यक है । जितनी शीघ्रता से हम इसे प्राप्त कर सकें उतना ही श्रेष्ठ है । कितना भी शैक्षणिक सुधार इस समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं होगा", से पूर्णतः सहमत होना कठिन है । वास्तव में इस तथ्य से कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि समाज के कार्य एवं व्यवहार के प्रत्येक स्तर पर निरन्तर प्रयत्न करने चाहिये, परन्तु शैक्षणिक सुधार की प्रभावकारिता में अविश्वास करने का अर्थ इस मूलभूत सिद्धान्त में अविश्वास व्यक्त करना होगा कि हमारे समाज के मार्ग-निर्देशन, रूप-परिवर्तन, पुनर्जीवित करने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर इन शिक्षण-संस्थाओं को बनाये रखने की उपादेयता क्या है ?

यह निश्चित है कि हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक रुग्णता को समाप्त किया जाना चाहिये और हमारी आकांक्षाओं के समाज—ऐसा समाज जिसमें सघर्ष एवं तनाव कम से कम हो, सुख और समृद्धि से भरपूर समाज, हमारी कल्पनाओं के सुनहरे समाज अथवा आदर्शों के कल्पित समाज का उद्भव होना चाहिये । इसे प्राप्त करने के लिये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सभी सम्भव उपाय प्रयोग में लेने के प्रयत्न करने चाहिये । परन्तु यह कहना पलायनवाद का परिचायक होगा कि जब तक कि इन सबको प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, तब तक कोई भी शैक्षणिक सुधार नहीं किया जाना चाहिये एवं शिक्षण-संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों को शिक्षण-संस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिये न तो कहा जाना चाहिये और न ही प्रेरित किया जाना चाहिये । किसी भी एक व्यक्ति अथवा संस्था के लिये सामाजिक रुग्णता के गहरे आचरण पर अकेले ही प्रहार करना सरल

कार्य नहीं है। अतः स्वयं शिक्षण-संस्थाओं द्वारा ही पहल किया जाना आवश्यक है।

हमारे कुछ शिक्षाशास्त्री एग उपकुलपति विद्यार्थी-आन्दोलन को केवल कानून व व्यवस्था की समस्या के रूप में देखते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वे भी एक साधारण पुलिस कर्मचारी अथवा जन-साधारण की भाँति ही इस दुखदायी समस्या का मूल्यांकन करते हैं। यह उनकी अस्पष्ट दृष्टि, पलायनवाद की प्रवृत्ति, अपने स्वयं के चित्र पर दृष्टिपात करने में भय एग अपनी शिक्षण-संस्थाओं की कमियों और असफलताओं रूपी कठोर वास्तविकताओं का सामना करने में साहस की कमी अथवा अज्ञान पर केवल एक करारा तमाचा है। भारत में २५ शताब्दियों पुराने शैक्षणिक इतिहास में १९६६ का वर्ष अत्यन्त दुखदायी गिना जायेगा, क्योंकि इन वर्ष में हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने नितान्त असहाय होकर, अपने उन विद्यार्थी सम्बन्धी मामलों को सुलझाने के लिये, जो न्यायसंगत रूप से उनके क्षेत्र के हैं, पुलिस और राजनीतिज्ञों से निर्देश एग सहायता प्राप्त की।

यह एक उचित समय है, जबकि हमारे शिक्षाशास्त्रियों एग शैक्षणिक प्रशासकों को अपनी हाथीदाँत की मीनारों अथवा लौह-आवरणों, जो भी हों, से बाहर आना चाहिये एग आत्म-सन्तुष्टि, निष्प्रभता, भ्रम, पलायनवादी प्रवृत्ति, एग बुराई, जो कि मुख्यतः उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, के लिये दूसरों की बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति से दूर हटकर निष्पक्ष वैज्ञानिक जाँच द्वारा अपने क्षेत्र के सुधार के लिये मार्ग एग साधन ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये यहाँ उन्हें शोध-कार्य से सहायता प्राप्त करनी होगी। समाजशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ठोस तथ्यों, जिन पर कि इस समस्या के प्रभावकारी समाधान की आधारशिला रखी जा सके, को प्राप्त करने के लिये शोध-कार्य की अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार की कार्यवाही किये वर्ग जो कुछ भी कार्यवाही की जाती है, वह केवल हवा में बातें करने के समान होगी, जिसमें दुर्भाग्य में हम भारत-वासियों ने विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है।

अतः यह एक सुझाव है कि विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध-संस्थानों एग भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी समस्या पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा इन पक्षों अथवा विषयों, जिनका विद्यार्थी-आन्दोलन की समस्या से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध है, जैसे—अभिभावकों द्वारा वहन

किये-जाने वाला उच्च-शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय, छात्रवृत्तियों, फीस-भुक्ति इत्यादि जैसी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं अथवा अवसरों का प्रावधान अथवा वितरण, कॉलेज एण विश्वविद्यालयों में स्टाफ की नियुक्तियों में गतिशीलता, विश्वविद्यालय एण कॉलेजों में शिक्षा सम्बन्धी कार्य का वितरण, उपकुलपति, विभागाध्यक्ष एण प्रधानाचार्यों के कार्यों का विश्लेषण, उच्च-शिक्षा में परीक्षा-व्यवस्था, विद्यार्थी-संगठनों की प्रभावशीलता, कॉलेज में नये विद्यार्थियों की कठिनाइयों, अध्यापकों की शिकायतों, राजनीतिक दलों द्वारा छात्रों के मामले में हस्तक्षेप, शिक्षा में सामाजिक पिछड़ेपन के बहुमुखी क्षेत्र, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में कॉलेज एण विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यों की जाँच, पिछले पाँच वर्षों में हुई विद्यार्थियों द्वारा की गई विशिष्ट माँगों, विद्यार्थी-आन्दोलनों के दमन के तरीके के रूप में पुलिस कार्य-वाहियों के प्रति विद्यार्थियों, अध्यापकों, जन-साधारण एण पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा, कानून, इंजीनियरिंग, अध्यापक प्रशिक्षण इत्यादि की अवधि में वृद्धि का औचित्य, शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा अभिनव परिवर्तनों अथवा नीति सम्बन्धी नवीन निर्णयों के प्रति विद्यार्थियों, अध्यापकों एण अभिभावकों की प्रतिक्रिया, स्कूलों एण कॉलेजों में विद्यार्थी-कल्याण की गतिविधियों का मूल्यांकन, बचत अभियान के शैक्षणिक अधिकारियों एण विद्यार्थियों के मनोबल एण शिक्षा के स्तर पर प्रभावों, शिक्षण सस्थाओं में विद्यमान संचारण के साधनों, शैक्षणिक स्तर में गिरावट, स्कूल एण कॉलेजों के पाठ्यक्रमों के मध्य खाई, कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम एण विद्यार्थी-आन्दोलन पर इसके प्रभाव, समुदाय-कार्यों में शिक्षण-सस्थाओं द्वारा भाग लेना एण पहल करना, शैक्षणिक सस्थाओं विशेष कर, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों जहाँ पर विद्यार्थी अनुशासनहीनता एक नियमित विशेषता हो गई है, महत्वपूर्ण विद्यार्थी हड़तालों का व्यक्ति-अध्ययन, स्कूल, कॉलेज एण विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की मान्यताओं में अन्तर, विद्यार्थी एण आधुनिकीकरण एण विद्यार्थियों को भविष्य के विभिन्न व्यवसायों के योग्य बनाने में हमारे शैक्षणिक-पाठ्यक्रमों की प्रभावशीलता की जाँच इत्यादि, पर्याप्त समाजशास्त्रीय शोध-कार्य अथवा जाँच-अध्ययन किये जाने चाहिये। इस प्रकार शिक्षण-सस्थाओं के अन्दर अथवा बाहर व्याप्त इस सामाजिक रोग का सम्पूर्ण सप्तक इन अध्ययनों के क्षेत्र में आ जायेगा। हमारे देश के विश्वविद्यालयों के शिक्षा एण, समाजशास्त्र विभागों को इस प्रकार के अध्ययन करने के लिये आगे आना चाहिये।

अन्त मे, इस पर जोर दिया जा सकता है कि इम प्रकार के अध्ययनों को प्रारम्भ करने एव पूर्ण करने के प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने चाहिये, ताकि उनके निष्कर्षों से शैक्षणिक जगत एव सरकार को विद्यार्थी-आन्दोलन की इस कष्टप्रद समस्या को प्रभावपूर्ण रूप से सुलभाने में मदद मिल सके। शिक्षा सबघी सुधारों की आवश्यकता को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान मूल्यहीनता की स्थिति पर शिक्षा रूपी शस्त्र द्वारा ही बडे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रहार किया जा सकता है, एव उसे नष्ट किया जा सकता है।

व्यवस्थित शोध-अध्ययन करने के सुभाव का यह आशय कदापि नहीं है कि जब तक ये अध्ययन पूर्ण न हों, तब तक और कुछ किया ही नहीं जाना चाहिये। वरन् अच्छा तो यह होगा कि राज्य एव शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार के रूप मे जितनी भी सुविधायें प्रदान की जा सकती है, प्रदान करने के प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने चाहिये, परन्तु प्रभावशील उपचार शोध-कार्य के माध्यम से रोग का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके, केवल शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा ही किया जा सकता है, एव किया जाना चाहिए।

शिक्षा समाज शास्त्र यूनिट,

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

नई दिल्ली-१६

छात्र अस्वस्थता : राष्ट्रव्यापी असन्तोष की एक प्रतिध्वनि

काका कालेलकर

इन विद्यार्थियों को हुआ क्या है ? देखते-देखते सारा देश इनकी अस्वस्थता के कारण अस्वस्थ हुआ है ।

अस्वस्थता स्वयं एक रोग है, जो बुद्धिशक्ति को क्षीण करता है । अनुभवों ने कहा ही है : 'स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भवन्ति' । जब चित्त का स्वास्थ्य स्थापित होता है तभी बुद्धि अपना काम करती है, दोषों के कारण ढूँढे जाते हैं और कठिनाई दूर करने के इलाज भी सूझते हैं ।

अपनी कठिनाइयाँ और अपना असन्तोष विद्यार्थी लोग चिल्ला-चिल्लाकर प्रकट करते हैं, व्यक्तिशः और इकट्ठा होकर प्रस्ताव करके भी । तो भी विद्यार्थियों की अस्वस्थता का गहरा कारण समझ में नहीं आता । देश के शिक्षाशास्त्री, प्राचार्य, कुलपति, कुलनायक आदि अधिकारी-वर्ग और देश के नेता भी अपना पृथक्करण पेश करते जाते हैं । विद्यार्थियों के साथ जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसे विद्यार्थियों के माँ-बाप अभी तक चुप ही हैं । उन्होंने व्यक्तिशः अथवा सगठित रूप में कुछ कहा हो, तो हमारे पढ़ने सुनने में नहीं आया ।

फ्रांस की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति शुरू हुई, उसके पहले फ्रांस की पूरी हालत की मीमांसा करने वाले असंख्य लेख वहाँ के मनीषियों ने लिखे थे । वह साहित्य इतना बड़ा था और सूचनाओं में इतनी विविधता थी कि पढ़ने वाले घबड़ा जाते थे और कुछ भी निर्णय कर नहीं पाते थे । लिखने वाले बहुत से लोग विद्वान् थे, चिन्तनशील थे । हर एक चर्चा, मीमांसा और तात्त्विक भूमिका सही लगती थी, हर एक की सूचनाएँ बड़ी मार्क की और उत्कृष्ट थी । अगर किसी एक की बात मानी जाती तो शायद फ्रांस का वेड़ा पार हो जाता ।

लेकिन ऐसे स्वदेश हित-चिन्तक मनीषियों की सख्या इतनी बड़ी थी और हर एक की सूचना एक दूसरे से मिल थी कि फ्रांस की जनता निर्णय कर न सकी कि किसके पीछे चले। जहाँ देवों चर्चा ही चर्चा चलती थी। गुन सुनकर ऊबती हुई जनता ने अन्त में निर्णय किया कि सब बुद्धिमानों की बातें बाजू पर रखकर अबुद्धिकों की शरण जाय और उसने ऐसा ही किया। जोरों से अन्धे बनकर उन्होंने मले-बुरे का भेद किये बिना, रक्तपात करना शुरू किया। कहते हैं कि उस समय का राजा बुरा नहीं था, अच्छा था। उसका एक ही दोष था कि वह क्रांति का नेता नहीं बन सका।

जो हो, फ्रांस की जनता ने अन्धी क्रांति-देवी की ही उपासना पसन्द की और जितना हो सके स्वदेश का नाश किया। जो भी लोग दूसरों को नापसन्द थे उनका सिर उड़ाया गया। शिरच्छेद का यह काम इतना बड़ा कि जल्लाद थक गये, किन्तु ऐसी थकान से अन्धी क्रांति की बुद्धि हार मानने वाली नहीं थी। एक आदमी ने अनेक लोगों के सिर शरीर से अलग करने के लिये एक यन्त्र का आविष्कार किया, जिसे 'गिलोटिन' कहते थे।

जब ऐसे अर्थविहीन बलिदान से क्रांति-देवी का पेट भर गया, तब नेपोलियन जैसे एक फौजी जवान से सेना का संगठन किया, लोगों को काबू में लाने का प्रयत्न शुरू करके सफलता पाई।

कहते हैं कि किसी समय क्रांतिकारी नेताओं की एक सभा इकट्ठी हुई, रात को देरी हो चुकी थी, सभा के अध्यक्ष का स्थान किसे दिया जाय, बड़ा पेचीदा सवाल था। क्रांतिकारियों के अनेक पक्ष थे, उनमें समझौता होने वाला नहीं था। किसी का नाम सूचित करने की हिम्मत कौन करें? बात मचमुच पेचीदा थी। सब नेता लोग एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। इतने में जवान नेपोलियन खड़ा हुआ, सीधा जाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा गया। उसने इतना ही कहा, भाई लोगो ! मैं अध्यक्ष हूँ, बहुत देरी हो चुकी है, काम शुरू करेंगे। नेपोलियन के आत्म-विश्वास की विजय हुई, और फ्रांस के इतिहास में नवयुग का प्रारम्भ हुआ।

फ्रांस का वह इतिहास पढ़ने वाले कहते हैं कि मचमुच इतने रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामाजिक दोषों के कारण नहीं, किन्तु केवल अबुद्धि के कारण इतना रक्तपात हुआ।

और ऐसी अबुद्धि फ्रांस पर क्योंकर सवार हुई? इसका जवाब एक ही है कि बुद्धिमान लोगो ने संगठित न होते हुए भी अपनी-अपनी बुद्धि

चलाई। नतीजा यह हुआ कि बुद्धियों की भीड़ में अबुद्धि फैल गई और उसीका प्रभाव सबसे ज्यादा साबित हुआ।

क्या फ्रांस के उस इतिहास-प्रसिद्ध क्रान्ति से हम कुछ सबक सीख सकते हैं ?

हमारे विद्यार्थी अपने-अपने हाई स्कूलों में और कॉलेजों में पढते हैं। ये शिक्षा-संस्थायें अनेक राज्यों में काम करती हैं। हर एक स्थान पर स्थानिक सवाल अलग-अलग होते हैं। इसलिये हमें आश्चर्य इस बात का है कि देखते-देखते विद्यार्थियों का असन्तोष छूत के रोग के जैसा सर्वत्र क्यों फैल गया है ? देश के मजदूर दलों का संगठन हम समझ सकते हैं। उनको तनखाह कम मिलती है। काम करते उन्हें पूरा आराम नहीं मिलता है, उनके जीवन की अनिश्चितता उनको अखरती है। उनका सगठित होना स्वाभाविक है। अगर देश के किसान भी सगठित हो जाय तो उसमें आश्चर्य नहीं है। अब तो सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले भी सगठित होने लगे हैं। 'सबे शक्ति कलौ युगे', लेकिन विद्यार्थियों का अखिल राष्ट्रीय सगठन किम उद्देश्य से हो सकता है ? उन्हें उनका खर्चा तो मा-बापों से मिलता है, वजीफों की मदद भी मिलती है। थोड़े विद्यार्थी नौकरी करके कमाते हैं और पढते भी हैं, 'Earn while you learn' यह है उनका सूत्र। लेकिन विद्यार्थियों का ऐसा व्यापक सगठन हमारे ध्यान में नहीं आता है। हमारे जमाने में देश की आजादी के लिये हम सगठित होते थे, प्रगट रूप से या गुप्त रूप से। लेकिन उसका वायुमण्डल अलग था। आज का वायुमण्डल ही अलग है।

आज तो जैसा दिख पडता है कि विद्यार्थी असंतुष्ट होकर प्रथम सगठित होते हैं और बाद में अपने असतोष को कोई मजबूत वुनियाद देने के लिये कोई कारण या हेतु ढूढने लगते हैं।

जब गांधीजी ने देश के असतोष को वाणी दे दी और असंतुष्ट लोगों को सगठित किया और सत्याग्रह का तरीका बताया, तब उन्होंने नागरिकता का प्रथम लक्षण लोगों के सामने रखा कि हम तनिक भी हिंसा न करें, कानून अपने हाथ में न लें और विजय पाने पर नम्र होकर कम से कम मागें पेश करें और झगडे के अन्त में मैत्री की स्थापना के लिये अनुकूल वायुमण्डल तैयार करें।

गांधी जी ने कानून की नाफरमानी सिखाई सही, आजाा का भग सिखाया सही, किन्तु उसके साथ सर्वोच्च सस्कारिता और सज्जनता जोड़ दी।

Disobedience सही, लेकिन वह civil होना चाहिये। तभी वह बंध गिना जायेगा। आजकल इस अहिंसा का व्याकरण लोग भूल गये हैं। उसके प्रति लोगो के मन में विश्वास और आदर नहीं। इससे सब कुछ विगड गया है। श्रीमती एनी बिसेन्ट ने कहा ही था कि "Brick bats will only invite bullets," पुलिस पर अगर हम रोडों की बौछार करेंगे तो जवाब में गोलियों की बौछार मिलेगी ही। गांधी जी भी यही कहते थे कि अगर हमने थोड़ी भी हिंसा की तो विरोधियों की सवाई हिंसा का, शतगुणी हिंसा का समर्थन होता है। इसलिये Provocation कुछ भी हो, हमें पूर्णतया अहिंसक ही रहना है। इसी में हमारी नैतिकता सिद्ध होगी और विजय भी निश्चित रूपसे मिलेगी।

गांधी जी का यह अहिंसात्मक व्याकरण लोग भूल गये हैं। सरकार को और सरकार की पुलिस को हिंसात्मक इलाज आजमाने के लिये बाध्य करने से सरकार की लोकप्रियता टूट जायगी और चुनाव में हम जीत जायेंगे, ऐसी अन्धी नीति लोकप्रिय हो रही है। इसका फल कुछ भी हो, कई लोग नाहक मारे जाते हैं और देश का वायुमण्डल विपाक्त होता है। इससे देश के लिये बड़ा खतरा है।

हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को क्या चाहिये, वे स्वयं नहीं जानते। देश के सार्वत्रिक असन्तोष की प्रतिध्वनि ही उनकी अस्वस्थता के पीछे दिख पडती है। स्वराज्य पाने के बाद समाजसत्तावाद की—सोश्यालिज्म की जो बात श्री जवाहरलाल जी ने चलाई, उसके पीछे विश्वप्रवाह का अध्ययन था, देश-मानस का परिचय कम था। लोग इतना ही समझ गये कि अब सब कुछ जिम्मेवारी सरकार की है। जनता के लिये दो या तीन ही बातें रह जाती हैं—चुनाव के दिनों में वाट देना, सरकार मागे जैसे टैक्स देना और सरकार की नुकताचीनी करने वाले बचन सुनते रहना। जो कुछ भी करना हो, सरकार करे। हमें जो भी चाहिये, देने के लिये सरकार बाध्य है। प्रजा का काम करने की कुशलता और योग्यता सरकारी तन्त्र में हो या न हो, सरकार के अधिकार बढ़ते ही जाते हैं। Socialism की दीक्षा न जनता को मिल रही है, न सरकारी कर्मचारियों को। सबकी सब कठिनाइया इसी एक कमी के कारण खडी हुई है। और नये जमाने के प्रतिनिधि विद्यार्थियों के जीवन में एक भयानक पोलापन तैयार हुआ है। सामान्य जनता के जीवन में भी वह पोलापन है ही। किन्तु सामान्य मानस को आजीविका की चिन्ता काफी होती है। विद्यार्थियों में नया लहू होता है। महत्वाकांक्षा को पोषण देने की

उभ्र होती है। ऐसे समय उनके सामने कोई महान् जीवनोद्देश्य हो, तो राष्ट्र देखते-देखते उन्नति कर सकता है। विद्यार्थियों के सामने आज कोई ऐसा जीवनोद्देश्य, मिशन अथवा पुरुषार्थ है नहीं। इसलिये वह शून्यता और पोलापन तरह-तरह के विकृत रूप धारण करता है।

आज भारत में राजतन्त्र ऊपर से नीचे तक, नये आदर्श से प्रेरित हुआ नहीं दिख पड़ता है। आप हुकम करते जाइये, हम निष्काम भाव से सफलता निष्फलता का खयाल किये बिना अमल करते जायेंगे, यही वृत्ति दिख पड़ती है। राज्यतन्त्र की नये जमाने की नई प्रेरणा राष्ट्र जीवन के अन्तरंग तक पहुँची नहीं है। नवजीवन की प्राणवान प्रेरणा से ही राष्ट्र सजीवन होगा।

सन्निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-१.

शिक्षा—मंगलमय नियति की एक विधायक प्रक्रिया

वृजनन्दन

छात्रों में अनुशासनहीनता आज एक प्रचलित बुराई बन गई है। इन प्रांतीयों का मन नये-नये चीजों के सामने नहीं है, अपितु राष्ट्रीय और नैतिक ही कर्तव्य-हीनता व्यक्तिगत नैतिकता की भी विवेकहीन क्षति करना, सामान्य जीवन के प्रवाह में नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करना और फलतः छात्रों का अपने अनागत जीवन के सुयोगों को भी कम से कम अज्ञान नष्ट कर डालना, इत्यादि। विभिन्न-विभिन्न देशों के लोग इसे विभिन्न-विभिन्न दिशाओं में मोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु अन्तिम विश्लेषण में नये-नये उद्देश्य प्राप्त एक ही हो जाता है, और वह है अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों से प्रतिशोध लेना। इनमें से कुछ हैं जो छात्रों को जानबूझ कर इसलिये उकसाते हैं कि सस्ते में उनका काम निकल जाय, और कुछ हैं जो उच्छृंखलता की इस धारा से स्वयं बचने के लिये उसे अपने प्रतिपक्षी पर फेर देने की चेष्टा करते हैं। परिणाम भी सर्वत्र एक ही होता है—परिस्थिति का हाथ से बाहर निकल जाना और अन्त में बरबादी।

फिर भी अभी तक इस समस्या के कारण और समाधान ढूँढने की कोई सच्ची चेष्टा नहीं की जा रही है, और न उसका कोई सही हल ही मिल रहा है। स्यात् इसलिये कि इसके खोजी इसके वास्तविक कारण-विन्दुओं की स्पर्श नहीं कर पाते अथवा धर्म-निरपेक्षता या धर्म-विरोधिता के नाम पर वास्तविक मनोवैज्ञानिक कारणों और समाधान की ओर से जान बूझकर धारणें भूँदे रहते हैं।

छात्रों की उच्छृंखलता का मनोवैज्ञानिक कारण ढूँढने के लिये हमें सबसे पहले उनके मन की ओर दृष्टिपात करना होगा, जिसके विषय में कवि-वर बिहारी ने कहा है—“कित्तै न धौगुन जग करै, बँ-नै चढ़ती वार”। श्रीमा हमें बतलाती है कि बच्चों का नटखटपन उनके अन्दर अत्यधिक प्राणिक ऊर्जा

का धोतक है, जो नियंत्रित नहीं रहने के कारण गलत दिशा ले लेती है। इसे धाढ में बर्बादी लाने वाली नदी की तरह नियंत्रित किया जा सकता है और तब यह वैसा ही अमत्कार दिखलायेगी, जो नदी को नियंत्रित कर खड़े किये गये आज के विशाल बाध दिखलाते हैं। यहाँ एक आपत्ति उठाई जा सकती है कि छात्रों का वय तो सदा से वैसा ही चला आ रहा है, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज यह प्रश्नामान्य उच्छ्रुत खला क्यों? इसका कारण है आज शिक्षा की अधिक व्यापकता। पहले महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र कम हुआ करते थे और वे सभी प्रायः कोई विशेष उद्देश्य लेकर ही महाविद्यालय में कदम रखते थे, पर आज शिक्षा के सामान्यीकरण हो जाने के कारण छात्रों के एक बड़े भाग के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह कहा जा सकता है कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था में वे अपनी शिक्षा से कौनसा व्यवहारिक लाभ उठा पायेंगे, इस विषय के प्रति वे अंधकार में रहते हैं तथा निराशा से भरे होते हैं और तिस पर है—उनकी अपार सख्या की सम्मिलित शक्ति। भीड़ की चेतना व्यक्ति की चेतना से सदैव घटिया होती है और यही भीड़ की चेतना उनसे सभी प्रकार के अवाञ्छित कृत्य करवा लेती है, जिन पर स्यात् एकांत में विचारने पर वे स्वयं दुःखित एवं लज्जित होते। विगत दो महायुद्धों द्वारा उत्पन्न स्नायविक तनाव तथा वर्तमान आणविक अस्त्रों की विमोचिका के साथे में रहने एवं पाश्चात्य देशों में फैली कुंठा और दृग्ग मनोवृत्ति का कला एवं साहित्य के माध्यम से निर्बाध आयात आदि वे प्रमुख तत्व हैं, जो युवा-मानस पर गहरी क्षोभ भरी हीनता की छाप लगाते हैं।

एक और भी कारण है—बड़ा ही आग्रही, पर गुह्य क्षेत्र का। किन्तु इसी कारण यदि हम इसे बचा जाय तो सत्य की खोज में हम विषय के प्रति-स्थाय न कर पावेंगे। वह है कि आज हम जगत् के इतिहास की ऐसी वेला में खड़े हैं, जबकि उच्चतर प्रकाश की शक्तियों के चाप के परिणामस्वरूप मानव-चेतना में एक विशेष क्रांति आने वाली है, और जगत में विद्यमान अब तक की अंधकार की शक्तियाँ उसका विरोध कर रही हैं। हमारा बाह्य सतही जीवन, अपने पीछे छिपे अगणित अतिमौलिक शक्तियों का एक विराट् श्रीडागण है। सामान्य अवस्था में हम इससे अवगत नहीं होते, केवल कठपुतलियों की तरह उनके द्वारा चालित भागों के छोर पर नाचते रहते हैं। इस विवशता को हम तीव्रता से अनुभव तो करते हैं, पर कारण समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पीछे के छिपे हाथों को देखने की कोशिश नहीं करते अथवा उन पर विश्वास करना चाहते नहीं। हम क्रूर नियति पर तो विश्वास करते हैं पर एक मंगलमय,

परमाण्व निर्यात के अन्तिम पर धीवन्ताम करने हैं। कौनो विष्मयना है यह !
 दूर निर्वा पर हमारा अग्रद विस्वाग ही हमें ठमके मध्य में रगया है,
 क्योंकि हम मना उही यन्तुओं में गिरे रहते हैं, जिना पर हमारा विश्वास होता
 है। यदि हम हमके प्रतिकूल एक मगनमय, परमाण्व निर्यात के अन्तिम पर
 विश्वास करें, तो उसे हम अपने वातावरण में नीचे सामेंगे और पाणा पसट
 जायगा। हा, तो स्पष्ट है कि अगता की नक्षियां उारगी हुई जाति का
 मुकाबला करने के लिये, जिना मन्व ही, विधानों पंडा करने की पेट्टा बरगी
 हैं। विधानों का शिार ही जाता, जाति के अयो नीर आदान की घोशा
 बहुत अधिक मरन होना है। उनान पर मुझ जाग पराड़ पर पडने की अरेका
 अधिक आमान होता है। पर फिर भी यदि हम चाहें तो नीचे की ओर अना-
 याम दुतवते रहने में अपने की रोक कर, ऊपर आगेहन का मन्व तो में ही
 मकते हैं।

नक्ष का अनाय, नीर की मोजना, आयतिन हीन-प्रनाय और प्रगति
 के लिये ऊपर के चाप के विरुद्ध उठ गग हृषा नीचे का प्रतिकोष, में ही हैं
 हमारी समन्या के कारण और नमापान पाते का मीन नी इन्ही में निहित है।
 श्रीमा कहती हैं—“लक्ष्मीहीन जीवन मदेव एव दुःख जीवन हृषा करता है।
 तुममें से प्रत्येक को एक लक्ष्य रचना चाहिये। किन्तु यह मत भूना कि
 तुम्हारे लक्ष्य के स्वरूप पर ही तुम्हारे जीवन का स्वरूप निर्भर रहेगा। तुम्हारा
 लक्ष्य उच्च और विनाल होना चाहिये। उने क्षुद्रता, मनीगाता-विहीन और
 नि स्वायं होना चाहिये। (ऐना होने पर) यह तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिये
 और मवों के लिये एक बहुमूल्य यन्तु बन जायेगा।” यन्तु' बच्चे में होग
 आने के साथ ही उसके नीतर एव उच्चतर जीवन जीने की नावना मरनी
 चाहिये। उसे यह तथ्य भी बतला देना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य के नीतर
 अनन्त क्षमताए सुप्त पडी हैं और सकल्प द्वारा उन्हें जगा कर जीवन में
 चाभात्कारिक परिवर्तन लाना मनी के लिये समव है। आवश्यकता है केवल
 सतत् अध्यवसायपूर्ण अन्वयास की। बच्चे के मन को विशाल और सुसन्ध बनाना
 होगा। “अपनी प्राकृत अवस्था में मानव मन अपनी दृष्टि में सदा ही सीमित,
 समझ में सकीर्ण, धारणाओं में मकुचित होता है और इसे विशालतर, सुसन्ध
 एव गनीर बनाने के लिये प्रयास की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है
 कि प्रत्येक वस्तु पर मनुष्य जितने विदुओं से हो सके, विचार करे।जब
 भी किसी बात पर मतभेद उपस्थित हो कि कौनसा निर्णय लिया जाय अथवा
 कौनसा काम किया जाय, व्यक्ति को कभी भी अपनी धारणा या दृष्टि-विन्दु

से चिपककर नहीं रहना चाहिये। इसके विपरीत, व्यक्ति को चाहिये कि वह दूसरे के दृष्टि-बिंदु को समझे, अपने को उसके स्थान में रखे और भगडने या यहाँ तक कि लड़ पड़ने के बजाय एक ऐसा समाधान खोज निकाले, जो दोनों पक्षों को विवेक युक्त तुष्टि दे। सदभावना वाले मनुष्यों के लिये यह राह निकल ही आती है।”—(श्रीमा)। इन प्रकार, यदि बालक को दूसरों की धारणा करना सिखाया जाय, दूसरों के प्रति उचित सम्मान देकर एक समुचित विश्लेषण पर पहुँचने का अभ्यास अल्पवयस् से कराया जाय तो अनुशासन हीनता को बीजावस्था में ही हम नष्ट कर सकते हैं। जो भी हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिये कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं है। वह कठिन भले ही हो, किन्तु असंभव नहीं। पर कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुशासन प्रातरिक है। मनुष्य के ऊपर बाहर से लादा हुआ कोई भी अनुशासन सफल नहीं हो सकता, अपितु दमित उच्छ्वसलता कुछ काल बाद और भी अधिक प्रचंडता से फूट सकती है। हमें इस तथ्य के प्रति जागना पड़ेगा और शिक्षा में इस तत्त्व पर पर्याप्त बल देना होगा। अल्पावस्था में उच्चतर लक्ष्यों के प्रति खुले रहने की शिक्षा आगे चलकर बालक के भीतर एक अदात्म व्यक्तित्व विकसित करेगी, जो भीड़ में भी अपनी उच्चता बनाये रखने और आयातित हीन-प्रभाव से बचने में उसकी सहायता करेगी तथा अवश्य ही भविष्य में वह योग्य नागरिक और राष्ट्र की निधि बन सकेगा।

किन्तु, यहाँ हमें एक और भी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरों को दी गयी शिक्षा तब ही प्रभावशाली हो सकती है, जबकि उन आदर्शों को हम स्वयं जियें। बच्चे बड़े तीक्ष्ण अन्वेक्षक होते हैं और बड़ों की बुराइयों को बड़ी आसानी से और शीघ्रता से परिलक्षित कर लेते हैं। यदि वे देश के चुनिन्दा प्रतिनिधियों को राष्ट्र की व्यवस्थापिका समाजों में भद्रता की सभी मर्यादाएँ लाधकर लड़ते पायेंगे, तो हम उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अपनी बारी में मामूळ शालीनता प्रदर्शन करेंगे? नकल करने की प्रवृत्ति भी शायद बच्चों में बानरों से अधिक होती है, विशेषतः बुरे हृष्टांतों की। और इसमें वे वयस्को से अधिक कुशल निकल सकते हैं। अतः छात्रों में अनुशासन लाने से पहले देश के 'बुने हुए श्रीमतों' को भी अनुशासन का जुम्मा अपने कंधों पर स्वीकारना होगा। और यहाँ पुनः पूर्वकथित आग्रही गुह्य-तत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना होगा कि इस व्याधि का उपचार किसी बाहरी गुटिका से नहीं किया जा सकता। यदि अपेक्षया अधिक वयस्कताजनित अनम्यता के कारण अपने में सद्यः परिवर्तन लाने में अक्षमता का बोधकर

६६/छात्र विदांम ?

बडो से और कुछ पार न लगे तो कम से कम पूर नियमि के प्रति समझाय
एव विवणता पूर्ण हार मानने के बजाय, मगनमय निर्मा में छात्र्या मापर
उसके प्रति भावना द्वारा अपने को पूर्ण समर्पण कर दें तथा फल की बात
उसी पर छोड़ दें, तो सुपरिणाम अवश्यभावी है । सम्नुा नियमि मगनमय
है और उसे किसी प्रतिनीतिकवादी की वृथा अपमानवतना ममभार, यदि
हम उसकी उपेक्षा न करे तथा हम उनमें दृढ़ छात्र्या उत्पन्न करे, तो वह अपनी
को अवश्य अभिव्यक्त करेगी । सर्वे नद्राणि पश्यन्तु ! ●

श्री अरविन्द साधम,
पांडिचेरी-२

अशान्त युवा : नवीन का पुरातन से विद्रोह

प्रो० वालकृष्ण नेमा

पिछले कुछेक वर्षों में हमारे युवा-वर्ग ने जो 'कर्तृत्व' प्रदर्शित किया है वह अभूतपूर्व था। समाचार-पत्रों को सुखियों में उसे स्थान मिला। विधान सभाओं तथा ससद की कार्यवाहियों में खेद तथा क्षोभ भरे वातावरण में उस पर विचार किया गया। उससे सम्बन्धित गोली-काण्डों और उनकी जाच के लिए नियुक्त आयोगों की रिपोर्टों के रूप में वह देश के इतिहास की सामग्री बन गया है। स्वतन्त्रता-संग्राम के काल में होने वाले छात्र-आन्दोलन और युवकों की गतिविधियों से इसका रचमात्र भी साम्य नहीं है। ऐसे प्रचल आवेग के साथ यह कर्तृत्व प्रकट हुआ कि नारे देश को इसने आन्दोलित कर दिया और शासक, नेता, अभिभावक, शिक्षक सभी किकर्तव्य-विमूढ से हो गये।

यह सब तो हुआ, पर इस बात को सभी, यहां तक कि स्वयं छात्र-नेता कहते और मानते हैं कि ये गतिविधियाँ असामाजिक हैं, समाज एवं राष्ट्र के लिए हर दृष्टिकोण से अहितकर हैं। किन्तु, विचित्र बात तो यह है कि इतना होने पर भी इनके निराकरण का कोई सफल उपाय नहीं खोजा जा सका। परिणामतः देश के तरुण-वर्ग की ये प्रवृत्तियाँ सामाजिक रोग का रूप लेती जा रही हैं और भय इस बात का है कि यदि इन्हें समूल नष्ट करने में शीघ्रता न की गई तो कहीं यह घातक न सिद्ध हो।

वस्तुतः जो अव्यवस्था, अनुशासनहीनता अथवा उच्छ्रलता समाज में दिखाई दे रही है, उसके सही रूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है। प्रायः ही ऐसी घटनाओं के लिए शिक्षण-संस्थाओं तथा शिक्षार्थियों को दोषी ठहराया जाता है। किन्तु, यह आशिक सत्य है। ऐसी घटनाओं का प्रारम्भ शिक्षण-संस्थाओं से होता है अथवा विद्यार्थी उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यह आधार इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है कि छात्र और केवल छात्र ही उसके लिए दोषी हैं।

तथ्य यह जान पड़ता है कि शिक्षण-मस्याएँ और छात्र तो केवल माध्यम हैं। जिसे हम छात्र-उच्छृंखलता, विद्यार्थी-असन्तोष, अथवा शिक्षालयों की अनुशासनहीनता कहते हैं, उमका क्षेत्र शिक्षण-मस्याओं से कहीं व्यापक है। उसके कारण भी शिक्षा-क्षेत्र के दोषों के अतिरिक्त और भी हैं। अनुशासनहीनता प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उच्चतर विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में क्रमशः अधिकाधिक पाई जाती है। उन छात्रों का आयुवर्ग प्रायः १५ से २५ वर्ष का होता है। नाय ही इमने भी इन्कार नहीं किया जा मग्ना कि इन छात्रों की सम आयु के व्यक्तियों में उनके शिक्षण-मस्याओं से सम्बन्धित न होते हुए भी एक असन्तोष और क्षोभ लक्षित होता है। उनके जीवन में भटकाव, अनास्था यहा तक कि एक प्रकार की निरर्थकता व्याप्त है। इस कारण उनमें भी वही अमयम और आक्रोश है। अतः जब इन आन्दोलनात्मक प्रवृत्तियों का छात्रेतर व्यक्तियों में भी पूर्ण अभाव नहीं है, तो फिर छात्रों और शिक्षण-सस्थाओं मात्र से ही उनका सम्बन्ध जोडना तर्क सगत नहीं। लेकिन एक विशेष आयुवर्ग में अवश्य उसका सम्बन्ध जान पड़ता है। इन बात को ध्यान में रखने पर, उसे छात्र-असन्तोष के स्थान पर युवक-असन्तोष मानना अधिक उपयुक्त है।

असन्तोष की व्यापकता इन बात से भी प्रगट होती है, कि अनुशासनहीनता तथा उच्छृंखलता की अभिव्यक्ति केवल शैक्षणिक परिवेश तथा व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं होती। वह केवल शिक्षकों को उद्दालना और शाला के अधिकारियों एवं नियमों की अवज्ञा तक ही सीमित नहीं है। अनुशासनहीनता का विद्यालयी रूप के अतिरिक्त एक पारिवारिक और सामाजिक रूप भी है। माता-पिता तथा अन्य गुरुजनों की अवज्ञा, कौटुम्बिक परम्पराओं की उपेक्षा, धार्मिक एवं नैतिक मान्यताओं में अनास्था आदि युवकों के व्यवहार में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

वह सामान्य तत्त्व जिसने युवकों में असन्तोष की भावना को जन्म दिया है, पुरातन और नवीन का संघर्ष है। यह संघर्ष ही प्रगति का आधार है और प्रत्येक समाज में सदैव चलता रहता है। भारतीय समाज में प्रायः पुरातन का ही पलडा मारी रहा है, यही कारण था कि संघर्ष अपने स्पष्ट रूप में उमर नहीं पाता था। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विकास की की धारा इसीलिये अविच्छिन्न एवं रोषरहित रही है। पुरातन के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव प्रत्येक भारतीय को जन्म के साथ ही धूँटी

के समान पिलाया जाता है। पर, बीसवीं सदी में परिस्थितियाँ बढ़ते बदल चुकी हैं। काल एव परिस्थितियों के नवीन बोध ने इस घूँटी को भी प्रभावहीन कर दिया है।

प्राचीन और नवीन का यह संघर्ष सभी समाजों में और जीवन के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। किन्तु, भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों में वह विशेष कटुता भी लेता जा रहा है। यही कारण है कि जब तब वह एक अशोभन रूप में प्रगट हो उठता है। इसी मानसिक विचार-भूमि में देश के तरुण-वर्ग को अपने समाज एव सस्कृति की ओर से न तो कोई समाधान मिलता है और न दिशा—निर्देश ही। इसके कारण कई हो सकते हैं, पर वे जो कुछ भी हो, उनका एक परिणाम यह अवश्य हुआ है कि तरुण-वर्ग पाश्चात्य समाज एव सस्कृति की ओर झुक गया है। वहाँ की वैचारिक और आचारिक स्वतंत्रता हमारे युवकों को न केवल प्रभावित करती है, वरन् उन्हें आदर्श जान पड़ती है। भारतीय युवक उनके आचार-विचारों, व्यवहार और परम्पराओं का अनुकरण कर अपने को धन्य मानते हैं। वस्तुतः स्वतन्त्र भारत की यह सबसे दुःखद विडम्बना है कि भारतीय युवक के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण अभी भी पाश्चात्य संस्कारों में ही होता है।

स्वतन्त्रता—प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में भौतिक हितों को बढ़ाने की दिशा में तो तेजी से काम चल निकला, किन्तु वैचारिक क्षेत्र में प्रगति अत्यन्त मन्द रही। पुरानी मान्यताओं, धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को समय की माँग के सदरम में देखा-परखा गया और जो अनुपयुक्त जान पड़े उन्हें निकाल फेंका गया। जीवन के आधारभूत मूल्यों और नैतिक धारणाओं में भी फेर बदल करना आवश्यक मालूम पड़ा और यहाँ भी अव्यवहारिक तत्त्वों को दूर करने में देर नहीं की गई। पर जितनी सरलता से अव्यवहारिक और अनुपयुक्त तत्त्वों की छानबीन कर उन्हें दूर करने का कार्य हो सका, उससे कई गुना अधिक कठिन उसका स्थान लेने योग्य तत्त्वों की खोज का काम सिद्ध हुआ। हम इस कार्य में अभी तक सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर पाए हैं।

इन परिस्थितियों के फलस्वरूप, हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में असन्तुलन आ गया है। भौतिक हितों की वृद्धि तो हुई है, लेकिन वैचारिक क्षेत्र में रिक्तता आ गई है, आस्थाओं के अभाव में अस्थिरता है। भटकाने, दिशाहीनता, निराशा और असन्तोष जीवन में भर गए हैं। यात्रिकता बढ़ चली है और जीवन का अर्थ और लक्ष्य हम समझ ही नहीं पा रहे हैं।

इस त्रासपूर्ण अवस्था से उबरने का एक मात्र मार्ग है—वैचारिक रिक्तता को दूर कर सन्तुलन लाया जाय। यह तभी सम्भव है जबकि हम युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नई अस्थाओं और मूल्यों को खोज सकें। सामाजिक व्यवस्था उन्हें अंगीकार कर ले, वे जीवन-प्रणाली को पुष्ट करें, तभी यह असन्तुलन दूर हो सकता है।

युवकों में व्याप्त असन्तोष को युवकों को ही दूर भी करना पड़ेगा। पुरानी पीढ़ी इसके लिए असमर्थ है। यदि वह इस कार्य को करने में समर्थ होती तो समय रहते ही कर डालती और यह त्रासदायक स्थिति उत्पन्न ही न हो पाती। अतः उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कार्य देश के युवकों को ही करना है। नए समाज के निर्माण का दायित्व भावी पीढ़ी को ही लेना पड़ेगा।

सामाजिक दायित्व निभाने के सन्दर्भ में युवकों की योग्यता व सामर्थ्य का प्रश्न हमें शिक्षा एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं पर ले आता है। शिक्षा ही आज और कल के बीच की कड़ी है। इस दृष्टिकोण से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में अनेक दोष हैं। यह किसी से छिपा नहीं है।

हमारी शिक्षण-संस्थाओं की कितनी दयनीय अवस्था है, यह एक पत्रकार की उक्ति से प्रकट है, जिसमें वह इन्हें ऐसी संस्थाएँ कहता है—“जहाँ आचार-स्खलित व्यक्ति कुण्ठाग्रस्त युवकों को पढाते हैं।” (Where the demoralized teach the disgruntled (“स्टेट्समैन” में प्रकाशित विद्यार्थी अनुशासन पर चर्चा सरकार की लेखमाला के एक लेख का शीर्षक)। इस उक्ति में एक अत्यन्त अप्रिय सत्य का उद्घाटन है, किन्तु उसमें संकेत है शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता और अव्यवस्था के मूल कारण की ओर। शिक्षा के क्षेत्र की वास्तविक बुराई तो शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की असंतुलित मानसिक अवस्था है। शिक्षक अनास्थाहीन हैं अपने कर्म में, अध्यापन-कार्य तो केवल जीविकोपार्जन के लिए साधन है, अतः दैनिक कार्यवत् अनिवार्यतया किया जाता है। ज्ञान के अर्जन तथा प्रसार में उसकी रुचि नहीं के बराबर है। आचरण का स्तर भी शिक्षकों में बहुत ऊँचा नहीं है। दूसरी ओर विद्यार्थी-वर्ग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाने का वातावरण शिक्षालयों में नहीं देखता, लेकिन पढना है इसलिए विद्यालयों में जाने के लिए और भी विवश हैं। एक विफलता, निराशा और विरक्ति की भावना उसमें घर कर गई है। ऐसी मन स्थितियों में दी और ली गई शिक्षा की उपयोगिता अवश्य ही सदिग्ध है।

शिक्षा में सुधार के लिए प्रयत्न किये गये हैं। इन प्रयत्नों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह रहा है कि हम केवल बाह्य परिस्थितियों के सुधार की ओर ही ध्यान देते रहे हैं। जैसे कि शिक्षण-संस्थाओं में प्रशासनिक सुधार, शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि, परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन, विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ आदि। ये सब आवश्यक तो हैं, किन्तु पर्याप्त नहीं। वास्तविक सुधार तो शिक्षक और शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति में अपेक्षित है। जब तक एक वैचारिक क्रान्ति नहीं होती, मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं आ जाता, तब तक अनुशासनहीनता और सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने की आशा मरीचिकावत् ही सिद्ध होगी।

शिक्षा के क्षेत्र की केन्द्रीय समस्या अनुशासनहीनता की है। जहाँ इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं, वहाँ इस अनुशासनहीनता के कारण के सम्बन्ध में कोई एक मत नहीं है। इन कारणों की जब खोज की जाती है तो एक विचित्र परिस्थिति बन जाती है। शिक्षण-संस्थाएँ कहती हैं कि विद्यार्थी अपरिपक्व हैं, इसलिए नादाना कर रहे हैं। शासकीय व्यवस्था उनकी कार्य-प्रणाली में बाधा डालती है और उन्हें स्वतः कोई स्वतन्त्र कार्य-पद्धति नहीं अपनाने देती है। विद्यार्थी समझते हैं कि शिक्षक अयोग्य हैं, पढाते नहीं। परीक्षा-प्रणाली सर्वथा दूषित है। शासन की ओर से कहा जाता है कि विद्यार्थी उसकी नरमी का नाजायज लाभ उठाने लगे हैं। शिक्षक अपने दायित्व को ठीक तरह से नहीं निभाते। पिछले एकादश वर्षों के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए शासन ने मुख्य रूप से विरोधी राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक दल विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं (इन आरोपों की प्रेरणा आम चुनाव सम्बन्धी प्रचार की आवश्यकता से थी या नहीं, यह विचार का विषय है) राजनीतिक दलों ने प्रायः हमेशा ही शासकीय कमजोरी, अष्टाचार, अनुपयुक्त नीतियों को इनका कारण माना है। इन सब के बीच बेचारा अभिभावक समवेतः अपनी सतान के माग्य को दोष देता है। यह परस्पर दोषारोपण मूल समस्या का हल खोजने के प्रयासों में बाधक ही रहा है।

अनुशासनहीनता की समस्या के हल की दिशा में तब तक कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम 'अनुशासन' शब्द के अर्थ को भली भाँति न समझ लें। प्रायः अनुशासन से हमारा तात्पर्य नियम पालन की प्रवृत्ति तथा व्यवस्था के प्रति सम्मान से होता है। आज्ञा अथवा आदेशों का बगैर ननुनच किए पालन अनुशासन का आदर्श माना जाता है। सैनिक अनुशासन का यही मूल तत्त्व होता है।

पर, हमारी ये आशाएँ वास्तविक तथ्यों ने सामंजस्य नहीं रगती । हम भूल जाते हैं बीसवीं सदी की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को । विज्ञान और राजनीति ने आज के मनुष्य को एक नए घरातल पर ला खड़ा किया है, उसे एक नवीन जीवन-दृष्टि प्रदान की है । सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में इसके फलस्वरूप 'कानून कानून है' अथवा 'नियम के लिये नियम' यह मान्यता पुरानी और अनुपयुक्त मानी जाने लगी है । उसका स्थान 'नियम अथवा कानून मनुष्य के लिए' इस धारणा ने ले लिया है । नियम की सर्वोच्चता स्वीकार करना मनुष्य की गरिमा और स्वतन्त्रता का अपहरण है ।

आज के युवकों में अनुशासन के अप्रिय होने का एक कारण 'अनुशासन' शब्द से आने वाली शासित अथवा ताड़ित किये जाने की ध्वनि भी है । अनुशासन से पाबन्दियों का बोध होता है, बन्धन का भाव झलकता है । इसीलिए नई पीढ़ी जो एक स्वतन्त्र देश की सन्तान है, बन्धनों की परछाईं भी अपने पास नहीं फटकने देना चाहती । ,

अतः शक्ति का प्रयोग और दण्ड की व्यवस्था जिस अनुशासन के अनिवार्य तत्त्व थे, वह अब पुराना पड़ चुका है । आज के मजमाज की आवश्यकताओं के मन्दर्म में वह अनुपयुक्त है । लेकिन, इसका विकल्प अनुशासन का सर्वथा अभाव अथवा स्वच्छन्दता नहीं है । शक्तिमूलक अनुशासन का विकल्प ज्ञानमूलक अनुशासन है । यह ज्ञानमूलक अनुशासन ही सदाचार का प्रेरक है एवं चरित्र-निर्माण में सहायक है । सुकरात ने इसी अर्थ में ज्ञान को सदाचार कहा है । (Knowledge is Virtue)—सदाचार का अंतरंग तत्त्व इस दृष्टिकोण से आचरण की मर्यादाओं का सम्यक् बोध है । शक्तिमूलक अनुशासन मय की भावना को जन्म देता है और उससे प्रेरित व्यवहार व्यवस्थानुकूल होने पर भी, नैतिक आचरण की श्रेणी में रखने योग्य नहीं होता । अनुशासन नित्यन आत्म-संयमन है ।

एक आमक धारणा, जो विशेष रूप से युवकों में फैली हुई है कि प्रचलित शक्तिमूलक अनुशासन भारतीय संस्कृति से उद्भूत है, किन्तु यह धारणा सर्वथा निर्मूल है । वस्तुतः अनुशासन का यह रूप जिसके प्रति युवकों के मन में आक्रोश है, विदेशी शासन की देन है । इसकी भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से कोई सगति नहीं है । भारतीय चिन्तक आत्मा को देखने और जानने के लिये आत्मा और केवल आत्मा के नियंत्रण और निर्देश मानने के लिए कहते हैं ।

स्वावलम्बन अथवा आत्म-सयमन के अर्थ में अनुशासन को स्वीकार करने पर, व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल युवकों का चरित्र-निर्माण संभव है। सदाचार का सम्बन्ध आत्म-ज्ञान से है। आत्म-ज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ उसके गूढ दार्शनिक अर्थ में नहीं किया गया है। लेकिन, उससे तात्पर्य अपनी प्रतिभा एवं शक्ति को पहचानने से है। इन्हें पहचान कर ही व्यक्तित्व के समुचित विकास की दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है। आज की शिक्षा-व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह युवकों को स्वावलम्बी नहीं बनाती और जब उनमें स्वावलम्बन नहीं है, तो फिर अनुशासन तथा सयम उनमें कहा से आ सकता है? अतः समाज के भावी कल्याण के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयत्न होने चाहिए, जो कि शिक्षार्थियों को अनुशासन-प्रिय बनाएँ।

दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि विवेक का तिरस्कार करने की प्रवृत्ति मनुष्य का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है। आज का भारतीय समाज इसी अभिशाप से ग्रस्त है। अविवेकपूर्ण प्रवृत्तियाँ निरन्तर बढ़ रही हैं। इसीलिए पाश्चात्य विचारक, अहिंसक भारतीय समाज में हिंसात्मक घटनाओं की वृद्धि, शान्ति और समन्वय की नीति का अनुसरण करने वालों में अशान्ति को देखकर आश्चर्यचकित हैं इन्हें वे एक अव्यावहारिक संस्कृति में पडने वाली दरारें मानते हैं। जो कि बढ़कर समाज को ध्वस्त कर सकती है। मेरा विचार है कि भावी पीढ़ी का स्वावलम्बन और अनुशासन ही समाज को उसके अभिशाप एवं आशंकित दुष्परिणाम में मुक्त कर नव-निर्माण की ओर लेजा सकता है।

दर्शन विभाग, बी आई. टी. एस.,
पिलानी, (राजस्थान)

क्या छात्र-आन्दोलन के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं ?

प्रभाकर माचवे

देश व्यापी वीमारी

आज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि आज छात्रों ने उपवास किया, कल बसें जला दी, परसो प्रिंसिपल को हटाने की माग की, नरसो रजिस्ट्रार और नये उपकुलपति के बीच के सम्पर्क टेलीफोन काट दिये। कहीं ट्रैन रोक ली, कहीं पथराव किया, कहीं पुलिस और छात्र के बीच बाकायदा खानाजगी शुरू हो गयी। यह सब हमारे महान् देश में सहसा क्यों घटित हो रहा है ? क्या यह हमारे सामाजिक जीवन का कुछ विष है, जो विविध रूपों में फूट पड़ रहा है ? इसके लिए क्या छात्र ही जिम्मेदार व दोषी हैं, या उनके पीछे कोई बाहरी शक्तियाँ हैं ?

कारण-मीमासा

(अ) मानवीय या मनोवैज्ञानिक शिक्षा की आज हमारे देश में जो पिरामिड जैसी व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊपर है सरकार। शिक्षा प्रादेशिक विषय है, केन्द्रीय नियंत्रण बहुत थोड़ा है। फिर आते हैं विश्वविद्यालय—यानी उपकुलपति और उनके अन्तर्गत कई कालेजों के मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार आदि। फिर हैं गुरुजन, प्राध्यापक, शिक्षक आदि। सबसे अन्त में आते हैं विद्यार्थी या छात्र, जिनके आधार फिर हैं पालक या माता-पिता। इस प्रकार से मन्त्री या शिक्षा-विभाग के अधिकारी से लगाकर सामान्य नागरिक तक इस सारी गैर जिम्मेदारी या अराजकता का उत्तरदायित्व प्रायः सभी प्रकार के व्यक्तियों को उठाना होगा। छात्र उस सारे सरजाम में अष्टकोण के केवल एक कोण हैं। इतने सब मानवों का मन पहले देखना होगा।

(आ) अमूर्त या समाज-वैधानिक मन को बनाने वाली जो विचार-धारार्यें, जो मत विश्वास, जो आस्थाएँ, आकाक्षाएँ आदि होती हैं, उनका समजशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक है। हमारे राष्ट्र-शरीर में बिघी हुई जाति-

वाद, प्रदेशवाद, भाषावाद जैसी बीमारियाँ शिक्षा-क्षेत्र में पहुँच गयी हैं। अष्टाचार के अनेक रूप—माई-मतीजावाद, रिश्वतखोरी, नौकरशाही अमान-वीयता शिक्षालय में पहुँच गये हैं। और ऐसी चरम सीमा तक पहुँचे हैं कि शायद छात्र और उनके नेताजन यह अनुभव करते हैं कि उनकी बातें विना हिंसक और व्यापक आंदोलन के कोई सुनेगा नहीं। यह विश्वव्यापी असंतोष है, जो नवीनतम पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के प्रति अनुभव करती है।

जब हम छात्र थे

क्या यह समस्या एकदम नयी है ? कुछ लोग कहते हैं कि आन्दोलन करने की सीख तो गाँधीजी के जमाने से, राष्ट्रीय सभामें के युग से ही हमारे नेताओं ने दी थी। पर मेरी अपनी याद है, बारह वर्ष स्कूल और कॉलेज में एम० ए० तक छात्र रहा—रतलाम, इन्दौर, आगरा में १९२९ से १९३७ तक, और ग्यारह वर्ष अध्यापक रहा उज्जैन में, १९३७ से १९४८ तक एक कॉलेज में—आन्दोलन का रूप इस तरह से नहीं था। सन् ३० और ४० और ४२ के आन्दोलन मुझे याद हैं। सन् ३४ की कांग्रेस में मैं छात्र-कार्यकर्ता के नाते बम्बई गया था—कांग्रेस समाजवादी दल की प्रथम सभा में सम्मिलित हुआ था। पर तब परिस्थिति दूसरी थी। सत्ता विदेशी थी और छात्र-संघ इस प्रकार से विभाजित नहीं थे।

तब गुरु भी कैसे थे ?

और हमारे जमाने में उपकुलपति कैसे होते थे : आचार्य नरेन्द्रदेव लखनऊ में, डाक्टर राधाकृष्णन् बनारस में, आचार्य अमरनाथ झा इलाहाबाद में। विश्वविद्यालयों की मर्यादा सीमित थी। आज की तरह ७० नहीं। विज्ञान में जे० सी० बोस, मेघनाथ साहा, वीरबल साहनी थे। और एक एक अध्यापक भी ऐसा था कि उसके लिए छात्रों के मन में अपार श्रद्धा थी। तब काशी विद्यापीठ में सम्पूर्णानन्द और डॉ० केसकर अध्यापक थे। पूना में घोषों केशव कर्वे थे। जामिया मिलिया में डॉ० जाकिर हुसैन थे। आज कितने उपकुलपति, अन्तरराष्ट्रीय छोड़ दें, अखिल भारतीय ख्याति के भी हैं ? और कितने प्राध्यापक ऐसे हैं, जिनकी सलाह विशेषज्ञ के नाते सरकार लेना चाहेगी ?

तब के छात्र-आन्दोलनों की प्रेरणा

तब भी—यानी आज से तीस वर्ष पूर्व स्वराज्य से पहले। छात्र-आन्दोलन होते थे। पर वे आज की तरह अंधे गुस्से से भरे हुए नहीं होते थे। तब आन्दोलन होते थे गांधीजी की पुकार पर असहयोग के, अहिंसक आन्दोलन। जिनमें

नुकसान उठाना पड़ता था छात्रों को। प्रेरणा थी त्याग, वलिदान की। परतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए लाठी खाना, जेल जाना, भंडा चढ़ाते हुए विहार के छात्रों पर गोली चली। हेमू कालानी विदेशी कपड़े की मोटर के आगे अपनी प्राणाहुति दे बैठे। तब जवाहरलाल, सुभाष, सावरकर या महजानद जैसे नेता छात्रों के सामने थे। सरोजिनी नायडू जैसी वक्तृताकुशल विदुषिया थी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे सदन में दहाड़ने वाले थे। परन्तु वह सब स्वप्नवत है। यह नयी पीढ़ी तो ऐसी आई है, जिसमें से कइयों ने गाँधी तक का नाम नहीं सुना है।

अबके छात्र-आन्दोलनों के हेतु

अब छात्र-आन्दोलनों के कारण इतने हलके और कहीं कहीं हास्यास्पद होते हैं कि उनकी क्या चर्चा कीजिए। ममलन पर्चा मुश्किल है, हड़ताल करो। परीक्षा में 'इन्विजिलेटर' (निरीक्षक) नस्त है, उन पर स्याही फेंको। सुना कि कलकत्ते में परीक्षा-मंडपों में कोई अध्यापक निरीक्षण-कार्य करने को तैयार नहीं। सिनेमा के टिकट क्यों नहीं मिले—जलाओ सिनेमा घरों को। ट्रेन में बिना टिकट सफर क्यों नहीं करने देते—खीचो चेन। अमुक-अमुक प्रिन्सीपल पसन्द नहीं—करो आन्दोलन। यह सिलसिला इतनी दूर तक चला कि दक्षिण में हिन्दी-विरोधी आन्दोलनों में उग्र रूप में छात्रों ने गत वर्ष भाग लिया। और अब भी एक राज्य में इस्पात कारखाना क्यों नहीं बनता है, इस बात को लेकर यातायात ठप्प करने पर छात्र तुले हैं। स्पष्ट है कि छात्रों को पता नहीं है कि उनका उपयोग किस वेददी के साथ किया जा रहा है।

राजनैतिक पक्षों की अर्घी उत्तेजना

इन छात्र-आन्दोलनों के पीछे असंतुष्ट जनता, आर्थिक कष्ट से पीड़ित पालक कुंठित सरकारी अमला और कतिपय हिंसा में विश्वास रखने वाली और कुछ न कुछ बड़े पैमाने पर उलट-फेर या उठा-पटक करने को ही अपना कार्यक्रम माननेवाली राजनीतिक सगठन-संचालित सस्थाएँ, दल या गुट हैं। वे सब छात्रों का उपयोग आज 'तोप के चारे' की तरह कर रही हैं। वे भूलती हैं कि यह भस्मासुर किसी न किसी दिन प्रेरणास्रोतों के लिए ही प्राण-संहारक बन जायगा। यह सब हिंसा-प्रेरणा एक तरह की 'बुमरँग' है—एक ऐसा अस्त्र जो उलटकर छोड़ने वाले को ही मारने के लिए लौट आता है।

ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आते हैं, राजनीतिक पक्ष समझते हैं कि वे छात्रों को इस प्रकार से आगे करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। परन्तु यह हिंसा की आग एकदम अविचार और अविवेक पर आश्रित है। वह अन्वी है।

वह फैलेगी तो सबको ही लील जायेगी। छात्र तो समाज का सर्वोत्तम अंग है। जो कुमार और किशोर आगे चलकर हमारे विचार-नेता बनेंगे, प्रशासक, सैनिक, सुरक्षा के प्रहरी, वैज्ञानिक, आविष्कारक, व्यापारी आदि बनेंगे, उनके ही कोमल मन में सबसे यह जहर बो दिया गया—गैर-जिम्मेदारी आचरण, कानून को बेजबह तोड़ने का बीज बो दिया गया तो आगे क्या होगा ?

छात्र क्या करें ?

ऐसी स्थिति में केवल यह उपदेश देना कि छात्र राजनीति से बचें या दूर रहे काफी नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि छात्र हमारे साधारण नागरिकों की भाँति सभी राजनीतिक दलों से प्रायः ऊब गये हैं। उन्हें आगे कोई राह नहीं दिखाई दे रही है। उसीका परिणाम है कि वे इस प्रकार से सगठित रूप से हिंसा पर उतारू हैं। 'बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा' वाली उनकी वृत्ति है। एक प्रकार की दमित, प्रदर्शन-प्रियता—'धेनकेन प्रकारेण' प्रसिद्ध होने की चाह है उनमें। छात्रों को चाहिये कि वे अपनी अतिरिक्त शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगायें। राष्ट्र-निर्माण के समाज-सुधार के कामों में—जब इतनी दूर के विदेशी छात्र 'शांति सेना' (पीस कोअर) के रूप में यहाँ आकर सेवा कर सकते हैं, तो हमारे छात्र क्या इतने निकम्मे हैं या पिछड़े हैं कि उनकी शक्ति का कोई सही उपयोग न हो ?

अध्यापक क्या करें ?

इस सन्दर्भ में भूतपूर्व सांस्कृतिक मंत्री हुमायुँ कबिर ने एक पुस्तिका, जो 'छात्रों की अनुशासनहीनता' पर लिखी थी, उसमें अध्यापकों पर दोष लगाया गया था, वह बात याद आती है। शिक्षकों के वेतन बहुत कम हैं। उनमें से कई टेक्स्ट-बुक्स लिखकर, ट्यूशन करके गुजारा कर रहे हैं। कई राजनीति में पड जाते हैं। वे अपना असन्तोष तरुण और कुमार पीढी पर थोपते जाते हैं, और कई स्थानों पर यह भी पता चला कि छात्रों के गुप्त सगठनों के पीछे अध्यापकों का खुला प्रोत्साहन, पैसा और उनकी मार्गों के पत्रकों की भाषा तक में योग पाया गया। यानी छात्र और उनके गुरु दोनों ही असामाजिक तत्त्वों के हाथों की कठपुतली बनते जाते हैं। यह दुःखद स्थिति है। उनमें नैतिकता और प्रामाणिकता शेष है, तो वे इस प्रकार से शोषित होने से अपने-आपको बचायें। उन्हें नयी पीढी को नैतिक दिशा-निर्देशन करना है।

शिक्षा-संस्थाओं के संचालक क्या करें ?

शिक्षा-संस्थाओं के मुख्याधिपति, प्रशासक आदि को अधिक धैर्य, महिष्णुता, सहारे और उदारता से काम लेना चाहिए। उन्हें छात्रों को या अध्यापकों को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। शिक्षालयों के प्राहृतों में पुलिस को बुलाकर अपने निजी ईर्ष्या-द्वेष नहीं भुना लेने चाहिए। कई बार अध्यापकों में दो दल निर्माण करके, उन्हें सदा लडाते रखने में शिक्षा-संस्था संचालक अपनी बड़ी विजय और दुच्ची या क्षुद्र नौकरशाही सफलता मानते हैं। इस वृत्ति में से ही बहुत सी बातें बढ़ती हैं—छात्रों की मांगों का सहज निराकरण हो सकता है, उन्हें मानने के लिए पहले कई दिनों का उपवास या लाखों की संपत्ति की तोड़-फोड़ क्यों जरूरी है ?

सामान्य नागरिक क्या करें ?

आज देश जिस नाजुक दौर में से गुजर रहा है, खास तौर से वह आर्थिक और राजनीतिक (बाह्य शत्रुओं के आक्रमण और देश के भीतर अन्तरिक कलह पैदा करके देश को कमजोर बनाने की चाल) खतरों से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इन खतरों से भ्रवगत करें। वह उन्हें समझायेंगे कि हर बच्चे का गलत कदम कितनी दूर तक देश के लिए व्यापक अर्थ में सकटकारक हो सकता है। आज नीमावर्ती प्रदेशों में गडबडी फैलती है, तो उसका नुकसान सारे राष्ट्र को भुगतना पडता है। अतः छात्रों को ऐसे सब हिंसाश्रित दलों और पक्षों से दूर रखने में पालक, माता-पिता, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। आज रेल का स्टेशन लूटा, कल डाकखाना, परसों सरकारी कौश और कुछ दिन बाद पता चले कि लूटनेवाले विदेशी जासूस थे, तो ? लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और चाहने पर भी कदम वापस न लौट सकेंगे।

कुछ विधायक उपाय

इसलिए कुछ रचनात्मक उपाय इस प्रकार हैं—जैसे मजदूर-मालिक-सरकार ने मिलकर समझौता किया कि देश में सुरक्षा के लिए उत्पादन आवश्यक है, और उस कारण से कोई भी हडताल नहीं करेगा। वैसे ही छात्र-अध्यापक, अभिभावक-प्रशासकों का एक समझौता होना चाहिए। साथ ही उचित शिकायतें (छात्रों की या अध्यापकों की) दूर करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र लोकायुक्त की तरह शिखायुक्त नियुक्त होने चाहिए। दूसरी बात, छात्रों की छुट्टियां कम करनी चाहिए—उनके लिए वाहन की उचित

व्यवस्था होनी चाहिए—ग्रन्थालय रात तक खुले रहने चाहिए—बोर्डिंग और छात्रावासों में खेल और मनोरंजन के बेहतर साधन देने चाहिए, 'भैसों' में खाना बेहतर मिलना चाहिए, छात्रों के लिए अन्य कई प्रकार के कला-दस्कारी, बागवानी आदि सिखाने के उपाय होने चाहिए, जो समाजोपयोगी और अर्थोत्पादक भी हों। छात्रों की सहकारी दुकानें होनी चाहिए। छात्रों द्वारा चलाये जाने वाले छोटे-छोटे रेडियो-स्टेशन, रगमच, टेलीविजन-केन्द्र होने चाहिए।

विदेशी विश्व-विद्यालयों के अनुभव

यह सब, और अन्य अनेक प्रकार के साधन मैंने विदेशी विश्वविद्यालयों में देखे हैं। अमरीका में भी दो वर्ष तक पढाता रहा, १९५९ से १९६१ तक, दो विश्वविद्यालयों में, एक दिन भी कोई हड़ताल नहीं हुई। नीग्रो विद्यार्थियों का समर्थन वाला जलूस और सभा बिना शोर-गुल के शान्तिपूर्वक होती थी। कोई हिंसा नहीं, कोई कटुता नहीं। वहाँ विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों मार्ग हैं, अपनी शक्ति और फुरसत को अच्छे काम में लगाने के—तैरने को तालाव है, नाव चलाने को घाट हैं, संगीत शालाएँ हैं, शिल्पशालाएँ हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने हो तो सारा सरजाम तैयार है, सब तरह के यन्त्रों का चालन सिखाने के साधन हैं, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, उनके अपने अखबार हैं, मंच हैं, रेडियो हैं, यहाँ तक कि छात्र-संचालित दुकानें हैं, सँलुन हैं, भोजनागृह हैं। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी करना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा-संचालन में उसका उचित स्थान और हिस्सा देना होगा।

अनुशासन का मूल

शासन शब्द का मूल ही अन्तर्गत नियन्त्रण से सम्बद्ध है। जब छात्रों में या छात्रों से अनुशासन की मांग हम प्रौढ या बड़े लोग करते हैं, तो पहले अपने आपसे हम पूछें कि हम कितने अनुशासित हैं ? यदि हम स्वयं आलसी हैं, तो दूसरों से फुर्ती और चुस्ती की आशा करने का हमें क्या अधिकार है ? आखिर आज के छात्र, हमारी पीढ़ी के लोगों की ही उपज है। स्वराज्य के बाद यदि अवसरवादिता, आपा-धापी, स्वार्थ-पोषण हममें बढ गया है तो सरुण पीढ़ी का उसके प्रति विद्रोह कुछ मात्रा तक समझ में आता है। वह वैध और जायज़ है। परन्तु जिन साधनों का वे उपयोग कर हैं, वे उनके सदुद्देश्य के लिए घातक हैं। अतः निन्द्य हैं। हर अनुशासन भीतर से उपजेगा, बाहर से नहीं लादा जा सकेगा। छात्र से कुछ भी मांगने से पहले,

८०/छात्र विसोम ?

हमे स्वय अनुशासनपूर्ण होना होगा । 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली कहावत यहा नही चलेगी । वह पाडित्य अब पुराना पड गया । अब तो तुकाराम ने कहा वैसे 'पहले किया ! फिर कहा !!' (आधी केले, मग सांगितले !!) चाहिए । आचार-उच्चार समवाय ।

सहायक सचिव,

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली-१.

एक उद्धलित पीढ़ी

•
कृष्णवीर द्रोण

विद्यार्थी-आन्दोलन स्वतन्त्र भारत की एक और पीढ़ा जनक दुर्घटना है। पुलिस-विद्यार्थी मोर्चा, पथराव, लाठी-चार्ज और अग्नि-वर्षा—भारत का अधिकांश भाग इस दुर्घटना से घायल हो गया। छात्र-आन्दोलन हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में व्याप्त है। अतः यहाँ सारे विश्व-व्यापी छात्र-आन्दोलन पर एक दृष्टि डालना असमीचीन न होगा। विश्व के लगभग सभी देश इस बढ़ते हुये छात्र-असन्तोष से आक्रांत हैं। फ्रांस, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के अतिरिक्त ब्राजील, मिश्र, चीन, इन्दोनेशिया, जापान इत्यादि देशों में यह आन्दोलन अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। छात्र इन आन्दोलनों की प्रेरणा देश-विदेश के क्रांतिकारियों और विचारकों से लेते हैं। लैटिन अमरीका के मृत क्रांतिकारी नेता चे गुवैरा, केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हर्बर्ट मार्क्यूज जैसे अन्य व्यक्ति विद्यार्थियों में क्रान्ति-देवता के रूप में पूजित हो रहे हैं। समस्त योरोप अपने छात्र-आन्दोलनों में यही नारा बुलन्द करता है—“मार्क्स मसीहा, मार्क्यूज व्याख्याकार और माओ तलवार।”

अभी कुछ समय पूर्व ही पश्चिम बर्लिन की “फ्री यूनीवर्सिटी” के छात्र रूडी हुत्शके ने अपने गुरु मार्क्यूज के क्रान्ति-दर्शन से अनुप्राणित होकर पश्चिम जर्मनी में एक ज़बरदस्त जलजला उठा दिया। गत मई मास में फ्रांस में भी इसी प्रकार उग्रपथी छात्र-नेता डेनियल कोहन वैदी (जिसे छात्र प्यार से ‘लाल डेनी’ पुकारते हैं) ने फ्रांस में नेपोलियन के युग से चली आयी रूढ़िवादी एवं असास्यिक शिक्षा-व्यवस्था को समाप्त करने तथा देश में समाजवादी शक्तियों की स्थापना के लिये इतना भयंकर तूफान खड़ा कर दिया कि राष्ट्रपति जनरल दगाल का हठी सिंहासन भी एक बार तो डगमगाने लगा और उन्हें विवश होकर फ्रांस में नये चुनाव कराने पड़े। इस विशाल छात्र-शक्ति के समक्ष चेकोस्लोवाकिया के तानाशाह नोवोत्नी एवं इन्दोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ० सुकार्णो को भी अपदस्त होना पड़ा। अलग-अलग देशों में इस

छात्र-आन्दोलन के अलग-अलग तत्कालीन कारण हो सकते हैं, जैसे साम्यवादी देश पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया में विचार-स्वातन्त्र्य एवं सामाजिक-बन्धन से मुक्ति, फासिस्ट देश स्पेन में समस्त व्यवस्था को बदलने तथा अमरीका में वियतनाम युद्ध तथा रंग-भेद जैसे कारणों को लेकर उग्र आन्दोलन होते रहे हैं। छात्रों को अपनी बढ़ती हुई सख्या-शक्ति का अनुमान हो गया है।

आज के युवक की यह धारणा पुष्ट हो चुकी है कि राज्य-व्यवस्था कैसी भी क्यों हो—पूँजीवादी, प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी अथवा फासिस्टवादी—इससे कोई मौलिक अन्तर नहीं पड़ता। मूल प्रश्न तो यह है कि सिद्धान्तों, पद्धतियों और आदेशों के नाम पर समस्त शक्ति एवं सुविधायें कुछ चतुर राजनीतिज्ञों के हाथ में सिमट कर रह गयी हैं और शेष लोग मजबूरी एवं नगण्यता की पराजय भोग रहे हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि युवक-मन विक्षुब्ध हो उठे।

युवक मन की वर्तमान क्षुब्धता तथा सत्य, न्याय और स्वतन्त्रता की उसकी माँग आज की नवीन वस्तु नहीं है। सुकरात ने भी कहा है कि नौजवान जन्मजात ही असत्य, अन्याय और मत्ता का विरोध करता है। रूसों के “बन्धन-हीन प्राकृतिक राज्य” की कल्पना में भी स्वातन्त्र्य-भावना की इस परम्परा को खोजा जा सकता है। परन्तु वर्तमान युग के नवीन सन्दर्भों में हमें इसे एक प्रथक दृष्टि से देखना होगा। विज्ञान तथा प्रावधिकी की प्रगति ने परम्परागत मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है, परन्तु इस रिक्तता के स्थान पर नवीन मूल्य नये समाज की आवश्यकतानुसार स्थापित नहीं हो पाये हैं। मूल्यहीनता की इस भयावह परिस्थिति में व्यक्ति दिशाहीन तथा आस्थाहीन हो गया है। गत दो महायुद्धों ने भी विश्व के चेतन मस्तिष्क में हमारी इस समस्त सम्यता और सस्कृति के आगे गम्भीर प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है। मशीन के खुल्लार दाँतों के बीच व्यक्ति अनवरत उधेडा जा रहा है। सगठित-व्यवस्था और मीड की सीमाओं, वर्जनाओं तथा निषेधों के मध्य अकेला, अपमानित सा व्यक्ति घायल और पराजित हो एक मर्मन्तिक पीडा को भोग रहा है। मीडवाद के आधुनिक कौशल ने चमत्कारिक औषधियों (ड्रग्स) एवं बुद्धि-रूपान्तरण (ब्रेन-वाशिंग) की प्रक्रियाओं के द्वारा एक बीना सस्कृति की प्रसव-पीडा को जागृत किया है। इस पीडा के मूल में मशीन युग का विपाणु (वायरस) चुपके से घुस गया है। आज विज्ञान की राजनीति अपने प्रयोजन-सिद्धि हेतु, प्रयोगशालाओं में अपने ढंग का मानव-उत्पादन करने में लगी है। इस मानव की सहजानुभूतियों, प्रजात्मक-सकल्पों, कलात्मक

एव सांस्कृतिक अभिव्यजनाओं का बलात् निर्वासन कर दिया गया है और इस प्रकार व्यक्ति का जीवन एक प्रकार की बेहूदगी (Absurdity) का पर्याय बन गया है ।

मनुष्य की इस अजनबी स्थिति के परिणाम स्वरूप पश्चिम में "अस्तित्ववादी" दर्शन का उद्भव हुआ है । यों तो कीर्केगार्द के "अनास्थावाद" तथा नीत्शे द्वारा "ईश्वर की मौत" से भी पूर्व अस्तित्ववादी दर्शन के सूत्र खोजे जा सकते हैं, परन्तु आधुनिक समय में इस दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता पॉल सार्त्र, कामू तथा काफ़्का इत्यादि साहित्यकार हैं, जिन्होंने आज के युवक के मन में अनास्थावादी विद्रोह उत्पन्न करने में योग दिया है । मार्क्स के भौतिकवादी-द्वन्द्वात्मक दर्शन, फ्रायड, एडलर और युंग के मनोविज्ञान तथा डार्विन के विकासवाद ने समस्त प्राचीन मान्यताओं को अपदस्त कर दिया है । इस सबका यह परिणाम हुआ है कि आज के समस्त भूलावो, आत्म-प्रवचनाओं और दम्भों के विरोध में अमरीका में नाराज़ पीढी "बीटनिक" तथा "हिप्पी" जैसे युवक सगठनों का निर्माण कर रही है, जो सामाजिक व्यवस्था, नियम तथा नैतिकता के प्रति निषेधात्मक वृत्ति अपनाए हुए हैं । हिप्पी लोग सत्ता और राजनीति की प्रवचनाओं से अलग हो गये हैं, व "ड्राप आउट" कर गये हैं तथा शान्ति एव एकान्त के लिये भारत और नेपाल में बूटी-सेवन (माँग, गाँजा इत्यादि) करते, तथाकथित योग-साधना में लीन होकर "सार्वभौमिक चेतना" से अपना सम्बन्ध जोड़ने तथा प्रेम और निजीपन की खोज करने में व्याकुल हैं ।

यहाँ हमें इस विवाद के विस्तृत विश्लेषण में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि हमारे देश में उत्पन्न यह "त्रासद स्थिति" क्या वास्तविक है अथवा शौकिया या सतही ? इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने योरोप के समान दो महायुद्धों की ट्रेजेडी को नहीं भोगा है, यहाँ योरोपीय समाज के समान औद्योगीकरण तथा मशीनीकरण से उत्पन्न सामाजिक विपमतायें भी वैसी नहीं हैं और न अभी हमारा देश उन देशों जैसी वैभव-सम्पन्नता में डूब ही पाया है । तथापि विपमतायें हमारे यहाँ भी तीव्र गति से जन्म ले रही हैं तथा कुछ को हम पाश्चात्य नकल के तौर पर बलात् हमारी सवेदनाओं में भी प्रवेश (Infiltration) करा रहे हैं ।

कुछ भी हो, भारत का युवा छात्र आज अर्शांत, व्याकुल, बेचैन एव विपत्तिग्रस्त है । क्या यह विपत्ति अप्रत्याशित रूप से घटित हुई है ? गायद

नहीं। इस विपत्ति के बीज हमारी समाज-व्यवस्था में सहज ही खोजे जा सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है, कि क्या कारण है कि समाज-व्यवस्था का इतना द्रुतगामी तथा तीव्र प्रभाव विद्यार्थी-वर्ग पर हुआ ?

विद्यार्थी सागान्यतः एक स्वच्छ, शक्तिमान एवं मवेदनशील प्राणी होता है। वह एक विकसित होती हुई ऊर्ध्वगामी प्राण-सत्ता है। बौद्धिक चेतनता को यथासम्भव समेटता हुआ, विद्यार्थी एक अमिनव क्रान्ति-वेला में गुजरता है, जो उसके जीवन में जाज्वल्यमान पुनर्जागरण का उपकाल होती है। वह कोमल एवं मृदुल कुसुम है, परन्तु फिर भी है शक्ति-पुंज। आज उसका “श्रद्धेय गुरु” खो गया है। विश्व नर का विद्यार्थी आज गुफहीन हो गया है।

आज विद्यार्थी को अन्तर्दृष्टि कौन दे ? वस्तुतः सामाजिक पर्यावरण ही उस का ‘श्रद्धेय-गुरु’ है, चिर मार्ग-निर्देशक है, और सामाजिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है ? उत्तर है—मुख्यतः तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था। फिर शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, जो इच्छित प्रभाव उत्पन्न कर सके ? सर रिचर्ड लिविंग स्टोन के अनुसार आज हमें आधुनिक विश्व के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। आधुनिकता का अर्थ है—विशेष काल-परिप्रेक्ष्य में उत्तरोत्तर विकासमान समग्र मानवीय वैचारिक सम्पदा। आधुनिक शिक्षा समय विशेष में जीवन की व्याख्या, मूल्य-निर्धारण तथा व्यक्ति का शेष जगत् से सामंजस्य स्थापित करने की अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है।

भारतीय मदर्भ में, हमें आज ऐसी शिक्षा-पद्धति की अपेक्षा है, जो विद्यार्थी में ज्ञान-सवर्द्धन, वृहत्तर सत्यो के अन्वेषण तथा सत्यासत्य में अन्तर-भेद के उद्घाटन करने की शक्ति का संचार करे। उसमें ऐसे विवेक का उदय हो, कि वह स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यों के दार्शनिक पहलुओं को आत्मसात करता हुआ, उन्हें जीवन-प्रणाली के रूप में अंगीकार कर ले। वर्तमान स्थिति को देखने के पश्चात् यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है, कि आधुनिक शिक्षा अपने निर्धारित तथ्यों की पूर्ति में असफल रही है। ऐसा लगता है, कि शिक्षा और जीवन के मध्य का सूत्र ही टूट-सा गया है। एक तरफ न तो यह छात्र की वैयक्तिक मार्गों की पूर्ति ही कर सकी है और न दूसरी तरफ स्वातन्त्र्योत्तर सन्नान्तिकालीन मूल्यों में ही सामंजस्य ला सकी है। हमारी शिक्षा-नीति गुणात्मक न होकर सख्यात्मक ही रही, जिसके कारण देश-भर में अघकचरे एवं अर्द्ध-शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी कतारें खड़ी हो गई हैं।

लिविंग स्टोन लिखते हैं, कि यद्यपि यह सही है कि अशिक्षित व्यक्ति ससार के लिए एक खतरा हैं, तथापि अर्द्ध-शिक्षित व्यक्ति, जिनके खतरे से हम अपरिचित हैं, वे उनसे कहीं अधिक विपत्तियों के कारण हो सकते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यहाँ गत वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है।

विद्यालय के पठन-पाठन के दायरे में हम अपनी शिक्षा-प्रणाली के दोषों को क्रमशः विद्यालय, अध्यापक, अभिभावक तथा छात्र—इन चार दृष्टियों से परख सकते हैं। हमारे विद्यालयों का वातावरण बड़ा अरुचिकर तथा प्रेरणा रहित बना हुआ है। विद्यालयों में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा मनोरजन से सम्बन्धित साधनों का नितान्त अभाव है। शिक्षक-छात्र के व्यक्तिगत सम्बन्ध टूट चले हैं, दोषपूर्ण ट्यूशन-प्रणाली का प्रचलन जोरो पर है और छात्रों की वैयक्तिक रुचियों की अवहेलना की जाती है। भारत शिक्षक को विश्व-मनीषी के रूप में समाहृत करता आया है। दुर्भाग्य है कि आज हमारा सामाजिक प्रेरणास्रोत सूख गया है। समाज के उपेक्षित अल्प वेतन-भोगी, पेशे से अनभिज्ञ, अरुचि वाले तथा अयोग्य अध्यापकों में ज्ञान की गरिमा तथा अपने कार्य के प्रति निष्ठा कैसे मिल सकेगी? आज का अभिभावक भी समान रूप से भ्रमित एवं दुखी है। वह स्वयं आर्थिक समस्या के कारण अपने बालकों तथा विद्यालयों से सम्बन्ध नहीं रख पाता। विद्यालय से ऊबा हुआ बालक जब घर पहुँचता है, तब वहाँ भी उसे नैराश्य-पूर्ण, अरुचिकर, मनोरजन-रहित, उत्साहहीन तथा शिकायतों से भरा वातावरण मिलता है।

भारतीय परम्परा का विनीत, श्रद्धालु, चरित्रवान तथा जिज्ञासु विद्यार्थी वर्तमान में फैशनपरस्त, बेखबर, श्रद्धाहीन तथा उद्वण्ड बनता गया है, परन्तु उसका मानस अभी इन अवगुणों से तालमेल नहीं बैठा सका है। भारतीय विद्यार्थी की आदर्शवादी मानसिक परम्परा उसका पीछा कर रही है। ऐसी स्थिति में वह एक अजीब भय, बेवसी तथा असुरक्षा का शिकार हो रहा है। इसे हम सांस्कृतिक-मनोवैज्ञानिक परम्परा-सम्बन्धों की उलझन की सजा दे सकते हैं। मानसिक रूप से यह विद्यार्थी के लिए सक्रान्तिकाल है। उसका जीवन कॉलेज-प्रवेश से लेकर परीक्षा तक आशका तथा अनिर्णय और बाद में बेरोजगारी एवं असुरक्षा से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में वह असहाय, बंचेन, धुटा हुआ, मायूस, बेबस, निराश तथा कुण्ठित हो चला है। इस दीर्घकालीन पुँजीभूत निराशा की परिणति ही आज का विद्यार्थी-आन्दोलन

है। उनमें एक प्रकार की विचार-शून्यता उत्पन्न हो गई है। और तो और वे आन्दोलन के कारण जाने बिना ही उसे प्रारम्भ कर सकते हैं। अपने चतुर्दिक व्याप्त वातावरण के कारण उन्होंने स्वतन्त्रता का अर्थ अराजकता तथा अधिकार का अर्थ विद्रोह लगा लगा है। किन्तु फिर भी विद्यार्थी कुछ भी हो सकता है, देशद्रोही नहीं, कदापि नहीं। आज हमें चाहिये कि समय रहते हुए अपने 'परम मित्र' को पहचानें।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का नारा तो लगाया गया, परन्तु 'पर उपदेम कुसल बहुतेरे' के अनुसार देश में तप पून राजनायको के स्थान पर स्वार्थी एवं अवसरवादी नेताओं की बाढ सी आ गई है।

युवको तथा राजनीतिज्ञो के दृष्टिकोण में मतभेद उत्पन्न हो गया है। शक्तिमद में लोगो ने राजनीतिक अधिकारो का दुरुपयोग किया। एक भयकर भूल यह हुई कि गन दिनों के युद्धकालीन युवा-उत्साह का देश सदुपयोग न कर सका और उल्टे बाद में अन्न जैसे मामलो को लेकर राष्ट्रीय गौरव को हानि ही उठानी पडी।

अनुशासन बल पूर्वक लादा नहीं जा सकता। वह सस्कारों के द्वारा, जो सामाजिक परिवेश से निर्मित होते हैं, दृढ होता है। विद्यार्थी इसको प्यार, सहानुभूति तथा सच्चे आदर्शों द्वारा आत्मसात करता है। आज राजनीतिक सिफारिशो के कारण अपराधी का अदंडित बच निकलना, नेताओं का भ्रष्टाचार-रत रहना, योग्यता तथा परिश्रम के स्थान पर सिफारिशों का बोलवाला होना तथा प्रशासनिक शिथिलताओं के कारण विद्यार्थी भी दुस्साहसी, आवेग भरा, उच्छृंखल तथा ढीठ हो चला है।

समस्त समाज-व्यवस्था तथा आदर्शों के लुप्त होने के कारण समाज के सगठनात्मक तत्त्व द्रुतगति से छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। सामाजिक मानदण्ड आत्मवादी तत्त्वज्ञानियों के हाथो से छूट कर अर्थतन्त्र तथा राजतन्त्र की रम्नाकशी के बीच उलझ गए हैं। मौक्तिक उपलब्धियों की चकाचौंध के बीच आज आत्मा, बुद्धि तथा मन की मर्गत्र अवहेलना हो रही है। न्याय, विवेक तथा सत्य की अनुपस्थिति में लोगो का शान्ति तथा अहिंसा के मार्ग पर से क्रमशः विश्वास ही उठता जा रहा है।

जब तक कोई राष्ट्र कालान्तर में नवीन जीवन मूल्यों को पूर्णतः आत्ममात न कर ले, जब तक परम्परागत मास्कृतिक नैतिजना तथा धर्म

के बिना सामाजिक-सूत्र टूट-टूट कर बिखरने लगते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ भारतीय एव पाश्चात्य सस्कृतियों के बीच असामंजस्य उत्पन्न हो जाने के कारण भारतीय मानस नैतिक मानदण्डों की उलभन भरी कुहेलिका के मध्य पथभ्रान्त हो भटक रहा है।

यदि समस्या को समष्टि दृष्टि से विचारा जाय तो इसके मूल में एक व्यापक कारण को लक्षित किया जा सकता है। जीवन में संतुलन लाने के लिये कथनी और करनी तथा सिद्धान्त और कर्म में एकता स्थापित करनी होती है। यदि हमने प्रजातांत्रिक दर्शन, स्वतन्त्रता, समता एव न्याय के सिद्धान्तों को अपनी जीवन-प्रणाली के रूप में अपनाने की बात कही है, तो हमें अनिवार्यतः उन्हें अपने आचरण में व्यवहृत करना होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य को हम अभी तक पहचान नहीं पाये हैं कि हमने अपने युग की बदलती हुई अनिवार्यताओं के दबाव से जिन उच्च मानवीय सिद्धान्तों की उद्घोषणायें स्वतन्त्रता-प्राप्ति की अरुणम बेला में की थी, वे अब वैचारिक-स्तर^१ से बढ़कर भारतीय महत्वाकांक्षी युवक के मन, भावना व आत्मा की पतें बनती जा रही हैं। परन्तु इसके विपरीत आज हमारी वास्तविकता यह है कि हमारे समूचे जीवन में एक दोहरापन आ गया है, हमारे वचन और कर्म में एक-रूपता नहीं है। यह बात सचेदनशील युवक के मानस को व्याघात पहुँचाती है।

वैज्ञानिक युग की वैचारिक-क्रान्ति ने हमारे जीवन की समस्त नैतिकता की पुनर्व्यख्या प्रस्तुत की है। इन समसामयिक परिभाषाओं के एक बहुत बड़े अंश को हमने स्वीकारा भी है, परन्तु इस स्वीकारोक्ति में एक ओर तो उन्मुक्तता, स्वच्छन्दता, अभय एव ग्रहणशीलता के स्थान पर भिन्नक, शका एव सशय है, तो दूसरी ओर वरण किये हुये को परित्याग करने अथवा उसी को दृढता, निष्ठा, और साहस के साथ अपना बनाने का जोखिम उठाने की असामर्थ्य है। मानवीय प्रगति के इतिहास ने विचार से अधिक उसकी कार्यान्विति के जोखिम के कष्ट को भोगा है। हम लोग, ऐसा लगता है अभी इन कष्ट के लिये प्रस्तुत नहीं हैं। वह दिन शुभ होगा कि जब हम अपने

१. यहाँ वैचारिक स्तर से मेरा यह ता-पर्य नहीं है, कि इन सिद्धान्तों के साथ हमारी भावनाओं का लगाय न था, बल्कि इन उच्चादशों से हमारी भावना स्फूर्तित तो थी, प्रेरित भी थी, परन्तु ये हमारी भावना के स्थायी अंग नहीं बन पाये थे।

युवक की नवनवोन्मेषशालिनी चेतना व सवेदना की पत्तों को यथार्थ एव अपने देश की प्रकृति के अनुरूप स्वीकार कर उसे तदनुकूल आचरण करने की स्वतन्त्रता प्रदान कर देंगे । भारतीय युवक का मन सकटा-पन्न है । यह बात उसकी आत्मा को सालती है कि आज हम बहुरूपिये क्यों हो गये हैं ? आज हम जिसे नैतिक कहते हैं, उसे कर क्यों नहीं पा रहे ?

आज हमारे युवक का मन विभ्रम से आक्रांत है, उसे अपनी सही दिशा ज्ञात नहीं । अतः उसकी शक्ति, सामर्थ्य एव ऊर्जा तुच्छ बातों में उलभ कर बुझ जाती है । वह भूला हुआ है कि उसे इन छोटी-मोटी बातों से ऊँचा उठकर समाज-रचना एव जीवन के अनेक अस्पर्शित क्षेत्रों में सृजन का कार्य करना है । उसकी महत् शक्ति महत् कार्यों के लिये सुरक्षित रहनी चाहिये । शक्ति ने यदि सृजन नहीं किया, तो उससे विनाश होना अवश्यभावी है ।

मात्र भौतिक समृद्धि भी मानव को स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकती । अब अणु-विज्ञान भी एक ऐसे विन्दु पर आगया है, जब पदार्थ की संरचना उपनिषद् के ब्रह्म के समान अनिर्वचनीय हो गयी है । अतः ऐसी स्थिति में भौतिक-दर्शन मानव मन की व्याख्या करने में और भी अधिक असमर्थ हो गया है । युग के विरोधाभास की इस घड़ी में, जबकि पश्चिम का युवक अपनी वैभव-सम्पन्नता से क्लान्त हो उठा है तथा इतिहासकार टायनबी इतिहास के दोहरने की बात कहता हुआ चेतावनी देता है, कि विश्व में पुनः "बर्बर" आयेगा तथा दूसरी ओर पूर्व का युवक अपनी आर्थिक विपन्नता से अघोर हो उठा है, तो यह सहज ही हमारी समझ में आने लगता है, कि हमें भौतिक एव आध्यात्म की अतिवादिताओं (Extremes) से बचकर, एक सामजस्यपूर्ण भाव-भूमि की स्थापना करनी होगी । आज के इस सकट में भी हमें मानवीय विवेक, उसके प्रयत्न तथा जीवट में आस्था रखते हुये, एक एक ऐसी "समग्र-दृष्टि" अपनानी होगी, जो वैचारिक घरातल से ऊँचा उठकर मानव आत्मा में समरसता उत्पन्न कर सके ।

सो, १३८ बयानन्द मार्ग,

तिलक नगर, जयपुर

शिक्षा क्षेत्र में अवांछनीय हस्तक्षेप क्यों ?

गुरुदत्त

भारत में जब अंग्रेज शासकों ने शिक्षा अपने हाथ में ली, तो उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया। उससे पूर्व शिक्षा मानव अभ्युदय का साधन मानी जाती थी और अंग्रेजों ने इसे राज्य के सेवक निर्माण का यंत्र बना दिया।

उस समय मैकॉले का दृष्टिकोण क्या था ? इस विषय पर न लिखते हुए यह तो बताया ही जा सकता है, कि सरकार के शिक्षा में हस्तक्षेप का परिणाम इसके उद्देश्य को बदलने में कारण हो गया।

भारत में राज्य तो पहिले भी थे और उनके कार्य भी चलते ही थे। उनमें सहस्रो कर्मचारी भी होते ही थे, परन्तु तब राज्य अपने कर्मचारी, पढे-लिखो में से चुन लेते थे। ये कर्मचारी अपने विद्यालयों और मकतबों में मानव बनने की शिक्षा ग्रहण कर आते थे। राज्य और राजा-रईम उन पढे लिखों में से अपने काम के योग्य शिक्षित चुन लेते थे।

अंग्रेजी सरकार ने अपने लिये कर्मचारी निर्माण करने के निमित्त शिक्षा को ही अपने हाथ में लेने का प्रयास आरम्भ किया और धीरे-धीरे देश के पूर्ण शिक्षा-यंत्र पर अधिकार जमा लिया। पहले सरकारी स्कूलों तथा कालेजों की शिक्षा का और पीछे सम्पूर्ण शिक्षा-यंत्र का उद्देश्य ही क्लर्क और चपरासी निर्माण करना हो गया।

ज्यो-ज्यो शिक्षा-क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया, त्यो-त्यो शिक्षा का उद्देश्य मानव अभ्युदय के स्थान पर सरकार का अभ्युदय बनता गया और शिक्षा-केन्द्र मानव के स्थान पर सेवक निर्माण करने लगे।

स्वराज्य प्राप्ति के उपरान्त सरकार का शिक्षा-यंत्र में हस्तक्षेप अत्यधिक हो गया है। अब तो विश्वविद्यालय किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज का अपने साथ सम्बन्ध नहीं करता, जो सरकारी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं

देता और सरकारी पाठ्यक्रम है—सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। सरकार को क्या पढे हुए और किस स्वभाव के लोग चाहिये, यह सरकारी कार्यों की सूची पढने से पता चलता है। इस सूची में मानव बनाना नहीं आता।

सरकार को क्लर्क, एकाउटेन्ट, मिस्त्री, भोवर सीयर, सिविल इन्जीनियर, विजली तथा मशीनो के इन्जीनियर इत्यादि चाहियें और सरकारी शिक्षा इनको तैयार करने का यत्न कर रही है। इन्हीं कार्यों की शिक्षा देने में सरकार लगी हुई है। यद्यपि हमें सदेह है कि सरकार की शिक्षा-पद्धति यह सब बनाने में भी सफल हो रही है। इस पर भी मान लेते हैं कि सरकार यह बना रही है, तो भी इतना तो कहना ही होगा कि इतने मात्र से मानव अम्यु-दय पूर्ण नहीं हो जाता। मानव में मानवता तो एक क्लर्क इन्जीनियर इत्यादि बनने से बहुत बड़ी है। ये सब काम तो मनुष्य के शरीर को सिघाने मात्र से सीखे जाते हैं। इन कानों में मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित विकास सम्बन्ध नहीं।

यहाँ कहा जाता है कि आज सरकार के प्रजातन्त्रात्मक होने से सरकार की सेवाएँ समाज की सेवाएँ ही हैं और समाज की सेवा अपनी अर्थात् मानव की सेवा ही है। अतः इसको मानव कल्याण ही मानना पड़ेगा। सरकार की सेवा को समाज की सेवा मान लेने पर भी यह सेवा-कार्य सीखना मानव अम्यु-दय कैसे हो गया? मानव के कार्य उक्त सेवाओं में बहुत अधिक हैं।

मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संयोग है। इन्जीनियर इत्यादि की शिक्षा तो कुछ बुद्धि को छू भी पाती है, परन्तु मन और आत्मा के विकास में तो यह किंचित मात्र भी भाग नहीं लेती। बुद्धि के विकास में भी इसका बहुत ही कम भाग है। शरीर की उन्नति भी आज स्कूल-कॉलेजों में नहीं होती। जहा तक मन और आत्मा का प्रश्न है, इसके लिये वर्तमान शिक्षा-पद्धति में कोई स्थान है ही नहीं। थोड़े से गुरु (फार्मूले) स्मरण कर लेने से मन अथवा आत्मा का विकास नहीं हो सकता। पढे-लिखे लोगों में अना-चार, दुराचार और अयुक्ति-संगत व्यवहार इस बात का साक्षी है। वर्तमान शिक्षा प्राप्त युवक सरकारी मशीन का एक अंग मात्र ही बन सकते हैं। ज्यों ही उनका सरकार यंत्र से सम्बन्ध विच्छेद हुआ, वे या तो सरकार से बग़ावत करने का विचार करने लगते हैं अथवा आत्म-हत्या पर उतारू हो जाते हैं।

समाज-सेवा मानव अभ्युदय नहीं। इसके विपरीत यह कहा जाये, तो अधिक ठीक होगा कि मानव अभ्युदय ही समाज-सेवा है। समाज मनुष्यो से ही बनता है। समाज से मनुष्य बनते नहीं देखे जाते। कारण स्पष्ट है। समाज-सेवा का कार्य मानव की सर्वांग उन्नति का प्रतीक नहीं।

मानव अभ्युदय की ओर प्रथम पग है—अधिक से अधिक सख्या में मानव तैयार करना। समाज का अभ्युदय मानवों की सख्या सीमित रखने में नहीं है। सब समाजवादियों को यह चिन्ता लगी रहती है, कि मानवों की सख्या एक सीमा से अधिक न हो जाये।

किसी समय यूनान में स्पार्टन समाज-हित को व्यक्तिगत हित से श्रेष्ठ मानते थे और वे दुर्बल बच्चा को मार डालने में ही समाज कल्याण मानते थे। यही बात आज कहे जाने वाले सब सम्य देशों में, एक दूसरे ढंग से की जा रही है। समाज हित में बच्चे न पैदा करना, एक आवश्यक कार्य माना जाता है। यह बात समाजवादी देशों में भी और पूँजीवादी देशों में भी की जा रही है। अन्तर केवल इतना है कि समाजवादी देशों में सरकार अर्थात् समाज इसके उपाय बताती है और पूँजीवादी देशों में पति-पत्नी अपने छोटे से समाज के हित में प्रोफिलैटिक्स प्रयोग करते हैं, अथवा गर्भपात करते हैं। भारत की समाजवादी सरकार भी जन-सख्या सीमित करने के पीछे कमर कस चल पडी है। मानव निर्माण करना कार्य नहीं रहा और सरकार गर्भ-निरोध अर्थात् परिवार नियोजन के कार्यों से सतुष्ट न रहकर गर्भपात को कानून से स्वीकार कराने की बात पर विचार करने लगी है।

अत मानव कल्याण की प्रारम्भिक बात, कि अधिक से अधिक सख्या में स्वतन्त्रता पूर्वक मानव निर्माण, को अकार्य मान लिया गया है। इस कार्य में युक्ति भले ही कुछ हो, परन्तु मानव-निर्माण में यह बाधा हितकर दिखाई नहीं देती। सन्तान-निरोध, भ्रूण-हत्या अथवा शिशु-हत्या योग्य और अयोग्य में भेद नहीं करती। इस कारण यह हितकर नहीं हो सकता।

वस्तु स्थिति यह है, कि सरकार शिक्षा को अपने हाथ में लेकर ऐसे शिक्षित निर्माण कर रही है, जो मानव नहीं होते। वे तो केवल समाज-यंत्र के पुरजों मात्र होते हैं। जिस स्थान पर वे काम करने के लिये बनाये जाते हैं, वही कार्य वे कर सकते हैं। ज्यों ही वह कार्य छूटा, वे समार को अन्धकारमय पाते हैं। कारण, उनमें मन, बुद्धि और आत्मा का विकास नहीं हो पाता।

अत हमारा यह विश्वास है कि शिक्षा के उद्देश्य बदला है—इसके शासन के अधीन होने से। यह उद्देश्य का बदलना शिक्षा को उन्नत करने में

कारण नहीं हुआ, वरच इसको पतन की और ले जाने वाला ही हुआ। वर्तमान शिक्षा मानव को शरीर से सुदृढ, मन से सतर्क, बुद्धि से विकसित और आत्मा से पवित्र नहीं बना रही। यह शिक्षा बना रही है—क्लर्क, लेखाकार, मिस्त्री, श्रोवरसीयर, इन्जीनियर, अफसर इत्यादि। यह भी इस कारण कि सरकार अथवा समाज को इनकी आवश्यकता है। शिक्षा-संस्थाएँ सेवा योग्य कार्य सिखा कर युवकों को शिक्षित मान लेती हैं।

यही कारण है कि धैर्यहीनता, क्रोधाधिक्य, असत्य भाषण, चोरी, अनाचार और दुराचार की व्यापकता हो गई है। अभिप्राय यह है कि सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक दुर्बलताएँ दिखाई देने लगी हैं। कारण, आज शिक्षा सेवक-निर्माण करने में लगी हुई है, मानव निर्माण में नहीं।

अतः शिक्षा की इस दुर्दशा को दूर करने के लिये उपाय यह है कि इस को समाज सेवक तैयार करने वाली योजना का परित्याग कर मानव बनाने का कार्य आरम्भ कर देना चाहिए।

शिक्षा देना विद्वानों का काम है, सरकार अथवा सरकारी नौकरों का नहीं। अतः शिक्षा को राजनीतिक दासता से मुक्त करना प्रथम कार्य है। इसके लिये प्रथम पग है केन्द्र और राज्यों में सरकारी शिक्षा-विभाग बन्द किये जाय। शिक्षा मंत्रियों के पद रद्द किये जायें। विश्वविद्यालयों को नर्सरी स्कूलों से लेकर अन्वेषण विभागों तक की देख-रेख का अधिकार दिया जाये।

इस दिशा में दूसरा पग है, सरकारी कार्यालयों, कारखानों, सेना और पुलिस इत्यादि महकमों में भर्ती के लिये अधिकारी अपनी-अपनी परीक्षाएँ चलायें। स्मरण रहे शिक्षा नहीं, परीक्षाएँ और उन परीक्षाओं में बैठने की शर्त किसी स्कूल कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अथवा डिग्री की आवश्यकता न हो। इनमें बैठने की स्वीकृति किसी भी साक्षर को हो। परीक्षा निर्धारित विषयों और स्तर की हो। जो उत्तीर्ण हो सके, वह नौकरी पायेगा।

राजनीतिक दामता से शिक्षा को मुक्त करने का तीसरा पग है—ध्यापार, उद्योग, कृषि, साहित्य और कला से शासन को प्रथक करना। शासन और संसद का कार्य सेना, पुलिस, न्याय और शान्ति-व्यवस्था तक सीमित हो जाना चाहिये।

थे और इसी प्रकार के अन्य कार्य हैं, जिन से शिक्षा को राजनीतिक बंधनो से मुक्त किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह दासता ही है।

यह तो शिक्षा को बंधन-मुक्त करना हुआ, परन्तु शिक्षा की उन्नति और विकास के लिये इसको विचारो की दासता से भी मुक्त करना होगा। जब पढा-लिखा यह समझता है कि जो कुछ उसने पढा अथवा जाना है, वह ही सब कुछ है और किसी का अधिकार नहीं कि वह उसके अतिरिक्त कुछ कहे अथवा करे। वह विचारो की दासता है और यह उन्नति में बाधक होगी।

ऐसी दासता आज विश्वविद्यालयो, कॉलेजो, स्कूलो तथा अन्य शिक्षा केन्द्रो में व्यापक दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में, किसी भी विषय पर अन्वेषण अथवा मौलिक-पत्रक (Thesis) लिखने के लिये विषय का निर्वाचन एक अधिकारियो का बोर्ड करता है। जिस विषय को वे दो चार अधिकारी स्वीकार नहीं करते, उस पर कोई विद्यार्थी मौलिक कार्य नहीं कर सकता। यह विचारो पर सीमा बाधनी है। यह बात आज प्राय सब विश्वविद्यालयो में चल रही है। परीक्षा-बोर्ड तो होना चाहिये, परन्तु विषय निर्धारण बंधन है। यह बात भी उंसी श्रेणी की है, जैसा सेवा-कार्य के लिये शिक्षा का वैसा ही पाठ्यक्रम स्वीकार करने के लिये शिक्षणालयों को बाध्य करना।

पाठ्यक्रम पर दो सीमाएँ हो सकती हैं। एक विचार की असीमता और दूसरे विद्यार्थी की सामर्थ्य। होना यह चाहिये कि कोई भी विद्वान् अपने विषय की शिक्षा दे सके। जो सीखने की सामर्थ्य और रुचि रखता हो, सीख सके। ज्ञान-विज्ञान का पाठ्यक्रम वही विद्वान् निश्चय करें, जो शिक्षक हो। इसी प्रकार अन्वेषण करने कराने पर कोई नियन्त्रण न हो। परीक्षा परीक्षको के हाथ में हो।

विडम्बना यह है कि अन्वेषण कार्य में विषय निश्चय करने, फिर लेखो को स्वीकार करने तथा उनकी परीक्षा करने वाले एक ही लोग होते हैं। इस पर एक बात और कि उन अन्वेषण करने वालों को नौकरी देने वाले भी वे परीक्षक ही हैं। इस से शिक्षा कुण्ठित हो रही है।

एक सीमा तक जिस में भाषा का ज्ञान, प्रारम्भिक गणित, इतिहास, भूगोल अथवा विज्ञानादि विषयो के पाठ्यक्रम तो विश्वविद्यालयो द्वारा नियुक्त

मर्मितिया और शायोग निम्नय करें, परन्तु उन्तो उपर नियमों का विशेष अध्ययन और पठन व्यक्तिगत अध्यापकों के अधीन हों।

जहा तक सरकारी और निजी विद्यालयों का सम्बन्ध है, वे अपनी-अपनी परीक्षा लेकर सेवक नियुक्त करें। उन परीक्षाओं में बैठने के नियम, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं किनी मन्त्रा अध्यापक विद्यालय के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता न हो।

मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विद्यालयों के विभिन्न शास्त्रों में कई योग-क्रियाएँ बताई हैं। उनको भी शिक्षक गण स्वीकार करेंगे और विद्यार्थी सीखेंगे। यह तब ही हो सकेगा जब शिक्षक अपना पाठ्यक्रम स्वयं निश्चय करेंगे। उनकी अपनी योग्यता की परीक्षा और विद्यार्थी के मन तथा बुद्धि के विकास का अनुमान विद्यार्थी की धृष्टता से निश्चय होगा। विद्यार्थियों में योग्यता प्राप्त करने की प्रतिभार्या चल पड़ेगी और यह व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होगा।

कुछ लोग आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। हमारा कहना है कि न माने और न पढायें, परन्तु जाँ पढाना चाहें और मन, बुद्धि और आत्मा को उन्नत करने की शिक्षा देना चाहें, उन पर प्रतिबन्ध न हो। आज समाज अथवा सरकार की सेवाओं के लिये किनी विश्वविद्यालय अथवा सरकारी बोर्ड की डिग्री, सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा की अनिवार्यता है और उन सत्याओं में मन बुद्धि और आत्मा के विकास की शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं रहता। यदि नव के लिये द्वार खुले होंगे, तो निःशन्देह उन्नत मन और आत्मा वाले समाज में अधिक सफल होंगे।

संक्षेप में, हमारा यह कहना है, कि आज की शिक्षा में सब दोषों का मूल शिक्षा के उद्देश्यों का हीन हो जाना है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिये नहीं रही। यह समाज की कुछ सेवाओं के लिये सेवक बनाने में सीमित कर दी गयी है।

बिना इस उद्देश्य को बदले शिक्षा की दशा सुधर नहीं सकेगी। यह निम्न कोटि का उद्देश्य बना है, राजनीति-तंत्र का शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनाधिकार हस्तक्षेप से। शासन दो प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है। एक तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में राजनीतिक सुविधाओं को लक्ष्य बना कर और दूसरे सरकारी और समाज की सेवाओं में सरकारी पाठ्यक्रम वाली शिक्षा की उपाधि दे कर। बिना इन का उन्मूलन किये सुधार असम्भव है।

शिक्षा क्षेत्र में अवांछनीय हस्तक्षेप क्यों ? / ६५

यदि यह नहीं किया जायेगा और सरकारी नौकरियों का क्षेत्र बढता गया, तो विद्यार्थियों में वैचैनी की एक झलक जो, अमी-अमी मिली है, और जो विराट रूप में चीन के आदोलन में दिखाई दी है, व्यापक हो जायेगी ।

भारती साहित्य सदन,
३०/६० कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-१.

लक्ष्य प्राप्ति की चाह

डॉ० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी

पिछले दिनों देश के अनेक भागों में विद्यार्थियों का असन्तोष जिस आकार और परिमाण में प्रकट हुआ है, उसके कारण देश की अनेक प्रमुख समस्याएँ भी पृष्ठभूमि में पड़ गई हैं। लोकतन्त्रीय उपायों से सामाजिक शांति और सुव्यवस्थित प्रगति के उद्देश्यों का विद्यार्थी-असन्तोष की समस्या और दृष्टिकोण से परस्पर सम्बन्ध है। विद्यार्थियों द्वारा लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करते रहने से तथा देश के नवयुवकों द्वारा हिंसात्मक काम करने से राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता, हमारे समाज के आधार भूत मान नष्ट हो जाते हैं और लोकतन्त्रीय व्यवस्था के क्रियाकलापों को गहरा आघात लगता है।

विद्यार्थी समाज के अभिन्न अङ्ग हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से वे हमारे पुत्र, पुत्री और भाई, बहन हैं। सामूहिक दृष्टि से वे नई पीढ़ी के तथा समाज के अपेक्षाकृत अधिक भाग्यशाली वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इसलिए निश्चय ही एकमात्र उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। वे वस्तुतः हमारे समाज की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिबिम्ब हैं। बुजुर्ग उनके सामने जो उदाहरण रखते हैं, वे प्रायः अनुकरणीय नहीं होते।

संभव है कि देश क्रुद्ध नवयुवक किसी विशेष कारण से रूढ़ न हो। यह भी संभव है कि उनका रोष उचित न हो। हो सकता है कि वे किसी उद्देश्य और आदर्श की प्राप्ति के लिए अन्धेरे में भटक रहे हों।

सत्य तो यह है कि हम नवयुवकों में अदम्य उत्साह और देश के भविष्य के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न नहीं कर सके हैं। चारों ओर सदेह आशंका और उदासीनता व्याप्त है। देश में गरीबी और अभाव है तथा लोग हर समय इसी की चर्चा करते रहते हैं। जीवन पर राजनीति बुरी तरह सवार है। लोगों में कुप्टा और निराशा छाई हुई है। विद्यार्थियों के मन में बेरोजगारी की आशंका समाई हुई है। शिक्षा का स्तर रमातल में जा रहा है।

विद्यार्थियों की पढाई-लिखाई पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है, कि अब गम्भीर और गहन अध्ययन करने की परिपाटी समाप्त होती जा रही है। पाठ्यक्रम समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, शिक्षा की सुविधाएँ प्रायः अपर्याप्त हैं, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कई गुनी बढ़ गई है और विद्यार्थियों की शक्ति का सदुपयोग करने के उपाय बहुत कम हैं।

पिछले दिनों केन्द्रीय गृहमन्त्रालय ने १२०० विद्यार्थियों के मामले का अध्ययन किया था। यह अध्ययन यद्यपि प्रकाशित नहीं किया गया है, किन्तु इससे (देखिये, हिन्दुस्तान टाइम्स, १६ नवम्बर, १९६६) जो सूचना मिली है, उससे पता चलता है कि आंदोलनों में भाग लेने वाले पचास प्रतिशत विद्यार्थी अपने अध्यापकों अथवा शिक्षा-संस्थाओं से असन्तुष्ट थे। शेष पचास प्रतिशत विद्यार्थियों ने राजनीतिक दलों के इशारों पर आंदोलनों में भाग लिया। हम इस अध्ययन के आधार पर किसी अन्तिम निर्णय पर शायद न पहुँच सकें, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थी-आन्दोलन पर राजनीति का प्रभाव काफी बढ़ गया है।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को वर्तमान राजनीतिक मामले की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि छात्र देश की राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक परिवर्तनों को समझते हैं और इनके प्रति सजग रहते हैं, तो उनकी यह प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है और इसे प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये। किन्तु राजनीतिक प्रदर्शनों और आंदोलनों में विद्यार्थियों के सक्रिय रूप से भाग लेने पर और विद्यार्थियों से राजनीतिक दलों द्वारा वस्तुतः स्वार्थ-सिद्ध कराने पर छात्र लगातार निरर्थक अशांति उत्पन्न करते रह सकते हैं। सन् १९१७ में भागलपुर के बिहार छात्र-सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने कहा भी था—

“...राजनीति के दो पहलू होते हैं—सैद्धान्तिक अध्ययन और सक्रिय रूप से भाग लेना। विद्यार्थियों को राजनीति के सिद्धान्तों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, किन्तु इसमें सक्रिय भाग लेना उनके लिये हानिकर है। विद्यार्थियों को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए और राष्ट्र के नेताओं का आदर करना चाहिये। राष्ट्रीय नेताओं के बारे में कोई निर्णय देना विद्यार्थियों का काम नहीं है। धृष्टता की भावना विद्यार्थियों को शोभा नहीं देती।”

दूसरा प्रश्न है कि छात्र सेवा कर सकते हैं ? इसका सीधा-सादा उत्तर यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मन लगाकर पढना चाहिये और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये । उसकी यही इच्छा होनी चाहिये कि अध्ययन से प्राप्त अपने ज्ञान को वह देश की सेवा में लगायेगा । मुझे पूर्ण निश्चय है कि विद्यार्थी इस प्रकार देश की सेवा कर सकेंगे ।

आधुनिक भारत में हम नई और बदलती हुई व्यवस्था की प्रारम्भिक कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं । समझ है कि इन परिवर्तनों का दूरगामी प्रभाव नहीं हो रहा हो अथवा हमारी इच्छानुसार परिवर्तन बहुत तेजी से न हो रहे हो, किन्तु शताब्दियों में हुई प्रगति समान १०-२० वर्षों में ही प्रगति कर लेना और द्रुतगति के कारण उत्पन्न समस्याओं को भी इतनी ही अवधि में सुलभ लेना बड़ा कठिन कार्य है । उदाहरण के लिये शिक्षा आयोग ने कल्पना की है कि आर्थिक प्रगति के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति चार सौ गुना अधिक तेज रफ्तार से होगी (देखिये हिन्दुस्तान टाइम्स, १६ नवम्बर, १९६६) । इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न असंतुलन दूर करना कोई आसान काम नहीं है । इसलिये आवश्यक है कि विद्यार्थी और उनकी आकांक्षाएँ सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के घरातल पर मजबूती के साथ आधारित रहे । यदि विद्यार्थियों को समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा के कार्यों में पूरी तरह नहीं लगाया जायगा तो उनकी मानसिक स्थिति राष्ट्र के अनुकूल न बनने की आशंका रहेगी और इसके कारण देश की लोकतन्त्रीय समस्याओं का काम ही रुक सकता है ।

मै, एडवर्ड शिल्स (एण्काण्टर सितम्बर १९६१, खण्ड १७ अंक ३, पृष्ठ १२ से २०) के इस विचार से सहमत हूँ कि भारतीय विद्यार्थियों में उथल-पुथल सविनय अवज्ञा आन्दोलन की परम्परा का परिणाम नहीं है, हालांकि इस आन्दोलन में भारत के विद्यार्थियों ने लगभग २५ वर्ष तक प्रमुख रूप से भाग लिया था । एडवर्ड शिल्स ने लिखा है—

“वस्तुतः इससे विपरीत बात सत्य है । भारतीय विद्यार्थी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में इसीलिए भाग लिया, क्योंकि वह स्वभावतः व्यक्तित्वहीन नौकरशाही सरकारी वातावरण के विरुद्ध था । यह कदाचित् एक गहरे असन्तोष की अभिव्यक्ति थी, जिसके कारण भारतीय छात्र का अपने सामाजिक जीवन के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था । यह असन्तोष आदिकालीन परम्परागत परिस्थिति से आधुनिक और व्यापक सामाजिक

व्यवस्था की दिशा में भारत की चेष्टा का प्रारम्भिक परिणाम थी। इसी के विरुद्ध ही भारतीय विद्यार्थी विरोध प्रकट कर रहा है और इसी विरोध की समाप्ति दिखाई नहीं दे रही।”

भारत के राजनीतिज्ञों और शिक्षा शास्त्रियों का कर्तव्य है कि वे इस ‘विरोध’ को रचनात्मक, सार्थक और सृजनक्षम बनाने में सहायता दें। विद्यार्थियों में इस कड़वाहट और सम्भ्रम के बावजूद लक्ष्य-प्राप्ति की चाह मौजूद है। इस इच्छा को स्नेह और सावधानी से पाल पोसकर पूरा किया जाना चाहिये।

व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षा की योजना और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए, किन्तु साथ ही विश्वविद्यालयों के अध्यापक-राजनीतिज्ञों के साथ भी कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए। गम्भीर अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान की सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के बौद्धिक क्रियाकलापों में तल्लीन रहना चाहिए। विद्यार्थियों के पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था काफी व्यापक परिमाण में होनी चाहिये और उन्हें रोजगार आदि के बारे में भी सलाह दी जानी चाहिये। अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की ढील न दी जाय, किन्तु साथ ही अनुशासनहीनता की कार्यवाहियाँ रोकने के लिए प्रशासनिक तथा विचार-विमर्श सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के पुनर्गठन का मूल आधार गुरु और शिष्य के बीच निकट सम्बन्धों की स्थापना तथा शिक्षा-प्रणाली में आमूल सुधार होगा।



संवैधानिक एवं ससदीय

अध्ययन संस्थान,

२०, महादेव रोड,

नई-दिल्ली-१.

पूँजीवादी शिक्षा-व्यवस्था : 'एजूकेशनल-लेबरर' तथा प्रमाणापत्रधारी 'विद्यार्थी-नौकर'

साहित्यमहोपाध्याय डॉ० भगवानदास माहौर

हमारे मनीषियों ने ज्ञान का अर्जन करने वालो और उसको समाज में वितरित करने वालो की तीन श्रेणियों में रखा है ऋषि, मुनि और आचार्य । ऋषि का पद सर्वोच्च है, उसके बाद मुनि की प्रतिष्ठा है, तदन्तर आचार्य की । ऋषि सत्य का साक्षात्कार करता है, मुनि सत्य का मनन करता है, आचार्य अधिगत नवीन उपलब्धि की समस्त ज्ञान-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है । ऋषि का आत्मतोष सत्य की शोध और उसे प्राप्त करने में है, आचार्य का आत्मतोष उसे सुग्राह्य बनाने और विद्यार्थियों में वितरित करने में है । विष्णुगुप्त आदि आचार्यों ने अध्यापकों को दो वर्गों में रखा है आचार्य और उपाध्याय । वे वेतनभोगी अध्यापकों को 'उपाध्याय' की कोटि में रखते हैं ।

यह सब याद कर लेने की आवश्यकता इसलिये प्रतीत हुई, कि हम उपाध्याय लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में अपने स्थान के विषय में चिन्तन, विचार-विमर्श या सामान्य चर्चा करते समय प्राय ही ऐसा कुछ मान कर चलते हैं, कि मानों हम प्राचीन ऋषि मुनि की नहीं, तो कम से कम आचार्य की प्रतिष्ठा के अधिकारी तो हैं ही । फिर आज तो परीक्षा पास करके भी आचार्य पदवी प्राप्त कर ली जाती है, तथा किसी कॉलेज या विश्व-विद्यालय के किसी विभाग में अपनी नौकरी की अवधि, या पदेन सर्वोच्च नौकर होने के कारण उपाध्याय, आचार्य-पद पर आरूढ हो जाते हैं । स्पष्ट है कि ऐसे सभी 'प्रोफेसर' या परीक्षोत्तीर्ण 'आचार्य' प्राचीन आचार्य-पद और प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं । इसी भास में यह भी कह दिया जाना चाहिये कि हम उपाध्यायों में ही ऋषि, मुनि तथा आचार्य भी होते रहे हैं और आज भी हैं, क्योंकि ऋषियों, मुनियों और आचार्यों का होना मानव समाज के लिये

प्रपरिहायं है। और सच-तो यह है कि आज समाज की जो प्राथमिक व्यवस्था है, उसमें वास्तविक ऋषियों और आचार्यों को भी रूपन उपाध्याय—वैतनभोगी अध्यापक ही बनना पड़ता है। उपाध्याय रहते हुए ही वे ऋषियों और आचार्यों की तरह आचरण करते हैं और नदनु रूप प्रतिष्ठा और आदर भी प्राप्त करते हैं। कोरे उपाध्याय उस ब्रह्म-प्रतिष्ठा के न तो अधिकारी ही होते हैं, न सामान्यन उन्हें वह मिलती ही है।

नमाज की प्राथमिक प्राचीन गाम्भ्यवादी प्रवस्था में, तदन्तर दासप्रथा-श्रित और सामन्ती व्यवस्था में भी, ऋषियों मुनियों और आचार्यों के योगक्षेम का भार भीषे रूप में सम्पूर्ण नमाज या राज्य पर होता था, फिर भी ऋषियों और आचार्यों के आश्रमों और गुरुकुलों की समृद्धि और प्रतिष्ठा ऋषियों, और आचार्यों के विद्यावल, शिक्षणवल और विद्यार्थी को श्रद्धा-भक्ति सपादित कर मकने की अपनी क्षमता और अपने स्वभाववल पर अवलंबित होती थी। वे गुरुकुल राजशक्ति द्वारा नियोजित नहीं होते थे। राज्य समाज के (या जो कहिये कि नमाज के शासक-वर्ग के प्रतिनिधि के) रूप में श्रद्धाभक्ति से इन गुरुकुलों की सहायता करते थे। उनके कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। इन गुरुकुलों पर किसी हार्डकोट की ज़ेड रिट, किसी राजा की कोई राजाजा नहीं चलती थी और यह इसलिये कि ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्याध्ययन का अधिकार नार्यरूप में केवल द्विजातियों को ही था, विशेषतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही। अध्यापन का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को ही था। शूद्रों को, नमाज के बहुमरयक शासित-वर्ग को, विद्याध्ययन का अधिकार ही नहीं था।

उम ब्रह्मक्षत्र की मत्ता और मर्वोच्चता के समाज में ऋषि, मुनि और आचार्यों को ब्रह्मप्रतिष्ठा मिलना बड़ी स्वाभाविक बात थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा शास्त्रवल और शस्त्रवल पर ही अवलंबित थी। 'विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विषे प्रतिपत्तये', यह शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान गुरुश्रो द्वारा गुरुकुल में ही गुरुकृपा से ही मिल सकता था। उपाध्याय भले ही वैतन लेते हों, परन्तु उन्हें छात्रों या उनके अभिभावकों के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ना था। गुरुकुल में कुलपति द्वारा दिया हुआ ही छात्र खाते-पहनते थे और गुरु आज्ञा का पालन ही वहाँ सर्वोपरि नियम था। यदि समाज में प्रतिष्ठित जीवन-यापन करना हो, तो शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान आवश्यक था और वह गुरुकुल में आचार्यों और उपाध्यायों द्वारा ही उनकी कृपा से मिल सकता था, इसके लिये न कोई सरकारी मान्य परीक्षा होती थी और न उस

परीक्षा के लिये वाजारू नोट्स और गैस-पेपर्स ही बाजार में मिलते थे। मत छात्रों में और समाज में प्रध्यापकों को, विशेषतः ग्राम्यायों और कुलपतियों को ब्रह्म-प्रतिष्ठा प्राप्त थी। समाज में ज्ञाति-वर्गों को तो विद्याध्ययन का अधिकार ही नहीं था। शामक-वर्गों के लोगों को ही प्रध्यापन और अध्ययन का अधिकार था। छात्रों और अध्यापकों में वग-विगोत्र या हित-विरोध जैसा कोई बात नहीं थी। अतएव काम, क्रोध और अहंकार वगैरे गुरु-विरोध करने के पाप का प्रायश्चित्त अग्नि-प्रवेश करके करने की व्यवस्था थी। बाद में राजपुत्रों आदि विशिष्ट लोगों के लिये विशिष्ट गुरुओं और गुरुकुलों की व्यवस्था होने लगी तथा गुरुकुलों में शुल्कदायों और सेवा करने वाले छात्रों का भेद होने लगा था। उन्नी परिणाम में गुरुओं की प्रतिष्ठा और छात्रों की आज्ञाकारिता और अनुशासन में फर्क पड़ने लगना स्वभाविक हुआ।

बौद्ध और जैन मत के प्रचार और प्रसार में उन वैश्यों और शूद्रों को भी ब्रह्म-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो इन अवसर से लान उठा मकने की स्थिति में थे। बौद्धों ने हमें बहुत से वैश्य, शूद्र और चाडाल आचार्यों तक दिये हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में ऐसे बहुत से शूद्र आचार्यों का होना बताया जाता है। बौद्ध आदि शासन में ब्राह्मणोत्तर वर्गों के लोगों को भी आचार्य उपाध्याय आदि की वृत्ति मिल सकी। परन्तु परिमाणतः ऐसा बहुत अल्प मात्रा में ही हुआ। बड़े गुरुकुलों की बात छोड़ दें, तो गावों की चटसारे प्रायः ब्राह्मण गुरुओं के हाथ में ही रही। जो हो, इस समस्त युग में सामाजिक मान्यता प्रधानतः यही रही कि विद्या दान की वस्तु है, व्यवसाय की नहीं। गुरु शिष्य को विद्या का दान देता है, शिष्य गुरु से विद्या दान में प्राप्त करता है, खरीदता नहीं है। ऐसी समाज-व्यवस्था में छात्रों में अनुशासन और शिक्षकों की समाज में प्रतिष्ठा की कोई समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती थी।

मुसलमानों के शासनकाल में शिक्षा-व्यवस्था में तो कोई रूपगत परिवर्तन विशेष नहीं हुआ, परन्तु एक तार्किक परिवर्तन अवश्य हुआ। राज-भाषा के रूप में एक विदेशी भाषा के अध्ययन के लिये गावों में भी मुसलमानों और कायस्थ मुअल्लिमों के मकतब भी बज्जद में आये, और अमीरों और राजा-रईसों के लडकों को पढाने के लिये मुअल्लिम शेरों और कायस्थ मुशियों की तन-स्वाह पर नियुक्त किया जाने लगा। इससे वे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं जिनमें मुदरिसों की जवान पर आने लगा — “लानत हजार बार बकारे मुदरिसी।”

सामन्ती व्यवस्था में एक प्रकार से प्रत्येक का सामाजिक दर्जा जन्म से ही निश्चित था। हर एक की साम्प्रतिक अवस्था भी एक प्रकार से निश्चित थी। उपयोगी कलाओं और व्यापारों के लिये कोई पब्लिक स्कूल नहीं थे। उनकी शिक्षा कारीगरों के घर पर ही काम करते, काम में हाथ बटाते, हुए होती थी। 'पढा लिखा' होना साधारण प्रजा के लिये कोई बहुत जरूरी न था। हा, उच्च वर्गों में विशेष प्रतिपत्ति के लिये पुस्तकीय विद्या और कलाकुशलता की आवश्यकता थी। अतएव अभी तक परिस्थितियाँ ऐसी ही थी कि छात्रों में शिक्षकों का आदर और समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप में ही। शिक्षकों और छात्रों में कोई स्वाभाविक हित-विरोध नहीं था, हित-साम्य ही था। छात्रों की आर्थिक उन्नति या उनका मुलाजिमत में होना, किसी प्रकार की सार्वजनिक परीक्षा में पास ही कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने पर अवलंबित न था।

जब तक समाज में सामन्ती-अर्थव्यवस्था रही, तब तक मनु निर्दिष्ट समाज-व्यवस्था भी तात्त्विक रूप में रही, भले शासन मुसलमानों का हो गया हो। मुसलमानों आदि के अन्दर भी अर्थव्यवस्था के अनुरूप वर्गभेद पर आधारित वर्ण-व्यवस्था अपने तात्त्विक रूप में आ ही गई। हा, वह मनु-व्यवस्था के समान सुगठित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित भले न रही हो।

अंग्रेजों के शासन और भारत के विदेशी साम्राज्यवादी पूँजीवादी उत्पीड़न के साथ ही भारत में पूँजीवाद भी पनपा ही और सामन्तीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ गढ़ मनु-व्यवस्था ढहना शुरू हुई।

भारत में अंग्रेजों शासन तो अब समाप्त हो गया परन्तु, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भलीभांति स्थापित हो गई। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सन्निहित आन्तरिक विरोध पनप रहे हैं और भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पुकार जोर पकड़ रही है।

आज जो शिक्षण-व्यवस्था भारत में प्रचलित है, वह मूलतः विदेशी साम्राज्यवादी उत्पीड़कों के द्वारा भारत में अपने उत्पीड़न के सहायक उत्पन्न करने के लिये ही नियोजित थी। महाकवि अकबर ने इसी बात को बड़ी चुटीली रीति से अपने एक शेर में व्यक्त किया है :

तोप खिसकी तो प्रोफेसर पहुँचे ।

जब वसूला हट गया तो रन्दा है ॥

और आज भी, शासक श्रेणी के वसूले की काटछाट पर रन्दा चलाना ही प्रोफेसरों का काम बना हुआ है। परन्तु ज्ञान तो प्रकाश है ही, उससे उत्पीडन को समझने और उसका प्रतिकार करने का मार्ग भी दिखता ही है। अग्रजो द्वारा स्थापित शिक्षा-व्यवस्था ने जहाँ उनकी उत्पीडन मशीन के पुर्जें पैदा किये, वहाँ उसके उत्पीडक कार्य और मर्म को समझने वाले तथा उसको उखाड़ फेंकने वाले इंजीनियर भी उसमें से उत्पन्न हुए ही।

आज साधारण अक्षर-ज्ञान और हिमाब तथा उच्च विज्ञान, कलाकौशल, उद्योग, कृषि आदि सभी की शिक्षा का प्रबन्ध प्राइमरी, सेकण्डरी, स्कूलों, डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा होता है। यह वृहत् परिमाण पर पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के भलीभाँति अनुरूप है। इसमें इधर-उधर असंतुलन है और बहुत है, जो योजनाहीनता के कारण स्वाभाविक है, परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था के लिये रूपत यह है बहुत ही उपयुक्त।

आज अध्यापक की वृत्ति का समाज में क्या स्थान है और उसकी क्या प्रतिष्ठा है? आज समाज के सार काम 'मजदूर' करते हैं—वेतनभोगी मजदूर। यही तो पूंजीवाद का आदर्श है। बालको को अक्षरज्ञान कराना, साधारण हिसाब सिखाना आदि का काम भी वेतनभोगी मजदूरों के द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तदनुरूप राजनीतिक व्यवस्था पूंजीवादी जनतंत्रवाद के लिये यह परमावश्यक बात है। प्राइमरी और सेकण्डरी अध्यापकों की सामाजिक स्थिति वास्तव में 'एजुकेशनल लेबरर' की ही है, इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा। कॉलेजों के प्रोफेसरों की स्थिति भी तत्त्वतः इससे कुछ भिन्न नहीं है, वे अपेक्षाकृत कुछ अधिक वेतन पाने वाले मजदूर जैसे ही हैं।

पूंजीवादी व्यवस्था में नवव्यापी नौकरी और प्रतियोगिता की व्यवस्था में, विद्याध्ययन या वास्तविक योग्यता प्राप्त करने का महत्त्व नहीं है—महत्त्व है परीक्षा का और उसमें उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र का। आज अध्यापक और छात्र में एक आघातगत विरोध है। छात्रों या उनके अभिभावकों की आज विद्या या विषय के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र की। आज अध्यापकों से छात्र और अभिभावक यह अपेक्षा नहीं करते कि वे विषय का ज्ञान प्राप्त करावें, प्रस्तुत उनकी सर्वोपरि अपेक्षा इस बात की होती है कि वे परीक्षा पास भर करावें और प्रमाणपत्र दिलवा दें। अतएव छात्रों और अभिभावकों के आर्थिक हित में सावधान,

विद्याध्ययन के हित में नहीं, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के हित में नहीं, ऋषियज्ञ के हित में नहीं, आज सबसे अच्छा और योग्य अध्यापक वह है, जिसका आचरण ऐसा होता है कि छात्र चाहे स्कूल में आए या न आये, पढे या न पढे, अध्यापक उसे उपस्थित बताके परीक्षा में सम्मिलित करा दे और जैसे हो उचित-अनुचित उपायो से भी उन्हें पास करा दे, और उन्हें प्रमाणपत्र दिलवा दे, ताकि नौकरी मिल सकने के मार्ग की पहली बाधा तो दूर हो जाय। जब बी. ए. और एम. ए. पास तक म्युनिसिपल बोर्ड की क्लर्की ही नहीं, दरबानी तक के लिये मारे-मारे फिरते हो, तो इसके सिवा और क्या हालत हो सकती है? छात्रों की और उनके अभिभावकों की भी दृष्टि में अच्छा अध्यापक वह नहीं हो सकता जो अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो और ईमानदार तथा सदाचारी हो, और विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता हो तथा उनसे भी ईमानदार और सदाचारी होने का आग्रह करता हो, प्रत्युत् अच्छा अध्यापक वह है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने भर के लिये छात्र को नोट्स तैयार करा दे, कक्षा में अनुपस्थित होने पर भी उसकी उपस्थिति लगा दे, गैस-पेपर्स वत्ता दे, और फिर निरीक्षक के रूप में परीक्षा पास करने में बाधक नहीं, सहायक हो। सामान्यतया अध्यापक की योग्यता और सफलता भी इसी बात से आकी जाती है कि उसके सुपुर्द छात्रों में कितने प्रतिशत छात्र जो अधिकांश में विद्यार्थी नहीं, केवल प्रमाणपत्रार्थी ही होते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसी अवस्था में छात्रों, परीक्षार्थी और अध्यापकों का स्तर गिरता जाय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

परन्तु आर्थिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त मानवीय जिज्ञासा-वृत्ति भी अपना काम करती ही है। प्रत्येक समाज में ऋषि, मुनि और आचार्यों की आवश्यकता होती ही है। उनके बिना कोई समाज नहीं रह सकता, अतएव पूँजीवादी समाज में भी ऋषि, मुनि तथा आचार्यों की प्रतिष्ठा तो होती ही है। सच तो यह है कि पूँजीवाद ने साधेप रूप में ऋषि-मुनि और आचार्य कुछ अधिक ही उत्पन्न किये हैं। क्यूरी, आइन्सटीन, रमन, राधाकृष्णन जैसे के बिना इसका काम नहीं चलता और इनकी प्रतिष्ठा भी पर्याप्त होती है। ये जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, बेतनमोगी उपाध्यायों में ही निकल आते हैं।

जो बात समझने की है, वह यह है कि आज प्रत्येक को छात्र होना ही पडता है—वह विद्यार्थी भले न हो, प्रमाणपत्रार्थी होना अपरिहार्य है। परन्तु प्रमाणपत्रार्थी होने के साथ बहुत से विद्यार्थी भी होते ही हैं और उन्हें आव-

शक्यता होती है अध्यापक की, वास्तविक आचार्य-वृत्ति ही, अतएव अध्यापकों की विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा होती ही है। इन हमें भली-भांति समझ लेना चाहिये कि कोरे प्रमाणपत्रार्थी और आचार्य में विरोध है, हितसाम्य नहीं, जैसा कि आज से पहले किसी भी अवस्था में नहीं था। प्रमाणपत्रार्थियों द्वारा अध्यापकों को मारा पीटा जाना आज की स्थिति के लिये उतनी ही स्वभाविक बात है, जितना चोरों के द्वारा पुलिसमैन या मजिस्ट्रेट को मारा पीटा जाना। कोरे प्रमाणपत्रार्थियों द्वारा अध्यापकों का आदर किये जाने की अपेक्षा करना आज ऐसा ही है, जैसा चोरों और अपराधियों द्वारा पुलिसमैन या मजिस्ट्रेट का आदर किये जाने की अपेक्षा करना। जिस प्रकार का और जैसा आदर अपराधियों में भी पुलिसमैन या मजिस्ट्रेट का होता है उन्हीं प्रकार का और वैसा ही आदर तदनुरूप अध्यापक भी कोरे प्रमाणपत्रार्थियों में प्राप्त करते ही हैं।

सामान्य से देश आज स्वतन्त्र होकर पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद की ओर शीघ्रता से बढ़ने में प्रयत्नशील है। समाजवाद में मजदूर सामाजिक सम्मान और सुरक्षा प्राप्त करेगा, उसी में उपाध्याय [वित्तनभोगी शैक्षणिक श्रमिक] भी पुनः सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और फिर किसी को ऐसा न लगेगा कि वह कह सके “लानत हजार बार बकारे मुदरिसी”। हम में से जिनमें आचार्य, मुनि, ऋषि की योग्यता होगी उनको तदनुरूप प्रतिष्ठा मिलेगी। हम उपाध्यायों का कल्याण सभी दृष्टियों से समाज में शीघ्र समाजवादी व्यवस्था विकसित होने में ही है। विद्यार्थियों में अभीष्ट अनुशासन होने की बात भी इसी से सलग्न है।

बुन्देलखण्ड कॉलेज,
भ्वासी, (मध्य प्रदेश)

अनुशासन का अध्यात्म

डा० रामानन्द तिवारी

अनुशासन को प्रायः कानून, शासन, मनोविज्ञान और शिक्षण की की दृष्टि से देखा जाता है। यह अनुशासन का बाहरी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में अनुशासन एक बाह्य आरोपण बना रहता है। बाह्य आरोपण का अनुशासन वस्तुतः शासन है, अनुशासन नहीं। वास्तविक अनुशासन एक आन्तरिक सस्कार है। अपेक्षाकृत अधिक अनुशासित देशों और समाजों में आन्तरिक सस्कार के रूप में ही अनुशासन प्रतिष्ठित हुआ है। आन्तरिक सस्कार के रूप में अनुशासन की भूमिका आध्यात्मिक है। पश्चिम के जिन देशों को हम भौतिकवादी कहते हैं, उन देशों के अनुशासन और उन्नति का रहस्य हमें अध्यात्म में ही मिल सकेगा। इसके लिये हमें अध्यात्म के शास्त्रीय रूप को छोड़कर उसके मूल रूप को समझना होगा।

हम भारतवासी अपने को अध्यात्म का एकाधिकारी मानते हैं और अनुशासन को प्रायः आरोपण एव शासन के रूप में समझते रहे हैं। अतः पश्चिमी देशों के अध्यात्म और अनुशासन के अध्यात्मिक आधार को समझना हमारे लिये कठिन होगा। किन्तु यह जितना कठिन होगा उतना आवश्यक भी है। हमारे देश में, सम्पूर्ण समाज में, विशेषतः विद्यार्थी समाज में अनुशासनहीनता और उच्छ्रुतता छाई हुई है। यह हमारे देश की प्रगति और प्रतिष्ठा के लिये घातक है। अतः हमारे देश के उन्नयन और गौरव के लिये अनुशासन के अध्यात्म को समझना होगा।

अनुशासन का अभिप्राय सामान्य रूप से सभी समझते हैं। राष्ट्रीय गौरव और नैतिक आदर्शों के अनुकूल आचरण के पीछे जो संयम, सस्कार और प्रेरणा काम करते हैं, उन्हें अनुशासन कहते हैं। अध्यात्म के अभिप्राय को दर्शन ने बहुत जटिल बना दिया है, किन्तु लौकिक जीवन की कुछ सीमाओं के सन्दर्भ में हम उसे सरलता से समझ सकते हैं। इन सीमाओं में अहंकार, स्वार्थ तथा इनसे पोषित होने वाली प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं। अहंकार

मनुष्य जीवन में प्राकृतिक सीमाओं का मनेनन चटक है। मनुष्य की प्राकृतिक सीमाएँ ग्रहकार में पटित हो जाती हैं और वह उनही प्रक्रियाओं या माध्यम बन जाता है। प्रकृति और ग्रहकार की प्रक्रियाओं की कोई मर्यादा नहीं है। वे उच्छृंखल और अमर्यादिन होती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं की मर्यादाहीनता और उच्छृंखलता से समाज में वे विरोध और गणघं उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अनु-सामनहीनता के नाम में पुकारा जाता है।

जहाँ प्रकृति और ग्रहकार अपनी मनुचित सीमाओं को लापकर एक अलौकिक विस्तार की ओर अनिमुग होते हैं, वहाँ अध्यात्म का उदयहोना है। यह अध्यात्म लोक-जीवन में श्रोत-प्रोन है। लोक-जीवन में जो कुछ भी श्रेया और सुन्दर है, वह सब इस अध्यात्म से ही परिपोषित है। अतः इस अध्यात्म को अलौकिक कहना पूर्णत उचित नहीं। किन्तु लौकिक जीवन के स्वार्थ और ग्रहकार से ऊपर उठ कर ही इस अध्यात्म का आनाम होता है। इस अर्थ में इसे अलौकिक कहना भी उचित है। वस्तुतः अध्यात्म लोक-जीवन में व्याप्त एक अलौकिक तत्त्व है। वेदान्त में इस अध्यात्म को 'ब्रह्म' की सज्ञा दी गई है। किन्तु लोक-जीवन के माघ ग्रह का मूत्र कुछ विच्छिन्न हो जाने के कारण वेदान्त का अध्यात्मवाद उपयोगी न हो माल। वेदान्त का यह ब्रह्म जीवन से दूर बना रहा।

वस्तुत अध्यात्म जीवन का अत्यन्त गरल और सुलभ तत्त्व है। जीवन का स्वास्थ्य और सौदर्य उसी पर अवलम्बित है। ग्रहकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें उसका आभास मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की सफलता और अनिवृद्धि मूलतः अध्यात्म पर ही निर्भर है। पश्चिमी देशों की भौतिक अनिवृद्धि भी अध्यात्म के आघार पर ही हुई है। यह बात कुछ विचित्र प्रतीत होगी, किन्तु अध्यात्म का तत्त्व समझने से इसका सत्य प्रकाशित होगा। अध्यात्म के बिना सामाजिक जीवन का निर्वाह और उन्नयन सम्भव नहीं है। अध्यात्म के अनुभव में प्रमाद होने पर ही समाज की अवनति होती है। यही प्रमाद भारत की अवनति का कारण रहा है। अध्यात्म के अनुशीलन से ही पश्चिमी देशों की उन्नति हुई है। जिसे हम राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन कहते हैं, वह अध्यात्म का ही फल है।

अध्यात्म एक सामाजिक भाव है, जो ग्रहकार और स्वार्थ को मर्यादित एव परिष्कृत करता है। वह नैतिक आदर्शों, राष्ट्रीय लक्ष्यों आदि के रूप में सामाजिक चेतना में व्याप्त रहता है। व्यक्ति नैतिक आदर्शों और राष्ट्रीय गौरव

का जितना भान करता है, उतना ही हम उसे आध्यात्मिक कह सकते हैं। दर्शन इस अध्यात्म को चिन्तन मानता है। किन्तु लौकिक दृष्टि से समाज में इस अध्यात्म का निर्माण और विकास होता है। इसके मुख्य निर्माता तो समाज के नेता ही होते हैं, किन्तु समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसके निर्माण में योग देता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार से ऊपर व्यक्ति के भाव और आचरण में जो अतिशय होता है, उसी से समाज और देश के व्यापक अध्यात्म की रचना होती है। यह अध्यात्म एक सूक्ष्म तत्त्व के रूप में समाज की चेतना में व्याप्त रहता है और व्यक्तियों के व्यवहार को मर्यादित एवं अनुशासित करता है। लौकिक अर्थों में उसे नैतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक मर्यादा आदि कह सकते हैं, किन्तु ये सब व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार की सीमाओं से परे होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक ही होते हैं। अध्यात्म इन सब अहंकारातीत भावों का सामान्य तत्त्व है। इसे सामाजिक समष्टि का सत्कार कह सकते हैं। समष्टि होने के कारण यह शक्तिमान भी होता है। हम श्रद्धा से इसका अनुशीलन करते हैं, किन्तु यह हमें अपनी शक्ति से अनुशासित भी करता है।

सामाजिक समष्टि का यही अध्यात्म अनुशासन का मूल रहस्य है। इसी अध्यात्म के रूप में अन्य देशों और समाजों में नैतिक और राष्ट्रीय अनुशासन अनुष्ठित हुआ है। उन समाजों के कर्णधारों ने धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि अनेक क्षेत्रों में इस समष्टि के व्यापक और स्थायी सत्य का निर्माण एवं अनुष्ठान किया है। इसका अनुष्ठान नागरिकों के लिये एक प्रेरणा बन कर अनुशासन का सहज सूत्र बन गया। समष्टि का यह अध्यात्म भगवान का साक्षात् रूप है, जो अन्तर्यामी बन कर व्यक्तियों के व्यवहार को अनुशासित करता है। इस अध्यात्म का आन्तरिक अनुशासन व्यक्तियों की उच्छ्रुत खलता को मर्यादित करता है। इस प्रकार समष्टि का यह अध्यात्म व्यक्ति का प्रभु है। किन्तु दूसरी ओर यह अध्यात्म व्यक्ति के अस्तित्व को असीम गौरव और महिमा से मण्डित करता है। यही गौरव और महिमा व्यक्ति की प्रेरणा का आन्तरिक रहस्य है।

छात्रों और लोक समाज में उक्त आन्तरिक रहस्य के आधार पर ही अनुशासन की प्रतिष्ठा हो सकती है। प्राचीन भारत में अनुशासित जीवन के श्रेष्ठतम उदाहरण मिल सकते हैं। ये उदाहरण भी अनुशासन के उक्त रहस्य को प्रमाणित करते हैं। अन्य देशों और समाजों का अनुशासित जीवन भी इसका समर्थन करता है। अनुशासन एक आन्तरिक और आत्मिक प्रश्न है।

वह कानून, शासन और शिक्षण का बाहरी प्रश्न नहीं है। कानून में दण्ड के तय से नागरिकों के व्यवहार को नियन्त्रित किया जा सकता है, किन्तु यह नियन्त्रण और दण्ड-प्रियाण मानिक के द्वारा शासन का ही आरोपण है। शासन के द्वारा आरोपित यह नियन्त्रण व्यापारिक और वास्तविक अनुशासन नहीं होता। शासन का प्रभुत्व आन्तरिक अध्यात्म के साम्य को बण्डित करना है और आत्मानुष्ठानन को आत्मन बना देता है। शासन और प्रभुत्व के द्वारा अनुशासित व्यक्ति शासन की अनुपस्थिति में उच्छृंगल हो जाते हैं। यह उच्छृंगलता शासन के द्वारा होने वाले अनुचित दमन की प्रतिक्रिया होती है। माता-पिता की अनुपस्थिति में घर में बच्चों के व्यवहार और अध्यापकों की अनुपस्थिति में विद्यालयों के व्यवहार में इस प्रतिक्रिया के परिचित उदाहरण मिलने हैं। पिछले दिनों में शिक्षार्थियों के आन्दोलनों तथा जनता के उत्पातों में इस प्रतिक्रिया के कुछ उग्र रूप देखने में आये हैं। इन प्रतिक्रियाओं की शासकीय प्रतिक्रिया दमन के रूप में हुई है। यह दमन उग्रता के प्रति उग्रता का व्यवहार है। दो उग्रताएँ मिलकर अनुशासन और कल्याण की स्थापना नहीं कर सकती। उग्रता की इस प्रतियोगिता में अन्तत समाज की उग्रता की विजय होती है और यह उग्रता शक्ति बन कर नये शासन की स्थापना करती है। उग्रताओं के इन सघर्ष में शासन के परिवर्तन की भूमिका हमारे देश में बन रही है। शक्ति के बाद समाज और शासन निर्माण और अनुशासन की दिशाओं में नये सहयोग के मार्ग खोजते हैं।

कानून और शासन के बाहरी आरोपण से जिन अनुशासन की स्थापना होती है, वह अनुशासन बाहरी, अस्थायी और अस्वानाविक होता है। आन्तरिक और आत्मिक अनुशासन के अभाव में ही यह मार्ग अपनाया जाता है। किन्तु यह किसी भी समाज और देश के कल्याण का स्थायी मार्ग नहीं बन सकता। शिक्षण और उपदेश भी आन्तरिक और स्थायी अनुशासन की स्थापना के लिये पर्याप्त नहीं है। इनमें भी शासन के प्रभुत्व की गन्ध रहती है और वह अध्यात्म के साम्य को भग कर अनुशासन को आरोपण बना देता है। शिक्षण और उपदेश की अपेक्षा जीवन्त उदाहरण के द्वारा छात्रों और नागरिकों को अनुशासन को गहरी प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः जीवन्त आचरण का उदाहरण ही अनुशासन की आन्तरिक प्रेरणा बन सकता है। उदाहरण की अन्तर्ज्योति लोक के मार्ग का दीपक बन जाती है। इतना अवश्य है कि एक व्यक्ति के उदाहरण का प्रकाश अन्तत सीमित ही रहता है। किन्तु राष्ट्र और समाज की परम्परा में प्रज्वलित होने वाले आदर्शों के

असंख्य दीपक मिल कर एक राष्ट्रीय सूर्य का निर्माण करते हैं, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत तथा अर्चना का आस्पद बन जाता है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहते हैं। यह राष्ट्रीय सूर्य राष्ट्र की आत्मा बन कर प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण को प्रेरित और प्रकाशित करता है। अन्तर्यामी बन कर यह राष्ट्र के जीवन में अनुशासन की मर्यादा का अनुष्ठान करता है।

राष्ट्रीय आश्चरण और आदर्शों के ऐसे राष्ट्रीय सूर्य के अभाव में ही हमारा राष्ट्रीय जीवन उच्छृंखलता के अन्वकार में भटक रहा है। खेद का विषय है कि जिन अनेकों महापुरुषों और महात्माओं का इतिहास में यशोगान होता रहा है, वे भी हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित और प्रकाशित करने वाले आत्मिक सूर्य का निर्माण नहीं कर सके। किन्तु राष्ट्रीय सूर्य की रचना और वन्दना ही अनुशासन का एक मात्र मार्ग है। उसके बिना हमारा राष्ट्रीय जीवन अन्वकार में ही भटकता रहेगा। राष्ट्रीय आदर्श, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय भावना की अन्तर्गत प्रेरणा ही अन्तर्यामी ब्रह्म बनकर हमारे राष्ट्रीय जीवन में आन्तरिक आत्मानुशासन का अनुष्ठान कर सकती है।

महारानी श्री जया कॉलेज,
भरतपुर, (राजस्थान)

अनुशासन की तात्त्विक व्याख्या और शिक्षा में उसका महत्त्व

डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट

अनुशासन शब्द 'अनु' उपसर्ग पूर्वक नस्कृत की 'गाम्' धातु से बना है। इस धातु का प्रयोग शिक्षा देने के अर्थ में होता है। शिक्षा देने वाला शास्ता कहलाता है। भगवान् बुद्ध को गान्ता कहा गया है। वे लोगों को सदाचार और अहिंसा की शिक्षा देते थे। राजा भी शास्ता होता है। वह दण्ड देकर अपराधी को सदाचार की शिक्षा देता है। उपदेशक और राजा दोनों का शिक्षा देने का तरीका अलग-अलग है। अध्यापक के शिक्षा देने का तरीका इन दोनों से विशिष्ट होता है। उपदेशक और राजा के प्रति शासित विरोध पूर्वक अथवा तटस्थता पूर्वक व्यवहार करते हैं, जब कि अध्यापक के प्रति शिक्षार्थी शिष्य-भाव से उन्मुख होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि अध्यापक में शिक्षार्थी के प्रति सहज आत्मीयता का भाव होता है। इसी आत्मीयता के कारण अध्यापक शिष्य को शिष्ट—आदर्श नागरिकता के गुणों से विभूषित—बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। जहाँ शास्ता-उपदेशक के शासन को मानना धर्मानुगति है, शासक-राजा के शासन को स्वीकार करना राज्य की व्यवस्था को मानना है, वहाँ अध्यापक का शिष्य बनना शिष्टाचरण है—अनुशासन है। शासन में शासक और शासित दो पक्ष होते हैं, जब कि अनुशासन में एक ही पक्ष—शिष्य से शिष्ट अवस्था तक गति करता है। अध्यापक तो इस गति का नियन्ता मात्र है। वह इस सारी गति को अपने में ही समा लेता है और शिष्य को नया व्यक्तित्व प्रदान करके समाज में प्रस्तुत करता है। जैसे दाम्पत्य-जीवन में पति-पत्नी के व्यक्तित्व एकीभूत हो जाते हैं, वैसे ही अनुशासन में होता है।

प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थी समित्पारिण होकर जाता था, गुरु ज्ञान-प्रभा से दीप्त—आविभूत ज्योति होते थे। समिधा हाथ में लेकर जाना प्रतीक है। इस माध्यम से विद्यार्थी घोषित करता था, कि वह शुष्क ई धन के

समान है और ज्योति पाने का आकाशी है। लोक में कहावत है—'दिये से दिया जलता है।' इस कहावत को गुरुकुल में पूरा उतरता हुआ देखा जा सकता था। वहाँ ज्ञान-दीप्त गुरु शिष्य में ज्ञान की ज्योति जगाता था।

राजा का शासन राज्यादेश के रूप में प्रकट होता है और उपदेशक का शासन घमदिश के रूप में सामने आता है, परन्तु अध्यापक का शासन आदेश नहीं, आदर्श के रूप में शिष्य को प्राप्त होता है। अध्यापक शिष्य को विद्या-चञ्चु प्रदान करता है, जिससे ससार में भले-बुरे का परीक्षण करता हुआ, वह अनुवर्तन करे। यह आदेश देकर आदेश के मस्तिष्क को अपने पास नहीं रख लेता, वरन् दिशा-दर्शन करके उसे आगे अपनी दिशा खोजने के लिए शिष्य को सौंप देता है। इसीलिए उसके व्यापार को 'शासन' न कह कर 'अनुशासन' कहा गया है।

अनुशासन में आदर्श का बड़ा महत्त्व है। शिक्षा का आधार आदेश न होकर, आदर्श ही है। बालक का मन पारदर्शी निर्मल शीशे के समान होता है। अध्यापक उसे विद्या का लेप चढाकर दर्पण बनाता है। दर्पण को संस्कृत में आदर्श कहते हैं। अध्यापक विद्यार्थी को आदर्श बनाता है। सांसारिक व्यवहार में वह अपने सामने तीन प्रकार के बिम्ब पाता है, पहले शीशे जैसे पारदर्शी, दूसरे अन्धकाराच्छन्न कृष्णाकार और तीसरे ज्योतिर्मय। अध्यापक द्वारा निर्मित यह आदर्श तीसरे को प्रतिबिम्बित करता है। दूसरे से स्वयं तमसावृत हो जाता है और प्रथम को प्रतिबिम्बित नहीं करता। अंग्रेजी में आदर्श के समकक्ष Ideal शब्द है, जो व्यक्ति से पृथक् रहकर उसे प्रेरणा देता है, जिसके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके विपरीत आदर्श स्वयं व्यक्ति में ही होता है, जो पग-पग पर उसे मार्ग दिखाता है। Ideal अप्राप्य उच्च-लक्ष्य हो सकता है, परन्तु आदर्श तो व्यक्ति में ही रहता है और सच्चाई को उसके कार्यों द्वारा अभिव्यक्त कराता है तथा उसे क्लृप्तों से बचाता है। अनुशासन का सम्बन्ध व्यक्ति में ऐसा आदर्श उत्पन्न करने से है।

प्राकृतिक-व्यापार में सर्वत्र एक नियमन-शीलता देखी जाती है। सूर्य समय पर उदित होकर अन्धकार का नाश करता है। कमलिनी सूर्य को देख कर खिलती है। चन्द्रमा रात्रि में ही उदित होता है और कुमुदिनी को विकसित करता है। दिन और रात्रि एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं। ऋतुएँ क्रमशः बदलती रहती हैं, सारे नक्षत्र शून्य आकाश में चक्कर लगाया करते हैं। प्रकृति का यह व्यापार नियमन शीलता के कारण ही है। प्रकृति में जो महत्त्व नियमन शीलता का है, वही महत्त्व जीवन में अनुशासन का है।

विवेक का व्यावहारिक-क्षेत्र में उपयोग ही अनुशासन है । जज व्यक्ति अपने में जगे हुए आदर्श के अनुरूप अपने सारे क्रिया-कलापो, विचारों और व्यवस्थाओं को एक निश्चित संचि में ढाल लेता है, सब उसका जीवन अनुशासित होता है । तब उसे शिष्ट सशा दी जा सकती है । शिष्ट व्यक्ति एक निश्चित नियम, योजना या व्यवस्था के अनुकूल कार्य करता है । कर्तव्य-परायणता, दत्तचित्तता लगन आदि अनुशासन के ही दूसरे स्वरूप हैं ।

अनुशासन की परिधि बड़ी व्यापक है । हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, अनुशासन के बिना एक कदम भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं है । समाज की कोई भी सस्था उसके बिना चल नहीं सकती । जीवन में आत्म-सयम अनुशासन का ही अग है । पारिवारिक-समरमता अनुशासन में ही प्राप्त होती है । समाज की एकता अनुशासन के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती । सच्ची नागरिक-भावना का उद्भव राष्ट्र में अनुशासन से ही सम्भव है । यही क्यों, क्षेत्र, जाति आदि के स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्वैक्य की भावना को जगाने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता है ।

अनुशासन के सर्वानिशायी महत्त्व को देख कर, यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है कि अनुशासन की भावना जगती कहाँ है ? और उसका शिक्षा में क्या महत्त्व है ?

ऊपर कहा जा चुका है कि शिक्षा अनुशासन से अभिन्न है । इतना अवश्य है कि ऐसी शिक्षा, जो अध्यापक-शिष्य सम्बन्ध से आती है, ही अनुशासन है । अन्य सम्बन्धों से बरबस लादी गई शिक्षा शासन है, अनुशासन नहीं । शासन शासक और शासित जैसे वर्गों में समाज को बाँट देता है । जबकि अनुशासन भेद-बुद्धि को सदा के लिए समाप्त कर देता है । छोटे-बड़े सभी लक्ष्यों की सिद्धि के लिए अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए अनुशासनयुक्त जीवन बिताने का अभ्यास करना होगा । शिक्षा देते समय अध्यापक ने शिष्य में एक आदर्श जगाया है, आने उसी से प्रेरणा लेकर कर्तव्य कर्मों में लगे रहने से लक्ष्य-सिद्धि निश्चित है ।

अध्यापक और शिष्य अनुशासन के दो शरीर हैं । इस सम्बन्ध से वे एक हो जाते हैं । शिष्य सर्वतोभावेन अध्यापक के प्रति समर्पित हो जाता है और अध्यापक शिष्य में स्वयं को व्यक्त करने के लिए तत्पर हो जाता है । अपने बीच की दूरी को दोनों आधी-आधी पार करते हैं । यदि ऐसा न करें,

तो अध्यापक का सिखाना और शिष्य का कुछ भी सीख पाना सम्भव नहीं है। अब परा-मनोविज्ञान की खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया है, कि अध्यापक और शिष्य में कोई अतीन्द्रिय-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह सम्बन्ध अनुशासन का है। इस सम्बन्ध को गीता में देखा जा सकता है। अर्जुन प्रपन्नावस्था की प्राप्ति के लिए कृष्ण के प्रति आत्म-समर्पण करता है—'शिष्यस्तेऽहं प्रावि मा त्वा प्रपन्नम्'। कृष्ण भी उसमें निष्ठा जगाने के लिए कहते हैं—'मन्मना भव'। जब शिष्य स्वार्पण-पूर्वक अध्यापक-मय हो जाय, तभी अनुशासन सम्भव है, तभी वह कह सकता है—'नष्ये मोह. स्पृतिर्लब्धा ...स्थितोऽस्मि गत मन्देहः'। सारे सन्देह और मोह की निवृत्ति और विवेक की सिद्धि अनुशासन से सम्भव है।

शिक्षक और शिक्षित में वैचारिक एकतानता और मानसिक तादात्म्य अनुशासन से ही सम्भव है। तन्त्र-साधना में गुरु और साधक शिष्य में ऐसा भाव उत्पन्न होने पर, गुरु शिष्य में शक्तिपात करता है। व्यावहारिक-स्तर पर भी ऐसी एकतानता में शिष्य को प्रभूत लाभ होता है। यह प्राचीन मान्यता चली आती है, कि हर व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान के हर किसी क्षेत्र में सिद्धहस्त हो सकता है, जब कि ऐसा सम्भव नहीं है। जिस क्षेत्र में शिष्य दक्षता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिये उसे अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी। अनुशासित-जीवन ही शिष्य की योग्यता का प्रमाण है। शिष्य की योग्यता ही गुरु को ज्ञान-दान के लिए उत्सुक बनाती है। गुरु तो कामदुघा के समान है। उसे ज्ञान दुहना शिष्य का काम है। उसे सच्चा वत्स बनना होगा। वह जो कुछ है, प्रकृति की देन है, पर वह क्या बनना चाहता है, यह उसकी सस्कृति साधना का अंग है। उसे अपने सस्कृत-स्वभाव को प्रमाणित करना होगा।

हिन्दी की 'सीखना' क्रिया शिक्षा के वास्तविक भाव को स्पष्ट कर देती है। शिष्य सीखना चाहेगा और इसके लिए प्रयत्नशील होगा, तो सीख पायेगा। अध्यापक तो उसमें प्रेरणा मात्र दे सकता है। शिक्षा पढ़ना-सीखना मात्र नहीं है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिष्ट बनता है—शिष्ट-सम्मत जीवन यापन की पद्धति में अपने जीवन को ढालता है। इसके लिए उसे अध्यापक का आश्रय लेना होगा और अपने व्यक्तित्व में आदर्श जगाना होगा। चूँकि इस सारी साधना में शिष्य को ही पहल व प्रयत्न करना है, इसलिए इसे अनुशिक्षण नाम दिया जा सकता है, जो अनुशासन का पर्यायवाची है। शिक्षा दी नहीं जाती, वरन् ली जाती है। शिक्षा देने वाला तो निमित्त

११६/छात्र विक्षोभ ?

मात्र है, शिक्षा लेने वाला ही प्रमुख है । इस व्यापार का वही एक पक्ष है, जिसमें दूसरा पक्ष भी समाया हुआ है । इसलिए शिक्षा अनुशासन का ही नाम है । उससे भिन्न राजा और उपदेशक का शासन है, जिसका जीवन में एकांगी महत्व है । श्रद्धा, आस्था और सुदृढ विश्वास जीवन में पद-पद पर सम्बल देने वाले व्यक्ति के सहचर हैं, जिनकी प्राप्ति अनुशासन से ही सम्भव है ।

राज्य शिक्षा सस्थान,
उदयपुर.

अस्वच्छ बिम्ब का स्वच्छ प्रतिबिम्ब क्यों कर हो ?

प्रो० शम्भूसिंह मनोहर

अनुशासनहीनता आज के शिक्षा-जगत् की एक ज्वलन्त समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में तो इसने सक्रामक रूप धारण कर लिया है, जिसके फल-स्वरूप आए दिन विद्यार्थियों द्वारा हिंसात्मक आन्दोलनों, उपद्रवों अथवा परीक्षा-भवनो में खुले-आम छुरेबाजी की घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते हैं।

हमारे शिक्षा-शास्त्री सिर खुजला-खुजला कर इसके कारणों की मीमांसा कर चुके हैं और इसके निवारण के अनेक उपाय भी सुझा चुके हैं, परन्तु यह समस्या अगद के पैर की तरह ज्यों की त्यों अटल होकर जमी है। बल्कि, उल्टे यह दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर इसका सबब क्या है ? क्या यह समस्या अचानक पैदा हो गई ? अथवा पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, जिन्होंने इसको गभीर रूप से उभार दिया ? वस्तुतः ये सब प्रश्न विचारणीय हैं, क्योंकि बिना इसकी उत्पत्ति की सही पृष्ठ-भूमि को समझे, हम इससे कदापि निस्तार नहीं पा सकते।

आज हमारे अधिकांश शिक्षाविद् अनुशासनहीनता के जो कारण बतला रहे हैं, वे वस्तुतः निरै संद्धान्तिक एवं उनकी उर्वर कल्पना की उपज मात्र हैं। यथार्थ कारण मूल वस्तुस्थिति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए उनके निष्कर्ष प्लेनिंग कमीशन की योजनाओं की तरह एकेडेमिक से अत्रिक महत्त्व नहीं रखते। अतः यदि हमें इस समस्या से जूझना ही है, तो थोड़ा सा आत्म-दर्शन, किंवा सत्य-कथन करना होगा। प्रस्तुत लेख में इसी दृष्टि से मैं इस समस्या पर अपने विचार रख रहा हूँ।

मेरे विचार से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का श्रीगणेश उसी दिन से हो गया था, जिस दिन हमारे राजनीतिक नेताओं ने, जिनमें राष्ट्रपिता

महात्मा गाँधी सर्व-प्रमुख है, प्रथम बार अपने असहयोग आन्दोलन में क्रोध पड़ने के लिए देश के विद्यार्थी-वर्ग को आह्वान किया था। यह एक चौंकाने वाला कथन हो सकता है, परन्तु उतना ही कटु सत्य भी ! मेरी यह दृढ़ धारणा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अनजाने ही एक ऐसी परम्परागत, मर्यादा को तोड़ दिया, जो आगे चलकर भस्मासुर के वरदान की तरह उन्हीं की नीतियों के लिए अभिशाप बन गई। दीपक प्रकाश देता है, परन्तु उसके साथ कजल भी अनिवार्यत उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रपिता के इस आह्वान से हमारे विद्यार्थी-वर्ग में, जहाँ एक ओर राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, वहाँ दूसरी ओर अनुशासनहीनता की कालिमा भी उसके साथ ही पैदा हो गई और शनैः शनैः राजनीतिक परिस्थितियों व घटना-चक्र के माथे यह उत्तरोत्तर घनीभूत होती जा रही है।

आप एक बार किसी भी परंपरागत मूल्य या मर्यादा को तोड़ दीजिए, चाहे वह कितने ही श्रेष्ठ आदर्श या महत् उद्देश्य के लिए क्यों न हो, उसके बाद आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह सदा उस श्रेष्ठ कार्य विशेष के लिए ही तोड़ी जाएगी। बीवार एक बार टूटी, कि टूटी। मैं यह निम्सकोच एत्र दृढ-कठ कहना चाहता हूँ कि हमारे उक्त राजनीतिक नेताओं से पहले किसी भी लोकनायक ने, यहाँ तक कि विदेशी शासक-वर्ग ने भी शिक्षण-संस्थाओं की इस परम्परागत पवित्रता व मर्यादा को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी नहीं तोड़ा था।

प्राचीन काल में राजाओं तक ने आश्रमों व गुरुकुलों की मर्यादा की रक्षा की है तथा उसे राजनीति की छाया से सदा मुक्त रखा है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी देश में चाहे कितना ही दमन-चक्र क्यों न चलाया हो तथा शिक्षा-प्रणाली को अपनी शासन-व्यवस्था के अनुरूप क्यों न ढाला हो, परन्तु उन्होंने विद्यार्थियों को अपने परम्परागत मूल्यों व आदर्शों के प्रति अनास्थावान बनाकर अनुशासनहीनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में प्रश्रय व प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व व पश्चात् हमारे ही ही कुछ मूर्खन्य नेताओं ने इस शैक्षणिक पवित्रता की रक्षा न कर एक भयंकर भूल की, जिसका दुष्परिणाम आज एक सर्वग्राही एवं सर्व व्यापक विभीषिका के रूप में हम भोग रहे हैं और अब तो यह भयंकर बेकायू सा हो गया है।

इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन समस्या का सूत्रपात केवल इसी कारण से हुआ, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व शिक्षण-

सत्याग्रो मे, जो राजनीति का अवाधित प्रवेश कराया गया यह प्रनुशासनहीनता की समस्या को जन्म देने मे सर्वप्रमुख हेतु रहा है ।

इसके फलस्वरूप शिक्षण-सत्याग्रो के वानायरण मे ही एक आमूल-चूल परिवर्तन हो गया । गुरु य निप्य के स्नेह और श्रद्धा पर आधारित युग-युग से चले आ रहे प्राचीन मूल्य सहसा व्यस्त होने लगे । शिक्षण-सत्याग्रो मे ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न परिपदों का स्थान अब ले लिया इन यूनियनो ने तथा विद्यार्थियों के अनीष्ट उद्देश्य पूर्ति के साधन बन गये नारे, आन्दोलन और हड़तालें । शिक्षा-जगत मे यह परिवर्तन यडा ही दुर्भाग्यपूर्ण था ।

इसके बाद प्रनुशासनहीनता के लिए गौण रूप से जिम्मेदार हमारी तथाकथित धर्म-निरपेक्ष नीति है, जिमने समाज मे वचे वचाये नैतिक-मूल्यो को ही चौपट कर दिया । हम यह भूल गए कि धर्म के वाह्य आचारो व क्रिया-व्यापों के मूल में जो नैतिकता के मार्गजनीन, सार्वकालिक एवं सार्वत्रिक प्रादर्न छिपे हुए हैं, वे ही तो सामाजिक चरित्र के मेरुदण्ड हैं । अनुशासित जीवन की आधार जिला हैं, परन्तु हमने धर्म-निरपेक्षता के नाम पर उन नैतिक-मूल्यों की भी उसाड फँका । मय धर्मों के गुणो का ग्रहण एक बात है और सब धर्मों के तत्त्वों को तिलांजलि देना दूसरी बात । हमने धर्म के इस नकारात्मक या निपेधात्मक रूप को ही अपनी नीति का आधार बनाया, जबकि हमारा आग्रह उसके विधेयात्मक उदार स्वरूप के ग्रहण की ओर होना चाहिए था, जिसमे सभी धर्मों के उत्कृष्ट तत्त्वो तथा सर्वोच्च नैतिक-मूल्यो का समा-हार हो जाता है । परन्तु पश्चात्य सस्कृति मे पले हमारे इन नेताओ के यह बात समझ मे आनी मुश्किल थी । वे यह भूल गए कि अपने पदार्थवादी दर्शन व भौतिकवादी समृद्धि के वावजूद भी पश्चिम ने अपनी धार्मिक परम्पराओ की हत्या को अपनी देश-नीति का अग नहीं बनाया । आज भी पश्चिम के लोग हर रविवार को श्रद्धा से गिरजो मे सामूहिक पूजा मे भाग लेते देखे जा सकते हैं । परन्तु हमारे यहा नई पीढी के कितने युवक या युवतियां नियमित रूप से अपनी धार्मिक परम्पराओ का पालन करते है ? वस्तुतः हमारे नेताओ ने देश की नई पीढी को धर्महीन (Dereligionise) बनाकर प्रकारान्तर से उसे अनास्थावान और नैतिकता से ही शून्य कर दिया है, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे ।

इन सबके फलस्वरूप स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारे समाज में धारित्रिक पतन की एक वाढ़-सी आ गई । इसने वचे हुए सारे मान-मूल्यो को

ही ध्वस्त कर दिया। छात्रों ने देखा कि जब 'विधि' (नियम) के विघाता हमारे ये विधायक विधान-समाजों व ससद-मदनों में परस्पर जूतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, घूसों और मुक्कों से अपने विचार-स्वातन्त्र्य का उद्घोष करते हैं तथा गालियों की बौछार से अपनी वक्तृत्व-कला के नित नये रेकार्ड स्थापित करते हैं, तो भला वे उनसे पीछे क्यों रहते ? उन्होंने देखा कि शिक्षण-संस्थाओं में कोई भी कार्य, चाहे वह यूनियन के उद्घाटन का हो अथवा उसके समापन का (मेरी दृष्टि में दोनों पर्याय हैं !), बिना किसी नेता का आशीर्वाद पाये पूरा नहीं होता, तो भला उनमें अपने विद्वान् अध्यापकों की अपेक्षा उन सफेदपोश एवं वाक्पटु, किन्तु ज्ञान में निरे पौंगे नेताओं को अधिक सम्मान देने की मनोवृत्ति क्यों न पनपती ? उन्होंने यह भी देखा कि शिक्षण-संस्था के आचार्य द्वारा कोई सही, किन्तु सख्त कदम उठाये जाने पर जब किसी छात्र ने भूख हड़ताल की तो करुणा-विह्वल मंत्री महोदय स्वयं अपने कर-कमलों से उसे मतरे का रस पिलाकर उसका अनशन नोडने हेतु आ बमके। ऐसी स्थिति में बेचारे अध्यापकों या शिक्षण-संस्थाओं के आचार्यों की मर्यादा भला कहा रहती ? स्पष्ट ही अनुशासनहीनता को इससे प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला है। अतः मेरी दृष्टि में आज की देशव्यापी अनुशासनहीनता के लिए सर्वाधिक दोषी हमारे राजनीतिक नेता हैं। रही बात शिक्षकों की, उनका हाल और भी बुरा है। वे एक ओर समाज के उपेक्षापूर्ण व्यवहार में व्यथित हैं, तो दूसरी ओर शिक्षाधिकारियों की ब्यूरोक्रैटिक मनोवृत्ति से आक्रान्त। हमारे शिक्षा-मंत्रालयों में जो अधिकारी नियुक्त हैं—मंत्रियों, सचिवों आदि से लेकर निचले पदाधिकारियों तक—उनमें अधिकांश का शिक्षा, शिक्षकों तथा शिक्षा-जगत की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। उनके द्वारा शिक्षा जैसे मात्त्विक कार्य की प्रगति की बात सोचना एक दुराशा मात्र है। वे शिक्षकों को असहाय जन्तु से अधिक क्रुद्ध नहीं समझते, जो उनकी फाइलों का कँदी और उनकी दया का पात्र है, जिसे वे अपनी कदम के एक इशारे से जैसे चाहें नचा सकते हैं। यदि आपको मेरे कथन में अत्युक्ति लगे तो तनिक उन अध्यापकों से पूछ देखिये जो सचिवालय या एसपेक्टोरेट के बरामदों में आपको रोज चक्कर काटते मिलते हैं। शिक्षा-सचिवों की तो बात ही क्या, जो किसी मामान्य अध्यापक में बात करने में भी अपनी तीहीन समझते हैं, उनके कार्यालयधिकारी भी इस कदर ग्रहमन्यता से ग्रस्त हैं, मानों वे ही उनके माध्यम विघाता हैं, आका हैं। और वास्तव में वे हैं भी, क्योंकि वे जहाँ चाहे वहाँ निरीह शिक्षक का तबादला कर मक्ने हैं तथा उसकी गाली कमाई के वेतन के

लिये उसे महिनो बरसो दर-दर भटकने को मजबूर कर सकते हैं। शिक्षको के साथ जो भेडियो की तरह गुराकर पेश आते हैं, ऐसी जल्लादी मनोवृत्ति वाले अधिकारियो के हाथो मे आज हमगे अपने शिक्षक का भविष्य सोंप रखा है। बेचारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का भविष्य तो और भी अधकार-मय तथा स्थिति अत्यधिक दयनीय है। जबसे प्राइमरी स्कूलों को पचायतो के नीचे लगाया गया है, तब से ही उन स्कूलो के अध्यापको की दुर्गति का समारम हो गया है। वे सरपच के हाथों की कठपुतली बना दिये गए हैं। उनके स्वतंत्र और निर्भीक व्यक्तित्व की हमनें सामूहिक हत्या कर दी है। तेली के बँल की तरह दुनिया भर की अला-बला उनके सिर पर लाद दी जाती है। यहा तक कि जन-गणना जैसे अवान्तर और दर-दर भटकने के काम भी आज भारत का अध्यापक करता है। ऊपर से हम चिल्लाते हैं कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता है, भाग्य-विधायक हैं और न जाने क्या-क्या ! परन्तु क्या राष्ट्र-निर्माताओ की सामाजिक प्रतिष्ठा की भी हमने कभी चिन्ता की है ? वस्तुत आज का अध्यापक, विशेषत प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अपने अर्थाभाव से उतना पीडित नहीं है, जितना इन राजनीतिक नेताओं की खुराफातो से अपनी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बनाये रखने के लिये चिन्तित है। स्वभावतः आज का अध्यापक असंतुष्ट है और उसका वही असन्तोष नाना रूपो मे छात्र-वर्ग मे प्रतिच्छादित हो रहा है। अत अनुशासन-हीनता के निवारणार्थ हमे इस पृष्ठ भूमि की नहीं भूल जाना चाहिए।

रही बात विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्तशासी सस्थाओ व उनमे नियुक्त शिक्षको की। वहा भी राजनीति का कीटाणु प्रवेश कर चुका है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि विश्वविद्यालयो के अधिकाश उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति हैं, जो या तो स्वयं राजनीति के दगल के सफल खिलाडी हैं या किसी सफल खिलाडी के हाथो की कठपुतली हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो सच्चे माने में विशुद्ध शिक्षक, ज्ञानार्थी या विद्वान कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति मे विश्वविद्यालय यदि दलगत राजनीति के अखाडे बन गए हो तथा उनमे नियुक्त आचार्य एव अध्यापक नामधारी व्यक्ति मठाधीश के ही रूपान्तर रह गए हो तो क्या आश्चर्य है। देश मे आज अधिकाश ऐसे ही मठाधीशो का जाल बिछा हुआ है। सरस्वती के सच्चे पुजारियो और ज्ञान के अनन्य आराधकों की संख्या आज नगण्य सी हो गई है। पाठ्य-क्रमो मे अपनी या अपनी द्वारा लिखित घटिया और घासलेटी पुस्तकें नियत करने आदि सँकडो स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिये वे अपने पद को अक्षय कवच बनाकर जो अष्टाचरण करते हैं—वह सब आज

के विद्यार्थी से छिपा नहीं है। इन सबको देग उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, जो निरी स्वानाविक है। यह विद्रोह, अन्याय और पक्षपात की सहज प्रतिक्रिया है, जिसे रोकना नहीं जा सकता। विद्यार्थी देखते हैं कि जब उनके आचार्य या अध्यापक अपनी वेतन-वृद्धि के लिए कभी मौन प्रदर्शन करते हैं, व कभी मुखर आन्दोलन, तो भला वे भी उनके पद-चिह्नो पर क्यों न चलेंगे ? ऐसी स्थिति में आज के अध्यापको को भी आत्म-दर्शन करना होगा। उन्हें सोचना होगा कि क्या वे अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रह गए हैं ? उन्हें देखना होगा कि क्या वे स्वयं उन मूल्यों का सम्मान एवं आदर्शों पर आचरण करते हैं, जिनकी वे अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं ? यदि नहीं, तो फिर अकेले छात्रों से ही नैतिकता के निर्वाह और अनुशासन-पालन की आशा करना क्या उचित है ?

निष्कर्ष यह है कि आज का विद्यार्थी-वर्ग तो हमारे समाज का एक प्रतिबिम्ब मात्र है। जय बिम्ब ही मलिन है तो प्रतिबिम्ब स्वच्छ कहां से होगा ?

अतः यदि हम इस अनुशासनहीनता की समस्या का सचमुच स्थायी हल चाहते हैं, तो हमें शिक्षा को राजनीति के चगुल से सर्वथा मुक्त करना होगा तथा अपने जीवन में उन प्राचीन परम्परागत मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करनी होगी, जिन्हें हम आज छोड़ बैठे हैं। शिक्षण-संस्थाओं में राजनीति की जो पकिलता प्रवेश कर गई है, उसे दृढतापूर्वक निकाल बाहर करना होगा। साथ ही हमें शिक्षको की सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। उधर शिक्षकों को भी चाहिए कि वे आत्म-दर्शन करें तथा भारत के प्राचीन शिक्षकों की महाद् परम्पराओं के अनुरूप आचरण करें। आज अर्थ-युग की जटिलताएं हमारी नैतिकता के लिए एक चुनौती बन गई हैं। शिक्षको को यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। यदि शिक्षक व समाज के सभी वर्ग सगठित होकर आत्मानुशासन का संकल्प लें, तो फिर अनुशासन-हीनता की समस्या निश्चय ही हल जायेगी और शिक्षण-संस्थाओं में फिर से विद्याध्ययन के अनुरूप वातावरण बन सकेगा। यो बातें बनाने से कुछ नहीं होने का है। अब भी समय है, हम चेतों और छात्रों को बोध देने से पहले स्वयं आत्मानुशासन का आदर्श रखें।

शिक्षा की उपेक्षा और नव पीढ़ी का क्रोध

विद्यासागर

देश में कोहराम मचा है। प्रदर्शन, अनशन, धरना आदि की भरमार है। इन आन्दोलनों को राजनीतिक नेता विभिन्न सजाएँ दे रहे हैं, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद नेतृत्व-वर्ग से जाने अथवा अनजाने में जो भूलें हुई हैं, उनसे आखें मूंदी नहीं जा सकती। लम्बे समय से विद्यार्थी-आन्दोलन चल रहा है। इसके कारण तथा निदान के सम्बन्ध में अनेक गोष्ठियों और छोटे-बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों को उनके कृत्यों के कारण कोसा जा रहा है और विद्यार्थी-वर्ग भी शान्ति और कानून-व्यवस्था को भंग कर शासन को परेशान कर रहा है। इस सारी प्रक्रिया में कई बार प्रश्न उठता है, कि एकाएक नव पीढ़ी के साथ ऐसी कौन सी बात हो गई है, जिसके कारण उसने देश भर में तूफान मचा रखा है? यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें, तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आयेगी कि विद्यार्थी-जगत् का वर्तमान असंतोष किसी एक दिन अथवा एक क्षण का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा-जगत् के प्रति 'उपेक्षा-भाव' का भयंकर दुष्परिणाम है, जो आज सभी के सिरदर्द का कारण है। विद्यार्थी-असंतोष का दोष राजनीतिक दलों पर भी डाला जा रहा है। एक निश्चित सीमा तक इसमें सत्यता भी है। कुछ राजनीतिक दल स्वार्थों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु इससे भी बढ़कर अनेक ऐसे कारण हैं, जिन्होंने आज विद्यार्थी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि जो भी चाहता है, उसका उपयोग-दुरुपयोग करता है। चाहे वह प्रश्न इस्पात के कारखाने का हो, चुनाव में टिकिट लेने का हो, राजनीतिक नेताओं के आपसी संघर्ष का हो अथवा शिष्ट-संस्थाओं के अध्यापकों-प्राध्यापकों की आपसी दलबन्दी का हो।

पिछले अनेक वर्षों से विद्यार्थियों पर अनुशासनहीनता का दोष लगाया जा रहा है। विद्यालयों में होने वाला ऐसा कोई समारोह नहीं, जिसमें विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने का उपदेश न दिया जाता हो। प्रश्न यह है कि

क्या केवल विद्यार्थी ही अनुशासनहीन हैं ? यह जिम समाज का भ्रंग है, क्या वहाँ अनुशासनहीनता नहीं ? प्राये दिन राज्यों की विधान मण्डल तथा समद में जिस प्रकारके दृश्य उपस्थित होते हैं, उनका सम्मान विद्यार्थी के मस्तिष्क पर पड़े बिना नहीं रह सकता । देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों में गुटबन्दी है । एक ही दल के नेता मार्चजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं । इस स्थिति में विद्यार्थी से अनुशासन की अपेक्षा करना केवल शोका है । कुछ दिन हुए एक सड़क पर स्कूल के कुछ विद्यार्थी अपने आपस में बातचीत कर रहे थे कि “जिस समय समद के समक्ष प्रदर्शन होता है, उस समय समद का भीतरी दृश्य देखने वाला होता है ।” इसी में अनुमान लगाया जा सकता है कि नेताओं के आपसी व्यवहार का विद्यार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ता है ।

प्राय विद्यार्थियों से राजनीति में भाग न लेने की बात कही जाती है और हास्यास्पद स्थिति यह है, कि वान कहने वाले राजनीतिक नेता चुनाव के समय विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं । देश के विद्यार्थी-संगठनों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का नियन्त्रण है । स्कूलों और कॉलेजों में राजनीतियों को ही आनन्वित किया जाता है । इन अवसरों पर अध्यापकों का व्यक्तित्व बौना और कुठित हो जाता है । विद्यार्थी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है कि मेरे शिक्षक मे मन्त्री, समद-सदस्य और यहाँ तक कि नगरपालिका के सदस्य भी बड़ कर हैं ।

आज का विद्यार्थी नेतृत्व-विहीन है । तथाकथित विद्यार्थी-नेता विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों में सिर भुकाये देखे जा सकते हैं । वे नेता तो हैं, परन्तु उनकी सुनने वाला कौन है ? विद्यार्थी यूनियनों का नेतृत्व परिस्थिति वश सर्वथा अयोग्य विद्यार्थियों के हाथों में आ जाता है और शिक्षण-संस्थाओं का वातावरण औद्योगिक संस्थाओं जैसा बन जाता है । विद्यार्थी-नेता अनेक प्रश्नों पर बगलें भाँकने लगते हैं । पिछले दिनों विद्यार्थी समस्याओं के विचारार्थ बुलाई गई सगोष्ठी में जब एक विद्यार्थी-नेता से बोलने के लिए कहा गया, तो उसकी हालत देखते ही बनती थी । विद्यार्थी-नेता—परन्तु अपनी समस्याओं के संबन्ध में बोल नहीं सकते और जब कोई विद्यार्थी किसी सरकारी इमारत को ध्वंस करने लिए अपने हाथ से मे पत्थर उठाता है, तो विद्यार्थी-नेता में साहस नहीं होता कि उसके हाथों को रोक सके ! इस सब का परिणाम यह है कि योग्य और गम्भीर विद्यार्थियों के हाथों से नेतृत्व उनके हाथों में चला गया है, जो किसी कारण से अध्यापन-कार्य में पिछड़े हुए हैं । विद्यार्थी हास्यास्पद माँगें मनवाने के लिए आन्दोलन

कर रहे हैं, जैसे—सिनेमा टिकटों के रेट कम किये जायें, सिनेमाघरों^१ बाता-
नुकूलित बनायें जायें, परीक्षाएँ न ली जायें तथा रेलों के समय में उनकी
इच्छा के अनुसार परिवर्तन किया जाये ।

विद्यार्थी और अध्यापक के आपसी सम्बन्ध दिनों-दिन वादु हो रहे हैं । विद्यार्थी के हृदय में अपने अध्यापक के प्रति किसी प्रकार का श्रद्धा-भाव नहीं रहा और अध्यापक छात्र के जीवन के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा । बहुत कम ऐसे छात्र हैं, जो अपने अध्यापक से हाथ जोड़ कर अभिवादन करते हैं । अध्यापकों में अफसरशाही की भावना पनपती जा रही है । अनेक ऐसी शिक्षा-संस्थाएँ हैं, जिनके मुखियों से मिलने के लिए घण्टों कार्यालयों के बाहर ठहरना पड़ता है । यदि कोई छात्र अपना शिक्षा-शुल्क निश्चित तिथि को नहीं दे सकता और उस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रिन्सिपल अथवा मुख्याध्यापक को देने जाये, तो उससे दुर्व्यवहार किया जाता है । इस स्थिति में विद्यार्थी अपमानित-सा भारी मन से प्रधानाचार्य के कमरे से बाहर आता है । उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना भड़क रही होती है । वह अपने अध्यापकों को अपमानित करने की ताक में रहता है । बहुत कम ऐसे अध्यापक होंगे, जिनका विद्यार्थियों से सच्चा स्नेह होगा और जो यह अनुभव करते हों, कि हमें विद्यार्थियों के जीवन को बनाना है । शिक्षण-संस्थाओं में ऐसे लोगों की भरमार है, जो किसी कारण वश अपने इच्छित क्षेत्र में जा नहीं सके और उन्हें अध्यापन-कार्य करना पड़ा । ऐसे हाथों में नव पीढ़ी सुरक्षित नहीं । वर्तमान छात्र-आन्दोलन में शासन-तन्त्र ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उससे तो अध्यापकों की स्थिति और भी असहाय सी हो गयी है । लाठी-गोली ने अध्यापकों की छात्रों को नियन्त्रण करने की शक्ति को कुठित कर दिया है । अभी ऐसी शोचनीय स्थिति नहीं आई थी कि छात्र अध्यापकों के नियन्त्रण में न रह सकें, परन्तु पुलिस-कारवाई ने सभी आशाओं पर पानी फेर दिया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उपकुलपतियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था, कि उपकुलपति की अनुमति के बिना पुलिस विश्वविद्यालय क्षेत्र में नहीं घुस सकती । 'विद्यार्थी राष्ट्रीय मार्च' के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कॉलेजों के प्रिन्सिपलों की एक बैठक में प्रिन्सिपलों के विचारों से ऐसा स्पष्ट पता चलता है, कि छात्रों के समान अध्यापक भी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं । यदि वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय न किये गये तो हो सकता है कि अध्यापक भी छात्रों के समान आन्दोलनकारी राह पर चल पड़ें ।

यौनवाद की चर्चा ने छात्र-मस्तिष्क को कुठित कर दिया है। उसे 'वनने' से पहले ही 'समाप्त' कर दिया गया है। बुकस्टालों पर यौन-साहित्य की भरमार है। वसों, काफी-हाऊसों और यत्र-तत्र सैक्स की ही चर्चा होती है। चलचित्रों और आधुनिक साहित्य में भी इसी का उल्लेख है, विद्यार्थी के हाथ में तो राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की पुस्तकें होती हैं, परन्तु मस्तिष्क कहीं और चक्कर लगा रहा होता है। आखों में रगीले स्वप्न होते हैं। फिल्म अमिनेता-अमिनेत्री छात्र-छात्राओं के आदर्श हैं।

घर की चार दीवारी में भी छात्र की अजीब स्थिति है। अभिभावक उसके जीवन के प्रति उदासीन हैं। उसके पास इतना समय नहीं कि वह अपने बालक के अध्ययन-कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सके। फीस निरन्तर दी जा रही है, परन्तु बालक के अध्यापक से मिलने की फुर्सत नहीं। हाँ इतनी चर्चा जरूर होती है कि 'आजकल स्कूलों और कॉलेजों में पढाई नहीं होती।'

वर्तमान शिक्षा-पद्धति दोषपूर्ण है। सभी एक स्वर में इसकी आलोचना करते हैं, परन्तु किसी में इस बात का साहस नहीं कि इसमें अपेक्षित परिवर्तन करे। विद्यार्थी को अपना भविष्य अन्वकार मय दिखाई देता है। उच्च-शिक्षा पाने के बाद भी जीविका के लिए वह मारा-मारा फिरता है। डाक्टरों और इंजीनियरों की आवश्यकता की बात जोरो से की जाती है, परन्तु अनेक ऐसे युवक मिल जायेंगे, जो डाक्टर और इंजीनियर की शिक्षा के बाद भी सालों-साल नौकरी की तलाश में रहते हैं। भविष्य के प्रति आशंकित छात्र-छात्रायें, यदि किसी के बहकावे में आकर अनिष्ट कर बैठें तो क्या आश्चर्य।

विद्यार्थी समस्या को सूझबूझ से हल करने की आवश्यकता है। लाठी और गोली से देश के होनहार युवक-युवतियों के प्राण लिये जा सकते हैं, परन्तु उनके असतोष को समाप्त नहीं किया जा सकता। विरोधियों पर छात्रों को बहकाने का दोष लगाया जा सकता है, परन्तु इनसे भी बढ़कर वे दोषी हैं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करने का अवसर दिया है, जिनमें विद्यार्थियों को पथ-भ्रष्ट किया जा सके। ध्वंसकारी तत्त्व तेजी से विद्यार्थियों की नाशकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, परन्तु निर्माणकारी तत्त्व मूक दर्शक की भाँति तमाशा देख रहे हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में आना चाहिये। अपने दोषों को दूसरों पर मढ़ने से समस्या का समाधान नहीं,

होसकेगा। स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद भी सरस्वती-मन्दिरों का उचित सम्मान नहीं किया गया। शिक्षा-नीति के कारण विद्यालय उपेक्षित हैं। वर्तमान समस्याओं का समाधान गोष्ठियों और आयोगों की स्थापना से नहीं, बल्कि छात्र-अध्यापक-अभिभावक के परस्पर सहयोग और महान् आदर्श से ही सम्भव है।

हिन्दी प्रचार समिति,
३३, फीरोजशाह रोड,
नई दिल्ली-१.

हमारा छात्र !

राकेशदत्त त्रिवेदी

यदि कहा जाय कि अनुशासन ही जीवन है, तो इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न होगी। विद्यार्थी-जीवन में तो इमता अपरिमित महत्व आका ही नहीं जा सक्ता। मेरा है कि आज अनेको व्यवधानों के कारण विद्यार्थी-जीवन में अनुशासन का अभाव अनुभव किया जा रहा है, जो न केवल वर्तमान छात्र-वर्ग के लिए अहितकर है, बरन् भावी समाज तथा राष्ट्र के लिए कहीं अधिक घातक है। अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं और अब भी किये जा रहे हैं, परन्तु भ्रमता को मूलरूप से नष्ट करने के लिए हमें उन मूलभूत कारणों का विवेचन करना होगा, जिनका यह दुष्परिणाम है। विद्यार्थी-जीवन में अनुशासन के दो पहलू हैं—वैयक्तिक तथा सामूहिक। जहाँ तक वैयक्तिक अनुशासन का प्रश्न है, भारतीय छात्र अन्य देशों के छात्रों से कम अनुशासित, कम कर्तव्यनिष्ठ और कम सहिष्णु नहीं। इसलिए सामूहिक अनुशासनहीनता ही मुख्य रूप से भारतीय छात्र-वर्ग की समस्या है और उसी के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों की धानवीन का हम यहाँ प्रयास करेंगे।

जैसा हमें विदित है कि आज उच्च आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर समाज में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, फलस्वरूप चारों ओर नैतिक गुणों का ह्रास दिखाई पड़ने लगा है। विद्यार्थी-वर्ग समाज का एक कोमल और जागृत अंग है, इसलिए वह भी इस कुप्रभाव से अछूता नहीं रह पाया। अधिकांश छात्र अपने अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य सम्मान्य सम्बन्धियों के प्रति वह आदरभाव और श्रद्धा नहीं रखते, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। आदरणीय व्यक्तियों के प्रति यदि समुचित आदर का भाव न रखा जाय, तो इससे कल्याण और हित में बाधाएं आती हैं—'प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्यपूजाव्यतिक्रमः' (रघुवश, १/)। नैतिक विघटन करने वाली प्रवृत्तियों के कारण भावी सफल जीवन का उत्तरदायित्व भी छात्रों की समझ में नहीं आता। प्राचीन छात्र-आदर्शों और कर्तव्यों का एक तो उनको

बोध ही नहीं कराया जाता और यदि किसी स्थिति में कहीं कराया भी जाता है, तो वह इस रीति से कि उसका छात्रों के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या मूलरूप से कोई अलग समस्या नहीं है, किन्तु हमारे समाज की नैतिक समस्या का एक पहलू मात्र है। हमारे जीवन में अर्थवाद इतना प्रवेश पा चुका है, कि माता-पिता या अभिभावकों के पास एक तो समय ही कम होता है, पर जो कुछ अवकाश मिलता भी है, उसे भी वे अपनी सन्तति के विकास को देखने में नहीं लगा पाते। फलतः अभिभावकों की इस उपेक्षावृत्ति के कारण घर पर उन्हें किसी प्रकार का मार्ग-निर्देशन नहीं हो पाता और समाज के उन मड़काने वाले तथा अहितकर तत्त्वों से छात्र-वर्ग की रक्षा नहीं हो पाती, जो उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं।

हमारी शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य केवल भौतिक पदार्थों की उपलब्धि अथवा जीविकोपार्जन मात्र बन कर रह गया है। चरित्र-निर्माण पर विशेष बल नहीं दिया जाता, इसलिये व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना असम्भव सा हो गया है। छात्र अनुभव करता है कि वह विद्यार्थी इसलिए है, जिससे वह परीक्षा में पास हो सके और पास इसलिए हो जाय, जिससे उसे जीविकोपार्जन का कोई सुगम साधन उपलब्ध हो सके। आज की हमारी शिक्षा-प्रणाली लगभग उसी शिक्षा-प्रणाली का विकास अथवा प्रसार मात्र है, जो अंग्रेजों ने अपने शासन-काल में, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचलित की थी। हम उसी प्रणाली के प्रसार को परिवर्तन समझ बैठे हैं। वास्तविक प्रश्न आज यह नहीं, कि हम किस प्रकार का और अधिक प्रसार करें, किन्तु यह है कि हम किस प्रकार की शिक्षा को फैलायें, जो जीवन-यापन में हमारी सहायता करने के साथ-साथ हमें अपेक्षित चरित्र और व्यक्तित्व प्रदान करे।

शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक-वर्ग का महत्त्व सर्वोपरि है, किन्तु उसकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सतोषजनक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से अध्यापन-कार्य में कोई प्रलोभन नहीं है और समाज में उसके कार्य का वह सम्मान नहीं रह गया, जो उसके महत्त्वपूर्ण कार्य को देखते हुए होना चाहिए। इसलिए निराशा और अनुत्साह की भावनाएँ उसमें प्रायः देखी जाती हैं। समाज के लिए ये घातक भावनाएँ परोक्षरूप से विद्यार्थियों में प्रवेश पा रही हैं। अतः सन्तुष्ट तथा संयत अध्यापक-वर्ग का अपेक्षित मात्रा में न होना छात्रों की अनुशासनहीनता का एक अप्रत्यक्ष कारण माना जा सकता है।

दूषित परीक्षा-प्रणाली से छात्रों की अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है और उसके भयकर उदाहरण परीक्षा-काल में देखे जा सकते हैं, जब डराने घमकाने से लेकर शारीरिक बल-प्रयोग तक के साधनों का उपयोग देखने और सुनने को मिलता है। एक छात्र का अपने अध्यापक से कोई व्यक्तिगत सम्पर्क या लगाव नहीं रह गया है। बड़ी-बड़ी सख्या वाली कक्षाओं में किसी छात्र विशेष की क्या ममन्याएँ हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, इसका अनुमान भी एक अध्यापक को लगा सकना कठिन होता है। जैसे हम बस में बैठते हैं और कण्डक्टर को टिकिट के पैसे देकर गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार एक छात्र स्कूल या कॉलेज में फीस देता है और अध्यापक की सहायता से परीक्षा पास करके अपनी जीविका में लग जाता है। ऐसे शैक्षिक दृष्टिकोण के कारण अध्यापक छात्र के चरित्र और व्यक्तित्व में कोई रुचि नहीं ले पाता। अतः परम्परागत गुरु-शिष्य का भाव न होना अनुशासनहीनता का एक प्रबल कारण है। परिस्थितिवश प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा पूरी तरह तो जाग्रत नहीं की जा सकती, किन्तु यदि इस परिपाटी को थोड़ा बहुत भी पुनर्जीवित किया जा सके, तो विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता जैसी भयकर त्रुटियों से बहुत अंशों में बचा जा सकता है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।

विद्यार्थियों की शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग जब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा, तब तो स्थिति और भी भयावह हो गई। भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में विद्यार्थियों ने बड़ा सफल और वाहिन योग दिया। नेताओं की पुकार पर उन्होंने विद्यालय छोड़े और विदेशी सरकार में टक्कर ली। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी, विद्यार्थियों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होता रहा। जो शस्त्र चलाना उन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व सिखाया गया था, उसे वे आज भी उसी दक्षता से चला रहे हैं। दूसरी ओर, जब एक छात्र से उन्नत आदर्शों पर चलने के लिए कहा जाय, तो उमसे उस आदर्श के पालन की आशा तभी की जा सकती है, जब आदर्श कार्यरूप में उसके सामने रक्खा जाय। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से छात्रों के सम्मुख न्याय, सद्भावना और त्याग के जीवित उदाहरण आने चाहिये। छात्रों के ऊपर से राजनीतिक प्रभाव हटाना तो दूर रहा, बहुत से राजनीतिक दल अपने सर्वव्यापी प्रभाव के द्वारा छात्रों को भी विभिन्न राजनीतिक विचारग्वाराओं में बाँट देते हैं, जैसा विश्वविद्यालयों में प्रायः देखा

जाता है। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल विद्यार्थियों के सहयोग से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सचेष्ट पाये जाते हैं। किसी राजनीतिक दल विशेष के लिए छात्र काम करें और यदि उसे सफलता न मिले तो उनमें असन्तोष और द्वेष की भावनाएँ बढ़ने लगती हैं, जिनको वे अन्य किसी बात पर बाद में प्रगट करते हैं।

छात्रों की अनुशासनहीनता की पृष्ठभूमि में मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। एक छात्र को आज अपने भविष्य का कोई पता नहीं, उसकी जीविका और कार्य बिलकुल अनिश्चित हैं। उसकी शिक्षा का मूल उद्देश्य जीविकोपार्जन का साधन है, किन्तु जब समय आने पर उसे समुचित जीविका भी प्राप्त नहीं होती, तो उसका धैर्य और उत्साह टूट जाता है। शिक्षा के उपरान्त बेकारी जैसी समस्याएँ, उसके अन्दर निराशा और असन्तोष को जन्म देती हैं, जो और बढ़ने पर उच्छ्व खलता तथा स्वच्छन्दता का रूप धारण कर लेती हैं। इन परिस्थितियों में भी कोई ऐसी व्यवस्था उनके सामने नहीं, जो उन्हें शिक्षा के वास्तविक अभिप्राय को बतला कर, उनमें सहनशीलता, विनय, नम्रता और अनुशासन के भावों को भर सके। छात्रों को बताना होगा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यत्न पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसकी उपलब्धि होने पर मनुष्य की आत्मा सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है, जैसा गीता में कहा है, "ज्ञान विज्ञान सहित यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽणुमात्"।

राष्ट्रीय संग्रहालय,
जनपथ, नई दिल्ली.

द्वितीय खंड
भेंट-वार्तायि

भेंट-वार्तियें

भेंट एव प्रस्तुतीकरण : कृष्णवीर द्रोण

प्रो० एम वी. माथुर
(उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय)

हिन्दी-आन्दोलन को लेकर जब र विश्वविद्यालय को बन्द करना पडा, तो उन्ही दिनों एक रात्रि को लगभग ८.३० बजे मैं जब श्री माथुर के निवास स्थान पर पहुँचा, तो वे अपने अध्ययन-कक्ष में व्यस्त थे। निजी-सचिव के द्वारा मुझे अपने पास बुलवाकर घडी की ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने मुझ से कहा कि आप विद्यार्थी-आन्दोलन से सम्बन्धित मेरे विचार जानना चाहते हैं न ? आपके पास प्रश्न होंगे, पूछिये। मैंने प्रश्न किया—

प्रश्न—श्रीमान्, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि गत दिनों में हुये देश-व्यापी विद्यार्थी-आन्दोलन के प्रति आपकी क्या धारणा है ?

उत्तर—(निर्विशेष भाव में डूबकर उन्होंने अत्यन्त सहजता से इस प्रकार उत्तर दिया, मानों उत्तर की पत्तिया उनके मस्तिष्क में पहले से ही जमी हुई रखी हो) यह समस्या जितनी सहज है, उतना ही इसका हल कठिन है।

प्रश्न—आपके विचार से यह समस्या क्या है ?

उत्तर—अत्यन्त सघन जन-संख्या वाले देश में उच्च-शिक्षा के आकांक्षी बेरोजगार नौजवानों से उत्पन्न है यह समस्या।

प्रश्न—(मैंने एक अर्थशास्त्री विचारक की विचार-सरणि को दूसरे पक्षों की ओर मोड़ने की दृष्टि से प्रश्न किया), क्या यह एक नितांत आर्थिक समस्या ही है ?

उत्तर—(अपेक्षाकृत अधिक सचेतना समेटते हुये) वास्तव में तो, यह सब सामाजिक बेचैनी की उपज है। यह समाज एक Organic living है, जिसके किसी भी भाग में खराबी उत्पन्न होने से सारा का सारा ढाँचा अव्यवस्थित हो जाता है। आज समाज का कोई भी काम मार्ग-निर्देशन नहीं दे पा रहा। माता-पिता, शिक्षक तथा नेता सभी

असहाय से हो रहे हैं। (विशेष बल देते हुये) आज तो धर्म भी दिशा-सकेत नहीं दे पा रहा। छात्र को यदि कोई भी प्रभावित कर पा रहा है, तो वह है—चलचित्र (मेरे बिचार से निश्चय ही श्री माथुर का सिनेमा के दुष्प्रभावों की ओर सकेत था) शिक्षा-केन्द्रों में भीड़ एकत्रित हो गई है, कोई पारस्परिक (शिक्षक-छात्र) सम्पर्क शेष नहीं रह गया है और परिणामतः कोई शिक्षा-ग्रहण की वास्तविक प्रक्रिया नहीं चल रही। डिग्री-वितरण की एजेन्सीज मात्र रह गये हैं हमारे वर्तमान शिक्षा-केन्द्र। यहाँ कोई वैदिक अन्तर्मिलन नहीं होता।

प्रश्न—'शिक्षा में भीड़' की समस्या का समाधान कैसे किया जाय ?

उत्तर—शिक्षा देने की विधि (टेक्नीक्) में परिवर्तन द्वारा।

प्रश्न—क्या इस विधि-परिवर्तन को आप कृपया स्पष्ट करेंगे ?

उत्तर—विश्वविद्यालयों को पत्राचार-पाठ्यक्रम तथा रात्रि-कॉलेजों की सुविधायें छात्रों को प्रदान करनी चाहिये।

प्रश्न—क्या आपने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की योजना बनाई है ?

उत्तर—हां, ऐसी योजना प्रस्तावित भी की जा चुकी है, परन्तु प्रस्तावक अनिवार्य रूप से उसे व्यावहारिक रूप नहीं दे सकता। पुराने लोभ नवीनता के प्रति कुछ 'हिच' करते हैं। ये सब योजनायें पैसे से होती हैं और पैसे सरकार के पास हैं।

प्रश्न—शैक्षणिक-प्रक्रिया में आप अध्यापक के व्यक्तिगत सम्पर्क को तो अत्यन्त प्रभावी मानते ही होंगे ?

उत्तर—नि सन्देह।

प्रश्न—पत्राचार-अध्ययन-अध्यापन विधि में तो व्यक्तिगत सम्पर्क का नितांत अभाव सा ही रहता है ?

उत्तर—यह तर्क विलकुल ठीक है, परन्तु एक सूक्ष्म तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कि एक योग्य एवं चरित्रवान अध्यापक की कला उसके पत्र-व्यवहार से भी प्रतिबिम्बित होती है और फिर यह रास्ता वर्तमान दुर्व्यवस्था से तो स्पष्टतया श्रेष्ठ ही है।

प्रश्न—आपके विचार से इस दुर्ब्यवस्था का हल क्या है ?

उत्तर—बस एक मात्र हल है—सन्तुष्ट अध्यापक ।

प्रश्न—विश्व-विद्यालयी प्राध्यापकों को तो वेतन भी अच्छा मिलता है, क्या वे भी असन्तुष्ट हैं ?

उत्तर—क्यों नहीं ! असंतोष की भी क्या कोई सीमा है, यह तो द्रोपदी का चीर है । क्या आज प्राध्यापक अपने वेतन-भागों को लेकर असन्तुष्ट नहीं हैं ? (मैंने कहा—हैं, श्रीमान्)

प्रश्न—तब क्या इस द्रोपदी के चीर का कभी अन्त ही नहीं होगा ?

उत्तर—अन्त क्यों नहीं होगा । अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते (श्री माथुर ने मुझ से पूछा कि क्या मैंने अर्थशास्त्र पढा है, मैंने स्वीकारते हुये कहा, जी हाँ, बी० ए० मे पढा था) मैं तो यह कह सकता हूँ कि वही अध्यापक अधिक सन्तुष्ट होगा कि जिसको द्रव्य (Money) से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता अपेक्षाकृत शीघ्र की स्थिति पर शून्य हो जाय (Marginal Value of money should be zero at a fairly early stage) ।

प्रश्न—तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि मात्र धन द्वारा सन्तुष्ट अध्यापक बनाये जा सकते हैं ?

उत्तर—नहीं, यह बात इस प्रकार नहीं है । सभी 'महान् अध्यापक' सन्तुष्ट उत्पन्न होते हैं, मैंने तो एक औसत अथवा सामान्य बात कही है । असंतोष का एक कारण यह भी है, कि जिन परिवारों से ये छात्र पढ़ने आ रहे हैं, वे अपने परिवारों की शिक्षित होती हुई सर्वप्रथम पीढी है । अतः उन्हें उनके परिवारों में शैक्षणिक वातावरण नहीं मिल पाता । दूसरे, उनके पास पढ़ने के लिये पर्याप्त धन भी नहीं है । विद्यालयों में पुस्तकालय तथा अन्य प्रकार की सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । ये लोग सस्ते नोट्स पढते हैं और इस प्रकार येनकेन-प्रकारेण—साम, दाम, दण्ड, भेद के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं । मेरे विचार से इस छात्र-असंतोष के लिये छात्रों को दोष देना उचित नहीं ।

प्रश्न—तो क्या इसका यह तात्पर्य है कि छात्रों को किसी भी दृष्टि से दोषी नहीं ठहराया जा सकता ?

उत्तर—नहीं तो । कुछेक छात्र अवश्य दोषी हैं, जिन्हें सच्चे गुरुजनों द्वारा सही मार्ग बताया जाने पर भी वे उस पर हठवश नहीं चलते । वैसे विद्यार्थी तो कच्चे माल की तरह हैं, जिन्हें अध्यापक रुपी कारीगर पक्के माल में परिवर्तित करता है ।

प्रश्न—वर्तमान शिक्षा-नीति के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—मेरे विचार से आज की शिक्षा-नीति हमें प्रजातन्त्र तथा समाजवाद की ओर नहीं ले जा रही ।

प्रश्न—(मैंने आश्चर्य दर्शाते हुये कहा) आज तो सभी के लिये शिक्षा के द्वार खुले हुये हैं, फिर भी आप शिक्षा-नीति को इस प्रकार क्यों कहते हैं ?

उत्तर—कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन को आप देखें, उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि एक मच्चे प्रजातन्त्र में सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण के अधिकारी का निर्णय जन्म और धन की दृष्टि से न आकर प्रतिभा की दृष्टि से आका जाना चाहिये । आज जिसके पास पैसा होता है, वह श्रेष्ठतम पब्लिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकता है और फिर यह भी निश्चित ही है कि ऐसे विद्यालयों के छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों को ग्रहण करने में भी सफल होते हैं । कहा है आज सरकारी क्षेत्र (Public Sector) में उच्च कोटि के विद्यालय ? दूसरे, हमने प्रजातन्त्र के नाम पर हर व्यक्ति के लिये उच्च-शिक्षा के द्वार बड़ी उदारता से खोल दिये हैं । क्या प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक-प्रतिभा की दृष्टि से उच्च-शिक्षा का अधिकारी है ? क्या यह प्रजा-तांत्रिक अथवा सामाजवादी सिद्धान्त है कि प्रत्येक मतदाता को प्रधान-मन्त्री बना दिया जाय ? मेरा यहाँ स्पष्ट मत है कि अब समय आ गया है कि हम शिक्षा में (Selective approach) को प्रारम्भ करें अर्थात् प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के पश्चात् हम विद्यार्थियों की (Test Ability) योग्यता की जाँच के आधार पर (Screening) छटाई करें और जो अधिकारी हो उसे ही आगे बढ़ने दें, अनाधिकारी को कदापि आगे न बढ़ने दें । और चूँकि गत वर्षों में हमने ऐसा नहीं किया, इसी कारण सर्वत्र हाहाकार फैल गया है ।

प्रश्न—आपकी सम्मति से अच्छे अध्यापकों का निर्माण कैसे किया जाय ?

उत्तर—साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भरण-पोषण की सुविधाओं के बिना वर्तमान में अच्छे अध्यापक का निर्माण करना कठिन ही

प्रतीत होता है। दूसरे, यह सबसे आवश्यक हो गया है कि अध्यापकों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट भान करा दिया जाय। तीसरे, वे निश्चय ही इस योग्य भी होने चाहियें कि अपने छात्रों को सुनागरिक बना सकें। हमारी इस शताब्दी में ज्ञान-विज्ञान के आयाम इतनी द्रुत-गति से विस्तृत हो रहे हैं कि इस क्षण का सत्य अगले क्षण असत्य हो रहा है। ऐसे समय में अध्यापक के ज्ञान का समसामायिक तथा आधुनिक होना कितना अनिवार्य है। बीस वर्ष पुराना एम० ए० की डिग्री वाला अध्यापक आज न केवल बड़ी शान से पढा रहा है, अपितु पदोन्नति के हेतु अपनी वरिष्ठता भी अधिकारता है। ऐसे पासपोर्टों (डिग्रियों) का समय-समय पर नवीनीकरण होना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान ही वरिष्ठता का मापदण्ड होना चाहिये।

प्रश्न—क्या वर्तमान में हमारी राजनीति की दिशा विद्यार्थी-समाज पर दुष्प्रभाव नहीं डाल रही ?

उत्तर—स्पष्ट है कि राजनीति भी आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही आती है। यह सारी दुर्व्यवस्था-आर्थिक सामाजिक त्रुटियों की उपज है। तथापि विभिन्नताओं से भरे इस विशाल जन-समुदाय वाले देश में हमने जनतांत्रिक समाज-व्यवस्था के द्वारा इन २० वर्षों के काल में, जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, वे ससार की उन्नति के इतिहास में अपूर्व हैं। और फिर हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता की आयु भी अल्प ही है। (मैंने फटाचिट ठीक ही सोचा कि प्रवश्य ही ये शब्द शिक्षा-आयोग की सदस्यता से प्रभावित हैं।^१)

प्रश्न—(अन्त में अन्तिम एव आग्रहपूर्ण प्रश्न पूछते हुये मैंने कहा) तो आपकी सम्मति में वर्तमान शिक्षा के अविलम्ब सुधार के लिये क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—बस, कुछ आदर्श शिक्षा-मस्थायें खुलनी चाहियें, जिनमें अच्छे अध्यापकों को उत्तम अध्यापन की सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

१ श्री माथुर शिक्षा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं।

जे. पी नायक

(शिक्षा मलाहकार—नारत मरकार)

जयपुर में २८ अक्टूबर, १९६८ की रात्रि को लगभग ८ बजे, जब मैं श्री नायक से मिला तो वे लेटे-लेटे कदाचित् राजस्थान में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं शिक्षा के विषय में कुछ पढ रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें राजस्थान में पचायती राज्य के अन्तर्गत चल रही प्राथमिक शिक्षा के विषय पर राजस्थान मरकार द्वारा इस विषय पर आयोजित सगोष्ठी में अपने विचार प्रगट करने थे। मेरे आने की सूचना प्राप्त होते ही आप श्वेत-मुष्त्र वस्त्रों में बाहर आये और अपने स्वानाविक मृदु स्वर में मेरे आने का कारण पूछा। मैंने जब बताया कि छात्र-आन्दोलन के विषय पर लिखी जा रही एक पुस्तक के हेतु आपके विचार जानने हैं, तो वे कदाचित् अपनी अति कार्य-व्यस्तता की बात कहने वाले थे कि मैंने बीच में ही कहा कि मेरे पास पुस्तक की रूप-रेखा तैयार है, पहले आप इसे देखने का कष्ट करलें, आगे का कार्यक्रम सुविधानुसार फिर निश्चित कर दीजियेगा। मेरे इस प्रस्ताव पर वे तुरन्त सहमत हो गये और बोले कि अच्छा अगले दिन ५ बजे आइयेगा। अगले दिन मैं यथा समय पहुँच गया। मेरे आने की सूचना मिलते ही उन्होंने मुझे बुला लिया और अपने सामने वाली सीट पर बैठने का संकेत किया। मैंने पूछा कि आपको हमारी पुस्तक की योजना कैसी लगी? आपने उत्तर दिया, योजना काफी अच्छी और नवीन है, मुझे पसन्द आयी। मैंने जब पूछा कि छात्र-आन्दोलन के विषय में क्या आप कुछ बता सकेंगे तो उन्होंने कहा अवश्य पूछिये, अब मैं कुछ बता सकूँगा। वार्ता की भाषा के विषय में जब चर्चा चली, तो उन्होंने कहा कि यों सामान्यत मैं हिन्दी बोल-समझ लेता हूँ। मने उनकी कठिनाई को समझते हुये कहा कि वैसे तो पुस्तक हिन्दी में है, तथापि वार्ता की भाषा सुविधानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई सी अपनायी जा सकती है। मैंने प्रश्न किया—

प्रश्न—महोदय, कृपया क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे देश में छात्र-असन्तोष के क्या कारण हैं ?

उत्तर—इसके कारण मिश्रित है, कोई एक कारण नहीं है, जैसे—शिक्षा-स्तर का गिरना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधाओं का न मिलना तथा रोजगार की कमी होना इत्यादि ।

प्रश्न—आपके मत से और कोई प्रमुख कारण हो सकता है ?

उत्तर—हाँ, एक और एक प्रमुख कारण है—दो पीढ़ियों के बीच का अन्तर, नवीन और पुरानी पीढ़ी के मध्य विचार-विषमता की खाई चौड़ी हो गयी है । लेकिन यह वस्तु भारत के लिये ही कोई अपवाद नहीं है, यह तो 'वर्ल्ड फेनोमैनन' (संसार व्यापी तथ्य) है । इसके अतिरिक्त हमारे देश में पारिवारिक इकाई की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने वाली यह प्रथम पीढ़ी है, जिसके घरों में सामान्यतः शिक्षा की कोई परिनिष्ठित परम्परा नहीं रही है, अतः छात्र-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो चला है ।

प्रश्न—आपके द्वारा बताई गई दो पीढ़ियों में से किसमें सुधार अधिक होना चाहिये ?

उत्तर—साधारणतः, जब कि परिवर्तन का दौर चल रहा है, किसी एक पक्ष को दोषी ठहरा कर दूसरे को सुधारने की बात कहना बहुत ठीक नहीं है । यह असन्तोष परिवर्तन की प्रक्रिया का ही स्वाभाविक प्रतिफल है ।

प्रश्न—श्रीमान् ! आपकी दृष्टि से हमारी शिक्षा-व्यवस्था के प्रमुख दोष क्या हैं ?

उत्तर—देश में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन रोजगार के साधन अपेक्षाकृत कम हैं, इस कारण युवकों में असन्तोष व्याप्त हो गया है ।

प्रश्न—महोदय, आप जो बता रहे हैं, वह श्रम और उत्पादन के साधनों की मांग और पूर्ति के सिद्धान्त से अधिक सम्बन्ध रखता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली के दोष कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—हाँ, तो अभी जो शिक्षा आयोग ने हमारी शिक्षा-प्रणाली की कमियों की ओर संकेत किया है, वे मुख्यतः तीन हैं—प्रथम तो हमारी शिक्षा जीवन से सम्बन्धित नहीं है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती । दूसरे, सारे देश में शिक्षा का स्तर भी काफी गिरा हुआ है । तीसरे, हमारे यहाँ शिक्षा का प्रसार भी अभी उतना नहीं हो पाया है, जितना कि अपेक्षित है । उदाहरण के लिये लीजिये, अमरीका में शिक्षा काल के औसत वर्ष बारह हैं, जब कि हमारे यहाँ ये केवल तीन

वर्ष ही हैं। इतने अल्पकाल में शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती।

प्रश्न—आजकल विद्यार्थी और राजनीति के प्रश्न को लेकर काफी विवाद फैला हुआ है, आपके मतानुसार विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिये अथवा नहीं ?

उत्तर—विद्यार्थियों को राजनीति के सिद्धान्तों का अध्ययन करना चाहिये। उन्हें समझना चाहिये कि संविधान क्या है, प्रजातंत्र एवं विभिन्न राजनीतिक दल क्या है ? परन्तु उन्हें अपने अध्ययन काल में राजनीतिक दल-बन्दी से दूर रहना चाहिये।

प्रश्न—कभी-कभी यह भी कहने-सुनने में आया है कि, शिक्षा-प्रशासन छात्रों की उचित मांगों पर भी ध्यान नहीं देता। यदि ऐसी स्थिति हो, तो छात्रों को क्या करना चाहिये ?

उत्तर—उचित मांगों को न सुना जाना अच्छा नहीं है, उन पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरे विचार से शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य कोई अनिवार्य कॉन्फ्लिक्ट (विरोध) की स्थिति नहीं है (अब श्री नायक के विचारों का क्रम स्वभावतः ही शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्बन्धों की ओर मुड़ गया) शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्बन्धों का आधार मजदूरों और मिल-मालिकों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, अतः दोनों पक्षों के बीच विरोध का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

प्रश्न—फिर भी कभी-कभी विरोध उपस्थित हो जाता है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इसके कारण अनेक हो सकते हैं, परन्तु प्रमुख है—दोनों के बीच 'अन्डरस्टैंडिंग' की कमी—दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को न तो समझ पाते हैं और न स्पष्ट ही कर पाते हैं।

प्रश्न—इस दिशा में कौनसे उपचारात्मक कदम अपेक्षित हैं ?

उत्तर—दोनों पक्षों के विचारों को स्पष्ट करने के लिये एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये, जो विवाद के पक्षों को मलीमांति उजागर कर सामंजस्य स्थापित कर सके। लेकिन समस्या का समाधान उस समय अत्यन्त कठिन हो जाता है कि जब कोई तीसरा पक्ष समस्या को बनाये रखने में दिनचस्पी रखने लगे—जैसे कुछ राजनीतिक दल।

प्रश्न—अभी हाल में ही विद्यार्थियों के लिए एन सी. सी. की अनिवार्यता समाप्त करके "भारतीय समाज सेवा" की योजना प्रारम्भ की जा रही है, आप इसकी सफलता के प्रति कैसे विचार रखते हैं ?

उत्तर—हां, मैं आशावान हूँ, यह एक अच्छी योजना है । लेकिन इसकी सफलता दो बातों पर निर्भर करती है—पहले तो शिक्षकों का नेतृत्व इस दिशा में काफी प्रभावशाली होना चाहिये । दूसरे राज्य-सरकारों का सहयोग भी इस बात में अपेक्षित है, कि वे छात्रों के लिये समाज-सेवा के उचित और व्यावहारिक कार्यक्रम एवं योजनायें (Projects) बनायें ।

प्रश्न—अध्यापक तो जैसे है वैसे ही है, इनसे आप जितनी आशा करें, यह आपकी भावना और निर्णय पर निर्भर है । महोदय, क्या कुछ लोगों का यह कथन सत्य है, कि एन सी. सी. की योजना की कमजोरियों के कारण ये नवीन योजनायें जैसे—समाज-सेवा और खेलकूद की योजनायें—लागू की जा रही हैं ?

उत्तर—नहीं, यह धारणा सही नहीं है । इन योजनाओं को प्रारम्भ करने का कारण यह नहीं है, कि एन सी. सी. की योजना असफल रही है, बल्कि हम अपने युवा-विद्यार्थी को भिन्न-भिन्न प्रकार के मनभावन कार्य-क्षेत्रों के चुनाव की सुविधा (Fields of interests) तथा दिलचस्पी के कार्यक्रमों की विभिन्नताओं के विकल्प (Options of the Variety of programmes) देना चाहते हैं । हमारा लक्ष्य यह रहा है, कि वर्तमान युग में मात्र ज्ञान-प्राप्ति ही शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती, अपितु विद्यार्थी में समाज-सेवा का भाव भी उत्पन्न होना चाहिये ।

प्रश्न—परन्तु जो छात्र खेल-कूद की योजना में भाग लेंगे, वे तो समाज के अनिवार्य सेवा-भाव से वंचित रह जावेंगे, इसके लिये आपका क्या विचार है ?

उत्तर—वास्तव में आपका यह प्रश्न अत्यन्त मौलिक एवं गम्भीर है, परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि समाज-सेवा से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास योग्य एवं कुशल व्यक्ति (Trained Personnels) नहीं हैं, फलतः यह कठिनाई जड़ी हो गयी है ।

प्रश्न—छात्र-असन्तोष के विषय में आपने जो अभी शैक्षणिक तथा अन्य कारण बताये हैं, क्या इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसके कारण ढूँढे जा सकते हैं ?

उत्तर—हां, क्यों नहीं ? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि अनेक कारण हैं ।

और अब चूंकि श्री नायक महोदय के वायुयान द्वारा दिल्ली जाने का समय हो आया था, अतः वार्ता को यहीं समाप्त करना पड़ा । चलते समय पुनः उन्होंने हमारी पुस्तक के प्रति अपने सन्तोष के भाव व्यक्त किये ।



डॉ० राजकृष्ण

(आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विषय विद्यालय)

•

डॉ० राजकृष्ण ने अपनी अमरीका और मलाया की दो-दो विदेश यात्राओं की व्यस्तता के बीच मुझे समय ही नहीं दिया, अपितु समस्त वार्ता को अपनी सौजन्यता, उन्मुक्तता तथा अनौपचारिकता से बराबर सरस बनाये रखा। उस दिन डॉ० साहव कक्षा को पढाकर जब अपने विभाग-कक्ष में आये, तो मुझे बैठा पाया। लगभग तीन बजे थे। अन्य बातों के अतिरिक्त, उन्होंने हमारी पुस्तक की योजना के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रगट की और कहा— आइये, खाना खाने के कार्यक्रम के साथ-साथ ही अपनी यह वार्ता भी चलती रहे, तो अच्छा है, कार्याधिक्य के समय सब कुछ उचित है। मैंने सहमति प्रगट करते हुये अपना पहला प्रश्न किया—

प्रश्न—महोदय ! आपके विचार से छात्र-आन्दोलन के क्या-क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके कई कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण यही है कि अधिकतर अध्यापक-गण स्वयं अपनी परेशानियों में फसे रहते हैं। उनकी आर्थिक अवस्था भी सतोषप्रद नहीं है। साथ ही उन्हें अपने विषयों का पर्याप्त और स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता। उनकी अपने कार्य के प्रति कुछ रुचि नहीं होती। उनका अपना जीवन कोई आदर्शबद्ध नहीं होता।

प्रश्न—क्या आपके विचार से छात्र-आन्दोलन के कोई अन्य कारण भी हैं ?

उत्तर—हाँ, अध्ययन के पश्चात् छात्रों के व्यवसाय की असुरक्षा का प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। पहले तो वे जो कुछ ज्ञानार्जन करते हैं, उसकी मदद से वे अपने जीवन को धनोपार्जन द्वारा सुरक्षित बना सकेंगे, इसी के बारे में वे संशंकित रहते हैं। साथ ही वे यह भी जानते हैं, कि आज अपने व्यवसाय से सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्य उचित-अनुचित साधनों का जानना

अधिक आवश्यक है, जिनकी मदद से उनसे कम योग्यता वाले उनके ही साथी ऊचे-ऊचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। अब, आप ही बताइये कि ऐसे ज्ञान-विरोधी वातावरण में विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की विशुद्ध जिज्ञासा कैसे जाग्रत की जा सकती है ?

एक बात छात्र-आन्दोलन के विषय में और कही जा सकती है, कि सामाजिक और राजनीतिक नेताओं के दुर्व्यवहारों की खबरें पढ़-सुनकर छात्रों को कोई अच्छी प्रेरणा नहीं मिल पाती। संक्षेप में हमारे विद्यार्थी को न अपने परिवार से, न अध्यापकों से और न समाज से ही कोई समुचित मार्ग-निर्देशन मिलता है।

प्रश्न—क्या अध्यापकों की वेतन-वृद्धि से शिक्षा-समस्याओं का हल निकल सकता है ?

उत्तर—नहीं "नहीं। अध्यापन का कार्य तो वस्तुतः मनोवृत्ति के परिष्करण से अधिक सम्बन्धित है। अध्यापक के आत्मतोष तथा आश्वस्त होने की नितान्त आवश्यकता है। परन्तु इसके विपरीत हमारे अध्यापक असतोष एवं Cynicism से ग्रसित हैं। मैं यह कहूँ तो गलत न होगा कि आमतौर से अध्यापन-कार्य में द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के बौद्धिक-वर्ग (Second rate intelligentia) के व्यक्ति ही आकर्षित हो पाते हैं।

प्रश्न—तब फिर शिक्षा-जगत् में अपेक्षित सुधार किस तरह लाया जा सकता है ?

उत्तर—जैसा मैंने ऊपर मकेत किया है, शिक्षा के बाह्य उपकरणों में तो आवश्यक वृद्धि होनी ही चाहिये, किन्तु वास्तविक शिक्षा-सुधार शिक्षक ही कर सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का विचार-विनिमय ही शिक्षा की आत्मा है। यदि शिक्षक चाहें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयत्नों द्वारा पाठ्यक्रमों में सुधार ला सकते हैं, अच्छी पाठ्य-सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकते हैं, अपनी शिक्षण-विधि में सुधार ला सकते हैं, इत्यादि।

प्रश्न—क्या आपको कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों के चेहरों पर सतोष की नलक दृष्टिगोचर होनी है ?

उत्तर—छात्रों के चेहरों को देखने से पहले मुझे अपना चेहरा देख लेना चाहिये। अथवा गो कहिये कि छात्रों के चेहरे दर्पण का कार्य करते

हैं। मेरे चेहरे की छाया ही सीधे रूप में विद्यार्थी के चेहरे पर छाया-
नुकृति बन विराजमान हो जाती है। मुझे अपने-आपसे प्रश्न करना
चाहिये कि क्या मैं वास्तव में पढ़ाना चाहता हूँ? क्या मैं अच्छी प्रकार
पढ़ाना जानता हूँ? क्या मैंने पढ़ाने के लिये पर्याप्त और स्पष्ट ज्ञान
प्राप्त कर लिया है तथा क्या मैं छात्रों से स्नेह करता हूँ?

प्रश्न—आर्थिक कठिनाइयों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर—जिन विद्यार्थियों के माता-पिताओं की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं
होती, उनके बच्चे अच्छी बुद्धि रखते हुये भी उत्तम प्रकार की शिक्षा
ग्रहण नहीं कर पाते तथा घर के काम का भार अधिक होने से वे
पढ़ाई में पर्याप्त समय नहीं लगा पाते। उनके रहने तथा पढ़ने के
स्थान भी अनुपयुक्त होते हैं। और फिर यदि माता-पिता तथा अन्य
सम्बन्धी प्रशिक्षित हों, तो घरेलू वातावरण ही शिक्षा-विरोधी बन
जाता है।

प्रश्न—आपके मत से क्या अन्य भी कोई शिक्षा-विरोधी तत्त्व समाज में कार्य
कर रहे हैं?

उत्तर—आधुनिक शिक्षा केवल तथ्य-ज्ञान और भौतिक विज्ञान पर बल देती है।
भावनात्मक-ज्ञान, नैतिक-ज्ञान अथवा धर्म-ज्ञान की प्रायः कुछ भी
शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिये इन सूखे क्षेत्रों की पूर्ति नवयुवक अन्य
सस्ते-सुलभ माध्यमों से करते हैं—रेडियो, सिनेमा, सस्ता साहित्य,
आदि। क्योंकि इन माध्यमों की अधिकतर सामग्री आर्थिक लाभ की
दृष्टि से ही तैयार की जाती है, अतः इनसे विद्यार्थियों को कोई उप-
युक्त उच्च प्रेरणास्पद शिक्षा प्राप्त होने की आशा नहीं की जा
सकती। केवल एकांगी, अवास्तविक, अनैतिक एवं नीचे स्तर का
मनोरजन ही मिलता है। जो इच्छायें इन माध्यमों से उत्पन्न होती
हैं, उनकी आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के कारण तुष्टि न होने
पर नवयुवकों में कुण्ठा, नैराश्य और आक्रोश की वृत्तियाँ उभरने
लगती हैं।

प्रश्न—वर्तमान की इस गम्भीर परिस्थिति को सुधारने की दिशा में आप
क्या सुझाव देंगे?

उत्तर—शिक्षकों के लिये रिफ्रेशर-कोर्सेज (अभिनवन-पाठ्यक्रम) होने
चाहिये। उनकी विचार-गोष्ठियाँ होनी चाहिये, जिनमें वे नियमित

पाठ्य-क्रमों के विषयों के प्रतिरिक्त अन्य जीवन तथा समाज सम्बन्धी प्रश्नों पर मुक्त रूप से भाग ले सकें। ऐसी गोष्ठियों में विद्यापियों के मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये शिक्षा-क्षेत्र के उन्वत्तम विचारकों को आमन्त्रित किया जाना चाहिये, जिनसे विद्यापियों को बौद्धिक स्तर पर एक ममन्वयात्मक दृष्टि भी मिले तथा उनकी उभरती हुई भावनाओं को उचित दिशा भी मिल सके।



डॉ० गोविन्द चन्द्र पाण्डेय

(अध्यक्ष—इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय)

छात्र—आन्दोलन का जिक्र जब मैंने डॉ० पाण्डेय से किया, तो उनके चेहरे पर मायूसी के भाव छा गये। विश्वविद्यालय के अपने कक्ष में वे कुछ व्यक्तियों से बातचीत कर रहे थे। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर से मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा—आइये, चर्चा करने में कोई हानि नहीं, क्या प्रश्न हैं आपके, पूछिये। मैंने कहा—

प्रश्न—महोदय ! क्या आप बतायेंगे कि स्वतंत्र भारत में इन दिनों छात्र-आन्दोलनों के फूटने के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—ऐसी बात तो नहीं है, कि परतंत्र भारत में छात्र आन्दोलन करते ही न थे, परन्तु उस समय आन्दोलनों के कारण दूसरे ही थे। हाँ, पत्थर, ईट इत्यादि फेंकना नई चीज़ है। वर्तमान शासन-व्यवस्था से सभी लोग, और मुख्य रूप से मध्यम वर्ग काफी असंतुष्ट हैं और फिर ज्यो-ज्यो देश में आम-चुनाव निकट आने लगते हैं, त्यो-त्यो देश के राजनीतिक दल विद्यार्थियों में असन्तोष उत्पन्न कर, उन्हें अपना राजनीतिक मोहरा बनाने की चेष्टा करते हैं। मद्रास में द्रविड मुन्नेत्र कडगम यही तो कर रहा है। वैसे अन्य देशों, जैसे चीन, इन्डोचाइना इत्यादि में भी यही सब हो रहा है।

प्रश्न—स्वतंत्रता—पूर्व भारत के छात्र-आक्रोश और वर्तमान छात्र-आक्रोश में क्या कोई मौलिक अन्तर है ?

उत्तर—पहले विदेशी शासन को हटाने के लिये आन्दोलन होते थे, और अब ये राजनीतिक दल-विशेष की नीति से प्रेरित होकर प्रारम्भ होते हैं। पहले वाले आन्दोलनों में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि विदेशी शासन को हटाना ही एकमात्र शर्त थी। आज सर्वधार्मिक ढंग से समझौते की कल्पना की जा सकती है।

१५०/छात्र विक्षोभ ?

प्रश्न—क्या आपके विचार से विद्यार्थी—आन्दोलन एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—क्या आप वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में इन आन्दोलनों के भविष्य में कुछ सकेत दे सकेंगे ?

उत्तर—इनके बढ़ने की ही सम्भावना अधिक है । हमारे देश की दल-नीति प्रसतुलित है । विरोधी दल भी स्वस्थ नहीं हैं । भविष्य में यदि यही रीति-नीति चलती रही, तो कट्टे राजनीतिक संघर्ष बढ़ेंगे और साथ ही छात्र-आन्दोलन में भी वृद्धि होती जायगी ।

प्रश्न—क्या हमारा वर्तमान विद्यार्थी अपनी पुरानी परम्परा से नितान्त अलग हो गया है ?

उत्तर—हाँ, बिलकुल अलग । पहले विद्यार्थी विद्यार्जन एवं चरित्र-निर्वाह आदि जैसी बातों के लिये विद्यालयों में जाता था । आज की भाँति पहले शिक्षा का सीधा सम्बन्ध धनोपार्जन न था । अब तो विद्यार्थी का कोई चारित्रिक आदर्श ही नहीं रह गया है । हाँ, विदेशी बुराइयों का अवश्य आयात हो गया है । पहले का विद्यार्थी विद्यालय से बाहर आकर समाजोपयोगी सिद्ध होता था, आज राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्नों में उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है । वैसे विद्यार्थी भी वेचारा क्या करे, सारी शिक्षा-पद्धति ही प्रेरणास्पद नहीं है ।

प्रश्न—क्या प्राचीन विद्यार्थी की तुलना में आज के विद्यार्थी की कोई नवीन उपलब्धि नहीं है ?

उत्तर—नहीं । पहले विद्यार्थी आत्म-स्वामिमानी एवं आत्मनिष्ठ था तथा दूसरे देशों को ज्ञान देता था, आज का विद्यार्थी ज्ञानार्जन हेतु विदेश जाने का इच्छुक है ।

प्रश्न—क्या इतिहास में विद्यार्थी-आन्दोलन कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका के रूप में स्थान पा सकेगा ?

उत्तर—इन समय का विद्यार्थी तो असन्तोष का ई धन है, स्वयं कुलसेवा और समाज को भूलसायेगा ।

प्रश्न—वैचारिक-स्तर पर इस छात्र-आक्रोश की सीधी टक्कर किससे है ?

उत्तर—इस बात को स्वयं छात्र भी नहीं पहचानते । असन्तोष के कारण बड़े धुले-मिले से एव समाजव्यापी हैं । हाँ, विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधायें नहीं हैं तथा साथ ही वनोपार्जन के साधन भी नहीं हैं ।

प्रश्न—आपके मत में हमारी शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है ?

उत्तर—शिक्षा की कोई सार्थकता नहीं है ।

प्रश्न—अध्यापक-वर्ग अध्यापन में रुचि लेते हैं अथवा नहीं ?

उत्तर—अध्यापन और अध्ययन की तो स्थिति का एक ही दृष्टान्त पर्याप्त है, कि विश्वविद्यालय 6-6 माह तक बन्द हो जाते हैं, परन्तु परीक्षा-परिणाम का प्रतिशत पूर्ववतः ही बना रहता है ।

प्रश्न—अध्यापक-वर्ग अध्यापन में रुचि क्यों नहीं लेता ?

उत्तर—उनका यह कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय उन्हीं के साथ हो रहा है और वे आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं ।

प्रश्न—विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के साथ तो इतनी विषम आर्थिक समस्या नहीं है, फिर भी वे अध्यापन में रुचि क्यों नहीं लेते ?

उत्तर—इसका सीधा मतलब है कि वे अयोग्य हैं और असल बात तो यह है कि वे बेमन से यहाँ आये हैं । यदि कल ही उन्हें कोई अन्य प्रशासनिक-सेवा मिल जाय, तो अध्यापन-कार्य को छोड़ देंगे । लोगों में ज्ञान की प्यास बुझ गई है ।

प्रश्न—क्या अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने से समस्या का हल निकल सकता है ?

उत्तर—वर्तमान मनोवृत्ति वाले अध्यापकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा । वैसे आर्थिक कठिनाई, यदि हो, तो उसे हटाया ही जाना चाहिये । मुख्य रूप से तो अध्यापक को जिज्ञासु होना चाहिये । हमारे देश का ज्ञान आज विदेशों में उत्पन्न होता है । हम अपनी हीन भावना के कारण, विदेशी कूड़े-करकट के प्रति अत्यन्त आकर्षित हैं । मैं एक विदेशी टैक्सी-ड्राइवर को जानता हूँ, जिसको हमारे शिक्षा-शास्त्रियों ने बड़ा सम्मान दिया । इस प्रकार विदेशों के द्वितीय और तृतीय श्रेणी का मानस भारत में विशेषज्ञ (Expert) के रूप में समादृत होता है ।

प्रश्न—इस समस्या के निराकरण हेतु क्या आप कुछ सुझाव दे सकेंगे ?

उत्तर—हमारी शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये । हमारे विचारों और आचरण में स्वदेशी-स्वावलम्बन तथा राष्ट्रीय आदर्शों की स्थापना होनी चाहिये । विद्यालयों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये । प्रशासकों को सबलता धारण करनी चाहिये और जो उपद्रवी छात्र नहीं हैं, उनकी भी न्यायोचित बात को सुनना चाहिये । हमें आर्थिक आत्म-निर्भरता के साथ-साथ आध्यात्मिक आत्म-निर्भरता की ओर भी बढ़ना है । एक बार डॉ० सनयात सेन ने कहा था “चीन को स्वदेशी सामाजिक ज्ञान के साथ पाश्चात्य भौतिक विज्ञान का समावेश करना है ।” यही हमारे सन्दर्भ में भी कहा जा सकता है । हमारे राज-नेता भी आजकल विदेशी सिद्धान्तों से-विशेष चमत्कृत मालूम पड़ते हैं । उन्हें अपनी भूमि में सोघी सुगन्ध ही नहीं आती, जिसके दुष्परिणाम भी वे भोग रहे हैं और यदि हमने यह सोच ही लिया है कि ५ हजार वर्षों की भारतीय सस्कृति में कुछ भी श्रद्धास्पद एवं ग्रहणीय नहीं है, फिर तो आगे की सारी बात ही समाप्त हो जाती है ।

एल पी श्रीवास्तव

प्रातः काल का समय था। मैं श्रीवास्तव महोदय के निवास-स्थान पर ही उनसे मिला। चाय का प्याला मेरी ओर देते हुये उन्होंने कहा,— ये प्रश्न आप किसी बड़े-शिक्षा-शास्त्री से पूछते तो अधिक अच्छा होता, मुझसे आपको कदाचित् कोई विशेष लाभ न होगा। मैंने कहा, महोदय ! हम इस समस्या के बारे में आम अभिभावक की राय भी जानना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों के बारे में कैसा और क्या सोच रहे हैं ? और फिर आपका तो शिक्षा-जीवन के साथ भी बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है। मेरी बात सुन कर वे कुछ देर के लिये मौन हो गये और फिर बोले, हम अभिभावकों के कहने-सुनने से कुछ होता-जाता तो है नहीं, फिर भी आप जो चाहें पूछिये। मैंने पूछा—

प्रश्न—महोदय, आपके विचार से आजकल छात्र-आन्दोलन क्यों करते हैं ?

उत्तर—अजी साहब, इसके अनेक कारण हैं—जैसे यूनिवर्सिटी में आये दिन पाठ्य-पुस्तकें बदल दी जाती हैं। ऐसा करने से कुछ लोगों को तो निरन्तर आर्थिक लाभ होता रहता है, परन्तु सरक्षकों को नयी-नयी पुस्तकें खरीदनी पडती हैं। और देखिये, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु, प्री-मेडिकल टैस्ट की एक नयी शर्त लगानी चाही है, अब इससे क्या होगा कि जिन मेधावी छात्रों ने अपने परिश्रम से परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किये हैं, वे तो मेडिकल में जा नहीं सकेंगे और इधर-उधर के उनसे कम योग्यता वाले विद्यार्थी येनकेन प्रकारेण, प्रवेश पाने में समर्थ हो जावेंगे। इसके अतिरिक्त, फीसों की वृद्धि से तो असन्तोष फैलता ही है, लेकिन आये दिन घर वालों से वच्चे आकर पैसे मांगते रहते हैं कि आज हमारे विद्यालय की स्वर्ण जयंती मनायी जा रही है, तो कल कोई अन्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। घर वाले भी रोज-रोज पैंसा कहाँ से दें ? इसके अलावा, मेरी सम्मति में तो यह जो त्रिवर्षीय पाठ्य-क्रम (स्नातक योग्यता हेतु) निर्धारित किया गया है, उसे हटाकर पुराना ढंग ही अपनाया जाना चाहिये। आज यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण

करके किसी कारणवश अपना अध्ययन छोड़ देता है, तो वह परीक्षा किस काम आवेगी ? पहले छात्र इस परीक्षा को पास करने से इन्टरमीजिएट परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता था और आज तो नित्य प्रति पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं...। कुल मिला कर मेरे विचार से तो सारी शिक्षा-नीति ही गलत है। इस कारण यदि छात्र-आन्दोलन करते भी हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

प्रश्न—तो क्या आपकी राय में ये आन्दोलन किये जाने चाहिये ?

उत्तर—हाँ, ये आन्दोलन आमतौर पर वाजिव ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति का नष्ट किया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न—क्या आपका तात्पर्य यह है कि माँगों के माँगने का ढग यदि प्रवा-तान्त्रिक हो, तो छात्रों की माँगें स्वीकार हो सकेंगी ?

उत्तर—यदि माँगें उचित होंगी तो अवश्य स्वीकृत होंगी।

प्रश्न—क्या छात्रों की माँगें उचित होती हैं ?

उत्तर—कुछ माँगें अनुचित भी होती हैं, लेकिन अधिकतर माँगें उचित ही होती हैं।

प्रश्न—जब न्यायोचित माँगों के स्वीकृत होने की सम्भावना है, तो फिर ये उग्र प्रदर्शन प्रायः क्यों खड़े हो जाते हैं ?

उत्तर—अधिकतर अधिकारीगण, ऐसे अवसरों पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार बात बढ जाती है।

प्रश्न—क्या छात्र-आन्दोलन होने के कुछ और भी अन्य कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—अन्य कारण भी हैं—जैसे, छात्रों की सख्या अधिक होने से छात्रों और शिक्षकों के मध्य, समीप का कोई व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता और इसके कारण स्नेह तथा प्रनुशासन का वातावरण निर्मित नहीं हो सकता। एक कारण यह भी है, कि छात्रों के सामने भविष्य की कोई रूपरेखा ही स्पष्ट नहीं है और फिर आये दिन शिक्षा सम्बन्धी नियम परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि छात्रों में निराशा और हिंसा की भावनाएँ उठने लगती हैं।

प्रश्न—श्रीसत शिक्षक के प्रति आपकी कैसी धारणा है ?

उत्तर—हूँ कि शिक्षकों को वेतन कम मिलता है, अतः वे अध्यापन से अधिक द्यूगण करने या अन्य किसी प्रकार से धन कमाने के कार्य को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

प्रश्न—जिन अध्यापकों का वेतन-स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है, क्या वे अध्यापन में रुचि लेते हैं ?

उत्तर—मेरे विचार से तो अधिकतर अध्यापक प्रायः अपना समय बरबाद ही करते हैं। आमतौर पर प्राध्यापक लोग जब घर पर ही दिखाई देते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वे पढाते किस समय होंगे। वैसे कुछ अध्यापक 'सिन्सीअर' भी होते हैं।

प्रश्न—इस समस्या के उत्पन्न होने के लिये क्या आप और भी कोई कारण बता सकेंगे ?

उत्तर—हाँ, कुछ राजनीतिज्ञ भी छात्रों को भडकाते रहते हैं।

प्रश्न—आपकी दृष्टि से बच्चे अपने अभिभावकों के अनुशासन में रह पा रहे हैं, अथवा नहीं ?

उत्तर—अधिकतर तो बच्चे अभिभावकों की बात मानते हैं नहीं, क्योंकि उनका तर्क यह रहता है कि हम कोई व्यक्तिगत माँगें थोड़े ही माँग रहे हैं, यह तो एक सामूहिक प्रश्न है, जिसके लिये हम सभी वचनबद्ध एवं कटिबद्ध हैं। और फिर आप जानते हैं कि ऐसे समय में 'समूह की भावना' (Mob mentality) सभी छात्रों के मस्तिष्कों पर छा जाती है।

प्रश्न—यदि माँ-बाप व्यक्तिगत रूप से घर पर अपने बच्चों को औचित्य और अनौचित्य की बात समझाते हैं, तो क्या वे उस पर ध्यान देते हैं ?

उत्तर—हाँ, क्यों नहीं, देते हैं। आखिर तो बच्चे भी 'सैन्सिबिल' (समझदार) होते हैं। हाँ, एक बात इस विषय में और है कि बच्चे समझते तब ही हैं, जबकि उन्हें ठीक बात समझायी जाय। अनुचित बातों के बहकावे में वे नहीं आते। और फिर सरक्षक अब न तो अनुचित बात का समर्थन ही करता है और न अपने बच्चों से ऐसा करने को ही कहता है।

प्रश्न—कुल मिलाकर क्या बच्चे अपने सरक्षकों के वश में हैं ?

उत्तर—आमतौर पर तो हैं ही। हाँ, कुछ दादा-टाइप लड़के अवश्य काबू से बाहर हो जाते हैं।

प्रश्न—बच्चों को बिगड़ने में क्या किसी सीमा तक सरक्षक भी उत्तरदायी नहीं हैं ?

उत्तर—बच्चों का बनना-बिगड़ना अधिकतर माता-पिता की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सन्तान को बिगाड़ना नहीं चाहता। आज यदि कोई बच्चा बिगड़ ही जाता है, तो बेचारा अभिभावक क्या कर सकता है ? वह अधिक

से अधिक उसे समझा सकता है, लेकिन वह फिर भी न माने तो उसके पास प्रत्यक्ष तो कोई उपचार है नहीं ।

प्रश्न—इस छात्र-असन्तोष के समाधान हेतु क्या आप कृपया कोई सुझाव दे सकेंगे ?

उत्तर—मेरे विचार से शिक्षा को सोद्देश्य बनाना होगा और साथ ही इसे धनोपार्जन का साधन भी बनाना होगा । इसके साथ-साथ ही केवल उन्हीं छात्रों को उच्च शिक्षा पढने देना चाहिये, जो वास्तव में योग्य हों, इससे विद्यालयों की अनावश्यक भीड़ भी कम होगी, अनुशासन-हीनता घटेगी और जो व्यक्ति जिस कार्य के उपयुक्त होगा, उसे उसके अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा । अन्त में, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था का नवीनीकरण प्राथमिक कक्षा के स्तर से ही किया जाना चाहिये ।

श्री भटनागर का स्नेह तथा सौहार्द्र मुझे स्मरण रहेगा। सारी झूझटो के बीच से समय निकाल कर उन्होंने मुझे अपने पुस्तको की भीड़ वाले कमरे में बिठा कर कहा, “भाई साहब, आपका प्रत्येक कार्य मैं करूँगा।” अत्यन्त मैत्री-भाव, सहयोग एवं अपनत्व वाले इस वाक्य से प्रेरित होकर मैंने अपनी पहली जिज्ञासा उनसे इस प्रकार प्रगट की—

प्रश्न—श्रीमान् ! आपके विचार से छात्र-आन्दोलन के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—बुनियादी तौर पर छात्र-आन्दोलन के तीन प्रमुख कारण बताये जा सकते हैं—आर्थिक विषमता, समाज व शिक्षा में सुनिश्चित एवं प्रगतिशील विचारधारा का अभाव तथा आधुनिकता व परम्परा के अन्तर्विरोध से उत्पन्न तनाव।

प्रायः देखा जाता है, कि छात्र-आन्दोलन के कारणों का विश्लेषण करते समय अमवश रोग के लक्षणों को रोग की सज्ञा दे दी जाती है। छात्रों में व्याप्त नैराश्य व कुण्ठाएँ रोग नहीं हैं, रोग के लक्षण हैं। रोग है आर्थिक-विषमता। घोर असमता व अन्याय के आधार पर चल रहे समाज में तरुण हृदय आन्दोलित न हो, ऐसा समझना बड़ी भूल है।

उपर, आज का छात्र या तो लक्ष्यहीन है अथवा प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं से गुमराह है। सकीर्णता, साम्प्रदायिकता, जातीयता, प्रादेशिक व भाषायी मतान्धता के विष पर जीवित छात्र सभी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रव्यापी छात्र-आन्दोलन सुस्पष्ट, रचनात्मक व प्रगतिशील सिद्धान्तों के आधार पर सगठित किया जाए।

नये-पुराने का द्वन्द्व व तज्जनित तनाव सन्नान्ति-काल की विशेषता है। रूढ़िवादी शक्तियाँ डटकर नवीनता व प्रगति के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती हैं। इनसे लड़ना नई पीढ़ी का पावन कर्तव्य है। हाँ, लड़ाई करते समय दिशा-भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये।

१५८/छात्र विक्षोभ ?

प्रश्न—अभिभावक छात्रों पर नियन्त्रण रख पाते हैं या नहीं ? यदि हाँ, तो फिर यह उग्र प्रदर्शन क्यों होते हैं ? यदि नहीं, तो वे क्यों नहीं नियन्त्रण रख पाते ?

उत्तर—ग्रामतौर पर आधुनिक समाज में अभिभावक छात्रों पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ हैं। इसके तीन मुख्य कारण बताये जा सकते हैं—

(१) परिवार—व्यवस्था का विघटन।

(२) नई पीढ़ी में सामान्य रूप से व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का उभार, अधिकार—विरोधी भावना का बाहुल्य व छात्रों के अवचेतन पर राजनीतिक अनुशासनहीनता का गहरा प्रभाव।

(३) नई व पुरानी पीढ़ियों की मान्यताओं के बीच की खाई।

प्रश्न—वर्तमान शिक्षा—व्यवस्था से क्या आप गन्तुष्ट हैं ?

उत्तर—जी नहीं, मैं उससे घोर असन्तुष्ट हूँ।

प्रश्न—शैक्षणिक नियमों के विच्छेद छात्रों द्वारा हिमा के प्रयोग ने क्या आप सहमत हैं ?

उत्तर—प्रश्न हिमा के प्रयोग ने सहमत अथवा असहमत होने का नहीं है। वह तो यह है कि क्या हमारा समाज हिमा के प्रयोग के बिना ही ग्रामूल प्रान्ति करने देगा ? मेरी निजी धारणा यह है कि निहित स्वार्थ यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए कृत्रिम-मकल्प है। ऐसी स्थिति में हिमा के प्रयोग को मैं तो आवश्यक बुराई नहीं मानूँगा। हाँ, निरकुश हिमा लक्ष्य प्राप्ति में गहायक न होकर शक्य हो जाती है। हिमा की सीमा उसकी आवश्यकता ही परिधि के अन्तर्गत ही ढूँढनी पड़ेगी।

प्रश्न—समस्या या निराकरण क्या है ?

उत्तर—सामाजिक व्यवस्था में ग्रामूल परिवर्तन—समता, समाजवाद, मानवीयता व प्रगति ही दिशा में।

हनुमान शर्मा

(महो निरीक्षक—पुलिस विभाग, राजस्थान)

विद्यार्थी-ग्रान्दोलन के बारे में विचार जानने हेतु एक दो बार मैं आई० जी० महोदय से मिल चुका था, परन्तु मैंने उन्हें प्रायः कार्यव्यस्त ही पाया। अब की बार जब रात्रि को मैं उनके निवासस्थान पर पहुँचा तो वे तुरन्त मेरे अभिप्राय को समझ गये और बोले, अच्छा आप आ गये, ठीक है तो आज चर्चा करली जाय, बैठिये। मैंने पूछा—

प्रश्न—महोदय ! आपके विचार से एक अच्छी शिक्षा-व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ?

उत्तर—शिक्षा से मैं यह अर्थ लेता हूँ, कि जो बालक के अन्दर निहित सर्व-श्रेष्ठ तत्त्व हो, उन्हें वह बाहर लासके और उन्हें बालको को नमाजो-पयोगी बना सके। शिक्षा एक प्रकार से चिर-सचित अनुभवों से प्राप्त एक परिपक्व विचारधारा है। व्यक्ति समाज में रीति-नीति, ज्ञान तथा विचार को जन्म देता है, इसके बदले में समाज उसे पोषण व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान के समन्वित रूप की स्थापना होती है। मेरे विचार से शिक्षा एक महत् तत्त्व है, जो दिव्यता एवं भव्यता जैसे आलोक से प्रकाशित है। जो शिक्षित हो जाता है, उसके समस्त व्यवहारों में आचरण की सहजता का प्रादुर्भाव हो जाता है।

प्रश्न—ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जा सकती है ?

उत्तर—अजी, व्यवस्था, प्रणाली, सिद्धान्त इत्यादि जैसे आकर्षक शब्दावलियों (High Sounding phraseology) से अब काम न चलेगा। अब यदि वास्तव में आप उत्तम शिक्षा देना ही चाहते हैं, तो उत्तम अध्यापकों को खोजिये और यदि न मिलें तो उनका निर्माण करिये। बाकी बातें शब्दों का जजाल है, भ्रम है।

प्रश्न—'उत्तम अध्यापक' कैसा हो ?

उत्तर—'उत्तम अध्यापक' वह है, जिसमें पढाने की यथेष्ट योग्यता हो और साथ ही वह यह भी जानता हो कि पढाया कैसे जाय। अध्यापक को अपने ज्ञान, आचरण एवं चरित्र की श्रेष्ठता द्वारा छात्र के ऊपर अपनी श्रमिट छाप लगा देनी चाहिये। एक उत्तम अध्यापक आवश्यक रूप से अपने विद्यार्थी के जीवन का कायाकल्प करता है और चूँकि वह अपने छात्रों की मनोभूमि को पहचानता है, इसी कारण वह उनकी मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियन्त्रण में रखने का वास्तविक अधिकारी है। वह छात्र-जीवन का भयादा यत्र (Safety-volve) है। वह उनके मानसिक आन्दोलनों, उद्वेगों, उनके क्रिया-कलापों तथा व्यवहारों का प्रणेता, सूत्र धार एवं संचालक है। एक 'उत्तम अध्यापक' अपने उच्च व्यक्तित्व द्वारा बिना बोले ही शिक्षा प्रदान किया करता है, जैसे किसी महापुरुष के दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है।

प्रश्न—'अनुशासन' से आप क्या अभिप्राय लेते हैं ?

उत्तर—किसी भी व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु जो एक नियमबद्ध मानसिक आचरण की व्यवस्था करनी होती है, मेरे विचार से वही अनुशासन है। मेरे हिसाब से तो इस जगत् में जो कुछ भी नियमित घटित हो रहा है, वह अनुशासन के अन्तर्गत ही हो रहा है। इस प्रकार अनुशासन के भिन्न-भिन्न प्रकार हो सकते हैं, परन्तु यहाँ आपका तात्पर्य कदाचित् शैक्षणिक अनुशासन से है। (मैंने कहा, जी हाँ) देखिये, अनुशासन और शासन में भी बड़ा अन्तर है। शासन आदेशों और नियमों का बाह्य शक्ति द्वारा अनुपालन है, जबकि अनुशासन किसी नियम शब्द पर रहने की स्वतः-स्फूर्तित एक आन्तरिक इच्छा है। शासन द्वारा विधि-विधान का पालन भय एवं दण्ड द्वारा कराया जाता है, जबकि अनुशासन से हमारा तात्पर्य उस आत्मानुशासन से होता है, जो व्यक्ति की भावना से सुगन्धित, इच्छा से पोषित तथा आत्म-प्रेरणा से जीवित है। मैं पूर्व ही ब्रता चुका हूँ, कि मात्र कर्ता (शिक्षक) ही अपने ज्ञान, चरित्र तथा आचरण की उच्चता द्वारा अपने शिष्यों द्वारा वांछित अनुशासन की स्थापना कर सकता है।

प्रश्न—वर्तमान सन्दर्भों में, जबकि प्रुलित शिक्षा-संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रही है, तो 'शिक्षा-स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त' के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर—यह बडे दुर्भाग्य की घटना है कि एक विशुद्ध शैक्षणिक समस्या (जिसके अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं) को आत्यन्तिक कानून और व्यवस्था की समस्या (An extreme problem of law and order) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पुलिस और विद्यार्थियों का कोई सीवा सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि आज दृष्टिगोचर हो रहा है। यह हमारे देश का एक और ऐतिहासिक दुष्पवृत्तात है, कि ब्रिटिशकाल में पुलिस के प्रति छात्र के मानस में घृणा, विक्षोभ तथा प्रतिरोध की भावना भर गयी थी। लाल पगडी (पुलिस का सिपाही) को भारतीय मन ने, जन-जीवन का आरक्षक न मानकर, अपने विरोधी के रूप में माना था और आज जब कि हम स्वतंत्र हो गये हैं, हमारा राज्य है, हमारी पुलिस है, फिर भी समय का कुछ ऐसा चक्र चला है कि छात्रों के मन में पुलिस के प्रति अब भी वह विरोधात्मक मानसिक परम्परा को बढावा मिल रहा है। पुलिस को देखते ही बालक क्रुपित हो उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इस सबके लिये पुलिस को दोषी ठहराना उचित नहीं। पुलिस के जिस स्वरूप को गढ कर समय, परिस्थिति और समाज ने रखा है, वह हमारे आपके सबके सामने है। कानूनी तौर पर, उसे 'ला एण्ड आर्डर' (कानून और व्यवस्था) बनाये रखना पडता है। लेकिन यह कानून और व्यवस्था इस भाति स्थापित नहीं की जा सकेगी। ऐसी भेरी मान्यता है।

प्रश्न—छात्रों के अभिभावक उन्हें ऐसे कार्यों में भाग लेने से क्यों नहीं रोकते ?

उत्तर—छात्रों के घरवाले अपनी दाल-रोटी की चिन्ता में इतने व्यस्त हैं कि वे आपसे बाहर हुई अपनी सतान से बात करने का अवकाश ही नहीं निकाल पाते। विवश, वे उन्हें विद्यालयों की ओर ठेल देते हैं। विद्यालय वाले भी उन्हें (भगवान जाने पढा नहीं पाते या पढाते नहीं) सडकों का रास्ता बता देते हैं, और सडकों वाली शिक्षा जैसी वे ग्रहण कर रहे हैं, उसे आज सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल कर बेचारी मोली-भाली सतति के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।

प्रश्न—विद्यार्थियों के अभिभावक क्यों कर ऐसा कर रहे हैं, क्या इसे और भी अधिक स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे ?

उत्तर—अभिभावकों की आर्थिक कठिनाई की ओर मैंने अभी सकेत किया ही था। परन्तु मूल बात तो भाई यह है, कि भारतीय जन-व्यवस्था की

सबसे बड़ी विशिष्टता यह थी, कि वह लोक-समाज पर आधारित थी। आज वह दुर्बलवश टूट-टूट कर गिरती जा रही है। समाज में आज समाज-सेवी व्यक्तियों का अभाव हो गया है, अतः एक प्रकार की रिक्तता (Vacuum) उत्पन्न हो गयी है। और अमिमावक की मौजूदगी देखिये, वह अपने चतुर्दिक् व्याप्त वातावरण से क्षुब्ध है, अर्थात् क्रोधित है, लेकिन वह अपना क्रोध निकाले तो किस पर? उसे डर जो लगता है। बस विद्यार्जन के नाम पर अपनी सन्तान को विद्यालय भेज देता है, लेकिन जब वे वहाँ पर उपद्रव करते हैं, तो वह उनको शांत करने नहीं आता। आये भी क्यों? उसके मन में क्रोध की जो मढास मरी पड़ी है, उसे स्वयं तो प्रगट कर नहीं सकता, अपने बच्चों के द्वारा अपनी मनचीती इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। अन्यथा, यदि सभी अमिमावक चाहें तो क्या ये बच्चे उनकी आज्ञा को मानेंगे नहीं ?

प्रश्न—पुलिस द्वारा छात्रों पर शक्ति-प्रयोग का औचित्य आप किस सीमा के पश्चात् वाछनीय समझते हैं ?

उत्तर—यदि कोई समझाने-बुझाने पर भी न माने और शांति और व्यवस्थाको खतरा उत्पन्न हो जाय, तो विवश शक्ति प्रयोग अनिवार्य हो जाता है।

प्रश्न—छात्रों पर विशेष रियायती दृष्टि से, तुरन्त शक्ति प्रयोग न कर, उनके द्वारा किये कार्यों के परिणामों की समावना में, यदि कुछ समय के लिये शक्ति का प्रयोग स्वगित कर दिया जाय, तो आपकी राय में क्या परिणाम हो सकते हैं ?

उत्तर—यों तो विद्यार्थियों के मामले में वैसे ही पुलिस कमी उग्रता का खल नहीं अपनाती, परन्तु फिर भी पुलिस सम्भावनाओं का खतरा नहीं उठा सकती। आज घटना शुरू होता है, कल घेराव और परसों प्रदर्शन और बस शनैः शनैः हिंसा के बीज अकुरित होने लगते हैं। हिंसा का स्वभाव है कि जब इसकी चिनगारी फूटने लगती है, तो फिर शीघ्र ही दावानल की भाँति अपना बिस्तार करने लगती है। अतः इसका रोकना ही शुभ है। इसी कारण गांधीजी ने भी 'चोरा चोरी घटना' के बाद ही अपना आन्दोलन वापस ले लिया था।

प्रश्न—आपने अभी कहा कि शक्ति प्रयोग द्वारा अनुशासन की स्थापना सम्भव नहीं, तो इस प्रवर्द्धित शक्ति प्रयोग के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

उत्तर—हिंसा और उपद्रवों के तूफान आयेंगे। अभी पुलिस बुलायी जाती है, कल को सेना बुलानी पड़ेगी। बड़े भयकर दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, गत दिनों के साम्प्रदायिक उपद्रवों से भी भयकर।

प्रश्न—छात्रों पर डके बरसाते समय पुलिस अधिकारियों की मन स्थिति के अध्ययन करने का क्या आपको अनुभव हुआ है? वे कैसा अनुभव करते हैं?

उत्तर—पुलिस वाला अमानुषिक, हृदयहीन एव निर्दयी नहीं होता। उसके भी भावना एव संवेदनशीलता होती है। उसे दुःख होता है, कि वह जिन पर डके बरसा रहा है, उन्हीं में यहीं कहीं उसका भी बच्चा होगा, लेकिन वह मजबूर है।

प्रश्न—पुलिस के इस मानवीय दृष्टिकोण के बावजूद भी आज पुलिस को अच्छी दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता?

उत्तर—मैंने अभी बताया न, कि इतिहास ने व आज हमने उसे जो स्वरूप प्रदान किया है, वह तदनुसार उस रूप को लेकर चल रही है। उस का काम ही 'आज्ञा मानना है। मेरी दृष्टि में पुलिस एक अत्यन्त अच्छी सस्था है। (मेरे विचार से अब आई जी महोदय को यह ध्यान हो आया था, कि वे एक पुलिस अधिकारी भी हैं) वास्तव में अगर कोई सेवा करता है, तो वह पुलिस वाला ही करता है। रात्रि को जब सोते हैं, तो वह जाड़े-पाले में जगकर आपके जान-माल की रक्षा करता है। वह कठिन काम करता है, २४ घण्टे की नौकरी करता है और बदले में उसे मिलता है—अल्प वेतन और असह्य गालियाँ। लेकिन, वह उस स्थिति को भी समय से सहन करता है। यों अच्छे बुरे, सभी सस्थाओं में समान रूप से पाये जाते हैं। क्या आपके अध्यापकों में पुलिस वालों से भी बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति न होंगे, जो व्यूथान के लिये बच्चों को तग करते हैं, उन्हें फेल करते हैं, पेपर आउट कराते हैं, नकल कराते हैं तथा और भी...। आज जब समाज में छिपे हुये, चोरी के तरीकों से लोग धनवान व बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं, तो इनको तो समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान है, परन्तु पुलिस वाला, जो समाज का अनिवार्य अंग है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। यह कैसी निडम्बना है?

१६४/छात्र विक्षोभ ?

प्रश्न—आपके विचार से यदि इसी प्रकार पुलिस अनिच्छापूर्वक छात्रों का दमन करती रही, तो कालान्तर में पुलिस के मन पर कैसा प्रभाव पड सकता है ?

उत्तर—उसका मानस (Morale) गिर जायगा ।

प्रश्न—श्रीमान् ! तो शिक्षा में कैसे सुधार लाया जा सकता है ?

उत्तर—इस महत् प्रश्न का एक ही महत् उत्तर है—“अच्छा शिक्षक” ।

निरजन नाथ आचार्य

(अध्यक्ष—राजस्थान विधान सभा)

उदयपुर में मान्यवर आचार्य महोदय के निजी घर पर मेरी उनसे मेट हुई, तो उन्होंने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने उत्तर दिया कि छात्र-आन्दोलन के विषय को लेकर “शिक्षक-सभ” द्वारा प्रकाशित होने वाली पुस्तक में आपके विचार जानने हेतु मैं दो बार जयपुर भी आपसे मिल चुका हूँ। आपके पास अवकाश का अभाव प्रायः बना ही रहता है, अच्छा हो यदि आज सक्षेप में आप अपने कुछ विचार देने का कष्ट कर सकें। हमारा सभ आपके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का विशेष मान करता है। कुछ देर शान्त मुद्रा में चुप रहने के पश्चात् (अनुमानतः उन्होंने इस समय में अपने समय-विभाजन को व्यवस्थित किया होगा) वे बोले कि सक्षेप में ही क्यों? जब आपको विचार जानने ही हैं, तो पूरी प्रश्नावली मुझे दे दें तो अधिक सुन्दर रहेगा। मैंने हर्षित हो, अवसर से लाभ उठाते हुए कहा— महोदय, पूरी प्रश्नावली लेकर कब आऊँ, क्या आज ही? कितने बजे? उत्तर में श्री आचार्य महोदय ने इतना भर ही कहा, ‘आज शाम को आठ बजे।’ पुनः आठ बजने में कुछ मिनट पूर्व ही मैं उनके स्थान पर पहुँच गया, लेकिन मुझे यह जानकर थोड़ी चिन्ता-सी हुई कि आचार्य जी घर पर नहीं थे। लेकिन आठ बजते न बजते उनकी कार दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। घड़ी की ओर देखते हुए वे बोले, “मैं ठीक समय पर ही हूँ न?” मैंने कहा, “जी हाँ महोदय” कमरे की ओर चलने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि कुछेक प्रश्नों को एक साथ सुना जाइये। उनके पास वाली कुर्सी पर बैठकर मैंने कुछ प्रश्न पढ़कर सुनाये, तो उन्होंने बीच में रोक कर पूछा कि अपना पहला प्रश्न क्या था? पूछिये। मैंने पहला प्रश्न किया—

प्रश्न—महोदय, क्या आप कृपया बता सकेंगे कि आपके मतानुसार सारे भारत में व्याप्त इस छात्र-आन्दोलन के क्या कारण हैं?

उत्तर—मेरे मत से इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है— विद्यार्थी के घर की वर्तमान परिस्थिति। विद्यार्थी से हम जिस प्रकार

के अनुशासन भी अपेक्षा विद्यालयों में करते हैं, वह अनुशासन उसे अपने माता-पिता तथा पारिवारिक वातावरण से, प्राप्त नहीं होता। यद्यपि इसके लिये हमारी आज की सामाजिक-व्यवस्था ही उत्तरदायी है, तथापि इस तथ्य को भी नहीं मुलाया जा सकता कि “पग्वार ही नागरिक गुरुओं की प्रथम पाठशाला है।” आज का अभिभावक आमतौर से कभी इस बात की चिन्ता ही नहीं करता कि उमका बच्चा पढ भी रहा है, शयवा नहीं तथा उसकी अतिरिक्त गतिविधियाँ क्या और कौमो हैं ? कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता को देखते हुए यदि अभिभावकों को उनके बच्चों की अनुशासनहीनता के लिये फातून में उत्तरदायी ठहरा दिया जाय, तो मेरा अनुमान है कि अनुशासनहीनता की इस गम्भीरता में कमी अवश्य शायेगी। परन्तु हमारी वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में उदाचित् यह व्यावहारिक एव उचित नहीं होगा। अभिभावक का कर्त्तव्य अपने बालक के प्रति घर में सजगता रखना तो है ही, किन्तु उसका इसके अतिरिक्त भी विद्यालय में उसके प्रति जागरूक रहना अनिवार्य है। कई विद्यालयों ने अभिभावकों को सजग करने हेतु तथा यदाकदा उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्नों में “अभिभावक शिक्षक-सघ” जैसी मस्त्राओं की स्थापना भी विद्यालय स्तर पर की है। अपने बालक के प्रति शमिरुचि रखने का आग्रह करने पर भी अभिभावक इस सम्बन्ध में पूर्ण उदासीन ही रहा। मेरी सम्मति से ऐसे सघों को पुष्ट करना आवश्यक है, जिससे अभिभावक के कर्त्तव्य को परखा जा सके।

प्रश्न—आपके विचार से किस प्रकार के छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है ?

उत्तर—वैसे तो मैंने अनुशासनहीनता का कारण अभी बताया ही है। उसीसे समाज के तीनों वर्ग—उच्च, मध्यम तथा निम्न—के छात्र प्रभावित हो रहे हैं, परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि अधिकतर वे छात्र जो प्रारम्भ से ही शहरी वातावरण में पले हैं, अपेक्षाकृत अधिक अनुशासन की मर्यादाओं की अवहेलना करते पाये जाते हैं।

प्रश्न—महोदय ! क्या आप अनुशासनहीनता के लिए अन्य भी किसी को उत्तरदायी समझते हैं ?

उत्तर—हाँ, क्यों नहीं ? सरकार भी इसके लिये उत्तरदायी है, वह शिक्षाधिकारियों तथा शिक्षकों के शयन हेतु जिस प्रकार की पद्धति अपनाती

रही है, वह दूषित है। इससे स्थिति पर नियन्त्रण पाना कठिन हो गया है। यहाँ तक की व्यवस्था तो फिर भी सन्तोषप्रद है, कि एक जिला विद्यालय निरीक्षक लगभग १० वर्षों के अध्यापन-अनुभव तथा एक उप शिक्षा निदेशक कई वर्षों तक जिले के शिक्षा-निरीक्षण कार्य के पश्चात् अपने-अपने पदों पर नियुक्त होते हैं। लेकिन शिक्षा-निर्देशक, शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा मन्त्री के लिये, जो सारे प्रदेश की शिक्षा रीति-नीति को दिशा देते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या इन्हे (मैं एक सामान्य सा प्रश्न उठा रहा हूँ) शिक्षा-क्षेत्र की समस्याओं का तनिक भी अनुभव होता है? अखिल भारतीय सेवाओं (आई० ए० एस०) में चयनित, ये व्यक्ति कदाचित् ही शिक्षा की इस असहाय तथा विपन्नावस्था से परिचित होते हैं। इस प्रकार के शिक्षा-प्रशासक अध्यापक की त्रुटि को देखकर उसे दण्डित अथवा रयानान्तरण तो कर सकते हैं, परन्तु उसे न तो उचित मार्ग दिखा सकते हैं और न सही अध्यापक बनने के लिये भावनात्मक सानिध्य ही प्रदान कर सकते हैं।

प्रश्न—श्रीमि आपने बताया कि अध्यापकों के चयन की प्रणाली भी ठीक नहीं है, तो इसमें क्या दोष हैं?

उत्तर—इसके विषय में पहली बात तो यह है, कि ये ही लोग अध्यापक बनना पसन्द करते हैं, जिन्हे अन्य स्थानों से ज़्यादा मिल चुका होता है और इस प्रकार शिक्षा में रुचि न रखने वाला मानस ही अधिकतर शिक्षा-क्षेत्र में आता है।

दूसरे, यह भी बड़ी विचित्रता है, कि उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होना ही अध्यापक बनने की उच्च-योग्यता का एकमात्र प्रमाण माना जाता है। उच्च श्रेणी तथा उससे नीचे वाली श्रेणी में उत्तीर्ण दोनों व्यक्तियों में यही तो एक बड़ा अन्तर है कि प्रथम श्रेणी वाले व्यक्ति में अधिक बुद्धि-चातुर्य, मैन्टल शार्पनेस (मानसिक तीव्रता) तथा मेधा होती है तथा इससे नीचे श्रेणी वाले इन बातों में स्वभावतः इनसे नीचे होते हैं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षा में बुद्धिमान व मेधावी व्यक्ति नहीं होने चाहिये, बल्कि ये बातें तो आवश्यक भी हैं, परन्तु मेरी मान्यता है कि मात्र बौद्धिक-चमत्कार के चालाकी तथा "इन्सिनसीएरिटी" में परिवर्तित होने की नभायना सदैव बनी रहती है।

तो बताता है, परन्तु अच्छा नागरिक बनने के नहीं। इस कारण वह जाग्रत नव-पीढी से अपनी धाँसों मिलाकर अभय, स्वतंत्रता एव दृढता से बातें नहीं कर सकता। विद्यापियों के साथ हेमी-मजाक तथा अन्य मित्र-भाव प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति उनका कॉमरेड (साथी) हो सकता है, "अध्यापक" कदापि नहीं।

प्रश्न—महोदय ! क्या आप कोई योजना बता सकेंगे जिससे अच्छे अध्यापकों का चयन किया जा सके ?

उत्तर—आपका प्रश्न जितना सुन्दर है, उतना ही गम्भीर भी है। लेकिन आप इस प्रश्न को ऐसी परिस्थितियों में पूछ रहे हैं, जबकि आज हमारे शिक्षकों का चुनाव 'जिला-प्रमुख' करता है। फिर भी मैं तो इस चयन के प्रश्न को इस प्रकार हल करना चाहूँगा, कि प्रत्येक विद्यालय में सातवीं और आठवीं कक्षाओं से ही एक ऐसा चार्ट तैयार किया जाय, जिसमें उन बच्चों के नाम अंकित हों, जो स्वेच्छा से (ऐसे बच्चों को शिक्षक के जीवन की मर्यादाओं से भलीभाँति पूर्व-परिचय करा दिया जाय) अध्यापन का कार्य अपनाना चाहें। कई वर्षों तक अध्यापकों द्वारा ऐसे बच्चों की गतिविधियों—चरित्र, आचरण, कर्तव्य-निष्ठा, ज्ञान-पिपासा इत्यादि पर सूक्ष्म निरीक्षण रखा जाय। अन्त में, जब वे अपनी अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण कर लें तो गत वर्षों में अध्यापकों द्वारा रखे गये रिकार्ड तथा प्रधानाचार्य की अभिप्राया (Recommendation) के आधार पर ही शिक्षकों का चयन हो। इस चयन-पद्धति में छात्र की "कुल बौद्धिक-उत्कृष्टता" (Total Sum of intellectual intelligence) के मुकाबले सुशीलता, अनुशासन एव चारित्रिकता को अधिक अंक प्राप्त हो सकेंगे और तब 'फर्स्ट डिविजन' होना शिक्षक के लिये उतना अनिवार्य न होगा (इससे यह कदापि न समझें कि अच्छी 'डिविजन' लाने के मैं विरुद्ध हूँ) जितना गुणवान तथा शीलवान होना।

लेकिन क्या पता है आपको कि आज अध्यापक की नियुक्ति कैसी होती है ? यह अधिकतर राजनेताओं एव राज्याधिकारियों के सकेतों पर ही होती है। इसके अतिरिक्त चयन भी अयोग्य माध्यमों से किया जाता है।

प्रश्न—क्या छात्र-असन्तोष के और भी कोई कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—हा, एक बात और भी है। अन्दर विद्यालयों में अध्यापक-राजनीतिज्ञ एव बाहर दलीय राजनीतिज्ञ विद्यार्थी को अपना "टूल" (औजार) बनाकर असन्तोष उत्पन्न कर रहे हैं।

प्रश्न—एक प्रश्न छात्रों को राजनीति में भाग लेने के औचित्य तथा अनौचित्य से सम्बन्धित भी उठाया जाता है, आपका इस विषय में क्या मत है ?

उत्तर—छात्रों को सर्वांगीण राजनीति का ज्ञान तो देना चाहिये, लेकिन उनका स्वयं राजनीति में भाग लेना असामायिक है। जब बीच में ही लोग ऐसा करने लग जाते हैं, तो राजनीति में भाग लेने का आधार (रोटी-रोजी कमाने की योग्यता तथा उपस्थित समस्याओं को गहराई से समझने की अर्न्तदृष्टि) ही अपूर्ण रह जाता है। छात्र-जीवन से ही राजनीति में भाग लेकर भविष्य में वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा ?

प्रश्न—तो फिर गांधीजी ने "स्वतन्त्रता-अन्दोलन" के समय विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने का परामर्श क्यों दिया था ?

उत्तर—उस समय सभी राजनीतिक दलों के समक्ष एक ही सर्व सम्मत लक्ष्य था—विदेशी शासन को हटाना। इस प्रकार गांधीजी के द्वारा छात्रों का आह्वान बिल्कुल उचित ठहरता है। लेकिन आजकल दलगत राजनीति किसी एक सामूहिक लक्ष्य (Common Cause) को लेकर नहीं चल रही है, बल्कि पारस्परिक छिद्रान्वेषण तथा केवल स्वयं को मशक्त बनाने के सिद्धान्त को लेकर चल रही है। ऐसी स्थिति में छात्रों को कोई सही दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, एक बात सम्भव है कि सभी राजनीतिक दल विद्यार्थियों के विषय में एक आचार-संहिता (Code of Conduct) बनावें कि वे विद्यार्थियों का राजनीतिक शोषण नहीं करेंगे। लेकिन यह भी व्यवहारिक बात नहीं है। असल में तो सारी दुनियाँ की राजनीति विद्यार्थी का उपयोग कर रही है और लगता है कि यह प्रवाह फिलहाल रुकने वाला नहीं। विद्यार्थियों का राजनीतिक प्रयोग होता रहेगा, लेकिन इसके लिये आने वाली सन्तति अपने पूर्वजों को कोसेगी।

प्रश्न—क्या इस समय देश के सामने कोई ऐसा सामूहिक लक्ष्य (Common Cause) नहीं है, जिसके लिए विद्यार्थियों को आह्वान किया जा सके ?

उत्तर—हां, “समाज-सेवा”—जिसका अर्थ राष्ट्र-निर्माण है, एक प्रमुख कार्य-क्रम है। लेकिन आज की परिस्थितियों में “समाज-सेवा” का क्षेत्र भी राजनीति से अछूता नहीं रह पाया है। “समाज-सेवा” राजनीति की आन्तरिक आधारशिला (Inherent base of politics) के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

प्रश्न—नवयुवकों का यह दोषारोपण क्या उचित है, कि प्रौढ़ पीढ़ी समाज की समस्त शक्ति एवं सुविधाओं पर अधिकार करके बैठ गई है ?

उत्तर—मेरे विचार से ठीक ही है, लेकिन यह एक “नाइस स्लोगन” (एक आकर्षक नारा) होकर ही रह गया है, इसका कोई समाधान होता प्रतीत नहीं होता। पुराने लोग कदाचित् अपनी इन सुविधाओं को छोड़ने के लिये तैयार नहीं होंगे, और इस प्रकार असन्तोष तथा संघर्ष का यह दौर चसता रहेगा और फिर यह तो निरन्तर चलने वाला एक सिलसिला है। आज का नौजवान जब कल प्रौढ़ हो जायेगा तो उसका भी अपने अधिकारों व सुविधाओं के लिये वही रुख होगा, जो आज के प्रौढ़ का है। लेकिन फिर भी हताश होने की बात नहीं, कभी तो दुनियाँ में “गुड सैन्स” (सही चिन्तन) आयेगा।

प्रश्न—विद्यार्थियों के लिये जो “राष्ट्रीय समाज सेवा” की योजना लागू की जा रही है, क्या आप उसकी सफलता के प्रति आशावान हैं ?

उत्तर—देखिये, सेवा-भाव कभी शक्ति अथवा विधि-निर्माण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वह तो आन्तरिक प्रेरणा से स्फूर्तित होता है। क्या आज के अध्यापक छात्रों में अनुशासन की भावना भर सके हैं ? मुझे ठीक से ज्ञात नहीं कि समाज-सेवा का यह कार्य कौन सम्पन्न करायेगा, क्या अध्यापक ? मैं स्वयं कामना करता हूँ कि राष्ट्र की इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों में स्वयं सेवा-भाव जागृत हो सके।

प्रश्न—महोदय, अन्त में आप कृपाकर यह बतायें कि वर्तमान छात्र-आन्दोलन किस प्रकार हल किया जा सकता है ?

उत्तर—आप समस्या का हल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ‘विषमता’ के क्रम का प्रारम्भ हो चुका है और उसका कहीं अन्त होगा, इसको अविष्य ही बतला सकता है। “विषमता” की गति इसी क्रम से चलती है। “नेतृत्व” का देश में अभाव है, ऐसी स्थिति में इस विषय

परिस्थिति तो कोई मर्याद सकेगा, ऐसी छात्रा मर्याद प्रतीत नहीं होती। "परिवर्तन" या "युग पुनर्जा" फिर आयेगा और मार्ग व्यवस्था की पुनर्रचना करेगा और इस प्रकार फिर एक बार 'प्राचीन' में से 'नवीन' का पुनर्जन्म होगा।

अभी भी इस अन्वयकार के वातावरण में यदि किसी से भी आशा की किरण प्राप्त हो सकती है तो वह है—आपका "गिरक", 'एण्ट ही मस्ट राइज टु द ऑर्गेजिन' (और उभे समय की पुकार अवश्य सुननी चाहिये) और इसके लिये सरकार को उभे सशक्त बनाना होगा, उसे अधिक सम्मान देना होगा।

सोफे से उठते हुए श्री आचार्यजी ने मुझसे प्रश्न किया—“हैव भाई टन फुल जस्टिस टु यू ?” (यथा इस समय मैंने आपके साथ पूरा न्याय किया है ?) तो मैंने उत्तर दिया—“फुल जस्टिस, सर” (जी हाँ, पूरा न्याय किया है, श्रीमान्)। और इसके पश्चात् आचार्य महोदय ने अपनी सहज आत्मियता एवं गौजन्यता से अपना हाथ मिलाने के लिये मेरी ओर बढ़ा दिया, रात्रि का समय अधिक हो रहा था और मुझे भी दो मील की यात्रा तय करनी थी, अतः अनिवादन कर मैं वहाँ से विदा हुआ।

शिवचरण माथुर
(शिक्षा मंत्री—राजस्थान सरकार)

मन्त्री महोदय की उदयपुर यात्रा के दौरान जब मैं उनसे मिला, तो वे जयपुर इम्प्रवमैट ट्रस्ट का जिक्र किसी अन्य सज्जन से कर रहे थे कि ट्रस्ट को समझना चाहिये कि शिक्षा में खेल का सैद्धान्तिक महत्व क्या है ? हर विद्यालय के साथ खेल का मैदान होना ही चाहिये। श्री माथुर कुछ क्लान्त व थके से लग रहे थे। वातचीत का प्रसंग समाप्त हुआ, उन्होंने मेरी ओर देखा—शून्य भाव से—पर वे मेरा मतव्य समझ गये। फतेहसागर की इस पहाड़ी पर मेरा मन कुछ निराश हुआ भील की ओर से एक ठडी हवा की लहर तैर कर आई और सबको स्पर्श कर गई, सबको चेतन कर गई मंत्री महोदय ने कहा—पूछिये आप अपने प्रश्न। मैंने कहा—

प्रश्न—महोदय, क्या आप कृपया बतायेंगे कि वर्तमान छात्र-आन्दोलन के क्या-क्या प्रमुख कारण हैं ?

उत्तर—मेरे विचार से इस आन्दोलन का सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारा छात्र अपने भावी जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं है। जीवन के प्रति अनिश्चितता की भावना होने का कारण यह है, कि अभी तक हमारी शिक्षा का जीवन से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है। और फिर एक बात और भी है कि हमारे शिक्षार्थी का मानस अभी तक सरकारी नौकरी की ओर ही प्रमुखतः उन्मुख है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिये—टैकनिकल लाइन की कमी तो मैकेनिकल ब्राच में भीड़ हो जाती है तो कमी सिविल में, और अब लोग बायोलॉजी की ओर भाग रहे हैं। सभी नौकरी करना चाहते हैं, जो मिल नहीं पाती। वैसे अपने देश के हर क्षेत्र में काम करने को शेष पडा है क्योंकि हम अभी विकास की अवस्था में से गुजर रहे हैं। परन्तु, सामान्यतः आज का शिक्षित नवयुवक अपने हाथ का काम अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के तौर पर करने को तैयार प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न—आपने अभी कहा कि देश में अभी बहुत कार्य करने को शेष हैं, क्या आप कृपया अधिक स्पष्ट करेंगे कि फिर इसका क्या कारण है, कि आज के नवयुवक को कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता ?

उत्तर—इसका कारण यही है कि सभी नौकरी करना चाहते हैं, कोई भी अपना निज का कार्य करना नहीं चाहता। देश के शिक्षित युवा की साइकॉलजी 'ह्लाइट कॉलर' की ओर उन्मुख है। मेरे विचार में इस सारी समस्या को लेकर पुनः विचार होना चाहिए।

प्रश्न—क्या इस छात्र-असन्तोष के राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भी कोई कारण विद्यमान हैं ?

उत्तर—वैसे तो यह असन्तोष हमारे देश की ही कोई विशिष्ट घटना नहीं है। सारे विश्व में मूल्यों का गफट उपन्यत है। पुरानी मान्यताओं के प्रति नवीन की एक जबरदस्त प्रतिक्रिया चल रही है और भारत की युवा-चेतना भी इस प्रवाह से अछूती नहीं रह सकती।

प्रश्न—इस 'प्रतिक्रिया' के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है ?

उत्तर—मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। परिवर्तन शुभ है, इसे आना है और आना भी चाहिए। परन्तु परिवर्तन की दिशा विपटनात्मक न होकर रचनात्मक होनी चाहिये। हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह तोड़-फोड़ की इस विनाश-लीला को सहन कर सके।

प्रश्न—हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के धारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—सारी शिक्षा व्यवस्था का 'रिऑरिएन्टेशन' (पुनर्संस्कार) होना चाहिए। हमारी शिक्षा की योजनायें भी इसी मुख्य दृष्टि को लेकर ही बननी चाहिए। मेरा विचार है, कि उच्च-शिक्षा के द्वार प्रत्येक छात्र के लिये खुले न होकर मात्र मेधावी छात्रों के लिये ही खुले रहने चाहिए। इससे समस्या के समाधान में काफी मदद मिल सकती है।

प्रश्न—हमारी शिक्षा-नीति के विषय में क्या आप और भी कोई सुझाव दे सकेंगे ?

उत्तर—सबसे बड़ा सुझाव यही है कि शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध स्थापित करना होगा। वैसे देश की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में सुधार किया भी गया है, परन्तु वस्तुतः अभी भी सारी व्यवस्था को एक छोर से झकझोरना शेष है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमारे युवकों में कार्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। आज हमारा शिक्षित नौजवान गांवों में जाकर कार्य करने को प्रस्तुत नहीं। गांवों में भी एक प्रकार का, 'एक्सोडस ऑफ इन्टेलीजेंशिया' (बौद्धिक-

बहिर्गमन की प्रक्रिया) चल रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता।

प्रश्न—इस 'बहिर्गमन प्रक्रिया' का कारण क्या यह नहीं है, कि देश के हर क्षेत्र का नीति-निर्धारक उच्च-वर्ग, जिससे युवक वर्ग आदर्श और प्रेरणा ग्रहण करता है, स्वयं शहर का सुविधाजनक जीवन बिताना चाहता है ?

उत्तर—हां, आपके विचार से मैं सहमत हूँ। प्रायः सभी 'बड़े आदमी' शहरों में रहना चाहते हैं। युवकों को तो आदर्श चाहिये और वह मिल नहीं पा रहा।

प्रश्न—आपके मतानुसार छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं ?

उत्तर—बैसे तो हमारी जनतांत्रिक राज्य-व्यवस्था में समाज का कोई भी व्यक्ति 'दूध का दूध और पानी का पानी' जैसी स्थिति में बना रह कर राजनीति से प्रयत्न नहीं हो सकता, परन्तु देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में विद्यार्थियों का सक्रिय राजनीति में भाग लेना हितकर न होगा। आज राजनीतिज्ञ उन्हें अच्छे और बुरे दोनों मार्गों की ओर ले जा सकते हैं। अतः दलगत राजनीति अभी खतरे से खाली नहीं है। छात्रों को चाहिये कि वे देश की वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक रहे, प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को आत्मसात करें तथा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य—ज्ञानार्जन—में दत्तचित्त होकर लगे रहें।

प्रश्न—यदि शिक्षा अधिकारीगण अथवा सरकार दोनों छात्रों की न्यायोचित मांगों को प्रजातान्त्रिक ढंग से मांगने पर भी ध्यान न दे, तो ऐसी स्थिति में छात्रों को क्या करना चाहिये ?

उत्तर—क्या वस्तुतः ऐसा होता भी है ? आपका प्रश्न कुछ काल्पनिक सा है।

प्रश्न—श्रीमान्, कल्पना कीजिये कि यदि ऐसा होता भी हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों को छात्रों की वाजिब मांगों की ओर ध्यान देना चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे ऐसे मामलों को कभी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न (Prestige point) न बनावें, सही मांगों को स्वीकार किया जाना ही उचित है। लेकिन विद्यार्थी भी कभी-कभी ऊट-पटांग मांग प्रस्तुत करते हैं—जैसे बिना परीक्षा के पास होना, निम्नतम उत्तीर्णाङ्क कम करना इत्यादि। और साथ ही कभी-कभी विश्वविद्यालय भी छात्रों की अनुचित मांगों को स्वीकार

कर लेते हैं, उदाहरणार्थ, अग्नी ध्रुवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष से लेकर अन्तिम वर्ष तक छात्र को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के छ. अवसर प्राप्त होते हैं, इससे छात्रों में अध्ययन और कठोर परिश्रम के प्रति उदासीनता की भावना उत्पन्न होती है । लेकिन जब कभी छात्र अपनी मांगों के लिये राजनीतिज्ञ दलों से अपना गठबन्धन कर लेते हैं, तो समस्या और भी विपम हो जाती है । मेरा तो यहाँ तक कहना है कि न्यायोचित मांगों को लेकर यदि विद्यार्थी प्रदर्शन भी करते हैं तो भी बुरा नहीं है ।

प्रश्न—क्या यह कथन सही है कि सर्वप्रथम गांधीजी के आह्वान पर ही छात्रों ने राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ किया था, और वही परम्परा अभी तक चली आ रही है ?

उत्तर—यह सही है कि गांधीजी ने छात्रों का आह्वान किया था, परन्तु आज हम गांधीजी को 'अपॉरेटिव माडड' (बाह्य क्रियात्मक पहलू) पर तो ध्यान देते हैं, परन्तु गांधी जी की किसी भी कार्य को करने के पूर्व की जो मानसिक तैयारी तथा कार्य-परिणति के उच्च 'कॉज' (सक्ष्य) को सर्वथा भूल जाते हैं । गांधीजी के अनुसार कार्य और कारण दोनों उच्च होने चाहिये ।

प्रश्न—अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय समाज-सेवा योजना (National Social Service Corps) विद्यार्थियों के लिये प्रारम्भ की जा रही है, क्या आप उसकी मफलता के प्रति आशान्वित हैं ?

उत्तर—यदि कार्य करने के ढङ्ग ठीक हो, तो प्रत्येक योजना सफल हो सकती है और लाख टके की एक बात है कि यदि व्यक्ति ठीक हो, तो सभी ठीक हो सकता है । वास्तव में तो आज सारे देश में अच्छे 'रिसोर्स पर्सन्स' (सदर्भ-व्यक्तियों) की आवश्यकता है । एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी हो रही है कि सभी लोग हर कार्य के लिये सरकारी मोटीवेशन (पहल) के आश्रित हो गये हैं । समाज के स्वयं सेवी व्यक्ति अपने स्तर पर कार्य करने की ओर प्रवृत्त होते दिखाई नहीं देते । ऐसी परिस्थिति में एक सच्चे लोक-राज्य की स्थापना नहीं हो सकती ।

प्रश्न—आज जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, उनके रहते क्या आप समाज-सेवा के कार्यक्रम की सफलता के प्रति आशावान हैं ?

उत्तर—मैं तो हर अच्छी चीज के प्रति आशावान हूँ । देश में अच्छे व्यक्तियों का अभी नितान्त अभाव नहीं है, राजस्थान को ही लीजिये शिक्षा-क्षेत्र में कुछ अच्छे व्यक्ति हैं जो परिश्रम से कार्य कर रहे हैं ।

प्रश्न—क्या अभी तक हमारा देश युवक शक्ति को सही मार्ग-निर्देशन दे सका है ?

उत्तर—नहीं, अभी तक तो नहीं और यही कारण है कि हमारी योजनाओं से हमारा देश लाभ नहीं उठा पा रहा ।

प्रश्न—अन्त में क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान छात्र-असन्तोष का समाधान कैसे किया जा सकता है ।

उत्तर—देखिये, समय बड़ा बलवान होता है, वही कालान्तर में सभी समस्याओं का हल निकालेगा और विद्यार्थियों को समाज के साथ समझौता करना पड़ेगा ।

प्रश्न—कृपया इसे और स्पष्ट कर दें कि यह समझौता विद्यार्थियों को (नये मूल्यों को) समाज के साथ (पुराने मूल्यों के साथ) करना पड़ेगा अथवा समाज को विद्यार्थी के साथ ?

उत्तर—हाँ, .हाँ, यो कह लीजिये कि समाज को विद्यार्थी के साथ करना पड़ेगा ।



नारायणदत्त तिवारी
(गयोजक—भारतीय युवक कांग्रेस)

दिन भर 'युवक कांग्रेस' का सम्मेलन चलता रहा, जयपुर में । श्री तिवारी को काफी जोश और दहाड़ने वाले स्वर में बोलना पड़ा था, रात्रि के आठ बजे भी 'पोलीटेक्निक' के कुछ छात्र जमा थे । तिवारी जी पर्याप्त रूप से शिथिल नजर आ रहे थे, यह स्वाभाविक भी था । सम्मेलन के युवा सयोजक बन्धु जोशी ने भेंट-वार्ता का समय पहले ही निश्चित कर लिया था । निवास के बाहर वाले लान पर बैठकर वार्ता तब प्रारम्भ हुई, जब कि मैंने यह प्रश्न किया—

प्रश्न—श्रीमान् भारतीय युवको के लिये आपका क्या कार्यक्रम है ?

उत्तर—चूँकि हमारा संगठन भारतीय कांग्रेस पार्टी का ही एक अंग है, अतः कांग्रेस के उद्देश्यों के अन्तर्गत ही भारतीय युवक कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं ।

प्रश्न—क्या आप भारतीय युवको की वर्तमान मानसिक स्थिति ने सन्तुष्ट हैं ?

उत्तर—आज का युवक 'वेचैनी' है ।

प्रश्न—क्या आप इस वेचैनी का कारण बतायेंगे ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि अधिकांश युवक स्वातन्त्र्योत्तर नवीन परिस्थितियों से अपना सामजस्य स्थापित नहीं कर पाये हैं ।

प्रश्न—इस 'वेचैनी' को कैसे हटाया जा सकता है ?

उत्तर—अभी तो प्रगट में कोई स्पष्ट सौल्यूशन (हल) मैं दे नहीं सकता ।

प्रश्न—इस 'वेचैनी' के लिये किसको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये ?

उत्तर—(कुछ क्षणों की मानसिक अस्तव्यस्तता तथा वाद में मौन को तोड़ते हुये) मैंने अभी बताया न कि इसके लिये परिस्थितियों को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ।

प्रश्न—परिस्थितियों के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर—देखिये, 'वेचैनी' तो है, परन्तु है सतुलित ।

प्रश्न—तो क्या आप इसे सतुलित आकुलता कहना पसन्द करेंगे ?

उत्तर—हाँ हाँ, ठीक है ।

प्रश्न—आपका संगठन इस 'सतुलित आकुलता' के लिये क्या कर रहा है ?

उत्तर—इस आकुलता को हटाने की बात से ही तो 'युवक कांग्रेस' का कार्य आरम्भ होता है।

प्रश्न—हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इन परिस्थितियों के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर—देखिये अन्य देशों ने जिन—क्रमशः कोयला-भाप, विद्युत तथा अणु-शक्ति—तीनों क्रान्तियों को पार करने में लगभग १५० वर्ष लगाये हैं, उन्हीं तीनों क्रान्तियों के बीच से गुज़रने में इस देश ने २० वर्ष के अल्पकाल का समय लिया है। साथ ही नवन्वोन्मेषकारी योजनाओं के कारण युवकों की आकांक्षाओं ने बड़ी ऊँची काल्पनिक उडानें भरी हैं, परन्तु उन आकांक्षाओं को पूरा करने के साधन देश पूरी तरह जुटा नहीं सका। इस प्रकार के परिवेशगत-असामंजस्यपूर्ण परिस्थितियों के फलस्वरूप मानसिक असन्तुलन का हिलडुल जाना स्वाभाविक ही है।

प्रश्न—क्या हमारे देश की योजनाओं को सतुलित ढंग से नियोजित किया गया है ?

उत्तर—जी हाँ, आमतौर पर ठीक ही रही। देश में साधनों की कमी तो थी ही, अतः अब चौथी योजना में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है।

प्रश्न—स्वतन्त्रता-आन्दोलन में विद्यार्थियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप जो उन्हें हम से आशाएँ थी, क्या हमने उन्हें पूरा किया है ?

उत्तर—स्वतन्त्रता-आन्दोलन में भाग लेने वाले युवक, अब युवक न होकर वृद्ध हो चुके हैं, अतः उनकी अब कोई आकांक्षाएँ शेष नहीं रही।

प्रश्न—यह ठीक है कि उस समय के नौजवान अब बुढ़े हो चले हैं। लेकिन इतिहास की कई क्रान्तियों को याद किया जा सकता है, जब कि क्रान्ति के समय के युवक या तो वृद्धावस्था में पहुँच गये अथवा काल-कलवित हो चुके, परन्तु वे ऐसी गौरवमय आदर्शों की प्रेरणा भरी परम्पराएँ विरासत में आने वाली नव-पीढ़ियों द्वारा पोषित होने के लिये छोड़ गये, जिन्हें आने वाले समय के नव युवकों ने अपने रक्त से सिंचित कर जीवित रखा और साथ ही पुराने युवकों की आकांक्षाओं के दीप को सदैव जलाये रखा। मेरे विचार से हमारे नवयुवक के हृदय में भी इस प्रकार की मानसिक परम्परा एवं आकांक्षाएँ हैं। आपका क्या विचार है ?

उत्तर—आपका कथन ठीक है, परन्तु अभी हमारा देश निर्माण-प्रक्रिया से गुजर रहा है। अतः स्थायित्व की बात कहना अभी सम्भव नहीं।

प्रश्न—इस अनिश्चय की स्थिति को कैसे हटाया जा सकता है ?

उत्तर—यथास्थिति के परिवर्तन द्वारा।

प्रश्न—अभी जो 'राष्ट्रीय समाज-सेवा कार्यक्रम' विद्यार्थियों के लिये लागू किये जाने की चर्चा है, उसकी सफलता के बारे में क्या आप आशान्वित हैं ?

उत्तर—हाँ, मैं तो आशावादी ही हूँ।

प्रश्न—आपके मत से छात्र-असन्तोष के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—वे ही सब कारण हैं, जो मैं अभी पहले ही कह चुका हूँ।

प्रश्न—वर्तमान परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के मानस पर कैसी प्रतिक्रिया डाल रही हैं—अच्छी अथवा बुरी ?

उत्तर—यह कह पाना सम्भव नहीं है।

भैरोसिंह शेखावत

(नेता—जनसघ दल, राजस्थान विधान सभा)

घुटनो तक छूती लवी बाँहे, राजपूती वक्ता, बनियान और तहमद पहने श्री शेखावत से, जो अभी हाल ही मे अपने आसाम के दौरे से लौटे थे, जैसे ही मेरी बातचीत प्रारम्भ हुई, तो मुझे लगा मानो मैं किसी 'हाई टास्क मास्टर' के सामने बैठा हूँ। मैं शीघ्र ही समझ गया कि मेरे प्रश्नों की भाषा नितान्त सन्तुलित, सधी हुई, साभिप्राय तथा नुकीली होनी चाहिये, अन्यथा प्रश्नोत्तर के जाल मे फँस जाने की सम्भावना है। मेरे आने का कारण मैं पूर्व ही बता चुका था। सयत और सधी हुई भाषा मे मैंने अपनी वार्ता इस प्रकार प्रारम्भ की—

प्रश्न—महोदय, आपके मत से वर्तमान छात्र-आन्दोलन के क्या कारण हैं ?

उत्तर—छात्रों का भविष्य अनिश्चित है। उन्हे प्रवेश से लेकर शुल्क, पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि सभी मामलो मे अनिश्चितता की स्थिति मे रहना पडता है। विद्यार्जन के पश्चात् उन्हें कोई व्यवसाय भी मिल सकेगा, इसकी भी गारटी नहीं है। लम्बे समय की यह अनिश्चितता की स्थिति अन्त मे अनुत्तरदायित्व पूर्ण आचरण को जन्म देती है।

प्रश्न—क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिये ?

उत्तर—परिपक्व बुद्धि वाले छात्रों को भाग लेना चाहिये।

प्रश्न—कुछ लोगों के विचार से तो छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिये, आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं ?

उत्तर—यह एक 'स्लोगन' (नारा) मात्र है। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे स्वयं भी वैसा व्यवहार मे नहीं करते।

प्रश्न—तब क्या आपका यह तात्पर्य है कि छात्रों को देश की ज्वलत समस्याओं मे भाग लेना चाहिये ?

उत्तर—आप देश की समस्याओं की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्हे अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भाग लेना चाहिये।

प्रश्न—फिर भी आप किसी सीमा तक इस बात से तो सहमत होंगे ही, कि छात्रों को दलगत राजनीति से दूर ही रहना चाहिये ?

उत्तर—देखिए, आपने लगभग वही प्रश्न पुनः दुहराया है, जबकि मूल बात यह है कि वस्तुस्थितिगत परिस्थितियाँ अपने कालगत परिवेश में किसी विशिष्ट कार्य को किसी विशिष्ट ढंग से करने की सबसे प्रबल प्रेरक-शक्ति होती हैं। वर्तमान में इस 'स्लोगन' का अब कोई व्यावहारिक सन्त (अर्थ) नहीं है, यह खोखला हो चुका है तथा इसका अर्थ भी चुक गया है।

विद्यार्थी के मन पर भी इसका कोई असर नहीं होता। नेता लोग जब चाहते हैं, तो छात्रों को बुला लेते हैं तथा छात्रों को जब आवश्यकता होती है, तो वे नेताओं को बुला लेते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि छात्र हर गतिविधि में सम्मिलित हैं।

प्रश्न—विद्यार्थी और राजनीति की यह प्रतिबद्धता कैसे दूर की जा सकती है ?

उत्तर—माई साहब, आप मुझे वह कहने पर विवश कर रहे हैं, जो मैं कह नहीं पा रहा। यदि मैं आपके अनुकूल उत्तर दूँगा तो वह उसी प्रकार का हागा, जिस प्रकार कि न्यायालय में हर व्यक्ति को सत्य बोलने की शपथ दिलवायी जाती है और आप जानते हैं कि वे कितना सत्य बोलते हैं। मैं तो पुनः यही कहूँगा, कि जब तक विद्यार्थियों की समस्याओं का हल शासन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक विद्यार्थियों और राजनीतियों का यह पारस्परिक "एक्सप्लॉयटेशन" (शोषण) बराबर चलता रहेगा। वस्तुतः विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने का नारा, कोई चिरन्तन सत्य के रूप में नहीं अपनाया जा सकता, अपितु यह प्रश्न तो व्यावहारिकता एवं परिस्थितियों के मन्दनों से जुटा हुआ है।

प्रश्न—यदि सरकार छात्रों की न्यायोचित माँगों पर ध्यान न दे, तो छात्रों को क्या बंदम उठाना चाहिये ?

उत्तर—उन प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट ही है। सरकार को जिम भाषा में समझने की आदत हो, उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

प्रश्न—आपके विचार में एक अच्छी निशा-व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ?

उत्तर—जो समाज में रहने वालों को आवश्यक नैतिक-मानदण्ड तथा व्यवसाय के अवसर प्रदान करनी हो।

प्रश्न—निशा-वाक्य में धार्मिक निशा के समावेश के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर—धार्मिक भाषा को धार्मिक स्तर पर ही मितनी चाहिये।

प्रश्न—क्या राजकीय विद्यालयों में भी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये ?

उत्तर—क्यों नहीं, अवश्य । सभी धर्मों की मुख्य-मुख्य बातों का समावेश किया जा सकता है । लेकिन आज तो धर्म-भावना का लोप ही होता जा रहा है । बहुत सम्भव है, कालान्तर में धार्मिक पुस्तकों भी समाज से लुप्त हो जाय । यह सब कुछ हमारी वर्तमान शिक्षा-नीति का ही दुष्परिणाम है । कैसी विचित्र बात है, कि इस विषय पर तो विश्व-विद्यालय में शोध-कार्य की स्वीकृति भी प्राप्त की जा सकती है, कि नगरपालिका के प्रबन्ध-संगठन में किसी विशेष जाति-वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व हो, परन्तु धर्म-विषय पर कोई डिग्री भी प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है । क्या धर्म का मानव-जीवन में इतना तुच्छ स्थान है ?

प्रश्न—इतिहास में “धर्म-युद्धों” के नाम पर जो भयंकर मानवीय कुकृत्य हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में तथा आधुनिकता की दृष्टि से, क्या यह उचित न होगा कि हम अब धार्मिक-शिक्षा न देकर मानवतावादी अथवा नैतिक शिक्षा दें ?

उत्तर—नैतिकता भी धर्म की व्याख्या करेगी तथा मानवतावाद भी धार्मिकता ही है ।

प्रश्न—“राष्ट्रीय कैंडेट कोर” (एन. सी. सी.) के प्रति आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—किसी वस्तु की अर्च्छाई-बुराई की परख, प्रयोगकर्ता के मन में उस वस्तु के प्रति उसके असल आन्तरिक-मूल्यांकन (Real Intrinsic Value) के अनुपात से की जानी चाहिये । यदि विद्यार्थी एन. सी. सी. को एक “वाइड नेशनल इश्यू” (एक विस्तृत राष्ट्रीय प्रश्न) के सन्दर्भों में अपनाता है तथा यदि परीक्षा उत्तीर्ण होने में एन. सी. सी. के अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता को हटा दिया जाय, और फिर भी छात्र एक महत् कार्य की भावना से प्रेरित होकर एन. सी. सी. में भाग लेना न छोड़े, तो अवश्य ही यह एक आवश्यक उपयोगी अनिवार्यता बन जाती है ।

प्रश्न—अब जब कि एन. सी. सी. की अनिवार्यता को वैकल्पिक बना दिया गया है तथा राष्ट्रीय समाज-सेवा जैसी नई योजना को लागू किया जा रहा है, तो आपकी इस नवीन योजना की सफलता के प्रति कैसी धारणा है ?

उत्तर—असफल होगी ।

प्रश्न—दसके कारण ?

उत्तर—ध्यावहारिक नहीं है ।

प्रश्न—श्रीमान्, क्यों नहीं है ?

उत्तर—इस प्रश्न का अधिकांश उत्तर तो मैं आप द्वारा पूछे गये एन. सी सी के प्रश्न के प्रसंग में पहले ही दे चुका हूँ, दूसरे, हममें सेवा-भाव ही नहीं । उदाहरणार्थ, जब डाक्टरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, जहाँ उनके ज्ञान और योग्यता की सबसे अधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता है, कार्य करने को कहा जाता है तो कंसी विद्यम परित्यक्ति खड़ी हो जाती है, यह सभी जानते हैं । असल में अनी तक हमको अधिकारों की ही बात बताई गयी है, कर्त्तव्य एवं सेवा का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया । यदि आपने छात्रों के लिये इस तथाकथित “समाज-सेवा” को अनिवार्य ही बना दिया, तो फिर वही होगा, जैसा कि हर क्षेत्र में हो रहा है । सरपंचों से समाज-सेवा के झूठे-सच्चे प्रमाण-पत्र लाना प्रारम्भ हो जायेगा (वैसे मुझे अभी स्पष्ट नहीं है कि इस “समाज-सेवा” का प्रमाण-पत्र कौन इश्यू करेगा ?)

प्रश्न—वर्तमान छात्र-आन्दोलन की समस्या के समाधान हेतु क्या आप कोई सुझाव दे सकेंगे ?

उत्तर—हाँ, छात्रों के मनों में “सैन्स ऑफ सैक्योरिटी” (आत्म-सुरक्षा की भावना) की स्थापना करनी होगी । आज समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति में से यह “सैक्योरिटी” की भावना निकल गयी है ।

रामानन्द अग्रवाल

(अध्यक्ष—राजस्थान साम्यवादी दल)

•

बड़ी ही आत्मीयता से श्री रामानन्दजी मुझ से मिले और अपने स्वागत-कक्ष में बिठाया, मैंने अनुभव किया कि अपनी उम्र से अधिक ताज़गी, सक्रियता तथा उत्साह था उनमें। मैंने जब उनसे छात्र-आन्दोलन की बात चलाई तो वे बोले—बड़ा दिलचस्प और 'बर्निंग टॉपिक' है आपका। आपके पास प्रश्नावली तो होगी ही, प्रश्न पूछिये। मैंने प्रश्न किया—

प्रश्न—श्रीमान्, आपके विचार से वर्तमान छात्र-आन्दोलन के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—मेरे विचार से यह सब कुछ हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय जब विद्यार्थियों का आह्वान किया गया था, तो इन्हें कुछ आदर्श एवं प्रेरणायें दी गयी थी और इसी कारण वे अपने जी-जान से लड़े भी। वर्तमान शासन इनकी उन आकांक्षाओं और आदर्शों की रक्षा न कर सका। वैसे छात्रों में अब भी देश-भक्ति की कमी नहीं है, परन्तु आज उनके पास भविष्य के लिये कोई आदर्श, कोई प्रेरणा नहीं है। उनकी शक्ति एवं प्रतिभा के विकास तथा उनके आदर की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आज योग्यता व प्रतिभा के स्थान पर सिफ़ारिश, रिश्तत, भाई-भतीजावाद तथा राजनीति का बोल-बाला है। अतः उनके सारे सुनहरे स्वप्न भग हो गये हैं। फलतः उनमें दिशाहीनता एवं नैराश्य की भावना भर गयी है। नैराश्य अपने में विक्षोभ और बगावत को जन्म देता है।

प्रश्न—तो क्या इस प्रकार के आन्दोलन को आप सही कहेंगे ?

उत्तर—वैसे तो यह सब कुछ व्यवस्थित एवं संगठित-शक्ति द्वारा संचालित नहीं हो रहा तथा ये सारे आन्दोलन नेतृत्वहीन हैं। उदाहरणार्थ अभी इन्जीनीयरिंग के छात्रों की समस्याएँ सारे देश में प्रायः एक सी

ही हैं, परन्तु फिर भी ये आन्दोलन किमी अखिन भारतीय स्तर के मगठन में अनुस्यूत नहीं हैं। रही इन आन्दोलनों के प्रति मेरी दृष्टि की बात, मैं तो इनसे कतई व्याकुल अथवा वंचेन नहीं हूँ, बल्कि मैं इनका स्वागत करता हूँ।

मैं इस सारी उथल-पुथल को आन्दोलन न कह कर "क्रांति" शब्द से संबोधित करना अधिक पसन्द करूँगा। आप जिन्हें आंदोलन कहते हैं, वे आन्दोलन मात्र ही नहीं हैं, उनके पीछे छिपी है—सत्य एव न्याय की एक चिरन्तन भाग, भविष्य के महान् क्रांतिकारी परिवर्तन की एक शक्तिशाली आकांक्षा। हमने अपनी गलत नीतियों के कारण अपने चारों ओर संकट ही मकट खड़े कर लिये हैं। और चूँकि विद्यार्थी एक मायुक नौजवान होता है तथा परिवर्तन में विश्वास रखता है इसीलिये विद्रोह करता है।

प्रश्न—हमारे देश की लोकशाही के अन्तर्गत क्या अपनी न्यायपूर्ण मांगों को प्रजातांत्रिक ढंग से नहीं मनवाया जा सकता ?

उत्तर—यह प्रश्न उन लोगों का है, जो परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। सन् १९४७ से पूर्व विद्यार्थी एक उच्च एव पवित्र लक्ष्य को लेकर लड़ा था। आज जब उसकी कुर्बानी तथा वफादारी का उसे उचित पुरस्कार न मिला, तो क्यों नहीं वह ऐसी कृतघ्न एव झूठी व्यवस्था को उखाड़ फेंके। परन्तु भारत में अन्याय, शोषण एव पीडा के विरुद्ध जब हमने उसे आन्दोलन, हड़ताल, सत्याग्रह तथा प्रदर्शन का मार्ग दिखाया, तो स्वतन्त्र भारत में तो वह अपनी मही मांगों के लिये उसी रास्ते को अपनाते के और भी अधिक अधिकारी हैं। और आज तो हड़ताल व प्रदर्शन सर्वधानिक मान्यता लिये हुये हैं। लेकिन जब किसी को अधिकार मिल जाता है, तो वह स्वार्थवश दूसरे के सर्वधानिक अधिकार को भी अवैध बताने लगता है। वैसे यही आज हो रहा है।

आज बड़े लोगों की कारें और कोठियाँ विद्यार्थियों के लिये प्रेरणा की वस्तुयें नहीं बन सकती। एक ओर स्वार्थ की सीमा आ चुकी है और दूसरी ओर नैराश्य की। एक ओर अब उस सीमा के टूटने का समय आ गया है, तो दूसरी ओर विद्रोहों की बाढ चढ़ चुकी है। मैं यही कहूँगा कि छात्रों को अपराधी करार न किया जाय। उनका कोई आन्दोलन न शीघ्र तोड़ने के लिये प्रारम्भ हुआ और न

राष्ट्रीय सपत्ति जलाने हेतु । शुरूआत मे वे हमेशा ही किसी न्यायपूर्ण मांग को लेकर चले हैं । यदि वे मांग करते हैं कि हमको हिन्दी मे लिखने-पढने दीजिये, तो क्या आप उनको इस मांग के लिये अपराधी के कटघरे मे खडा करेंगे ? लेकिन हम आप सब जानते हैं कि उनको उस कटघरे मे खडाकिया गया है । मेरे विचार से आम तौर पर उनके सभी आन्दोलन न्यायसगत रहे हैं ।

प्रश्न—हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के प्रति आपकी कैसी धारणा है ?

उत्तर—देखिये, बीस वर्ष के स्वतन्त्र राष्ट्र में अभी तक कोई राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली ही नहीं है । लगभग वही मैकॉले की नीति अब भी चल रही है । शिक्षा पद्धति की रचना राष्ट्रीय सन्दर्भों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये । बुनियादी शिक्षा-प्रणाली ने हमारी समस्याओं को स्पर्श करने का बहुलाश मे प्रयत्न किया, परन्तु एक यह कमी रह गयी कि उसमे वर्तमान यांत्रिक अभिनवीकरण (Modern Advanced Technology) की उपेक्षा कर दी गयी । अभी हाल ही मे प्रकाशित कोठारी आयोग के प्रतिवेदन मे इस समस्या के हल की ओर प्रशसनीय कदम उठाया गया है ।

प्रश्न—क्या विद्यार्थी को राजनीति मे भाग लेना चाहिये ?

उत्तर—मैं राजनीति से मात्र दलबन्दी का आशय नहीं लेता । मेरी सम्मति मे राजनीति का कार्य देश की ज्वलन्त समस्याओं का हल ढूँढ निकालना है । विद्यार्थी चूँकि देश का सर्वाधिक सजग प्रहरी है, अतः वह इन समस्याओं से पराङ्गमुख नहीं हो सकता । उसे आवश्यक रूप से इस निर्माण-प्रक्रिया मे हिस्सेदार होना चाहिये । साथ ही एक बात और है कि किसी दल विशेष की सदस्यता से ही कोई व्यक्ति राजनीति मे भाग नहीं लेता, अपितु राजनीति तो तात्त्विक दृष्टि से एक विचारधारा (Ideology) या सिद्धान्त है । वर्तमान परिस्थितियों मे विद्यार्थी विभिन्न प्रचलित विचारधाराओं के माध्यम से अपने को खोज रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहा है । जो भी विचारधारा उसके प्रश्नों के सतोषप्रद उत्तर दे सकेगी, वह उसे अपनायेगा और तदनुकूल अपने आचरण भी करेगा । अब यदि कुछेक सुविधाप्राप्त श्रीमंतों के सिद्धान्तों से उसके विचार टकराते हैं तो बस तनाव खडा हो जाता-है, और यह स्वाभाविक भी है । इसी तनाव

को लोग "छात्रों द्वारा राजनीति में भाग लेने" की सजा देने लगते हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार अपनी किसी सर्वाधिक सुलभ एवं मान्य प्रणाली द्वारा अपनी सुविधाओं को प्राप्त करना राजनीति में भाग लेना है। सामाजिक व्यवस्था ही राजनीति है तथा वही राजनीतिक नेतृत्व भी छात्रों को मान्य होगा जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

प्रश्न—विद्यार्थियों का नेतृत्व करने के वास्तविक अधिकारी कौन हैं ?

उत्तर—यदि आपका तात्पर्य शिक्षक-वर्ग से है, तो तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षक ही उनके अधिक समीप होते हैं, अतः वे उनका नेतृत्व करें, परन्तु नेतृत्व सही होना चाहिये। इसी प्रसंग में यह भी कह दूँ कि मैं नहीं मानता कि शिक्षकों की अपेक्षा विद्यार्थी अधिक अनुशासनहीन हो चला है। यदि आप शिक्षकों को अच्छा मानते हैं, तो विद्यार्थी भी अच्छे हैं।

प्रश्न—क्या यह कथन सही है कि युवा-असतोष का एक कारण यह भी है, कि पुरानी पीढ़ी समस्त सुविधाओं पर अधिकार करके बैठ गयी है ?

उत्तर—विद्यार्थी तो पढ़ रहा होता है, उसे कौनसी सत्ता हथियानी है। इस प्रकार की बात करना उन पर गलत दोष लगाना है। निःसन्देह इस प्रकार की भावना नौजवानों में है, और मेरी राय में होनी भी चाहिये, लेकिन अभी विद्यार्जन के समय में नहीं है। जैसे-जैसे नौजवान शक्ति-सम्पन्न होता जायेगा, वैसे-वैसे ही सत्ता-केन्द्रों को अपने हाथ में लेता जायेगा।

प्रश्न—यदि वर्तमान गतिविधि को न रोका गया तो इसकी क्या दिशा होगी ?

उत्तर—हठताल और प्रदर्शन तो एक जानदार जिन्दगी (Robust Life) के लक्षण हैं। यह वह जिन्दगी है, जो अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रही है। ये सब तो निर्माण के पद-चिह्न हैं, जीवन करवटें ले रहा है। इसके अलावा इतिहास में पहली बार छात्रों में भी एकता के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मापागत एवं राज्यगत विभिन्नताओं के बावजूद, आज जो माँग जिस प्रवार से बंगाल का विद्यार्थी कर रहा है, उसी प्रकार राजस्थान का विद्यार्थी भी।

प्रश्न—इस असन्तोष को हटाने के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहियें ?

उत्तर—एक अच्छी शिक्षा-प्रणाली और विद्यार्थी की सुविधा-पूर्ति द्वारा ही इस समस्या का समाधान सम्भव है ।

प्रश्न—यदि छात्र-असन्तोष का अविलम्ब उपचार न किया गया, तो भविष्य में किस बात की सम्भावना है ?

उत्तर—इस असन्तोष को सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न असन्तोष से पृथक नहीं समझना चाहिये । नई सामाजिक व्यवस्था ही सब समस्याओं का हल प्रस्तुत करेगी । इस उथल-पुथल से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं । यह जीवन ही है, जो अपने अन्दर के पापों को भाँक रहा है, यह मृत्यु नहीं । इसमें व्यथित होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि देश का भविष्य उज्ज्वल है । ठीक है भी, परिवर्तन ही जीवन है और स्पर्धायें ही मृत्यु ।



मास्टर आदित्येन्द्र

(अध्यक्ष—संयुक्त समाजवादी पार्टी, राजस्थान)

छात्र-आन्दोलन के बारे में कुछ प्रारम्भिक बातें मेरी मास्टरजी से हुईं, तो वे भाव-रिक्त हो, अन्यमनस्क भाव से शून्य की ओर भाकने लगे। मुझे लगा, उनके हृदय को कोई बात कसक रही थी। कदाचित् उनके नेत्रों में गाँधीजी की स्वर्णिम कल्पना—रामराज्य—के शरद्कालीन हल्के-भूरे, शुभ्र-शांत बादल तैर रहे थे, जिनकी छाया में भारत का जन-मानस असत्य से परे हिंसा और वैषम्य से दूर, कटुता और विरोध से रहित, प्रेम, स्नेह, सहयोग के साम्य-भाव से स्वच्छद विचरण कर सकता। लंबी सास लेते हुये उन्होंने अपना मौन भंग किया और बोले, आप क्या पूछना चाहते थे ? मैंने कहा—

प्रश्न—मान्यवर, आपके मतानुसार वर्तमान छात्र-आन्दोलन के क्या कारण हैं ?

उत्तर—मेरे मत से इस आन्दोलन का सबसे बड़ा कारण यह है, कि आज शिक्षा प्राप्ति का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। छात्रों को यही नहीं पता कि अध्ययन समाप्ति के पश्चात्, उन्हें कोई व्यवसाय भी मिल सकेगा या नहीं। इस कारण उनमें बड़ी जबरदस्त निराशा व्याप्त हो गयी है। इतनी बड़ी युवा-शक्ति का कोई सदुपयोग ही नहीं हो रहा।

प्रश्न—क्या इसके कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं ?

उत्तर—हां, क्यों नहीं, जैसे योग्य अध्यापकों का अभाव तथा छात्रों के घरेलू वातावरण की अस्वस्थता, अर्थात् उनके घर पर उन्हें प्रशिक्षाप्रद एवं असुविधाजनक वातावरण का मिलना। इसके अतिरिक्त वर्तमान-प्राप्ति के पश्चात् हमारे राजनीतिक नेताओं व प्रशासनिक अफसरों के आचरण आदर्श नहीं रहे। वर्तमान प्रजातंत्र के चुनावों में विजय प्राप्त करके घन एवं सत्ता को हथियाना ही मात्र लक्ष्य रह गया है। विजय प्राप्ति के साधनों के अनौचित्य एवं अनौचित्य पर भी हमारा

ध्यान नहीं रहा। इस सारे दुष्चक्र को देखकर छात्रों में भी अनुशासन-हीनता बढ़ती जा रही है।

प्रश्न—यह राजनीतिक दुष्चक्र कैसे दूर हो सकता है ?

उत्तर—राजनेतार्यों को समाज के रचनात्मक कार्यों में निस्वार्थपूर्वक स्वेच्छा से लग जाना चाहिये। यह तो सर्वविदित ही है, कि हमारी आजादी की नींव सेवा और त्याग पर निर्मित हुई थी, परन्तु आजादी के पश्चात् जो उसकी इमारत बनी, वह सेवा और त्याग के स्थान पर “शासन लोलुपता” से निर्मित हुई। इस प्रकार आज हमारे समक्ष प्रजातन्त्र का विकृत एव धिनीना रूप उपस्थित हो गया है।

प्रश्न—हमारे इस प्रजातन्त्र से आपको और भी कोई शिकायत है ?

उत्तर—शिकायतें तो कई हो सकती हैं, परन्तु मुख्य रूप से जाति-प्रथा को ही ले लीजिये, चुनावों में खुलकर इसका दुरुपयोग होता है। दूसरे, हमारे सभी नैतिक मूल्य भी लुप्त होते जा रहे हैं। नशीले, पदार्थों के सेवन का प्रचलन बढ़ रहा है। हमारे छात्रों में भी यह बीमारी व्याप्त होती जा रही है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रयोग की बात को भी इतने लम्बे समय से स्थगित किया जाता रहा है।

प्रश्न—कुछ लोगों के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, कि गांधीजी ने ही विद्यार्थियों को सत्याग्रह आन्दोलन में आह्वान करके वर्तमान छात्र-आन्दोलन की परम्परा का सूत्रपात किया था ?

उत्तर—किसी सीमा तक मैं भी इस विचार से सहमत हूँ, परन्तु गांधीजी समाज के सभी अंगों को जागृत एव सक्रिय रखना चाहते थे। गांधीजी का सच्चे स्वराज्य से तात्पर्य मात्र यही नहीं था कि जनता अच्छे शासकों का निर्माण करें, बल्कि वे जनता में उस शक्ति को भी उत्पन्न करना चाहते थे, कि जब देश के शासक बुरे सिद्ध होने लगे तो जनता उन्हें हटा भी सके। अतः मैं स्वयं भी आन्दोलन के इस अधिकार को उचित मानता हूँ।

प्रश्न—आपके विचार से क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिये ?

उत्तर—देखिये, राजनीति का तात्पर्य सत्ता-प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज-सेवा करना तथा देश की समस्याओं का समाधान खोज निकालना है। विद्यार्थियों को भी इन समस्याओं के प्रति सजगता प्रदर्शित करनी

चाहिये । उन्हें राष्ट्रोत्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में—जैसे कृषि-उत्पादन की वृद्धि हेतु 'लैंड आर्मी' आदि बनाकर—अपना हिस्सा बटाना चाहिये । वास्तव में तो समाज-सेवा को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता । मविष्य में होनहार विद्यार्थियों का इस प्रकार आन्दोलनों में प्रवृत्त होना, एक प्रकार से समाज-सेवा के हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना ही तो है । उनके इस कार्य में बाधा उत्पन्न करना प्रकारान्तर से क्रांति के मार्ग को अवरुद्ध करना है । मैं तो पुनः यही कहूँगा कि छात्रों को अपने अधिकार के लिये आन्दोलन करने चाहिये । वैसे तो छात्रों का मुख्य कार्य, सीखना है, परन्तु उन्हें निष्क्रिय नहीं होना चाहिये ।

प्रश्न—श्रीमान्, क्या आप आन्दोलनों से सम्बन्धित साम्यवादियों तथा आपके दल की रीति-नीति की भिन्नता पर प्रकाश डाल सकेंगे ?

उत्तर—साम्यवादी आन्दोलनों का एक अनिवार्य तत्व है—हिंसा, जबकि ससोपा सैद्धान्तिक दृष्टि से अहिंसा में विश्वास रखती है ।

प्रश्न—अनी हाल ही में छात्रों के लिये "भारतीय समाज-सेवा" की जो योजना लागू की जा रही है, उसकी सफलता के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—इस प्रश्न का उत्तर बिलकुल सीधा है—किसी भी कार्यक्रम की सफलता बिना मौलिक परिवर्तनों के सम्भव नहीं है जो हमारे देश में अभी आया नहीं है । मैं तो इस योजना के प्रति आशावान नहीं हूँ ।

प्रश्न—छात्र-आन्दोलन की समस्या के समाधान के लिये आपके क्या सुझाव हैं ?

उत्तर—व्यक्ति से लेकर दल तक, सभी के लिये चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है । मुख्य रूप से तो शासक-प्रशासक वर्ग के सुधरने से समस्या में सुधार सम्भव है । फिर भी हमें अपने को दूसरे के आश्रय पर नहीं छोड़ देना चाहिये । हमें अपनी ओर से भी पहल करनी होगी ।

देवीसिंह मडावा

(समत्सदस्य—स्वतन्त्र दल)

•

काफी विलम्ब से रात्रि के लगभग १० बजे मडावा साहब के घर पर जब मैं पहुँचा तो भोजन करके वे बाहर अपने बरामदे में आये । मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार छात्रों की समस्या को लेकर हम एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं, और मैं उनके विचार जानने के हेतु आया हूँ । समयभाव की मजबूरी ही मेरे इतने विलम्ब से आने का कारण है । अतः उन्होंने अपनी शालीन सौजन्यता (मुझे लगा उनके व्यक्तित्व में पूँजीभूत वह सौजन्य एक जीवन की कमाई न होकर मानो एक लम्बी पारिवारिक परम्परा से हस्तान्तरित विरासत ही हो) से कहा—ठीक है, मैं जैसी धारणा रखता हूँ, उसको अवश्य व्यक्त करने का प्रयत्न करूँगा, आप प्रश्न कीजिये । मैंने पूछा—

प्रश्न—महोदय, आपके मत से आज के छात्र-आन्दोलन के क्या-क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—माई, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इसके लिये दो-तीन बातें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । एक बात तो यह है कि छात्र को अपने अध्ययन-काल में शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव रहता है । दूसरा कारण है—हमारी दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति जिसके, बारे में मैंने एक-दो बार ससद में भी जिक्र किया है । लार्ड मैकाले की शिक्षा-नीति, जो बाहर के शासकों द्वारा एक परतन्त्र देश के लिये बनाई गई थी, आज भी चल रही है । यह शिक्षा एक स्वतन्त्र राष्ट्र की आकाक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती । कैसी विडम्बना है, कि देश तो स्वतन्त्र हो गया है, लेकिन देश की भावी पीढ़ी का मानस, जो आगे चलकर देश की दिशा निर्धारित करने को है, परतन्त्र युग की भाव-मगिमाओं के मध्य से गुजर रहा है । तीसरा कारण एक और है—देश के राजनीतिक दल भी छात्रों का गलत उपयोग करते रहे हैं ।

प्रश्न—छात्रों द्वारा राजनीति में भाग लेने के प्रश्न पर आपके क्या विचार हैं?

उत्तर—इस विषय मे मेरा तो यह मत है कि अध्ययन—काल मे छात्रो का मस्तिष्क पूर्ण रूपेण विकसित नही हो पाता, अतः अच्छा यही है कि वे सक्रिय राजनीति मे भाग न लें ।

प्रश्न—छात्रो द्वारा अपनी मागो को माँगने का ढग क्या होना चाहिये ?

उत्तर—मैं प्रजातांत्रिक ढग को ही अधिक पसन्द करता हूँ । हाँ, एक कठिनाई को मैं अवश्य अनुभव करता हूँ कि हमारा प्रशासन 'स्ट्रांग डेमाँस्ट्रेशन' (उग्र प्रदर्शन) के बिना किसी भी बात को सुनना नही चाहता ।

प्रश्न—तो अन्ततः आप किस प्रकार के ढग को अपनाने की सलाह देना पसन्द करेंगे ?

उत्तर—कुछ भी कहिये, मैं तो सर्वधानिक और प्रजातान्त्रिक ढग अपनाने के ही पक्ष मे हूँ । बात यह है कि यदि एक बार अप्रजातान्त्रिक ढग को अपना लिया जाय तो कालान्तर मे उसके एक मानसिक परम्परा मे परिवर्तित हो जाने की आशका रहती है । और फिर छोटी-छोटी बातो के लिये भी उग्रता की प्रणाली अपनाने की प्रवृत्ति बन जाती है । अतः डेमोक्रेटिक प्रॉसिस (जनतांत्रिक ढग) ही उचित ठहरता है ।

प्रश्न—आज युवा पीढी के लोग वरिष्ठ पीढी से इस कारण भी असन्तुष्ट होते बताये जाते हैं, कि वरिष्ठ पीढी समाज की समस्त शक्ति और सुविधाओ पर एकाधिकार करके बैठ गई है और नव पीढी बेरोजगारी तथा हताशा का जीवन भोग रही है । आप इस विचार के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं ?

उत्तर—यह बात कुछ हद तक ठीक भी है । पुराने लोग अपनी ठेकेदारी छोडना नही चाहते ।

प्रश्न—कदाचित् आपने सुना होगा कि देश मे विद्यार्थियों के लिये "भारतीय समाज सेवा" की योजना प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना की सफलता के विषय मे भी आप कृपया अपने विचार प्रगट करे ।

उत्तर—देखिये, मुझे तो इसमे सफलता कम ही लगती है ।

प्रश्न—श्रीमान् क्यो ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि "समाज-सेवा" एक व्यापक और विस्तृत भाव है । किसी भी योजना की सफलता उसकी सही रूपरेखा पर निर्भर होती है । हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी कार्य की पार्यान्वित ढग से हो ही नही पाती । मैं समाज-कल्याण विभाग

की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा—मैं यह नहीं कहता कि इस विभाग ने कुछ कार्य ही नहीं किया है, कहीं-कहीं जहाँ इसको अच्छे व्यक्ति मिल गये हैं, कुछ कार्य भी हुआ है, परन्तु अभी इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।

प्रश्न—सफलता न मिल पाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर—हमारे देश में चरित्र-निर्माण का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। नैतिकता शिक्षा से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से कूच कर गयी है। व्यक्ति के चरित्र और नैतिक-बल के अभाव में किसी भी राष्ट्र की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

प्रश्न—महोदय, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि देश में चरित्र और नैतिकता भी पुनर्स्थापना कैसे की जा सकती है ?

उत्तर—बाल्यकाल से ही बच्चों के चरित्र एवं नैतिकता को ऊँचा उठाने के लिये एक प्रभावी कार्यक्रम राष्ट्रीय-स्तर पर बनाया जाना चाहिए।

रात्रि के ११ बजने को थे, अतः मैंने अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे विदा ली।



जयपुर मैडिकल कॉलेज के भूखहड़ताली छात्र

जब मार्च, १९६८ में जयपुर मैडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी कुछ मांगों के प्रश्न को लेकर कॉलेज के सामने भूख-हड़ताल प्रारम्भ की, तो मैंने चाहा कि उनसे कुछ बातचीत की जाय। दोपहर का समय था, शामियाने में कुछ छात्र ताश इत्यादि खेल रहे थे जबकि प्रायः सभी-भूखहड़ताली छात्र सो रहे थे। जब उनसे मैंने अपना मतव्य कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय की ओर से शीघ्र ही कुछ निर्णय लिये जाने को हैं, इसलिये इस समय हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकेंगे। अतः मैं वापस आ गया।

हड़ताल टूट जाने पर दिनांक २५-३-६८ को रात्रि के लगभग पीने नौ बजे जब मैं मुख्य पुरुष छात्रावास (Main Boys Hostel) पहुँचा और हड़ताली छात्रों से सम्पर्क स्थापित किया तो प्रारम्भ में उन्होंने कुछ शकालु दृष्टि से मुझे देखा, परन्तु जब मैंने उनसे नितात अनौपचारिकता, सहानुभूति एवं अध्यापकीय सौहार्द्र (जो मेरी राय में सबसे उचित, सफल एवं प्रबल साधन है) से बातचीत की, तो वे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने को सहर्ष राजी हो गये। मैंने जब उनसे पूछा कि गत दिनों में आपने जो हड़ताल की थी, उसका क्या कारण था, तो उत्तर में सभी ने बताया कि मुख्य विवाद परीक्षा प्रारम्भ करने की तिथि से सम्बन्धित था। मैंने उनसे पूछा—

प्रश्न—बन्धुवर, क्या इन छोटी-मोटी बातों के लिये आप कोई अन्य सहज रास्ता नहीं अपना सकते थे ?

उत्तर—तो छात्र 'क'—ने उत्तर दिया, कि आजकल उत्तरदायित्व के साथ सहज में सुनता ही कौन है ? सर्वप्रथम तो हमने अपनी मांगों कॉलेज अधिकारियों के समक्ष ही रखी थीं, जिसका जवाब मिला—विश्व-विद्यालय वालों से बातचीत करिये और जब वहाँ गये तो उत्तर मिला कि फंक्लटी की मीटिंग में निर्णय होगा। बस इसी तरह टालमटोल हॉनी ग्ही और अन्त में जब हम लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया

तो सभी लोग दौड़े-दौड़े आये, और हमारी कठिनाइयों का समाधान प्रस्तुत करने लगे। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या यह स्थिति सतोषजनक है, कि किसी गंभीर एवं न्यायोचित बात के लिये भी अधिकारी लोग, तब तक सुनवाई न करें, जब तक कि उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो जाय ?

प्रश्न—क्या हडताल एवं तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में आपकी दिलचस्पी है ?

उत्तर—‘ख’—तोड़फोड़ में हमें कतई दिलचस्पी नहीं है। ‘ग’—और जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोग तो इस तरीके को अपनायेंगे भी नहीं। इस साधन को तो आमतौर पर एकेडेमिक कॉलेजों के छात्र ही प्रायः अपनाते हैं। ‘ख’—बल्कि मैं तो यह भी कहूँगा कि कॉलेज अथवा अन्य स्थानों के तोड़-फोड़ के दृश्य जब हमारी आँखों के सामने आते हैं, तो वाद में मन को बड़ा खेद तथा पश्चाताप होता है। ‘घ’ ‘च’ एवं ‘छ’—निस्सन्देह, राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति के दृश्य हृदय को बड़ी भारी वेदना पहुँचाते हैं। ‘ग’—असल में यदि व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाय, तो विद्यार्थी की रुचि इस विनाशकारी प्रवृत्ति की ओर नहीं होती, परन्तु जब ‘भीड़ मनोवृत्ति’ बढने लगती है, तो फिर औचित्य तथा अनौचित्य का कुछ भी ध्यान नहीं रह पाता। (सभी छात्र इस बात पर सहमत थे, कि कभी-कभी तो हडताल इत्यादि, अहितकर परिणामों को समझते हुये भी प्रारम्भ हो जाया करती हैं। शायद वे समाप्त भी हो जाय, परन्तु जब राजनीति का हस्तक्षेप होने लगता है, तो बात का बतगड़ बना दिया जाता है, तथा समस्या एवं उनके समाधान के सूत्र विद्यार्थी-वर्ग के हाथों से निकल कर राजनेताओं के हाथों में चले जाते हैं।) ‘च’—इसके अलावा विद्यार्थियों में भी कुछेक राजनीतिक एजेन्ट भी होते हैं, जो बराबर इस ताक में रहते हैं, कि विद्यार्थियों को राजनीति की ओर मोड़ दिया जाय।

प्रश्न—जब आप विद्यार्थियों का इस प्रकार की दलगत राजनीति में विश्वास नहीं है, तो फिर आप इन राजनीतिक दलों द्वारा किये गये हस्तक्षेप को क्यों बरदाश्त करते हैं ?

उत्तर—‘ग’—यद्यपि छात्रों को ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं होता, परन्तु जब शिक्षाधिकारियों द्वारा उनकी सही माँगों को ठुकरा दिया जाता

है, तो उन्हें हड़ताल एव प्रदर्शन जैसे सावनों का आश्रय लेना पड़ता है और वैसे तो यूनिवर्सिटी स्वयं ही राजनीति के कुचक्र में फँसी रहती है ।

प्रश्न—कुछ हड़तालें न्यूनतम उर्तीणाक प्रतिशत को कम कराने के लिये भी हुई हैं, ऐसे मामलों के प्रति आपकी क्या धारणा है ?

उत्तर—(सभी ने एक मत से कहा)—हम ऐसी माँगों के विलकुल विरुद्ध हैं । देश में शिक्षा का स्तर गिरने नहीं देना चाहिये । ऐसी माँग वाले लोग स्वयं भी कदाचित् नहीं जानते, कि ऐसा करके अपना तथा राष्ट्र का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं । 'ख'—हाँ, एक बात अवश्य है कि शैक्षणिक मामलों के निर्धारण के समय फैंकल्टी-मीटिंग वगैरह में यदि छात्रों का प्रतिनिधित्व हो, तो समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है ।

प्रश्न—आपकी समस्याओं के प्रति आपके अध्यापकों का क्या रुख रहता है ?

उत्तर—वे हमारी समस्याओं के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखते । वे कुछ तो डरते हैं और कुछ सोचते हैं कि हम तो डॉक्टर बन ही गये और माह के अन्त में वेतन भी मिल ही जायगा । (हल्की मुस्कान)

प्रश्न—अध्यापन के प्रति आपका क्या विचार है ?

उत्तर—'घ'—हमारे यहाँ कक्षाएँ नहीं चलती, बल्कि कॉलेज ऑडीटोरियम (प्रशाल) में पाच सौ छात्रों की सभाएँ होती हैं । अध्यापक के चेहरे के तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं और कभी-कभी, जब लाउड-स्पीकर खराब हो जाता है, तो अध्यापक महोदय भाषण देते रहते हैं और विद्यार्थी लोग या तो बातचीत करते हैं या ऊँघने लगते हैं । हमारे यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी का कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है । 'ग'—और फिर यहाँ के अध्यापक पढायेंगे क्या खाक, पढाना ही नहीं आता । जयपुर (राजधानी) में वे ही आ पाते हैं, जो सिफारिशी होते हैं और सिफारिशी तो प्रायः अयोग्य होते ही हैं । 'क'—कुछ अध्यापकों में ज्ञान तो अवश्य होता है, परन्तु वे पढाने का ढंग नहीं जानते तथा कुछ लोग तो साहब बड़ा ही प्यारा पढाते हैं ।

प्रश्न—अध्यापकों की और क्या कमियाँ हो सकती हैं, जिनके कारण वे आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते ?

उत्तर—'घ'—कुछ अध्यापको का व्यक्तित्व बडा ही पूअर (प्रभावहीन) होता है । 'ख'—ओर कुछ तो यार अग्रेजी भी गलत बोलते हैं । 'क' तथा 'घ'—ओर विद्यार्थी भी तो अग्रेजी को ठीक से समझ नहीं पाते । 'ग'—मेरी राय मे तो टैक्नीकल शब्दावली (Technical terms) तो अग्रेजी मे हो ओर विचार अभिव्यक्ति का माध्यम (Medium of expression) हिन्दी हो, तो प्रच्छा रहे । (बाद मे वे ही कुछ सशोधन-सा करते हुये पुन. बॉले)—हिन्दी से मेरा अभिप्राय 'मातृ-भाषा' से है । 'क'—शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने के कारण अग्रेजी की पृष्ठभूमि पिछली कक्षाओ से ही कमजोर रहती है । 'ग'—कुछेक तो लडको को घमकी देते हैं कि इम्तहान मे देख लेंगे, यानी (Carcer Spoil) कर देंगे, क्योकि Internal Assesment तो इन्ही के हाथो मे होता है । 'ख'—असल मे प्राथमिक कक्षा से अध्यापक की Quality ए-वन होनी चाहिये, तब ही कुछ सुधार हो सकता है । 'छ'—ओर कुछ छात्र तो Back-Benchers होते ही हैं, जिन्हे यदि सभी सुविषायें दे दी जाय, तो भी नहीं पढे गे । (कुछ छात्रो के बीच यह प्रश्न कुछ देर के लिये विवाद का विषय रहा, कि यदि अध्यापक योग्य हों, तो सभी प्रकार के छात्र पढने की ओर उन्मुख हो सकते हैं ।)

प्रश्न—ऐसे छात्र (Back-benchers) किस वर्ग से आते हैं ?

उत्तर—'ख'—ऐसे लडके या तो सिफारिशी होते हैं या मालदार परिवारो के । 'ख'—मई, पैसे वाले ही सिप्पेवाले (सिफारिशी) होते हैं । 'ख'—लडके सोचते हैं, कि परीक्षा मे बैठने के अवसर तो बार-बार मिल ही जाते हैं, कभी न कभी तो पास हो ही जायेंगे । यदि इतने अवसर कम हो जाय, तो वे पढने की ओर अधिक ध्यान देंगे । 'ख'—ओर फिर कोई पढ़े या न पढ़े, कॉलेज को अपना परीक्षा-परिणाम का प्रतिशत भी दिखाना पडता है, अत. विवश होकर अयोग्य छात्रो को भी पास करना पडता है । ओर मजाक यह है कि परीक्षा-परिणाम के बढाते समय भी सीमान्त छात्रो (Marginal Students) को उत्तीर्ण न करके सिफारिशी छात्रो को ही उत्तीर्ण किया जाता है । फलत सबसे थर्ड रेट का कूडा-कचरा पास हो जाता है । (एक छात्र ने विषय को ज़रा मोडते हुये कहा)—मेरे मत से तो सैद्धान्तिक

परीक्षायें तथा आन्तरिक परीक्षायें (Theory Examination and Internal Assessment) की उत्तर-पुस्तिकायें भी बाहर जाची जानी चाहिये, जिससे इन लोगो की (अध्यापकों की) घमकियों से बचा जा सके। 'क'—मेरे विचार से तो आन्तरिक-परीक्षा तो स्थानीय ही होनी चाहिये, अन्यथा वास्तविक परीक्षण सम्भव नहीं। 'ख'—मेरे हिसाब से तो मासिक-परीक्षायें भी होनी चाहिये।

प्रश्न—भारतीय विद्यार्थी मे यह मानसिक निराशा, कुण्ठा, अनास्था तथा दिशाहीनता जैसी भावनायें क्यों घर कर गयी हैं ?

उत्तर—(सभी)—निराशा तो बड़ी भारी है। 'ग'—हमारा फ्यूचर डार्क (भविष्य अन्वकारमय) है। 'ख'—शिक्षित व्यक्तियों की मांग और पूर्ति मे असन्तुलन उत्पन्न हो गया है। हमारी राष्ट्रीय योजनायें ठीक नहीं हैं। 'ग'—बूढ़े लोग एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन (सेवा-काल वृद्धि) पाते जा रहे हैं और शिक्षित नौजवान या तो सड़को पर बेकार धूमते हैं या नीचे पदो पर लम्बे समय तक घिसटते रहते हैं। उन्हें आगे कोई चांस (अवसर) ही नहीं मिलता। बड़े लोग अपने प्रौढ-अनुभवो द्वारा हमे अवैतनिक रूप मे पथ-प्रदर्शन करें, परन्तु अपने विचारो का धोपना उचित नहीं।

प्रश्न—क्या आप लोग पश्चिमी जगत् के प्रभावों को पसन्द करते हैं ?

उत्तर—'ग'—यदि पश्चिमी प्रभाव लाभप्रद हों, तो उन्हें अवश्य अपनाना चाहिये।

प्रश्न—आपके मत मे भारत का प्राचीन विद्यार्थी श्रेष्ठ था अथवा वर्तमान का ?

उत्तर—'ब' और 'ख'—न तो आजकल वैसे अध्यापक ही हैं और न विद्यार्थी ही (पाठक इस उत्तर से स्वय ही अनिप्राय ग्रहण करें। मेरे विचार से अब भी हमारा विद्यार्थी मन मे भारत के प्राचीन विद्यार्थी को आदर्श मान कर चलता है—सम्पादक)

प्रश्न—स्त्रियों की उच्च-शिक्षा कंसी होनी चाहिये ?

उत्तर—'ख'—उनका कार्य-क्षेत्र अलग है, मत उन्हें उनके क्षेत्र मे ही उच्च-शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 'ब'—परिवार की देख-भाल कौन

करेगा ? 'ग'—नहीं, उन्हें भी उच्च-शिक्षा मिलनी चाहिये । 'क'—लेकिन उच्च-शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी शादी नहीं हो पाती, और उन्हें मिस बनकर ही जीवन भर रहना पड़ता है, देखो न अपने यहाँ कितनी सारी मिसें... (हसी) ।

प्रश्न—सह-शिक्षा (Co-education) की प्रणाली आपको कैसी लगती है ?

उत्तर—'ग'—मेरा तो यह मत है, कि सह-शिक्षा के साथ-साथ यौन-शिक्षा भी होनी चाहिये, जिससे सही दृष्टिकोण पनप सके । 'घ'—जब लड़के और लड़कियों को परस्पर अधिक निकट में देखने-समझने का अवसर प्राप्त होता है, तो मन की गदी भावनायें भी दूर हो जाती हैं । 'क'—निकट परिचय से सद्व्यवहार की नैतिक जिम्मेदारी भी मन में पनपने लगती हैं तथा जब लड़कियाँ भी साथ-साथ पढ़ती हैं, तो पढ़ने की स्पर्धा भी तेजी से बढ़ने लगती है और वेश-भूषा भी ज़रा टिप्-टाप् (वातावरण में क्षणिक तरलता) ।

प्रश्न—विद्यार्थियों के नेतृत्व को किसको सम्हालना चाहिये ?

उत्तर—'क'—निसन्देह अध्यापक को ही नेतृत्व सम्हालना चाहिये । लेकिन विद्यार्थियों को साथ लेकर ही ऐसा किया जाय । उन्हें भी उत्तरदायित्व सौंपे जाय । 'ग'—अध्यापक छात्रों के निकटतम व्यक्ति होते हैं । 'क'—अतः वे उनकी समस्याओं को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं ।

प्रश्न—देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुये आपकी क्या मानसिक प्रतिक्रिया है ?

उत्तर—(सभी)—देश की सामान्य दशा बड़ी भयावह है । 'ग'—एक महान् परिवर्तन की आवश्यकता है । 'क'—इसे तो बस क्रांति ही सुधार सकती है । 'ग'—शिक्षा को भी न्यायपालिका के समान निष्पक्ष और स्वतंत्र कर देना चाहिये । इसमें राजनीति का कतई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । 'क'—हमारी राष्ट्रीय नीतियों में कहीं गड़बड़ हो गयी है । 'ग'—आज कल तो कॉलेजों व स्कूलों को खोलना तथा उनमें सीटों का भरना भी राजनीतिक प्रभावों द्वारा किया जाता है । 'क'—मेरे विचार से विद्यार्थियों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिये । वे क्यों देश की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति उदासीन रहें ?

आज या तो अधिकतर अयोग्य एवं अवसरवादी व्यक्ति राजनीति में भर गये हैं या पूँजीपति । 'ग'—स्वास्थ्य मंत्री भी स्वास्थ्य-विशेषज्ञ ही होना चाहिये । बिना ज्ञान के ही तो यह सब घपला चल रहा है । 'घ'—शैक्षणिक सुविधाओं का नितान्त अभाव है । 'छ'—भाई, मेरे विचार से तो जनसंख्या की वृद्धि ही सब समस्याओं की जड़ है (अट्टहास) । 'ग'—मेरा तो ऐसा अनुमान है—तीन-चार वर्षों बाद मंडिकल कॉलेजों में भी नौकरियों के लिये हड़तालें प्रारम्भ हो जावेंगी ।



तृतीय खंड
'विचार-विन्दु'

E. M. S, Namboodiripad,
Chief Minister

Trivandrum
18-11-1967

Dear Sir,

... . I would only say that the 'Student Agitation' is not a problem in itself, nor is it a disease as conceived by many. It is a reflection and symptom of the deeper malaise in which the Community is entangled. No treatment to symptoms will cure the disease.

Yours Faithfully,
Sd-E. M S, Namboodiripad

लक्षणों के उपचार से रोग—निवारण सम्भव नहीं
(हिन्दी—रूपान्तर)

ई. एम एस नम्बूदरीपाद,
मुख्य मन्त्री

त्रिवेन्द्रम
१८-११-१९६७

प्रिय महोदय,

... . मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि 'छात्र-क्षोभ' स्वयं में कोई समस्या नहीं है, और न यह कोई बीमारी ही है, जैसी कि बहुत से लोगों की धारणा है। यह तो उस गहरे रोग की प्रतिच्छाया और लक्षण है, जिससे समाज ग्रसित है। लक्षणों के उपचार से किसी भी रोग का निवारण नहीं हो सकता।

भवदीय
हस्ताक्षर—नम्बूदरीपाद

बुजुर्ग पीढी का दायित्व

डा० मोहनसिंह मेहता

वर्तमान शताब्दी में हुए दो भीषण युद्धों ने सारे सामाजिक और वैचारिक घरातल को झकझोर कर दिया है। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों की नींव हिल गई है। परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था घराशायी हो गई है और नई व्यवस्था का जन्म हुआ है। इसे हम संक्रमण-काल की स्थिति कह सकते हैं। इसी संक्रमण-काल के बीच जो सामाजिक और राजनैतिक उथल-पुथल हो रही है, उसका हर वर्ग पर प्रभाव पड़ा है। इसमें आज का युवक भी अडूता नहीं रहा है, वह भी आज उसकी चपेट में आगया है। आज का युवक अधीर है, विक्षुब्ध है और दिशा हीन है। क्योंकि वह न तो स्वयं रास्ता ढूँढने में सक्षम है और न हमारी बुजुर्ग पीढी उसका ठीक तरह से मार्ग-दर्शन कर पा रही है। फलतः दोनों पीढियों में एक सघन दूरी हो गई है, जिसके सगम की आवश्यकता होते हुए भी खाई बढ़ती जा रही है।

वस्तुतः यह समस्या पढ़े-लिखे युवकों की है, जिनमें अपार बल है, वाणी में तेज है, उत्साह है। किन्तु इन सब गुणों की परिणति आक्रोश में हो रही है। तोड़-फोड़, अमिष्ट व्यवहार, अनुशासन हीनता और अराजकता तथा हिंसात्मक कृत्य ही उसका मुख्य धन्वा बन गया है। बार-बार एक प्रश्न कुरेदता है, कि ऐसा क्यों है? जो पीढी देश की प्राण है और उसके भविष्य की आशा है, वही इतनी विचलित और उच्छृंखल क्यों है? इसका उत्तर-दायी कौन है? क्या विद्यार्थी स्वयं ही अथवा शिक्षक, नेता या उसके माता-पिता? इसका सीधा और सही उत्तर भी कठिन है, क्योंकि इन स्थिति के लिए किसी एक को उत्तरदायी ठहराना समस्या के विश्लेषण के हेतु सही नहीं है। शिक्षक तथा अन्य बुजुर्ग पीढी के लोग अगर निःस्वायं भावना से उसके निकट आकर उसे समझने का प्रयत्न करें और उसका उचित मार्ग-दर्शन करने का दौड़ लें, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि यह युवा-पीढी देश के

जन-जागरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में होने वाली क्रान्ति के लिए वरदान साबित हो सकती हैं।

अगर हम उन्हें एक उत्तरदायी नागरिक, मूल्यों का अभिरक्षक और सम्य तथा सुसंस्कृत जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, तो बुजुर्ग पीढी को अपने व्यवहार से उसमें विश्वास उत्पन्न करना होगा। किन्तु यह समस्या अब केवल 'बुद्धि का व्यायाम' मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके शीघ्रातिशीघ्र हल ढूँढने को बाध्य कर रही है। अन्ततोगत्वा इसी पीढी पर हमारे देश, समाज और प्रजातन्त्रीय मूल्यों का भविष्य निर्भर है।

“सेवा सदन” विद्या भवन,
उदयपुर



“विद्यार्थी उच्च लक्ष्य को धारणा करें”

विशनसिंह शेखावत

एक साँस में यदि कहा जाय तो छात्र-असतोष के कारण हैं—पढे-लिखों की बेरोजगारी, नवयुवकों के मनो में शिक्षक के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होना, समाज द्वारा शिक्षक को निरा नौकर समझ लिया जाना, शिक्षक के स्वामिमान का खोना तथा आर्थिक कठिनाइयाँ इत्यादि। इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षा का योजना-बद्ध तरीके से विकास भी नहीं हुआ है। मैं इस बात की नितान्त आवश्यकता अनुभव करता हूँ, कि शिक्षक के स्वामिमान को जागृत किया जाये, शिक्षक मात्र पुस्तकीय ज्ञान, जो कोर्स में सम्बन्धित है, उसको ही अपना आधार मान कर न चलें, अपितु राष्ट्र के निर्माण कार्य को सर्वोत्कृष्ट मान कर मिशनरी-भावना से बच्चों के हृदय में प्रवेश करें।

व्यापारिक भावनाओं को मन में निकाल कर युवक के निर्माण को अपने हाथों में लें। समाज एवं सरकार शिक्षक के परिवार को जीवित रखने के साधन जुटा कर शिक्षक को आर्थिक कष्टों से मुक्त करें। साथ ही आन्तरिक ज्ञान एवं धार्मिक मूल्यों का छात्रों में अधिक से अधिक विकास किया जाये। अभिभावकों के दैनिक कष्टों का असर बच्चों के मस्तिष्क को विद्रोही बनाता है, उसके लिये सरकार स्वयं बच्चों को घर से दूर रख कर पढाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्हाले तथा बालक को किसी उपयोगी सेवा में लगावे। जब विद्यार्थी को अपना भविष्य अन्वकारमय दिखाई नहीं देगा तथा वह राष्ट्र, धर्म तथा नैतिकता के मूल्यों से बचा रहेगा तो यह अनुशासनहीनता जो हमें दिखाई देती है, वह दूर हो सकेगी। उनकी शक्ति एवं बुद्धि का समुचित उपयोग करने के लिये देश में ऐसी योजना की आवश्यकता है, जहाँ वे कुछ कर सकें—कुछ पा सकें—मार बन कर नहीं अपितु श्रमशील बन कर।

कार्यालय, राजस्थान शिक्षक-सघ,
जयपुर।

समाजवाद ही एक मात्र हल

डॉ० राम विलास शर्मा

मुझे सन् २० के उन दिनों की याद है जब हमारा स्कूल (सरस्वती पाठशाला, भाँसी) राष्ट्रीय स्कूल बना था। अचानक अध्यापको और छात्रों के परस्पर सम्बन्ध बदल गये। कई नये अध्यापक आये जो राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे, उन्होंने छात्रों को पढाया ही नहीं उनके शेष जीवन पर अपने चरित्र की गहरी छाप डाली।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बीस साल बाद आज देश का युवा-समाज निरुद्देश्य और असंगठित है। अध्यापक-वर्ग जीवन की परिस्थितियों से असंतुष्ट, किन्तु उन्हें बदलने में असमर्थ है। छात्रों और अध्यापकों में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो सच्चाई और ईमान की चिंता न करके पैसा कमाने, तरह-तरह से स्वार्थ-सिद्धि करने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं।

देश में एक समर्थ युवक-आन्दोलन की आवश्यकता है, जिसका राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट हो, जो समाजवाद की प्राप्ति के लिये एक साफ-सुथरा कार्यक्रम लेकर संगठित हो, जो इस लक्ष्य की दृष्टि से शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के लिये आन्दोलन करे, जो पैसा कमाने के उद्देश्य को गौण मानकर समाज सेवा के लिये अपने को शिक्षित करे, जो देश के युवकों को स्वस्थ जीवन बिताने के लिये व्यायाम, खेल-कूद आदि में संगठित रूप से भाग लेने की प्रेरणा दे।

किसी देश की शिक्षा-पद्धति वहाँ की समाज-व्यवस्था के अनुरूप होती है। इस समय देश में आर्थिक सकट ही नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक सकट भी विद्यमान हैं। तब छात्र-जीवन इस सकट से मुक्त कैसे हो? केवल शिक्षा के स्तर पर छात्रों की समस्या हल नहीं की जा सकती। देश को समाजवादी लक्ष्य की ओर ले जाने के लिये जो भी उचित प्रयास होगा, उसके अन्त-

२१०/छात्र विक्षोभ ?

गंत ही छात्र-जीवन की समस्या हल होगी । किन्तु अभी इस और समाज के कर्णधारों का ध्यान कम गया है । छात्र और अध्यापक स्वयं इस दिशा में कदम उठाएँ, तो अच्छा है ।

अंग्ल भाषा विभाग,
सेंट जोन्स कॉलेज,
आगरा (उत्तर प्रदेश)

‘बुजुआ’ और ‘ब्योरोक्रैटिक’ शिक्षा-प्रणाली के बीच बेचारा शिक्षक और शिक्षार्थी

जनादनराय नागर

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमने दो ग्रहम् और आधार भूत समस्याओं की ओर ईमानदारी एवं जीवट के साथ आवश्यक ध्यान नहीं दिया। हमने इन वर्षों में जनता की शक्ति को सग्रहित कर रक्षा-व्यवस्था का आवश्यक विकास नहीं किया है, और देश की शिक्षा-व्यवस्था के बारे में सकल्प तथा साहस के साथ विचार नहीं किया है। ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में भी शिक्षा-व्यवस्था हम भारतीयों के हाथों में ही रही है, और आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के विषाक्त सांस्कृतिक साये में पले हुए, रुठ एवं जड भरत जैसे हम भारतीयों के हाथों में ही शिक्षा का आयोजन, प्रवर्ध तथा विकास हो रहा है। परीक्षाओं की लद से दबी तथा पाठ्य-पुस्तकों के व्यर्थ के बोझ से लदी यह अवैज्ञानिक, व्यापारिक तथा अवसरवादी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली वह जहरवाद बन गई है, जिससे देश की योग्यता तथा क्षमता की रीढ़ टूट चुकी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विषाक्त विरासत में प्राप्त यह बाबुओं और क्लकों की शिक्षा-प्रणाली भारतीय आत्मा तथा स्वरूप को खो बँठी है और हम हाथ मल-मल कर पछता रहे हैं। आज हम एक अनुकरण, एक अनुवाद, एक सभ्रम और एक सर्वहारी लघुता-ग्रन्थि हो गये हैं। हमारा सनातन अजय आत्मविश्वास जैसे लुप्त हो गया है, हमारा अजय आत्म-गौरव जैसे सुप्त हो गया है।

शिक्षा-व्यवस्था के महत्वपूर्ण और ऊंचे पदों पर आसीन, हमारे ये बुजुआ शिक्षाविद हौले-हौले सुधार की बातें करते हैं, और क्रांति के एक बादल को देखते ही ये लोग अपने आराम देह कक्षों में छिप जाते हैं। सारी जिम्मेदारी त्रस्त और सघर्ष कातर राजनीतिज्ञों पर डाल कर ये अवसरवादी शिक्षा सरमायेदार जनता के अज्ञान पर अपना रोष व्यक्त कर राष्ट्र के प्रति

१. रुढ़िवादी

२. नीकरशाही

प्रपना यह कर्त्तव्य अदा किया करते हैं। कई रिपोर्टें वनीं और वे सब दाखिल दफ्तर हुईं। इनकी मीटिंगों और बहसों का कोई भी निष्पत्तिक अन्त नहीं आता। अब पहली बार शिक्षा-आयोग द्वारा भारत की समूची शिक्षा-नीति, दृष्टि और व्यवस्था पर समग्रता से विचार किया गया है। परन्तु वह भी शिक्षा-सम्बन्धी तात्कालिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है।

मैंने पिछले असें में जहाँ भी अवसर मिला है कहा है कि तीन घण्टों की पर्चे-बाजी और पाठ्य-पुस्तकों की बुर्कग-आफिम को, इस व्यर्थ, अयोग्य, असमीचीन और बाहियात शिक्षा-प्रणाली को खत्म कर दें, अन्यथा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों बगावत करेंगे। हमारे ये बुर्जुआ और ब्यूरोक्रेट हिलते ही नहीं, तब फिर परिणाम अराजकता ही होगा। मुझमें लोग पूछते हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को दूर कर दें तब क्या होगा? गान्धारी आँखों से पट्टियाँ खोल दे तो क्या होगा? देखने लग जायगी। हम कामना करें कि हमारी ये शिक्षा-गान्धारियाँ अपनी देवती आँखों से पट्टियाँ खोल दें। विद्यार्थियों को हम बदतमीज, शैतान और अनुशासनहीन भले ही कहें, परन्तु सत्य तो यह है कि आज विद्यार्थियों को अपने भविष्य की कोई आशा ही नहीं रह गई। राष्ट्र के जीवन के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यार्थी जैसे कट कर आह भरता हुआ पड़ा है, राष्ट्र के चौराहों पर।

रही हमारी बात तो हम शिक्षक भी आज गरीब हैं, परिव्यक्त हैं, बेजार और बेगाने हैं। राज्य हमारे साथ सीतेला व्यवहार करता है तथा समाज हमारे प्रति उदासीन है तथापि फटेहाल और अपमानित तथा अस्वीकृत ही सही, हम भारत के शिक्षक हैं। राष्ट्र-कल्याण के कर्त्तव्य को अदा करने में हम सबसे आगे रहेंगे। हम शिक्षकों को सबसे आगे रहना ही होगा। राष्ट्र-जीवन की इस महान् तीर्थ-यात्रा में शिक्षक ही राष्ट्र की मानवता को असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु में अमृत की ओर ले जा सकेगा। हम भारत के विराट् और अपार आत्मा की अजय, प्रकाश एवं ज्योति की गंगा और यमुना हैं। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि शिक्षक-बन्धु भारतीय आत्मा के इस अजय तथा चिरन्तन आत्म-विश्वास के साथ अपना उपयोगी, क्रान्तिकारी तथा क्रान्तिदर्शी परामर्श करेंगे और समस्त देश को समर्थ और सुन्दर जीवन-सदेश देंगे।

राजस्थान विद्यापीठ

उदयपुर

अभारतीय शिद्धा और हमार विद्यार्थी

हनुमान प्रसाद पोद्दर

आज छात्र-छात्राओ मे प्रायः निम्नलिखित दोष विचारो तथा क्रियाओ के द्वारा न्यूनधिक रूप मे आये और आते हुए बताये जाते है —

- (१) ईश्वर पर अविश्वास ।
- (२) कर्मफल, पुनर्जन्म, परलोक पर अविश्वास ।
- (३) देवपूजन, श्राद्ध, तर्पण, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान, नित्य नैमित्तिक शास्त्रीय कर्मों पर अविश्वास ।
- (४) प्राचीन काल की सभ्यता तथा सस्कृति की उच्चता पर अविश्वास । अबसे पूर्व की सभ्यता निम्नश्रेणी की तथा अवि-कसित थी—ऐसी धारणा ।
- (५) ससार उत्तरोत्तर सभी विषयों मे उन्नत हो रहा है, ऐसी धारणा ।
- (६) चार हजार वर्ष से पूर्व का इतिहास नहीं है । वेद, दर्शन, उपनिषद्, स्मृतियाँ, पुराण, महाभारत, रामायण आदि सभी आधुनिक हैं—ऐसी धारणा ।
- (७) आर्यजाति भारत मे मूलत नहीं रहती थी, बाहर से आयी है—ऐसी धारणा ।
- (८) माता-पिता की भक्ति, सेवा तथा उनके आज्ञापालन मे अरुचि ।
- (९) शास्त्र, वर्णाश्रम, समाज, कुल, शिक्षा-सस्था तथा अन्य सबधित सस्थाओ का अनुशासन मानने मे आपत्ति ।
- (१०) आचार्य, अध्यापक, गुरु का अपमान तथा उनके साथ दुर्व्यवहार ।
- (११) खान-पान मे असयम—तामसी (मद्य, मास, अपवित्र, जूठन आदि) ।

- (१२) यौन-सम्बन्ध में स्वेच्छाचारिता ।
- (१३) सिनेमा आदि असंयम बढ़ाने वाले खेलों के देखने में, उनमें क्रियात्मक भाग लेने तथा अगुम सदाचारनाशक साहित्य लेखन, वाचन तथा प्रचार में उत्साह और प्रवृत्ति ।
- (१४) विलासिताकी सामग्रियों का अबाध और अमर्यादित सेवन तथा अत्यन्त लर्चीला जीवन ।
- (१५) हिंसात्मक तथा मिथ्यापूर्ण कार्यों में उत्साह तथा प्रवृत्ति ।
- (१६) प्राचीन मात्र के विरोध तथा नवीन मात्र के ग्रहण में विचार-शून्य प्रवृत्ति ।
- (१७) प्राचीन सांस्कृतिक कार्यों, व्यवहारों तथा सद चार में अरुचि तथा उनका विरोध ।
- (१८) वैदिक, महाभारत तथा रामायण के गौरवपूर्ण इतिहास तथा महापुरुषों में अपरिचय ।

बालक तो निर्दोष होते हैं । यद्यपि पूर्व-संस्कारानुसार उनमें रुचिभेद तथा स्वभावभेद अवश्य होता है, फिर भी वे घनते हैं उनके बीच के और आस-पास के वातावरण के अनुसार ही । इन्होंने इसका दायित्व बालकों के अभिभावकों पर है और इसके लिये प्रधानदायी तो हैं समाज तथा राष्ट्र के वे अगुवा पुरुष, जिनके हाथों में विधि-निर्माण की सत्ता है तथा जिनके आदर्श तथा आदेश पर लोग चलते हैं । बालक तो अनुकरणपरायण होता है । उनके सामने जैसी चीज आती है, वह उसी की नकल करता है । अवाछनीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय किसने बनाये ? उनका संचालन कौन करते हैं ? पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया ? ईश्वर का खण्डन, शास्त्र का विरोध, पुनर्जन्म और परलोक पर अविश्वास पैदा करने वाले साहित्य का प्रणयन किसने किया ? प्राचीन शास्त्रों को आधुनिक किसने बनलाया ? माता-पिता तथा गुरु की आज्ञा न मान कर अनुशासन भंग करने की शिक्षा किसने दी ? आहार-विहार में उछलता, यौन-सम्बन्ध में स्वेच्छा-चारिता और हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्ति का आदर्श किसने उपस्थित किया ? किसने गन्दे चल-चित्रों को चलाने की अनुमति दी ? चोरबाजारी, घूसखोरी, मिथ्यापूर्ण कार्यों में उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति किसने की ? और सह-शिक्षा की बुरी चान किसने चलायी ? ऐसी ही अन्यान्य बातें हैं । परिस्थितिवश विदेशी शिक्षा

तथा सस्कृति के प्रभाव में आकर, जोश में होश को खोकर, इन्द्रियो के वेग को रोकने में असमर्थ होकर या अन्य किसी भी कारण से हो, इन सब प्रवृत्तियो के प्रेरक, प्रवर्तक, पोषक, प्रचारक प्रायः बड़े लोग ही हैं। यह सत्य है और इसे सभी को समझना चाहिये। बालको को तो जैसे साचे में आप ढालेंगे, उसी में वह ढलेगा। अतएव विद्यालयो, महाविद्यालयो और विश्वविद्यालयो के छात्र-छात्राओ को दोष देना व्यर्थ तथा अनुचित है। उनको सुधारना है, तो पहले अपने को सुधारना होगा। आजकल शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा-संस्थाओ के दोष प्रायः सभी बतलाते हैं, पर उनमें सुधार का कार्य नहीं के बराबर ही हो रहा है। इस ओर देश के सभी मनीषियो को विशेष ध्यान देकर इस विषय पर विचार करना चाहिये। ●

कल्याण प्रेस,

गौरक्षपुर (उ० प्र०).

अनुशासन की बात

डॉ० लक्ष्मीलाल के० ओड

अनुशासन भग विद्यालयों में ही क्यों, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कार्यालयों में जाइये तो वहाँ बिना उत्कोच दिए कामज आगे नहीं बढ़ता, कारखानों में जाइये तो काम बन्द करके मजदूर लोग घरना दिये हुए हैं। विधान-मन्त्रालय दल-बदल सामान्य बात हो गई है। इवर कही दुष्काल पडा और उधर व्यापारियों ने खाद्य-वस्तुओं का कालाबाजार आरंभ कर दिया। इधर किसी के घर में आग लग गई तो दूसरे उसका सामान उडा ले गये। हर व्यक्ति स्वच्छन्दता पूर्वक जो करना चाहे, वह करने के लिये स्वतन्त्र हो गया है। शायद हम लोग स्वतन्त्रता की पहली सीढी पर हैं, जहाँ जीवन के भौतिक अभावों से मुक्त होने में ही आत्मा की स्वतन्त्रता निहित हो गई है।

आत्मा की स्वतन्त्रता के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले देश के लोगों का यह व्यवहार कुछ विचित्र लग सकता है, परन्तु इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारण हैं। जो देश १३ सदियों तक बन्धनों में रहा हो, जिसका जीवन मदा अभावों से युक्त रहा हो, उस देश के लिए ऐसा व्यवहार कुछ अनहोना व्यवहार नहीं है। उस समय तो हमने भौतिक सुखों को बन्धन मानकर आत्मिक मुक्तियों में एक मानसिक तृप्ति की अनुभूति करली, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, परन्तु यह हमारा बाह्य आवरण मात्र था। वस्तुतः यह भूखे की दकादशी थी, और जैसे ही हमें भौतिक जीवन के सुख उपलब्ध हुए, हमारे मंथन का बाँध टूट गया। हम उद्दाम वेग के साथ भौतिक स्वतन्त्रता की तरफ बह चले, किनारे के वृक्षों को, तट को और जो नी मिला उसे नष्ट करते हुए।

आज का विद्यार्थी अनुशासन को भग क्यों करता है? दो सम्भावित कारण मुझे दिमाई देते हैं। प्रथम तो, वह येनकेनप्रकारेण उस परीक्षा को पाम करना चाहता है, जो भौतिक सुखों के लिये मार्ग प्रशस्त कर देती

है और उसके इस प्रयास में जो भी बाधाएँ उसके सामने आती हैं, वह उनका विरोध करता है। दूसरा कारण है, विद्यालयों में उस पर लादा गया वह समय, जो उसकी भौतिक स्वतन्त्रता का अपहरण करता है। वह स्वतन्त्र होना चाहता है, उसी प्रकार जैसे उसके शिक्षक हैं, जैसे उसके माता-पिता हैं, जैसे उसके राजनीतिक नेता हैं, और जैसे समाज के कोई अन्य अंग हैं। उसकी स्वतन्त्रता में जो भी नियम या विधान बाधा डालता है, वह उसका विरोध करता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि वह जीवन की भौतिक बाधाओं में मुक्त होना चाहता है। उपनिषदों में इसे अन्नमय कोष कहा गया है। आज मुक्ति का घरातल ठोस भौतिक है। जब तक हमारी शिक्षा छात्रों को भौतिक आवश्यकताओं की दुश्चिन्ता और अभावों से मुक्त नहीं करती, तब तक सभी प्रकार की मुक्ति की बात थोथी है, अभी तो हम अन्नमय कोष की सीढ़ी पर ही हैं, स्वास्थ्य, ज्ञान, विज्ञान और आत्मिक आनन्द आगे की बातें हैं। पहले भौतिक आवश्यकताओं से मुक्ति मिले, तब स्वास्थ्य की चिन्ता की जा सकती है, तब इन्द्रियों का निग्रह कोई माने रखता है, तब मन सुस्थिर हो सकता है, तब सही अर्थों में ज्ञान-विज्ञान की उपासना हो सकती है और इन सबसे ऊपर उठने के बाद ही आत्मिक स्वतन्त्रता मिल सकती है। हमारी शिक्षा-प्रणाली में जब तक इस बात की प्रतीति नहीं हो जाती, तब तक हम ऊँची-ऊँची बातें करते रहेंगे, मौखिक रूप से समय का उपदेश देते रहेंगे, और जब अनुशासनहीनता दिखाई देगी तो अपनी उपदेशों की विफलता पर कुठित होंगे और इसी प्रकार अनुशासन पर विचार-विमर्श चलता रहेगा, अनुशासन पर समितियाँ बनती रहेगी, और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

अनुशासन का सबसे पहला हल शिक्षा को उत्पादनोन्मुखी बनाना है। गांधीजी ने भी यही कहा था। आज भी हम यदि इस ओर आँख मूद कर अनुत्पादक नागरिक तैयार करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब कि समाज में विस्फोट हो जायेगा और क्रांति द्वारा वही चीज आयेगी, जिसे हम विकास की प्रक्रिया द्वारा लाने में असमर्थ हो रहे हैं।

आज की अनुत्पादक शिक्षा अनुशासन की समस्या हल करने में सर्वथा असमर्थ है।

विद्या भवन, उदयपुर।

“छात्रों को दोषी न ठहराया जाय”

माणिक्यलाल वर्मा

युवको मे आन्दोलन, क्रान्ति और परिवर्तन की भावना स्वाभाविक ही है। इधर छात्र-आन्दोलन के प्रश्न को लेकर छात्रों को दोषी ठहराया जा रहा है, परन्तु वस्तुतः वे दोषी नहीं हैं। यदि कोई दोषी है, तो वह है इस देश का शिक्षक, अभिभावक, नेता तथा शिक्षा-प्रणाली। युवको का तो स्वभाव ही बड़ों के मार्ग का अनुगमन करना होता है। जब शिक्षक लोग छात्रों के सामने बिना किसी झिझक के सिगरेट पीने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने में सकोच नहीं करते तो छात्र भी सबके सामने ऐसे कार्य करने में पीछे क्यों रहेंगे। आज विद्यार्थियों को कोई सही नेतृत्व ही नहीं दे पा रहा है। हड़ताली छात्रों के समक्ष जाने का साहस आज नेताओं में नहीं है। वे उनसे डरते हैं। युवको के पास भी आज जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया। राजस्थानी में कहावत है—“नवरी नाते जाय” यानी बेकार और निठल्ली स्त्री ही पुनर्विवाह करती है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास कोई कार्य करने को नहीं होता, वही इधर-उधर की बातें करने की सोचता है। युवको को आप काम दीजिये और फिर देखिये कि वे चन्द मिनटों में कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं।

छात्रों को राजनीति से अलग रहने की बात प्रायः कही जाती है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि वे राजनीति से क्योंकर अलग रहें? सन् १९२१ में गांधीजी के आह्वान पर ही तो विद्यार्थी राजनीति के मैदान में उतरे थे, तो आज क्या कोई नवीन बात हो गई है, इस राजनीति में।

छात्रों की समस्याओं को समझ कर उनके सही निराकरण करने पर ही छात्र-असन्तोष को समाप्त किया जा सकता है।

हाँ, एक बात अन्त में और कह दूँ—शिक्षकों का आर्थिक-स्तर एवं सामाजिक सम्मान भी बढ़ाया जाना अत्यावश्यक है।

भूपाल पुरा, उदयपुर,
(राजस्थान)

सैलाब का क्षोभ

बाल गोविन्द तिवारी

आकाश में बादल छाये । बू दा वादी आरम्भ हुई । बारिश तेज हुई । पहले पानी घरती में समा गया । फिर बह चला, कुछ इधर । कुछ उधर ।

घरती के तल पर कुछ पहले के पानी बहने की लकीरें बनी हुई थीं । अधिकांश उधर बहा । यह नालिया जैसी बन गईं । कुछ नालिया इस पानी को तालाबों में ले गईं, कुछ खेतों में, कुछ मकानों की नीवों में । कहीं कहीं नई नालिया भी बनी और धीरे धीरे यह गहरी भी होती गई । कोई कोई नाली तेजी से भी गहरी हुई । जितनी तेजी से पानी आया और जितना अधिक ढाल हुआ उतनी ही तेजी से नालिया गहरी हुई, और जितनी ही गहरी नाली हुई उतना ही अधिक पानी आया । इस प्रकार गहराई एक ओर, और ढाल और पानी की मात्रा दूसरे ओर, एक दूसरे को बढ़ाने वाले कारण बने ।

कुछ नालियों से लाभ हुआ जैसे तालाबों में पानी ले जाने वाली नालियों से ।

कुछ से थोड़े समय तक लाभ हुआ : जैसे खेतों में पानी ले जाने वाली नालियों से । फिर अधिक पानी खेतों को काटने लगा और इसके उपजाऊ तत्त्वों को बहाकर ले जाने लगा ।

कुछ से हानि ही हुई : जैसे मछक को काटने वाली या मकानों की नीवों को खोदने वाली नालियों से ।

कुछ से न लाभ हुआ न हानि . जेम्मे उन नालियों से जो अधिक पानी को बहाकर नदी में डालती रही ।

इस सब व्यापार में, गुण दोष किसका ?

पानी का ? नहीं ।

घरती का ? नहीं ।

ढाल का ? नहीं ।

उसका, जिसका यह कर्तव्य है कि नालियो और पानी के बहाव की देखभाल करे । हम वर्षा को नहीं रोक सकते, हम घरती के तल पर बहुत प्रभाव नहीं डाल सकते । हम यह अवश्य कर सकते हैं कि नालियो की दिशा में, ढाल में, चौड़ाई में कुछ परिवर्तन करके ऐसा प्रवन्ध करें कि जितना पानी जिस वेग से जहा आवश्यक है, वहने दें और शेष को, जिसकी मात्रा अपेक्षतः बहुत बहुत अधिक है, नदियों में वह जाने दें और आगे चलकर इन नदियों के जल का भी उपयोग करें जिससे नहरें निकाली जायें और नावों द्वारा आवागमन हो सके ।

जब पानी तेजी से बहता है तो हम कहते हैं कि “क्षोभ” है । क्षोभ कुछ स्पष्ट बातों का द्योतक है —

पानी की मात्रा की अधिकता,

ढाल के कारण बहाव में तेजी,

रास्ते में रुकावट ।

पानी प्रकृति के नियमों से बहता है । पानी का, बहाव का, क्षोभ का, दोष नहीं है । दोष है इजीनियरों का यदि वे इस पानी, इस बहाव का उचित उपयोग, प्रकृति के नियमों के अनुसार न करें और पुरानी बनाई हुई सड़क में वह परिवर्तन न करें जो, इस अर्थ में घरती के तत्त्वों पर हुए परिवर्तनों के कारण ढाल बदलने के फलस्वरूप, आवश्यक हो गये हैं । यदि अब तक उनका ध्यान नहीं हुआ तो पानी के क्षोभ से उनको अब सचेत होना चाहिये और पुरानी सड़क में नये मोड़, नये ढाल, नये पुश्ते बनाने चाहियें ।

समाज की बिखरी हुई शक्ति वादल हैं । इस शक्ति का गतिशील (Kinetic) स्वरूप में आना सामाजिक हलचलों के रूप में वर्षा है । इन हलचलों में पिछले समय के बनाये हुए पुश्ते (रीति, रिवाज, परम्पराएँ) सभी इस हलचल को उपयोगी दिशा में, कभी हानिकारक दिशा में मोड़ देने वाले कारण हैं । इन रुकावटों में गतिशील शक्ति का संघर्ष सामाजिक क्षोभ है ।

यह क्षोभ समाज के प्रत्येक अंग में होता है, किन्तु असंगठित रूप से, क्योंकि एक-एक व्यक्ति की शक्ति का प्रभाव बहुत हल्का जान पड़ता है । जब

यह क्षोम समाज के किसी जन-समूह में हो तो इसका प्रभाव अधिक होता है और सबका ध्यान इस ओर जाता है। जितना ही यह जनसमूह बड़ा और संगठित होता है उतना ही उसका प्रभाव होता है, जैसे किसी बड़े तालाब का बाँध टूटने पर।

विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के समूह बड़े बड़े तालाब हैं। इनके बहाव को सोद्देश्य दिशा में मोड़ मिले तो यह जनशक्ति के ऐसे समूह हैं जिनसे बहुत लाभ हो सकता है, बड़े बड़े खेत सींचे जा सकते हैं, बड़ी बड़ी नौकाएँ चलाई जा सकती हैं; अन्यथा बाध में जरा सी भी संध बनते ही बड़े बड़े पुश्ते टूट जायेंगे, खेत बह जायेंगे, बस्तियाँ उजड़ जायेंगी।

समाज के इंजीनियर समाज की वे शक्तियाँ हैं जो कायदे, कानून, परम्परा, रीति, रिवाज आदि को बनाती हैं। किसी समय यह काम दो प्रकार के लोग करते थे —

(क) वे जो उन नियमों को बनाते थे जिनका पालन कराते थे जिनकी अवहेलना होने पर दंड दिया जाता था। यह काम राज्य का होता था।

(ख) वे जो उन नियमों को बनाते थे जिनका पालन करना सम्य समाज के नागरिक होने का चिह्न होता था। इन नियमों को तोड़ने पर 'दंड' तो नहीं मिलता था किन्तु दंड जैसी बात, भले आदमियों की अप्रसन्नता जैसी होती थी। इससे अधिक महत्त्व इसका था कि इनको पालन करने वालों को आदर, प्रसन्नता आदि मिलते थे और यह बातें व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाने वाली होती थी और इनको "धर्म" कहा जाता था।

आज "कल्याणकारी राज्य" के सिद्धान्त के अनुसार यह सब काम "राज्य" ने अपने हाथ में ले लिया है, कम से कम सिद्धान्त में तो ले ही लिया है। कानूनों का बाहुल्य हो चला है। परम्परा को तोड़ना प्रगति का लक्षण समझा जा रहा है। शालाओं में भारतीय "कुरीतियों" के पढाने पर बल दिया जा रहा है, "सुरीतियों" का नाम भी नहीं लिया जाता है। "धर्म" का मनगढन्त अर्थ लगा कर उसके प्रति अश्रद्धा ही नहीं, घृणा का पोषण किया जाता है, ऐसी अवस्था में मात्र (क) में ऊपर वर्णित शक्ति ही एक शक्ति रह गई है, (ख) का अस्तित्व मृत-प्रायः रह गया है।

अतः आज "राज्य" का, केवल राज्य का "कत्त व्य" है (अन्य व्यक्तियों, नन्थाओ, समाज-करणों का केवल घर्म है) कि समाज की शक्ति को जीवन-मूल्यों के बनाने की ओर अग्रसर करे और जब तक रचनात्मक रूप से नये मूल्यों को न बना सके, जो हैं उनका ध्वस न करे । छात्रों में मूलतः दोष नहीं है । उनको दिशा स्पष्टता से दिखाने की आवश्यकता है ।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण
महा विद्यालय, डबोक (उदयपुर).

राष्ट्रीय व्यक्तित्व की दुर्बल कुतरन

डॉ० इन्दु दवे

जीवन के चौराहे के मध्य में अटकें, उपयुक्त राह के चुनाव में अनिश्चित, वर्तमान के अविश्वास और भविष्य की आशंका को एक ही प्रश्न—चिह्न में समेटे—आज का भारत, एक अत्यन्त द्रुत सक्रमण काल से गुजर रहा है। सक्रमण की यह अवधि मूलतः अस्थिरता की द्योतक है। विरोधाभासी मान्यताओं की टकराहट से डगमगाती हुईं धरती है यह—जबकि न तो बीतते मूल्यों में पूरी आस्था है और न आते हुए में पूर्ण विश्वास।

आज के नवयुवक को, जो कि कल के राष्ट्र का निर्माता है, इस अस्थिर स्थिति में जीते हुये, एक दूसरी भयकर विडम्बना का सामना करना पड़ रहा है और वह है—हमारे समाज के मूल को निर्दयतापूर्वक कुतरता हुआ "द्वैत व्यक्तित्व" का भयानक रोग ! आज का नवनेता और भविष्य की प्राणा—नवयुवक शिक्षार्थी विस्मयपूर्वक देखता है कि उसके दयस्को के विश्वासों में पर्याप्त बल नहीं, पथ—प्रदर्शकों के विचारों एवं व्यवहारों में तारतम्य नहीं, और मानो राष्ट्र के समूचे व्यक्तित्व में सगठन नहीं।

ऐसी परिस्थिति में, यदि वह दिशा की अनिश्चितता, मूल्यों की अविश्वसनीयता एवं व्यवहार—कसौटी की अर्बुदता से विक्षुब्ध हो उठे, तो क्या आश्चर्य ?

मैं तो विद्यार्थी विक्षोभ को रोगी राष्ट्र का एक रोग लक्षण (Symptom) मानती हूँ।

विद्या भवन शिक्षक महा विद्यालय,
उदयपुर (राजस्थान).

आधुनिक छात्र—एक विवेचन

नाथू लाल शर्मा

एक ही आवाज, एक ही रट, एक ही गूँज चारों ओर ! सुरसा के मुख के समान राष्ट्र जीवन को निगलने वाली आज की छात्र-समस्या और उससे पराङ्मुख होकर पलायन करने वाली, मेरी सामर्थ्यहीन समाज व्यवस्था ! शिक्षक, शिक्षाशास्त्री और सरकार—सभी के द्वार खटखटाने वाले उपेक्षित छात्र की आहत सर्प के समान फुँफकार ! एक आक्रोश, एक बौखलाहट, उमडती, उफनती पागल जवानी की चुनौती भरी ललकार ! एक विस्फोटक, सर्वनाशी, आत्मघाती भू कँपाने वाली हुँकार ! फोडे की मवाद पर टूट पडने वाली मक्खियों के अम्बार के समान विघटनकारी, विदेशी, विजातीय, अराष्ट्रीय एव अभारतीय शक्तियों का खुलकर नगा नाच !

यहा छात्र को केन्द्र बिन्दु मानकर चारों ओर दृष्टिपात मात्र ही मेरा मन्तव्य है। मेरे छात्र की कुण्डा के दो चित्र, दो रूप ही यहा निवेदन कर रहा हूँ।

कालिज जीवन के बाद

प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों में उपाधि-वितरण का जलसा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किसी श्रेष्ठ प्रतिभाशाली विद्वान, मान्य राज्यनेता या प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री द्वारा दीक्षात भाषण कराया जाता है। यह औपचारिक वातावरण, एक सुन्दर व आकर्षक मेले का रूप धारण कर लेता है। अच्छी नासी रंगीन चहल पहल रहती है। इस रंगीनी लोक में स्नातक, थोड़ी देर के लिए निराशा में आशा की झलक मात्र पा लेता है। युवकों के मुरझाये चेहरों पर, उपाधि-पत्र प्राप्त करते हुए हल्की सी हलस की तरंग दिखाई देती है, जो क्षण भर बाद ही चिंतापूर्ण चितना में बदल जाती है। चिंतापूर्ण चितना का कारण भविष्य के प्रति अस्पष्टता और अघकार की भयकर कल्पना है। दिल में घडकन, चेहरे पर शिवन, मुख मडल मलिन और अन्ध तो एक ही

चित्तन है कि समाज मे सत्ता व अस्तित्व की प्रतिष्ठा कहाँ और कैसे की जाय ?

जीवन भार रूप मालूम होता है। समाज के कर्म क्षेत्र मे कूदना चाहता है। तैराक न होने पर यदि कोई समुद्र मे कूदे तो प्राणो का भय रहता है। जिसकी कर्म मे रुचि है, श्रम में निष्ठा है, जो कर्त्तव्य-परायण है वही सच्चा कर्मवीर या कर्मचारी कहा जा सकता है और उसके लिए जीवन भार नहीं भार स्वरूप है। परन्तु आज का युवक कर्मचारी नहीं, राज्य कर्मचारी बनना चाहता है। कर्म या श्रम से पसीना और पसीने से मोती की चमक के दर्शन होते हैं। सभवत राज्य कर्मचारी बनना, वह लोक है जहा पसीने की एक वूद भी नहीं वहानी पडती। जहाँ निकम्मापन भी बेघडक खटके के साथ चल सकता है। वह बावू बनना चाहता है, बी० ए० पास करके भी। राज्य-कर्मचारी-जगत उसके लिए एक स्वर्गतुल्य दिव्य-लोक है। जहाँ ईमानदारी सिसकती है, भ्रष्टाचार भूँछे मरोडता है, बेईमानी फलती फूलती है, रिश्वत-खोरी नंगी होकर नाचती है। उसकी मधुर कल्पना मे नौकरी या चाकरी मुफ्तखोरी जैसी ही कोई सुन्दर वस्तु है।

‘कृपि कार्यं?’ छि ! पैण्ट की क्रीज का नाश, धूलि घूसरित गात, मेहनत दिन रात और उस पर भी ग्रामीण जीवन ! ना ना.....‘मैं तो क्लर्क बनूँगा, चाहे अस्सी रुपये ही मिल जाँये।’ यह सोचकर कभी समाज पर क्रोध करता है, कभी सरकार पर आक्रोश करता है, कभी अपनी स्थिति का सोच करता है और इस प्रकार वह युवक प्रमाण-पत्र की पिस्तौल लेकर नौकरी की शिकार में निकलता है। थर्ड डिविजन की वुलट उसके पास है। नौकरी का हिरण अब चौकडियाँ भरता हुआ मन्त्रियों के बगलों या सचिवालयों की दीवारों मे शरण के लिए जा पहुँचा है। जहाँ सिफारिश की किसी बडी भारी तोप की गडगडाहट मात्र ही सुनाई दे सकती है।

कॉलेज जीवन के अंदर

यह एक घोर निराशामय चित्र है, जिसका आभास कॉलेज प्रवेश के समय ही आज के छात्र को हो जाता है, पर फिर भी वह विवश होकर वेमन से प्रवेश ले ही लेता है। ‘भावी है भगवान भरोसे’ उसका जीवन ‘डनलप टापर’ की तरह लुडकता, सरकता, रँगता हुआ बढ़ता जाता है। जहाँ भविष्य उज्ज्वल और मंगलमय होता है, वहाँ जीवन मे स्थिरता और नियमितता रहती है और जहा भविष्य ही अधकारमय हो, वहाँ छात्र, जीवन के प्रति बेपरवाह या लापरवाह हो जाता है। बेपरवाही या लापरवाही से दुर्घटनाएँ होती

हैं। जब उसे अपना ही नाश दिखाई देता है तो वह सर्वनाश करने पर उतारू हो जाता है। आज के छात्र का रौद्र रूप हमने देखा है। वह प्रलयकर शिव-शकर के समान ताण्डव नृत्य करता है, निश्चिन्तराज रावण से भी आगे बढ़ता है, हिंसा और महार, अग्नि दाह और लूटमार, चारों ओर हाहाकार और आहिमाम् मच जाता है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें घराशायी हो जाती हैं, बगले और कारें फु कती हैं, सरकार थरती है, लगता है फास की राज्यक्रांति की पुनरावृत्ति होने वाली है। ऐसी स्थिति में सरकार का 'गोल' रहता है— पहिले वह डराती है, सगीनो से मुकाबला करती है, अश्रुगंस चलाती है, छात्रों को गोलियों से भूनती है और फिर अपील करती है, आश्वासन देती है, डरने लगती है और फिर इसके बाद सरकार एकदम गुकती है, मागें मजूर होती हैं। छात्र ऐसा अनुभव करता है जैसे विजय-पताका उसी के हाथ लगी। इसदम और आवेश के पेट्रोल के साथ वह पुनः कॉलेज में आता है, अध्ययन की गाडी आगे चलती है। यही ऊटपटाग, ऊलजलूल क्रम आज के छात्र का चलता रहता है।

समाज में सभी उससे विदकते हैं, कटे फटे से दूर दूर रहते हैं, माता पिता उसे सिर पर बला समझते हैं, अध्यापक ज्ञान-दान मात्र अपना कर्तव्य समझते हैं, दानपात्र की उन्हें चिन्ता नहीं। शिक्षाशास्त्री छात्र को प्रयोग का माधन मानकर नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं। राजनेताओं के दिमाग में एक से एक निरासी, सुन्दर-मुन्दर योजनाएँ हैं, इन छात्रों के मगलमय भविष्य के बारे में। और वे निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्ज्वल बना कर ही चैन लेंगे, वशतँ कि छात्र उन्हें सहयोग दें, उनकी समाओं में उपस्थित हो, उनके माषण सुने, आवश्यकता पडने पर हुल्लड बाजी, मारपीट या पत्थर बाजी से विरोधी दल की समाओं को उखाड फेंके, चुनाव जितवाने में सहयोग दें। जितने देश में नेता उतनी ही शिक्षा की भिन्न भिन्न योजनायें ! छात्र जायें भट्टी में, शिक्षा जाये माड में, अध्यापक जाये चूल्हे में, पर हर नेता की योजना बडे मूल्यवान विचारों से परिपूर्ण है। पर क्या करें बेचारे ये नेता और सरकार—यह समाज ही सहयोग नहीं देता, सहकार नहीं करता, नहीं तो एक एक नेता शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है शिक्षा या भाषा आदि के सम्बन्ध में इनमें आपसी मतभेद भी तो कम नहीं, एक दूसरे में बिल्कुल पूर्व-पश्चिम या आकाश-पाताल का फर्क है। साथ ही ये लोग इन शिक्षा शास्त्रियों की अडगेबाजियों से भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे नेतागण बडे प्रगतिशील, समन्वयवादी, भवसरवादी और नमनशील हैं। प्रात काल उत्तर भारत में घडाके से कहते हैं 'राष्ट्रभाषा

हिन्दी ही है और रहेगी।' सायकाल उसी दिन दक्षिणी भारत में कहते हैं 'अंग्रेजी चलती रहेगी।' रोगी एक है इलाज करने वाले अनेक ! डॉक्टर, वैद्य, हकीम अपनी अपनी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, यूनानी आदि अचूक रामबाण औषधियों का सुझाव देकर स्वस्थ करने का दावा करते हैं और जिसे भ्रवसर मिलता है वही अपनी औषध दे डालता है। मर्ज बढ़ रहा है, रोगी परेशान है। उसके दिल और दिमाग में इन चिकित्सकों के प्रति घोर रोष, चिढ़, कुढ़न पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी चिकित्सक भी अपनी जान बचाकर बेतहाशा भाग छूटते हैं। न मालूम रोगी पागल हो गया है, पर किसी की हिम्मत नहीं कि उसे पागलखाने में दिखाने जाय और उसे पागल तक कह दे।

यही मानसिक रोग आज मेरे देश के छात्र को है, पर यह सक्रामक रोग ऊपर से नीचे की ओर आया है। छात्र वही कार्य कर रहा है जो राज-नेता, शिक्षा शास्त्री और अध्यापक कर चुके हैं या कर रहे हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, जिसका भाव है एक तो बन्दर स्वभाव से ही चंचल और उसे पिला दी जाय शराव, साथ ही उसे बिच्छू डक मार दे, तो वह बन्दर जो जो भी उपद्रव करे वह कम है।

ऐसा लगता है जैसे कुँए में भाँग गिर गई है और सभी मदहोश हो रहे हैं। इस समय सबसे अधिक दयनीय स्थिति उसकी है जिसे हम माता-पिता या सरक्षक वर्ग कह सकते हैं। अपनी गाढी खून-पसीने की कमाई से, आशा-मरी दृष्टि से, टेरिलिन के नये नये सूट बनाकर, दूल्हा बनाकर जिस लाडले, नयनों के तारे, कलेजे के टुकड़े को कॉलेज में भेजते हैं, वह आनन फानन देखते देखते बदल कर माता पिता का बदला ब्याज से चुकाने आता है। फूल पत्थर बनकर आता है, इंसान हैवान या शैतान बनकर आता है, सीधा-सीधा बालक बबाल बनकर आता है। आँधी और तूफान के समान समस्त मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों और पवित्र परम्पराओं को छिन्न विच्छिन्न करने के लिए एक बबडर के रूप में आता है। छाती माथा ठोकते हैं वृद्ध, अध आशक्त और असहाय माता पिता। अब लाड प्यार दिल से नहीं मय से करते हैं, क्योंकि कहीं वैज्ञानिक ढंग से माता पिता का पूजन कर डाले तो कोई आश्चर्य नहीं।

वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ या अवाञ्छित तत्व हैं जिनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से आज का छात्र बहक जाता है, सनक जाता है और 'नट मकंटे इव' पराये इ गित पर नाच उठता है? परवाह नहीं करता अपने माग्य

और भविष्य की। स्वयं अपने पैरो पर कुठाराघात करता है। विषय के इस पहलू पर विचार हेतु थोड़ा विस्तार अपेक्षित है, जो इस लघु आकार के लेख में सम्भव नहीं, फिर कभी निवेदन कर सकूँगा।

छात्रों की इस दशा पर दया आती है, थोड़ा क्रोध भी आना असम्भव नहीं। फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं। देश की यह युवा शक्ति अपार शक्ति का भण्डार है। इसका सही मार्ग-दर्शन और सदुपयोग आवश्यक है। भारत-पाक संघर्ष में, छात्रों ने जो सराहनीय भूमिका अदा की, वह चिरस्मरणीय रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया भारतीय वातावरण के परिवेश में हो, राष्ट्र-प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। इसे राजनीति-निरपेक्ष, शिक्षा-शास्त्रियों के चिन्तन का विषय रखा जाय। शिक्षा के स्वरूप व पाठ्यक्रम में अनुचित परिवर्तन की मांग करने वाले समाज विरोधी तत्व एवम् उनके हाथ में खेलने वाले छात्रवर्ग के आन्दोलन को कठोरता से दबा दिया जाये। जनतन्त्र के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में धु टने टेक नीति वरतना, कानून की अवहेलना करने वालों के सामने झुकना—कायरता है, पाप है एव अमिट कलक है। यह एक अक्षम्य समाज-द्रोह का अपराध है।

हिन्दी विभाग

राजकीय महाविद्यालय,

दौसा

छात्र आन्दोलन क्यों ?

रामस्वरूप गुप्त

विद्यार्थी आन्दोलन आधुनिक युग की एक ज्वलन्त समस्या है। इस समस्या ने राष्ट्र ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के मानस को बुरी तरह झकझोर दिया है। आधुनिक युग के विचारक, चिंतक एवं शिक्षाशास्त्री इसके भिन्न २ कारण बताते हुए, निराकरण पर भी प्रकाश डालते हैं, किन्तु यह एक ऐसा रोग है कि, ज्यों २ इसकी चिकित्सा की जा रही है, निरन्तर इसमें वृद्धि हो रही है। इसका एक मात्र कारण यह है कि, हम बीमारी के मूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व हुई, कलकत्ता, बनारस एवं इलाहाबाद के छात्र आन्दोलन की दुर्घटनाएँ सुनकर हृदय कोपने लगता है, और यह मानने को विवश होना पड़ता है कि, यदि छात्र इसी मार्ग का अनुसरण करते रहे तो हमारे ही हाथों हमारा सर्वनाश निश्चित है।

शिक्षक होने के कारण मैं इस समस्या की गहराइयों में गया हूँ, और अब मैं मान्यता के साथ कह सकता हूँ कि, इसके निम्न कारण हैं।

(१) छात्र आन्दोलन के प्रमुख कारणों में एक मैं आज की पाठ्यक्रम-निर्धारण पद्धति को मानता हूँ। यह सर्वथा ढिलमिल एवं असन्तुलित है। इसमें छात्र के लिए पाठ्यक्रम नहीं अपितु पाठ्यक्रम के लिए छात्र होता है।

(२) कॉलेज एवं विद्यालयों में पहुँचने के बाद छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, तथा वह समाज से वाजिब अधिकारों की प्राप्ति के लिए आशा करता है।

सम्बन्धित अधिकारी स्वार्थ के वशीभूत होकर अथवा हठधर्मी से उसके अधिकारों के प्रति उपेक्षा बरतते हैं, और इसीके परिणाम स्वरूप छात्र आन्दोलन हिंसात्मक रूप ले लेता है।

(३) आज के शिक्षकों में अधिकांश शिक्षक आर्थिक एवं मानसिक रूप से अशान्त हैं।

अधिकारी वर्ग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण तो दूर अपितु वे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक कष्ट पहुँचाने में सहायक होते हैं। इसीके परिणाम स्वरूप शिक्षक अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और उसीका कुप्रभाव छात्रों पर पड़ता है।

(४) इसका एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षक का चयन भी है। आज-कल शिक्षक के रूप में ऐसे २ व्यक्तियों का चयन हो जाता है, जिनमें इस पद के अनुरूप न तो योग्यता ही होती है, और न व्यवहार कुशलता। फलतः छात्रों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और धीरे-धीरे छात्र उद्दण्ड प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होता है।

(५) राजनैतिक नेता भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु छात्रों का प्रयोग करते हैं।

अतः यदि हमें इस महामारी का निदान करना है तो यह आवश्यक है कि, शिक्षक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से इतना मुक्त कर दें कि, वह अपनी शक्ति सही रूप से छात्र-हित में लगा सके।

यह निश्चित है कि, आदर्श छात्र का निर्माण शिक्षक के चरणों में ही होगा।

अधिकारी वर्ग भी योग्य एवं अनुभवी हो, तथा उन्हें चाहिए कि वे छात्रों की समस्याओं पर हठधर्मी न करके उनका समय से पूर्व निराकरण कर सन्तुष्ट करे।

शिक्षकों के चयन में हम पक्षपातपूर्ण एवं स्वार्थपूर्ण नीति का प्रयोग न कर योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का ही चयन करें।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डा० कोठ्यारी के अनुसार “यदि हमने एक भी व्यक्ति का शिक्षक के रूप में गलत चयन कर लिया तो देश का बड़ा भारी अहित होगा।”

राजनेताओं को भी छात्रों को प्रोत्साहन देकर उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। यदि हमने उक्त कारणों एवं निदानों का सिद्धान्तलोकन कर इन्हें क्रियान्वित किया तो मेरी यह मान्यता है कि, हम निश्चितरूपेण छात्र आन्दोलन से राहत पा सकेंगे।

मन्त्री

जयपुर जिला शिक्षक संघ,

जयपुर।

हमारे विचारक

डॉ० वी के आर वी राव

सुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्री चेयरमेन, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरिन ट्रेड, डाइरेक्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इकॉनामिक प्रोथ, भूतपूर्व उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, योजना आयोग के सदस्य । अर्थशास्त्र पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन । संप्रति—मन्त्री, जहाजराती, भारत सरकार ।

श्री वी वी जॉन

प्रबुद्ध विचारक तथा शिक्षा शास्त्री, मेयो कॉलेज अजमेर तथा महाराणा भूपाल कॉलेज के आचार्य । निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार । संप्रति अवकाश प्राप्त ।

डॉ० एस एन. मुकर्जी

महाराजा मायाजी गव विश्वविद्यालय, वडौदा में शिक्षा एवं मनोविज्ञान निकाय के डीन, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के सत्त्वावधान में संचालित शिक्षा प्रशासन विभाग के प्रधान, शिक्षक प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, शिक्षा विषयक अनेक ग्रन्थों के प्रणेता, संप्रति—आचार्य, विद्याभवन जी एस. टीचर्स कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान ।

डॉ० सम्पूर्णानन्द

प्रधान शिक्षक, झुगर कॉलेज बीकानेर में प्राध्यापक, अंग्रेजी 'टूडे' तथा हिन्दी 'मर्यादा' पत्रों के संपादक उत्तर प्रदेश प्रान्तीय कांग्रेस समिति

के मंत्री, २६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, प्राध्यापक, काशी विद्यापीठ उ प्र मंत्री मडल में कई महत्वपूर्ण विभागों का मंत्रीत्व तथा मुख्य मंत्रीत्व, राजनीति, इतिहास, दर्शन तथा साहित्य विषयक ३५ पुस्तकों के प्रणेता 'समाजवेद' शीर्षक पुस्तक पर मगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल सप्रति-अवकाश प्राप्त ।

डॉ० मथुरालाल शर्मा

आचार्य हर्वर्ट कॉलेज कोटा तथा महाराजा कॉलेज, जयपुर, कई स्थानों पर इतिहास के विभागाध्यक्ष, शिक्षा निदेशक राजस्थान, उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, सप्रति-अवकाश प्राप्त ।

डॉ० वाई वी. दामले

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री, समाजशास्त्र के क्षेत्रीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण योग समाज शास्त्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री का प्रणयन, सप्रति-रीडर, समाज शास्त्र विभाग, डक्कन कॉलेज, पूना महाराष्ट्र ।

डॉ० एस पी रूहेला

शिक्षा तथा समाज शास्त्र विषय पर महत्वपूर्ण प्रबन्धों के लेखक । सप्रति-राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदान्तर्गत समाज शास्त्र शाखा के प्रधान ।

श्री काका साहब कालेलकर

परमविभूषण दत्तात्रेय बाबूकृष्ण कालेलकर गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख चिन्तक एवं लेखक, कई पत्रों के संपादक, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

के अध्यक्ष, उपकुलपति—गुजरात विद्यापीठ, ७ भाषाओं के विद्वान् । गुजराती, मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में लगभग ५० पुस्तकों का प्रणयन, 'जीवन व्यवस्था' पुस्तक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत । सप्रति सपादक, 'मंगल प्रभात' ।

श्री ब्रजनन्दन

'अरविद दर्शन' के विचारक, सप्रति 'श्री अरविद आश्रम' पाडिचेरि में सेवा-रत ।

प्रो० बालकृष्ण नेमा

विचारक, लेखक, सप्रति वी० आइ० टी० एस०, पिलानी के दर्शन विभाग में प्राध्यापक ।

श्री प्रभाकर माचवे

सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, विचारक, कई ग्रन्थों का प्रणयन, सप्रति-सहायक सचिव, साहित्य अकादमी, दिल्ली ।

श्री गुरुदत्त

सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, दर्जनो लोकप्रिय उपन्यास के प्रणेता ।

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिधवी

सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता, विचारक, सर्वोच्च न्यायालय के वकील, विजिटिंग प्रोफेसर, साँ कॉलेज, दिल्ली । सदस्य लोकसभा, सप्रति-संबंधानिक एवं समदीय अध्ययन संस्थान दिल्ली में प्रधान ।

महामहोपाध्याय भगवानदास माहार

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के क्रांतिकारी योद्धा, जागरूक विचारक, सम्प्रति बुन्देलखण्ड कॉलेज, भाँसी (मध्य प्रदेश) में प्राध्यापक ।

डॉ० रामानन्द तिवारी 'भारती नन्दन'

सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं दर्शन शास्त्री, 'पार्वती' महाकाव्य तथा 'सत्यं, शिव, सुन्दरम्' जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रणेता, संप्रति-अलवर कॉलेज में दर्शन विभाग के अध्यक्ष पद पर ।

डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट

अध्यापक, शिक्षणालय निरीक्षक, राष्ट्रीयकृतपाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान के सचिव, संप्रति-उदयपुर स्थित राज्य शिक्षा-संस्थान के उप-निदेशक ।

प्रो० शर्भसिंह मनोहर

प्रबुद्ध लेखक तथा विचारक, संप्रति प्राध्यापक हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,

श्री विद्यासागर

हिन्दी विस्तार-कार्य से सम्बद्ध लेखक, हिन्दी प्रचार समिति, दिल्ली के संयोजक ।

श्री राकेशदत्त त्रिवेदी

इतिहास एव पुरातत्व से सम्बद्ध । पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन ।
संप्रति लंबकर-गाइड, राष्ट्रीय-संग्रहालय, दिल्ली ।

प्रो० एम. वा. माथुर

राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थ शास्त्र के विभागाध्यक्ष, उपकुलपति,
राजस्थान विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विषयक महत्वपूर्ण सामग्री के प्रणेता,
शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, संप्रति-संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में संचालित
एशिया शैक्षणिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान के प्रधान ।

श्री जे. पी नायक

शिक्षा क्षेत्र के मर्मज्ञ अनेक प्रबन्धों के प्रणेता, कोठारी शिक्षा आयोग
के सदस्य सचिव, कई महत्वपूर्ण पदों पर सफलता पूर्वक कार्य करने के
उपरान्त आजकल भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार के पद पर ।

डॉ० राजकृष्ण

जागरूक विचारक-लेखक विदेशों में आयोजित कई व्याख्यान मालाओं
के वक्ता, अर्थ शास्त्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री के ख्याति प्राप्त लेखक
संप्रति-प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय

सुप्रसिद्ध लेखक, अनेक पुस्तकों के प्रणेता, संप्रति-राजस्थान विश्व-
विद्यालय जयपुर में इतिहास विभागाध्यक्ष के पद पर ।

श्री एल. पी श्री वास्तव

उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त, प्रवकाश प्राप्त सहायक रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ।

श्री रघुवीर प्रसाद भटनागर

चिन्तक, लेखक, संप्रति-प्राध्यापक, अग्रेजी विभाग, राजस्थान विश्व-विद्यालय, जयपुर ।

श्री हनुमान शर्मा

राजस्थान राज्य आरक्षी विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों पर, सम्प्रति-महानिरीक्षक, आरक्षी विभाग, राजस्थान जयपुर ।

श्री निरजन नाथ आचार्य

राजस्थान के स्याति प्राप्त वकील, कई सार्वजनिक समस्याओं के जन्मदाता एवं पोषक, राजस्थान के गृह एवं शिक्षा मंत्रालय में मंत्री, सुविख्यात साहित्यकार, हिन्दी तथा राजस्थानी के माध्यम से साहित्य सेवा, सम्प्रति-अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

श्री शिवचरण मायुर

शिक्षा मंत्री, राजस्थान प्रबुद्ध विचारक एवं राजनीतिज्ञ, कई सार्वजनिक समस्याओं में सम्बद्ध ।

हमारे विचारक/२३७

श्री नारायण दत्त तिवारी

प्रसिद्ध वक्ता, लेखक, सप्रति-सयोजक-भारतीय युवक काँग्रेस ।

श्री भैरोसिंह शेखावत

सुप्रसिद्ध वक्ता, चिन्तक, राजनीतिज्ञ, अखिल भारतीय जनसघ के उपाध्यक्ष, सप्रति राजस्थान समा मे जनसघ दल के नेता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल

चिन्तक, राजनीतिज्ञ, राजस्थान साम्यवादी दल के अध्यक्ष ।

मास्टर आदित्येन्द्र

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी, गांधी विचारधारा से प्रभावित, सप्रति-राजस्थान प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष ।

श्री देवीसिंह मंडावा

राजनीतिज्ञ, राजस्थान से स्वतन्त्रदल के लोकसभा-सदस्य ।

श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद

महामंत्री, वामपथी साम्यवादी दल मलयालम और अंग्रेजी मे कई पुस्तकों के प्रणेता, सुप्रसिद्ध चिन्तक-लेखक, सप्रति-मुख्य मंत्री केरल राज्य ।

डॉ० मोहनसिंह मेहता

सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, विद्याभवन सोसायटी के सस्थापक, मेवाड राज्यान्तर्गत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पाकिस्तान तथा स्विट्जरलैण्ड में भारत के राजदूत, राजस्थान विश्व विद्यालय के उपकुलपति, (भूतपूर्व) सप्रति-सेवा मन्दिर 'नामक' सस्था के सचालक ।

श्री विशानसिंह शेखावत

शिक्षक प्रबुद्ध, चिन्तक, प्रधानाध्यापक, रेजिडेन्सी माध्यमिक शाला, जयपुर, महा मंत्री, राजस्थान शिक्षक सघ, जयपुर ।

डॉ० रामविलास शर्मा

प्रगतिशील लेखक, प्रबुद्ध चिन्तक सुविख्यात हिन्दी आलोचक-सप्रति श्र ग्रेजी के विभागाध्यक्ष, सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा ।

श्री जनार्दनराय नागर

प्रेमचन्द युगीन कथाकार, कई पुस्तकों के प्रणेता, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष मनीषी 'सगम चद्रक' आदि उपाधियों से अलंकृत, सप्रति-राजस्थान विद्यापीठ नामक सस्था के सचालक ।

श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार

भारतीय मसूति एव दर्शन के विद्वान्, गीता प्रेम गोरखपुर के सचालक एव सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'बन्ध्याण' के यशस्वी संपादक ।

डॉ० लक्ष्मीलाल के ओड

सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र के विद्वान्, लन्दन से शिक्षा मे पी. एच डी उपाधि प्राप्त, शैक्षणिक जगत् के पत्र 'जन-शिक्षण' के सम्पादक, अनेक पुस्तको के प्रणेता सप्रति-प्रोफेसर विद्या भवन गोविन्दराम सेक्सरिया टीचर्स कॉलेज उदयपुर ।

श्री मोरिक्वलाल वर्मा

स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रगण्य नेता, राजस्थान के सार्वजनिक जीवन से कई सस्थाओ के माध्यम से सम्बद्ध । सुप्रसिद्ध चिन्तक, राजनीतिज्ञ, सम्प्रति-अध्यक्ष, राजस्थान खादी मण्डल ।

श्री बालगोविन्द तिवारी

अध्यापक, शिक्षणालय निरीक्षक, आचार्य—राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, बीकानेर । निदेशक—राज्य शिक्षा-सस्थान, उदयपुर, सम्प्रति—लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, उवोक, उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर ।

डॉ० (श्रीमती) इन्दु देवे

अध्यापक, अमरीका से स्नातकोत्तर उपाधि (शिक्षा मे), मिशीगन विश्वविद्यालय से योग्यता छात्र-वृत्ति, अमरीका से पोस्ट-डॉक्टोरल शोध-कार्य, शोध-कार्य के लिये अमरीकन अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार, विद्या भवन शिक्षक महा विद्यालय, उदयपुर को कार्य० आचार्या, अमरीकन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सम्मान सोसाइटी मे आमंत्रित प्रथम विदेशी विदुषी, सम्प्रति—विद्या भवन शिक्षक महा विद्यालय, उदयपुर मे स्नातकोत्तर-अध्ययन-पयोजक ।